खण्ड-330, अंक-9
मंगलवार, 14 चैत्र, शक संवत् 1900
(4 अप्रैल, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 330 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1023–1026
प्रश्नोत्तर	1027–1079
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	1079–1080
बाराबंकी जनपद के फतेहपुर तहसील में बैठने वाले वकीलों का फर्नीचर इत्यादि पुलिस द्वारा जलाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1081
सीतापुर में बलीराम हरिजन की थाना तालगांव में पुलिस की हिरासत में पिटाई से मृत्यु के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	1081 1082
ग्राम नगला चाहत, जिला मैनपुरी में नाइयों द्वारा सवर्णों की बेगार न करने पर नाइयों की पिटाई एवं आगजनी इत्यादि के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1082
आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय के प्रस्तावित स्थान में परिवर्तन से असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1082–1083
लखनऊ के कृत्रिम अवयव एवं पुनर्वास केन्द्र में गबन भ्रष्टाचार तथा धांधलियों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	1083–1084
सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	1084–1087
सम्भल, जिला मुरादाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगे के बारे में विचारार्थ गुप्त अधिवेशन करने की मांग	1087–1090
उत्तर प्रदेश कीटनाशी (अपील) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1090
नियमावली विलम्ब से सदन के पटल पर रखी जाने के सम्बन्ध में आपत्ति	1090–1091
उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (छठा संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1091–1092
उत्तर प्रदेश उद्यान श्रम (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1092
उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1092
उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1092
उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (अड़तालीसवां संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1092
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयीं)	1092 1093
उत्तर प्रदेश बिक्री-कर सरली करण समिति, 1977 का अंतिम प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	1093

विषय	पृष्ठ-संख्या
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अनुपूरक रिपोर्ट 1975–76 (सिविल) तथा शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया)	1093
पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी)	1093
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान) (पंचम संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी)	1093
जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पल पर रखी गयी)	1093
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (अठारहवां/ उन्नीसवां), आदेश 1977 तथा बीसवां आदेश, 1978 (सदन के पटल पर रखे गये)	1994
जिला जेल, प्रतापगढ़ के विचाराधीन बन्दी श्री बचऊ सिंह की मृत्यु से संबंधित जांच आयोग की रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)	1094
उत्तर प्रदेश के राज्य के संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आदेश, 1976 में संशोधनों से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना (सदन के पटल पर रखी गयी)	1094
पायनियर, स्वतंत्र भारत, दैनिक जागरण आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1094–1095
विद्युत् विभाग के सचिव एवं अन्य संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1095–1097
सार्वजनिक निर्माण मंत्री, श्री मोहम्मद मसूद खां के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1097–1099
मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	1099–1100
सम्भल, जिला मुरादाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में वक्तव्य	1100–1104
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरःस्थापित किया गया)	1104–1105
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरःस्थापित किया गया)	1105
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुरःस्थापित किया गया)	1105–1106
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	1106–1107
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 (पारित)	1107–1120
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (पारित)	1120–1147
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (जारी)	1147
सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	1151
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंड़ी विधि (संशोधन) विधेयक 1978 (जारी)	1151–1153
नियम 51 के अन्तर्गत सूचना	1153
लालगंज जिला रायबरेली में छात्रों पर हुए गोली काण्ड और लाठी चार्ज के सम्बन्ध में नियम 51, के अन्तर्गत वक्तव्य	1153–1159
नत्थियां	1160–1165

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 4 अप्रैल, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित–सदस्य 297

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद,श्री
अनवार, अहमद, चौधरी
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक, अहमद, श्री
अशोक वाजपेई, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ए0सी0आइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पांडेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कांत मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाशनाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री

चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्द राम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेश पाल सिंह यादव, श्री
नाथूराम 'शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह मैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव श्री, (एडवोकेट)
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल "सरोज" श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
विशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भामी , श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीषम, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवदी, श्री
मंसूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री

मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी श्री
राज बृज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्रकाश, श्री
रामफेर कोरी, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाडेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री

शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्यामदत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगमलाल, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यप्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर,
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द्र तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेमराज, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 4 अप्रैल, 1978

अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न

आपात काल के दौरान मीसा/डिसिर के राजनैतिक बन्दियों की जेल में मृत्यु एवं मृतकों के आश्रितों को दी गयी सहायता

**1—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री को इसकी जानकारी है कि सरकार द्वारा यह घोषणा की गई थी (आपातकाल समाप्त होने के बाद वर्तमान सरकार द्वारा) कि आपातकाल के दौरान मीसा तथा डिसिर में नजरबन्द जिन 16 व्यक्तियों की मृत्यु जेल में हुई उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जायगी ? यदि हां, तो अब तक क्या सहायता दी गई? यदि नहीं, दी गई तो क्यों?

राजनैतिक पेंशन उपमंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)—

जी हां । आपात्काल के दौरान मीसा/डिसिर में राजनैतिक आधार पर नजरबन्द जिन 16 व्यक्तियों की मृत्यु जेल में हुई उनके आश्रितों को एकमुश्त अनुदान स्वीकृत करने की स्थिति संलग्न विवरण में प्रस्तुत है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछने के पहले मैं आपका ध्यान एक गम्भीर अनियमितता की ओर दिलाना चाहता हूं । इसी तरह का मेरा सवाल 27 तारीख का था । उस समय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि वह इस योजना का अपने जिले में व्यापक प्रचार करायें तथा पात्र व्यक्तियों के आवेदन पत्रों को पूर्ण तथ्यों एवं विवरणों के साथ शासन को अग्रसारित करें । जैसे-जैसे प्रार्थना प्राप्त होंगी, उनका परीक्षा कर योजना के अन्तर्गत नियमानुसार सहायता स्वीकृत की जायेगी । इसका अर्थ है किसी को दिया नहीं जायगा । आज उत्तर यह है कि श्रीमती यशोदा सिन्हा पत्नी स्व0 डा0 सत्यव्रत सिन्हा इलाहाबाद और श्रीमती राजपाली माता स्व0 श्री बंशराज, गोंडा को दस-दस हजार रुपये की धनराशि 8 मार्च को स्वीकृत की जा चुकी है । मेरा निवेदन है कि अधीनस्थ कर्मचारी, जो इस तरह की गलत सूचना कर भ्रमित करते हैं, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है । अब मैं यह जानना चाहता हूं कि 8 मार्च, को आदेश तो दिये गये क्या इन लोगों को यह धनराशि पहुंचा दी गयी है या नहीं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

8 मार्च, के जो आदेश निर्गत किये गये हैं, उस धनराशि को माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं उनके आश्रितों को चेक भेजकर देना चाहते हैं । वह तिथि निश्चित होते ही वह चैक उन्हें भेंट दी जायगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त - -

उत्तर से संबंधित जिन चार व्यक्तियों के बारे में यह जानकारी दी गयी है कि उनका कोई आश्रित नहीं है, यह सूचना गलत तथ्यों पर आधारित है । क्या मंत्री जी इसकी फिर से जांच करवायेंगे ? साथ ही क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जो अन्य दस व्यक्ति रह गये हैं, उनके बारे में कब तक निर्णय हो जायगा?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1160 पर)

श्री सत्यदेव त्रिपाठी --

इन चार व्यक्तियों के संदर्भ में संबंधित जिला मैजिस्ट्रेट से जो सूचनायें मिली हैं, उसके आधार पर उनका कोई आश्रित नहीं है । लेकिन अगर ऐसी कोई जानकारी होगी, तो हम उसकी पुन: जांच करवा लेंगे । साथ ही जो अन्य दस व्यक्ति हैं श्री मुश्ताक अहमद व डाक्टर इन्द्रजीत सिंह यह लोग जय गुरुदेव और इस्लामियां से संबंधित थे । इसके पूर्व केंद्रीय मंत्रालय का विचार था कि इनको राजनीतिक बन्दी की सीमा में रखा जाय या नहीं । कल ही केंद्रीय मंत्रालय का पत्र प्राप्त हुआ कि उन्होंने इनको राजनीतिक बन्दी के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसके बारे में भी शासन तत्काल फैसला करेगा ।

श्री अध्यक्ष---

इस सूची में बुलन्दशहर के कांतिलाल जी का नाम नहीं है जिनकी मृत्यु जेल में बन्दी होने के बाद हुई थी । डा0 इंद्रजीत सिंह भी राजनीतिक बन्दी थे जो मेरे साथ थे ।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी---

ऐसे जो नाम होंगे उनको सम्मिलित कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

यह सूचना अधूरी लगती है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

अध्यक्ष जी, यह जानकारी अपूर्ण है । इस प्रश्न को स्थगित कर दें, तो कृपा होगी । अन्यथा मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जिलाधिकारियों की रिपोर्टें बिल्कुल भ्रामक आ रही है । अत: यह उचित होगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी इस संबंध में विधायकों से जो सूचना प्राप्त हो, तद्नुसार अपनी नीति निर्धारित करने की क्वा कृपा करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी---

मान्यवर, विधायकों से जो भी सूचना ली जायेगी, उसकी जांच करायेंगे ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

मान्यवर, मैनपुरी में भी इसी तरह की मृत्यु हुई है, लेकिन उसका नाम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

वह नहीं– वह तो बता दिया है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, यह देखते हुए कि फ्रीडम फाइटर्स और पोलिटिकल एम0 पी0 आदि के साथ जिन्होंने जेल काटी थी, उनका सर्टिफिकेट पर्याप्त माना जाता था और यह देखते हुए जैसाकि अभी अध्यक्ष महोदय, ने कहा है कि उनका भी एक नाम नहीं है, क्या मनानीय मंत्रीजी इस प्रश्न को स्थगित करेंगे और माननीय विधायकों से सूचना लेकर तद्नुसार कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---

इस प्रश्न को स्थगित करना ही उचित होगा । माननीय मंत्री जी, कृपया विधायकों से जो तमाम सूचना प्राप्त हो, तद्नुसार उसकी जांच करेंगे ।

पौड़ी गढ़वाल जिले में दुगड्डा क्षेत्र में नरभक्षी तेंदुआ का आतंक

**2–श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा गोविन्द सिंह टेनेगी (जिला हरी गढ़वाल)–

क्या वन मंत्री बतलाने की कृपा करगे कि जिला पौड़ी गढ़वाल की लैन्सडोन तहसील की चार पट्टियों में विगत 6 माह से नरभक्षी बाघ न जो 17 व्यक्तियों को मार दिया है और

जिसके आतंक से इस क्षेत्र की हजारों ग्रामीण जनता सायंकाल 4 बजे से ही घरों में बन्द हो जाती है, उसे मारने के लिये क्या कोई व्यवस्था की ? जो व्यक्ति मारे गये है उनके परिवार वालों को क्या-क्या राहत दी गई है ?

वन मंत्री (श्री श्री चन्द्र)—

पौड़ी गढ़वाल जनपद में दुगड्डा के आस पास के क्षेत्रों में नर भक्षी (Man eater) ने दिनांक 27-3-78 तक उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार 14 व्यक्तियों की जान ले ली है। उसके बाद एक और स्त्री को मारने की सूचना प्राप्त हुई है जिसकी तहकीकात जारी है। इस नर पक्षी को मारने के लिए वन विभाग द्वारा 22 व्यक्तियों को अनुमति दी जा चुकी है। जो व्यक्ति मारे गए हैं उनके परिवार को प्रत्येक वयस्क के लिए 5,000 रुपये तथा 12 वर्ष तक के बच्चे के लिये 2500 रुपये मुआवजा दिया जाना स्वीकृत किया गया है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

अध्यक्ष महोदय, जैसाकि माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में कहा है कि, 14 की मृत्यु हुई और एक महिला की और मृत्यु हुई है, मेरी अभी तक निश्चित सूचना है कि इसमें 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी है। इतने गम्भीर विषय पर मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, माननीय मंत्री जी से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं और आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वह तत्काल और कोई व्यवस्था इसमें करने की कृपा करेंगे।

श्री श्रीचन्द्र—

अध्यक्ष महोदय, डी0 एम0 ने और वाइल्ड लाइफ वार्डेन ने जो सूचना दी है, उसमें 14 आदमी मारे जा चुके हैं और 15 वें के बारे में 28-3-78 को सूचना प्राप्त हुई है। अगर माननीय सदस्य का कहना यही है कि 17 आदमी मारे गये हैं तो इसमें भी पूरी जानकारी हासिल करने के बाद उसमें कार्यवाही करेंगे। दूसरी वहां पर 300 वर्ग किलोमीटर में उसका आतंक फैला हुआ है उसमें 5 लोगों को लगा दिया गया है और 50 वर्ग किलोमीटर को 6 सेक्टर में बांट दिया गया है और उसको शिकारियों को दे दिया गया है और उसमें वाइल्ड लाइफ गार्ड्स रख दिये गये हैं और उस नरभक्षी के आने-जाने के रास्ते पर मिट्टी बिछाकर उसको ट्रेस करा रहे हैं और उसमें बकरी और भैंस के बच्चों को बांध दिया गया ? इस तरह से उसके बारे में व्यवस्था की जा रही है।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने जो कहा है कि वन विभाग द्वारा व्यवस्था हो रही है, यह तो विगत 6 महीने से हो रही है लेकिन इसके बाद में भी अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं हो पायी है और वहां अत्यन्त आतंक फैला हुआ है। अतः मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह क्या वहां कोई भी समुचित व्यवस्था करने का आश्वासन देंगे जो वहां फैले हुए आतंक को दूर कर सकें ?

श्री श्रीचन्द्र—

मान्यवर, उस नरभक्षी को मारने के लिये पूरी व्यवस्था की जा रही है। माननीय सदस्य को मालूम होगा कि जिम कारवेट ने आठ वर्ष में इसी प्रकार के नरभक्षी को जिसने रूद्रपुर प्रयाग में आतंक फैला रखा था मारा और....(शोर)..वह नरभक्षी 1918 में लगा था और 1926 में मारा गया। यह काफी चालाक जानवर हो गया है और उसको मारने की पूरी कोशिश की जा रही है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो सरकार की योजना नरभक्षी को मारने के लिये उसके अन्तर्गत कितने मारे गये और जितने मारे गये, उनमें कोई नरभक्षी था कि नहीं ?

श्री श्रीचन्द्र—

अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन तेंदुए मारे गये और चौथा लकड़बग्घा मारा गया। एक 8 फरवरी को मारा गया, दूसरा 10 फरवरी को मारा गया, तीसरा 23 फरवरी को मारा गया और 13 मार्च, को लकड़बग्घा मारा गया। नरभक्षी कोई नहीं था।

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आपने चार बार मुख्य मंत्री को पुकारा और चारों बार वन मंत्री ने उत्तर दिया . . .

श्री अध्यक्ष—

मुख्य मंत्री का नाम मैंने गलत ले लिया। वन मंत्री ठीक था।

श्री श्याम धर मिश्र—

आज कल सभी मुख्य मंत्री हैं जनता पार्टी में।

श्री राम दत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस नरभक्षी बाघ को मारने के लिये शिकारी केवल सरकार द्वारा ही नियुक्त किये जायेंगे, वही इसको मारेंगे या कोई भी व्यक्ति उसे मार सकता है क्या ऐसी व्यवस्था की गयी है ?

श्री श्रीचन्द्र—

अध्यक्ष महोदय, जो शिकारी उस नरभक्षी को मारने में लगे हैं, उनमें से 18 व्यक्तियों को परमिशन दे दी गयी है। उन 18 व्यक्तियों के अलावा चार जो शिकारी हैं, वह वन विभाग के हैं।

(श्री शारदा प्रसाद जायसवाल का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम दत्त जोशी—

कोई और व्यक्ति उसे मारे, तो उसे भी पुरस्कार दिया जायगा ?

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रश्न किया, उत्तर वे दे चुके हैं।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या जो मारे गये हैं, उनको पांच हजार रुपये, ढाई हजार रुपये मुआवजा देने के अलावा क्या उनके परिवार के लोगों को नौकरी में रखेंगे ?

श्री श्रीचन्द्र—

अभी तक यह तय नहीं हुआ कि जो 12 वर्ष तक के बच्चे हैं उनको ढाई हजार रुपये और 12 से ज्यादा उम्रवालों को पांच हजार रुपये दिये जायं। 47,500 रुपये मंजूर हो चुके हैं जिसमें से 12 हजार रुपये बांटें जा चुके हैं . . . (व्यवधान) . . . .

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

क्या माननीय वन मंत्री बतायेंगे कि जो नरभक्षी है, अब तक जो विश्लेषण हुए हैं, वह कोई लकड़बग्घा है, तेंदुआ है या बाघ है ? इसका आइडेन्टीफिकेशन हो कि मैनीईटर कौन प्रकार का है तभी मैन ईटर मारा जा सकता है ?

श्री श्रीचन्द्र—

अध्यक्ष महोदय, मैन ईटर की पगों की ट्रेसिंग होती है। उसकी ट्रेसिंग हो चुकी है और ट्रेसिंग होने के बाद ही उसे मारने के लिये शिकारी लगाये जा चुके हैं। जनवरी में जब इससे पहली बारदात हुई उसी समय से यह व्यवस्था कर दी गयी है। यह तेंदुआ है—गुलदार।

श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)---

क्या वन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की तरफ से शिकारियों को कारतूस दिये जा रहे हैं या वे स्वयं खरीद रहे हैं और जिनको 10, 15 अथवा 20 दिन के के लिये सरकारी परमिट दिया गया है उनकी कुछ व्यवस्था सरकार की ओर से होती है अथवा वे अपने खर्चे पर वहां जाते हैं, इसके अलावा बाघ वहां पर गाय और भैंसों को भी मार रहे हैं और यहां तक कि आदमियों पर भी वार कर देते हैं और रीछों का भी बड़ा आतंक हो गया है ? तो क्या सरकार उन बाघों तथा रीछों के लिये भी शिकारियों को छूट देगी ?

श्री अध्यक्ष---

आप प्रश्न के बाहर चले गये हैं। मैं प्रश्न के दूसरे भाग की अनुमति नहीं देता। मैन ईटर तक ही प्रश्न सीमित है। पहला भाग का ही माननीय मंत्री उत्तर दें।

श्री श्रीचन्द्र---

जिलाधिकारियों के डिस्पोजल पर दो हजार रुपये रख दिये गये हैं। जहां तक कारतूस का सम्बन्ध है उसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है कि शिकारी खुद कारतूस लाते हैं या सरकार उनके लिये, प्रबन्ध करती है।

तारांकित प्रश्न

सचिवालय के राज्य सम्पत्ति विभाग में अधिक अवधि से कार्यरत कर्मचारी एवं अधिकारी।

*1--श्री रणजीत सिंह (जिला देहरादून), श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) तथा श्यामधर मिश्र---

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के राज्य सम्पत्ति विभाग में बहुत से सहायक एवं अधिकारी 10-15 तथा 20 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं ? यदि हां तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)---

जी हां।

सूचना संलग्न है।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ 1161 पर)

श्री रणजीत सिंह---

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग में स्थानान्तरण सम्बन्धी क्या नीति है ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

नियम यह है कि जो लोग 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको दूसरे विभागों में स्थानान्तरित किया जाता है सिवा लेखाकार और सन्दर्भकार को छोड़ कर।

श्री रियासत हुसैन---

जो सूची माननीय मंत्री जी ने दी है, उसमें कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी ऐसे हैं, जिनको 10 साल से अधिक कार्य करते हो गये हैं, लेकिन उनका स्थानान्तरण नहीं किया गया, तो क्यों नहीं किया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

सूची में यह सब लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

वह तो बतला दिया गया है कि एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है।

श्री रियासत हुसैन—

यह नहीं दिया गया है कि जब 10 साल से अधिक हो गये हैं, तो क्यों नहीं हटाया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह —

7 आदमियों की सूची है जिनको कार्य करते 10 वर्ष से अधिक हो गया है। इनमें 3 अधिकारी ऐसे हैं, जिनके लिये 10 साल की कैद नहीं है। चार पर यह कायदा लागू होता है और वह लेखाकार तथा संदर्भकार हैं। उनके लिये पहले स्पष्ट नियम नहीं बने हुए थे। अब नियम बनाये जा रहे हैं कि 10 साल से अधिक जिनको काम करते हो गये हैं, राज्य सम्पत्ति विभाग में, उनको स्थानान्तरित कर दिया जाय लेकिन विभाग की ओर से यह निवेदन हुआ है कि जब तक नियम न बन जायं तब तक उनके अनुभव का लाभ उठाया जाय।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

जो यह नियम बनाया गया है तो वह किस-किस काउंटर पर काम करने वालों के लिये बनाया गया है कि 10 साल से अधिक एक काउंटर पर न रहे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि लेखाकार और संदर्भकार के अतिरिक्त सभी अधिकारियों पर 10 साल का नियम लागू है।

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जो लोग दस साल के बाद उस विभाग से हटाये गये हैं, वे लोग फिर उसी विभाग में बुला लिये गये हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

हटाये नहीं गये, बुलाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि चरित्र पंजिका के आधार पर उनका तबादला किया जाता है या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, चरित्र पंजिका से इसका कोई वास्ता नहीं है। नियम यह है कि जिसको 10 साल से अधिक हो गये हों उसको दूसरे विभाग में तबादला किया जायेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि राज्य सम्पत्ति विभाग में जितने कर्मचारी हैं उनके तबादले का कोई नियम नहीं बना है और सरकार इस सम्बन्ध में विचार कर रही है। तो मैं जानना चाहूंगा कि यह नियम और प्रक्रिया सरकार कब–तक बना लेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने यह नहीं कहा कि तबादले के नियम नहीं हैं। मैंने कहा कि राज्य सम्पत्ति विभाग में किस प्रकार उसका संचालन और बंटवारा किया जाय, इसके नियम नहीं बने हैं।

श्री अध्यक्ष—

कब–तक बन जायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

बहुत शीघ्र बन जायेंगे।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि 10 साल से ज्यादा जिसको राज्य सम्पत्ति विभाग में हो गये हैं उनको दूसरे विभाग में भेज दिया जाता है। सवाल मुख्य रूप से यही है कि जिन लोगों को 10 साल से ज्यादा हो गया है, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि राज्य सम्पत्ति विभाग में कार्य के आवंटन के स्पष्ट नियम नहीं बने हैं और 10–15 साल से वे ही लोग काम कर रहे हैं। इसलिये जब नियम बन जायेंगे तो इसके बाद इस बात पर विचार किया जायेगा कि उनके बजाय दूसरे आदमी जो अनुभवी नहीं हैं, नियम के तहत काम करेंगे।

श्री रियासत हुसैन—

मैं इस बात पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि जो मूल प्रश्न होता है और माननीय सदस्य को उसका जो जवाब मिलता है वह ज्यादा वजनदार होगा या सप्लीमेंटरी में जो जवाब मंत्री जी देंगे वह ज्यादा वजनदार होगा ?

श्री अध्यक्ष—

बाद में जो सप्लीमेंटरी में जवाब दिया जाता है वह मूल उत्तर का स्पष्टीकरण होता है।

श्री नेमसिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि प्रश्नों के समय कैसे व्यवस्था का प्रश्न स्वीकार कर लिया गया ?

श्री अध्यक्ष—

वह प्रश्नों से ही सम्बन्धित था।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय मंत्री जी अनुभव की बात कहते हैं। तबादले वाली समस्या है। तबादले के सम्बन्ध में पिछली सरकार के कोई नियम हैं या नहीं ? यदि नहीं हैं, तो कब तक हमारी सरकार ऐसे नियम बनायेगी जो न्यायसंगत तबादले होंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, मने निवेदन किया था कि तबादले के तो नियम हैं कि 10 साल से अधिक नहीं रखा जायेगा और 10 साल के पश्चात् दूसरे विभाग में भेज दिया जायेगा। माननीय सदस्य की शायद समझ में नहीं आ पाया कि जो विभाग की नियमावली है वह तैयार नहीं हो पाई। वह पिछले 20 सालों से तैयार नहीं थी उसको हम तैयार करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि जिनको 10 साल से अधिक हो गये उनको क्यों नहीं अभी तक ट्रांसफर किया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मैंने कहा कि विभाग के नियम तैयार नहीं थे जिनको बनाने के लिये उनके अनुभव की आवश्यकता है। वह नियम बना रहे हैं। कुल 4 अधिकारी ऐसे हैं।

एक सदस्य—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। एक माननीय सदस्य उधर सो रहे हैं या उनकी तबियत खराब है समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

नैनीताल जिले के श्री योगेन्द्र कुमार अग्रवाल, बैंक मैनेजर, बड़ौदा बैंक, कालाढूंगी की हत्या

*2—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि हल्द्वानी (नैनीताल) से कुछ दूर कालाढूंगी में बड़ौदा बैंक के शाखा प्रबन्धक श्री भोला प्रसाद की रोमांचकारी नृशन्स हत्या बैंक के कर्मचारी की साजिश से 13/14 अक्तूबर, 1977 की रात्रि में 8 बजे आततायियों ने कर दी है तथा वर्तमान शाखा प्रबन्धक की हत्या की भी गुमनाम पत्र द्वारा धमकी दी है ? यदि हां, तो आततायियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-10-77 की रात्रि के 8.40 बजे श्री महेश चन्द्र द्वारा थाना कालाढूंगी पर इस आशय की लिखित सूचना दी गई कि जब वह तथा श्री योगेन्द्र कुमार मैनेजर बड़ौदा बैंक कालाढूंगी और पुष्कर सिंह पेशकार मोटर साइकिल द्वारा हल्द्वानी से कालाढूंगी आ रहे थे तो 3 डाकुओं ने आकर मैनेजर एवं पेशकार पर लाठियों से हमला कर दिया और उन्हें लूट लिया । उक्त सूचना के आधार पर थाने पर अभियोग अन्तर्गत धारा 394 भा0दं0वि0 पंजीकृत किया गया । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने श्री योगेन्द्र कुमार, बैंक मैनेजर को मृत पाया । तत्पश्चात् उक्त मुकदमें की धारा 302/394 भा0दं0वि0 में परिवर्तित कर विवेचना प्रारम्भ की गई । इस घटना में श्री भोला प्रसाद, शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा बैंक, कालाढूंगी की हत्या नहीं की गई बल्कि श्री योगेन्द्र कुमार अग्रवाल, बैंक मैनेजर बड़ौदा बैंक कालाढूंगी की हत्या की गई । विवेचना से ऐसी कोई बात प्रकाश में नहीं आई है कि इस घटना में बैंक कर्मचारियों का हाथ रहा हो या उनकी साजिश रही हो । पुलिस अधीक्षक नैनीताल के अनुसार वर्तमान शाखा प्रबन्धक बड़ौदा बैंक कालाढूंगी की हत्या के बारे में गुमनाम धमकी देने का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

उक्त घटना के संबंध में विवेचना से तीन अभियुक्त प्रकाश में आये हैं जिनमें से एक को दिनांक 18-11-77 को गिरफ्तार किया गया एवं उसके विरुद्ध दिनांक 8-2-78 को आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। एक अभियुक्त दिनांक 22-12-77 को गिरफ्तार किया गया तथा शेष एक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की जा चुकी है।

फैजाबाद जिले के सुभाष नगर मोहल्ले के श्री मोहम्मद इसहाक इलेक्ट्रिकल वर्कशाप पर डकैती

*3—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद के सुभाष नगर मोहल्ले में दिनांक 10 नवम्बर, 1977 की दिन दहाड़े एक बिजली की दुकान पर डकैती पड़ी ? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं और इस प्रकार की डकैतियों को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किया ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10-11-77 को श्री मोहम्मद इसहाक इलेक्ट्रीकल वर्कशाप सुभाषनगर, फैजाबाद ने 3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उसी दिन लगभग 3 बजे सायंकाल नकद एक हजार की रकम लूट कर भाग जाने के संबंध में भारतीय दंड विधान की धारा 392 की सूचना अंकित करायी थी। काफी प्रयास किये जाने के बावजूद जब अपराधियों का पता नहीं चल सका तो दिनांक 19-12-77 को अंतिम रिपोर्ट संख्या 421 द्वारा विवेचना समाप्त कर दी गयी ।

इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिये जनपद की पुलिस द्वारा अपराध निरोधक कार्यवाही तेज कर दी गयी है ।

अतिरिक्त आई0 जी0पुलिस, श्री ए0एम0 शाह के विरुद्ध कथित मुकदमा एवं विजिलेन्स की जांच

*4—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि अतिरिक्त आई0जी0 पुलिस, लखनऊ के विरुद्ध विजिलेंस की तीन जांच चल रही हैं और धारा 307 का मुकदमा सेशन अदालत में मेरठ में चल रहा है? यदि हां, तो इनकी पदोन्नति किस परिस्थिति में की गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

अतिरिक्त आई0जी0 पुलिस श्री ए0एम0 शाह के विरुद्ध विजिलेंस की कोई जांच नहीं चल रही है और न ही उनके विरुद्ध सेशन्स कोर्ट मेरठ में धारा 307 का कोई मुकदमा ही चल रहा है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त आई0जी0 पुलिस की जब पदोन्नति की गई थी, तो उनके विरुद्ध कोई जांच चल रही थी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

कोई जांच नहीं चल रही थी ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब अतिरिक्त आई0जी, पुलिस की पदोन्नति की गई उस समय अगर 307 नहीं, तो किसी दूसरी धारा में मुकदमा चल रहा था, जज या लोअर कोर्ट या अपर कोर्ट में, अगर चल रहा था, तो किस धारा में?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, ऐसा है अतिरिक्त आई0जी0 और उनके भाई के बीच कुछ उनकी पैत्रिक प्रापर्टी को लेकर मुकदमा चल रहा है उनके भाई आगा मोइद्दीन के बीच धारा 323, 324 और 304 के मुकदमें रजिस्टर हैं जो लोअर कोर्ट्स में हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अगर कोई आदमी अपने भाई या अपने लड़के को मार दे, तो वह जुर्म में नहीं माना जाता ?

श्री अध्यक्ष

यह तो आप तर्क दे रहे हैं ।

मुजफ्फरनगर एवं बरेली के जिलाधिकारियों द्वारा आपात्काल में किये गये अत्याचार एवं जांच आयोग की नियुक्ति

*5—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मुजफ्फरनगर तथा बरेली के जिलाधिकारियों द्वारा 1975 और 1976 में आपात्काल में किये गये अत्याचारों की जांच किसके द्वारा कराई गई और कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध कौन-कौन सी कार्यवाही 1977 नवम्बर तक की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

अक्तूबर, 1975 में बरेली के दो छात्र सर्वश्री रमेश चन्द्र आनन्द एवं वीरेंद्र कुमार अटल को पुलिस द्वारा उत्पीड़ित करने की शिकायतें से प्राप्त हुई थीं । उक्त शिकायतों की जांच तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक, बरेली ने की इस संबंध में तत्कालीन जिलाधिकारी, बरेली पुलिस उप अधीक्षक, बरेली एवं थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली, बरेली के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

मुजफ्फरनगर और केराना, जिला मुजफ्फरनगर में दिनांक 18/19 अक्टूबर, 1976 को और उसके पश्चात् घटित समस्त घटनायें, जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन, जनता के कतिपय वर्गों द्वारा उसका प्रतिरोध करना और विशेष रूप से पुलिस द्वारा बल प्रयोग करना जिसके परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और अन्य को चोटें आई, की जांच एक सदस्यीय जांच आयोग के सदस्य, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश श्री राम आसरे मिश्र द्वारा की जा रही है जो अभी चल रही है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र कुमार अटल और श्री रमेश चन्द्र का बयान किस अधिकारी ने लिया और उनके बयान किस-किस के खिलाफ थे और उसमें कितने अधिकारी निलंबित किये गये ? क्या वे बयान के पहले निलम्बित किये गये या बयान लेने के बाद किये गये ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इतने विस्तार से इसका उत्तर मेरे पास नहीं है । जैसा मैंने निवेदन किया तीनों अधिकारियों के विरुद्ध जांच की गई थी जिला अधिकारी, बरेली, पुलिस उप अधीक्षक, बरेली व थानाध्यक्ष, थाना कोतवाली, बरेली और इन तीनों के खिलाफ जांच अभी की जा रही है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

मैंने अभी जो प्रश्न किया, मंत्री जी को उसकी सूचना नहीं है, तो आप उसको स्थगित कर दें और वह सूचना मंगाकर हमको उत्तर दें । मालूम देता है कि मंत्रियों पर आपका कोई अंकुश नहीं रह गया है, मैं चाहूंगा कि आप इन पर अंकुश लगाइये और हमारे अधिकारों पर रोक न लगाइये ।

श्री अध्यक्ष—

जो आप ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर उन्होंने निश्चयात्मक दे दिया, इसमें कोई अनिश्चयात्मक बात नहीं है। अब आपने जो प्रश्न किया वह आवश्यक नहीं है । यह तो आपका जो महाभारत है . . . (व्यवधान) आप बैठें, मैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री रामदत्त जोशी—

क्या यह सही है कि जिन अधिकारियों के विरुद्ध जांच चल रही है, उसमें से किसी को भी सस्पेंड नहीं किया गया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

तीनों को किया गया और वे अब भी हैं। एक आदमी—पुलिस उप अधीक्षक को अब केवल बहाल कर दिया गया है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मंत्री जी के उत्तर के संबंध में, मंत्री जी के अनुसार बरेली के तत्कालीन डी० एम, उप पुलिस अधीक्षक और वहां के पुलिस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है, किन्तु मान्यवर, मेरी सूचना है कि सी० ओ० और डी०एम० को इस कारण निलम्बित किया गया है कि उन्होंने गलत सूचना दी थी, जबकि तत्कालीन एस० एस० पी० बरेली ने भी अपने टेलीग्राम में आई० जी० को यह सूचना दी थी कि दोनों छात्रों को गिरफ्तार करने की जब कोशिश की जा रही थी, तो उन्होंने

उसका प्रतिकार किया । तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उसी प्रकार की सूचना उन्होंने भी दी है, तो डी0एम0 बरेली के खिलाफ ही क्यों कार्यवाही की गई, एस0एस0पी0 के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसमें यह आरोप हैं कि जिस वक्त इन लड़कों के नाखून निकाले गये, पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त जिलाधीश भी वहां मौजूद थे, तो इस पर उनको निलम्बित किया गया है, इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई गलत सूचना दी ।

श्री देवेन्द्र दत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि आपात्कालीन स्थिति में हजारों कर्मचारियों ने ज्यादतियां की है, तो क्या शासन कोई ऐसी नीति तय करने जा रहा हैं कि इस स्तर तक जो ज्यादतियां हुई हैं, उनकी सबकी जांच की जाये और उन्हें लम्बे समय तक लटकाया न जाय, जिसकी वजह से शान्ति व्यवस्था खतरे में पड़ रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, सभी की नियमानुसार जांच की जा रही है।

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--

मान्यवर, बरेली में दो विद्यार्थियों के नाखून निकाले गये, लेकिन मुजफ्फरनगर में 18 आदमी मारे गये और उसकी भी जांच चल रही है, तो उसमें क्या कार्यवाही हुई और किन-किन लोगों या अधिकारियों के खिलाफ हुई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

उसमें जस्टिस राम आसरे की अध्यक्षता में .....

श्री अध्यक्ष--

आप न्यायिक जांच की बात कह रहे हैं, लेकिन आपका प्रश्न यह है कि जैसे बरेली में दोषी अधिकारियों को निलम्बित आदि किया गया, उसी तरह से मुजफ्फरनगर के कलेक्टर या और अधिकारी को किया गया या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

उसमें नहीं किये गये हैं और न्यायिक जांच का इन्तजार किया जा रहा है।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

[× × ×]

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप हैं इसकी इजाजत नहीं देता ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

उसमें क्लियर बात है ।

श्री अध्यक्ष--

क्लियर नहीं है । आप बैठिये । मैं इजाजत नहीं देता ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मुजफ्फरनगर कांड इमरजेंसी काल का कांड है। खम्भे से बांध कर लोगों को गोली मारी गयी, बहुत शर्मनाक कांड़ है, पचासों लोग मारे गये हैं, जिलाधीश को अब तक निलिम्बत नहीं किया गया ?

[× × ×]

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न का अन्तिम अंश आक्षेप है। इसकी अनुमति नहीं देता हूं। (श्री राम अधार के खड़े होने) पर बहस नहीं, आप बैठिये । आप यह पूछ सकते हैं कि वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को क्यों नहीं निलम्बित किया गया। यह आक्षेप है, यह प्रोसीडिंग्स का भाग नहीं होगा।

श्री लक्ष्मण सिंह---

मैंने निवेदन किया कि न्यायिक जांच के दौरान उनको निलम्बित नहीं किया गया। न्यायिक जांच के परिणाम का इंतजार किया जा रहा है।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बरेली के जिलाधीश को जिस आधार पर सस्पेंड कर दिया, जब कि मुजफ्फरनगर के जिलाधीश के यहां, मुजफ्फरनगर में जितना अत्याचार हुआ था उतना बरेली में नहीं हुआ, तो जांच उसकी भी हो रही है, और जांच उसकी भी हो रही है, दोनों में अन्तर क्यों है, किन कारणों से उसको सस्पेंड नहीं किया गया?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

श्यामधर जी, आप तो नेता हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको इस तरह से बैठ कर.....

श्री श्यामधर मिश्र---

मुख्य मंत्री केवल एक हैं। कुल लोग मुख्य मंत्री नहीं है। कुल लोग जबाव नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरा ध्यान आकर्षित कीजिये। स्वयं आप अव्यवस्था कर रहे हैं। आपको मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आप बैठिए।

श्री लक्ष्मण सिंह---

मुजफ्फरनगर की जो बात कही, दोनों जांच में अन्तर है। बरेली के जिलाधिकारी के विरुद्ध कोई न्यायिक जांच नहीं हो रही है। विभागीय जांच हो रही हैं। मुजफ्फरनगर का चूंकि बड़ा कांड है। इसमें हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज लगाया गया है। वह जांच कर रहा है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नियोजन मंत्री, आपका मतलब यह है कि मुजफ्फरनगर के कलेक्टर के खिलाफ भी प्राग्दर्शन में कोई इस बात का औचित्य है कि निलम्बित किया जाय, क्योंकि न्यायिक जांच भी तभी चलती है जब प्राइमाफेसी केस बनता है।

श्री लक्ष्मण सिंह---

उसमें माननीय न्यायाधीश श्री राम आसरे की और कोई अंतरिम रिपोर्ट भी नहीं आयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप लोग शांन्ति रखिए।

श्री लक्ष्मण सिंह—

सामान्यतया शासन की नीति है कि जब जुडीशियल इनक्वायरी चल रही हो, तो किसी को निलम्बित नहीं किया जाता, जो और इनक्वायरी चल रही हैं, वहां भी नहीं किया गया ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री मंजूर अहमद के खड़े होने पर) आप बैठिए, मंजूर साहब टिप्पणी न कीजिये । प्रश्न पूछिए ।

श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

जब न्यायिक जांच चल रही है तो उनको उस बीच में विशेष पद पर रख दिया गया, क्यों विशेष पद पर रखा गया, क्या उनकी पदोन्नति कर दी गयी है, क्या माननीय मुख्य मंत्री बतायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप का प्रश्न यह है कि जो कलेक्टर तत्कालीन मुजफ्फरनगर में था, उसकी पदोन्नति कर दी गयी है ? और उसको दूसरे स्थान पर क्यों भेजा गया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

कोई पदोन्नति नहीं की गयी है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

आपात्काल में मुजफ्फरनगर में जो गोलीकांड हुआ, उसके बारे में, मैं कार्यवाहक माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं .....

श्री अध्यक्ष—

ये आपके विशेष कार्यवाहक मुख्य मंत्री नहीं है, वे माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर दे रहे हैं । (हंसी)

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जिस समय मुजफ्फरनगर में यह गोली कांड हो रहा था, वह किस की अनुमति से हुआ और उस समय जिलाधिकारी कहां पर थे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जांच हो रही है है । इस सम्बन्ध में और ज्यादा कहना उचित नहीं है ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मान्यवर, मर प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई आवश्यक नहीं है कि जैसा आप उत्तर चाहते हैं वे वैसा दे दें ।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खड़े होने पर)

माननीय सुखपाल जी, आपने प्रश्न कर लिया, अब दूसरों को प्रश्न करने का अवसर दें ।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

किसी को भी निलम्बित किया जाता है तो वह आरम्भ का दंड होता है और उसका एक ही आधार हुआ करता है कि उसके खिलाफ प्रागदर्शन में कोई केस बनता है, या नहीं और जो विभागीय प्रश्न विचाराधीन होत हैं उनमें बहुत संदेह हो सकता है कि कोई प्रागदर्शित साक्ष्य है या नहीं लकिन जब न्यायिक होती है तो उसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है ..... ।

श्री अध्यक्ष—

शर्मा जी, आप प्रश्न कीजिए।

श्री उदित नरायन—

जब न्यायिक जांच हो रही है तो उसमें निहित है कि प्राग्दर्शित साक्ष्य मौजूद है। तो उस सूरत में उनको निलंबित क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसमें न्यायाधीश द्वारा जांच करने के पूर्व एक और जांच हुई थी और उन्होंने फायरिंग को जस्टीफाई करते हुए लिखा था। अब एक न्यायाधीश जांच कर रहे हैं। तो इस बीच में उनको निलंबित करने की कार्यवाही करने से यह समझा जा सकता है कि न्यायिक जांच को उससे प्रभावित किया जा रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं बरेली की घटना के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन दो लड़कों के नाखूनों को खींचा गया, उस समय वहां पर सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स के अधिकारी मौजूद थे और इन लड़कों ने बयान हल्फी दिया है कि न तो नाखून पुलिस अधीक्षक के होते हुए निकाले गये और न उनका इसमें कोई हाथ ही है और उनको बहाल भी कर दिया गया है। तो उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही क्यों करने जा रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

उप अधीक्षक को बहाल कर दिया गया है। विभागीय कार्यवाही हो रही है।

श्री अध्यक्ष—

आपका जो प्रश्न है वह यह है कि लड़कों ने बयान हल्फी दिया है कि उनका कोई दोष नहीं है, वहां पर सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स के लोग भी थे, तो फिर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ क्यों विभागीय कार्यवाही हो रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

यह तो विभागीय कार्यवाही से ही सिद्ध होगा कि उनका दोष है या नहीं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि आपने शायद एक पत्र लिखा था, उस समय की सरकार को, तो मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी, जब लड़कों ने बयान हल्फी दे दिया, माननीय अध्यक्ष जी को और प्रदेश के लोगों को और माननीय चौधरी चरण सिंह को भी मालूम है, फिर उस अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही क्यों की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो विभाग देखेगा। आप कहते हैं लेकिन हो सकता है कि बयान बदल दें। ठीक है, आपने सूचना दे दी और उन्होंने उत्तर दे दिया। उसक बाद यह कैसे हो सकता है कि वे वही उत्तर दे दें, जो आप आशा करते हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मैं एक औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष—

औचित्य का प्रश्न बाद में लूंगा।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय नियोजन राज्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगें कि मुजफ्फरनगर के कितने आदमियों की मृत्यु हुई और बरेली में जांच किस अधिकारी ने किया, उनकी जांच रिपोर्ट क्या है और जांच रिपोर्ट आने के बाद तत्कालीन जिलाधिकारी, बरेली को क्या उससे पहले निलम्बित कर दिया था ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय नियोजन राज्य मंत्री, मुजफ्फरनगर के बारे में ही उत्तर दीजिए।

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, 18 आदमियों की मृत्यु हुई और 7 आदमी लापता कहे जाते थे।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

क्या माननीय मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली के डी0 एम0 को निलम्बित करने के पीछे यह बात थी कि चूंकि वह हरिजन थे, इसलिए उन्हें निलम्बित किया गया और मुजफ्फरनगर के डी0 एम0 यादव थे, इसलिए उन्हें निलम्बित नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो आक्षेप है। इसकी मैं इजाजत मैं नहीं देता।

डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, नियोजन राज्य मंत्री जी के उत्तर से संबधित। इन्होंने कहा कि मुजफ्फर नगर काण्ड की जांच पहले हुई थी जिसमें फायरिंग को जस्टीफाई किया गया और उसके बाद न्यायिक जांच बैठायी गयी, इसका मतलब यह कि शासन उस पहली जांच से संतुष्ट नहीं था। मैं यह पूछना चाहता हूं कि न्यायिक जांच से पहले जिलाधिकारी को क्यों सस्पेंड नहीं किया गया ?

श्री अध्यक्ष—

वह इसका उत्तर दे चुके हैं। यह पुनरावृत्ति है।

लखनऊ में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिये भवन निर्माण की योजना और किराये पर लिया गया स्वतन्त्रता सेनानी सेवा सदन का किराया

*6—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए लखनऊ में कोई भवन बनाने का निर्णय वर्ष 1975 में तत्कालीन सरकार द्वारा लिया गया ? यदि हां, तो भवन निर्माण के लिए कितना धन किस-किस साधन से एकत्रित किया जा चुका है तथा भवन निर्माण की प्रगति क्या है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

वर्ष 1975 में तत्कालीन सरकार द्वारा लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिये एक सेवा सदन की स्थापना करने का निर्णय लिया गया था। भवन निर्माण हेतु भूमि प्राप्त कर ली गयी है। भवन का नक्शा, आगणन आदि राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ से वरीयता के आधार पर तैयार कराया जा रहा है जिसके प्राप्त होने पर आवश्यक प्राविधान आय-व्ययक में कराया जायगा।

*7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वतन्त्रता सेनानी सेवा सदन के नाम से लखनऊ में कोई भवन किराए पर लिया गया है ? यदि हां, तो भवन का किराया क्या है ? भवन में आज कल कुल कितने सेनानी रह रहे है ? भवन की व्यवस्था के सभी स्तरों पर कुल कितने कर्मचारी हैं तथा सेवा सदन का आजकल मासिक व्यय क्या है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

जी हां, मासिक किराया 2,663 रुपये है। उसमें सम्प्रति 15 सेनानी रह रहे हैं। कुल 8 कर्मचारी हैं तथा मासिक व्यय लगभग 9,233 रुपये है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वर्ष 1975 में शासन ने भवन निर्माण के लिए निर्णय लिया और इसके लिए धनराशि भी निर्धारित कर दी गयी और आज 78 हो रहा है अब तक भवन बन नहीं पाया और एक ऐसा विशाल मकान ले लिया है जिसका किराया ढाई हजार से अधिक है, देखने से जिसका किराया 200 रुपये से अधिक कोई नहीं देगा, तो इस प्रकार से एक विशाल मात्रा में धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी को क्या इस संबंध में भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें मिली हैं ? यदि हां, तो व शिकायतें क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

सेवा अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी, उप सचिव, श्री सुरेश चन्द्र दीक्षित ने उसकी जांच की। श्री पी0 एन0 निगम को 28-12-76 को हटा दिया गया है। और उनके स्थान पर दूसरे श्री पी0 के0 दीक्षित को नियुक्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भूमि एक नाले के किनारे है जिसको हमवार करने में नक्शा और आगणन के लिये प्राथमिक वरीयता के लिये लिख दिया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह भवन कब तक बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

अभी नक्शा और एस्टीमेट आयेगा। इसके बाद ही भवन निर्माण का कार्य आरंभ होगा। लेकिन शीघ्र ही बनने की संभावना है।

श्री रामदत्त जोशी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो सेवा सदन स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के लिये बनाया जा रहा है, इसका प्रयोजन और उद्देश्य क्या है ? यह क्या स्वतंत्रता संग्राम के सैनानियों के लिये अनाथालय बनाया जा रहा है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, 19 नवम्बर, 1975 को लखनऊ नगर में वृद्ध, अपाहिज, निस्सहाय एवं आर्थिक कठिनाइयों से त्रस्त हमारे वे लोग जिन्होंने इतिहास निर्माण का काम किया, वे अनाथ थे या उनके सामने आर्थिक कठिनाइयां थीं, उनके ठहरने के लिये शासन न एक फैसला किया कि एक सेवा सदन बनाया जाय।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें थी उस अधिकारी को हटा दिया गया है, तो भ्रष्टाचार की शिकायतें सिद्ध होने पर जब अधिकारी को हटा दिया गया, तो 9 हजार रुपये का खर्च करके जो सेवा सदन चला रहे हैं उसके संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मने निवेदन किया कि एक अधिकारी, वहां के अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतें थीं, जिनको 28-12-77 को हटा दिया गया। जहां तक पूरे सेवा सदन का प्रश्न है, वरिष्ठ 70 वर्ष से आगे के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को राज्य के द्वारा चिकित्सा, रहने की व्यवस्था के लिये सदन को चलाया जा रहा है।

श्री नेम सिंह चौहान —

मैं जानना च हूंगा कि जो किराये में भ्र ष्टाचार की शिकायत है, ढाई हजार खर्चा किया जा रहा है, इतने धन का नहीं है, तो क्या अधिक धन को रिअलाइज करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसको इस तरह रखिये कि मकान का किराया ज्यादा है, क्या आप जांच करेंगे कि इसकी वजह क्या है ? और अगर ज्यादा है, तो इसको छोड़ने के लिये कोई निर्णय करेंगे ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मैंनें आपकी सेवा में निवेदन किया कि एक अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत है। जहां तक अधिक किराये के मकान का सवाल है, उसके जितने एकोमोडेशन का अगर कहीं दूसरा कम किराये पर मिलेगा, तो हम उसको लेने के लिये तैयार हैं ।

श्री राम अधार—

मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह मकान किसी आई0 ए0 एस0 अधिकारी का है ? यदि हां, तो उसका नाम क्या है ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

यह श्री प्रताप सिंह जी भूतपूर्व आई0 ए0 एस0 अधिकारी का मकान है ।

श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

उन्होंने बताया कि अधिकारी के खिलाफ शिकायत मिली थी उसको हटा दिया गया है, तो भ्रष्टाचार की शिकायत सिद्ध हो गयी, तो उसके खिलाफ और भी कुछ कार्यवाही करने की सरकार सोच रही है ? विचाराधीन है या नहीं ?

श्री सत्य देव त्रिपाठी—

मान्यवर, मैंने आपकी सेवा में निवेदन किया कि उस अधिकारी के विरुद्ध हमारे उप सचिव श्री सुरेशचन्द्र दीक्षित ने जांच की थी और बहुत सारे आरोप निराधार पाये गये, लेकिन फिर भी उन अधिकारी को हटा दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन—

अभी जो भवन बन रहा है उसमें अभी बहुत समय लगेगा तो इस चीज को सामने रखकर उस मकान का जो किसी भूतपूर्व आई0 ए0 एस0 अधिकारी का है वेलुएशन करायेंगे और उसके आधार पर क्या उसका किराया रिवाइज करने की बात करेंगे ?

श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, जरूर विचार किया जायेगा ।

पर्वतीय क्षेत्र में भूमि संरक्षण विभाग का वन विभाग को हस्तांतरण

*8—श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि पर्वतीय क्षेत्र के भूमि संरक्षण वन विभाग को दिए जाने का जो निर्णय शासन ने गत वर्ष लिया था उस पर अन्तिम रूप से क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं हुई, तो क्यों ?

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

पर्वतीय क्षेत्र में भूमि संरक्षण का समस्त कार्य वन विभाग को सौंपने तथा कृषि विभाग की वर्तमान भूमि संरक्षण इकाईयां वन विभाग को हस्तातरण का विषय भूमि एवं जल संरक्षण बोर्ड की आगामी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायगा ।

मिर्जापुर जिले के ग्राम महरोरा में पुलिस तथा अभियुक्तों के बीच संघर्ष की घटना

*9—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद में विंध्याचल थाना के ग्राम महरौरा में वर्ष 1976 में पुलिस तथा कुछ अभियुक्तों के बीच हुए संघर्ष में मैजिस्टीरियल जांच हुई है ? यदि हां, तो उक्त जांच किस सक्षम अधिकारी के आदेश से हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना की जांच मजिस्ट्रेट द्वारा की गई । उक्त जांच जिला मैजिस्ट्रेट, मिर्जापुर के आदेश से हुई ।

*10–11—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

वाराणसी जिले के कतिपय मुहल्लों में लगाया गया कर्फ्यू एवं नागरिकों की परेशानी

*12—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी शहर में रामापुरा, जंगमबाड़ी गोदौलिया, सदानन्द बाजार, जगजीवनपुरा में तारीख 23 अक्तूबर, 1977 से दिन में कर्फ्यू नहीं लगाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उपरोक्त मुहल्लों के नागरिकों को भी दिन-रात कर्फ्यू लागू करके परेशान किया गया ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने एक पत्र ता० 24 नवम्बर, 1977 को जिलाधीश, वाराणसी तथा माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23–10–77 को दिन में वाराणसी नगर के प्रश्न में उल्लिखित मोहल्लों में कर्फ्यू नहीं लगाया गया था । कर्फ्यू लगाकर नागरिकों को परेशान करने के बारे में प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र दिनांकित 24–11–77 प्राप्त होना विदित नहीं होता ।

दिनांक 23–10–77 को वाराणसी में हुई घटना की न्यायिक जांच के आदेश शासन द्वारा दिये जा चुके हैं। न्यायिक जांच पूर्ण होने के उपरान्त आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा इस बीच कुछ और कहना न्यायोचित न होगा ।

लखनऊ नगर के मोहल्ला नरही में श्री मैकूलाल की पुलिस की पीटाई से मृत्यु

*13—श्री गनेशी लाल चौधरी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि दिनांक 27 जून, 1977 की रात में नरही मुहल्ले के एक मेहतर मैकू लाल को पुलिस के सिपाहियों ने पीट-पीट कर जान से मार डाला ? यदि हां तो इसके तथ्य क्या हैं तथा सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक 25/26 जून, 1977 की रात में 00-15 बजे श्री अछेलाल निवासी मोहल्ला नरही, थाना हजरतगंज, जिला लखनऊ ने कांस्टेबिल अब्दुल रशीद तथा दो अज्ञात पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध मोहल्ला नरही में लगभग 10 बजे रात सोते हुए मैकूलाल को जगाकर डण्डों से मारने पीटने, तदोपरान्त उसे रिक्शे पर लाद कर ले जाने, मोहल्ले वालों द्वारा रोके जाने पर मैकूलाल को छोड़कर भाग जाने तथा मैकू को अस्पताल ले जाय जाने पर उसे डाक्टर द्वारा मृत घोषित किये जाने की रिपोर्ट लिखाई जिसक आधार पर धारा 302 भा० दं० वि० का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

उक्त रिपोर्ट के लगभग 20 मिनट पूर्व हेडकांस्टेबिल मो0 सलाम थाना हजरतगंज ने थाने पर मौखिक सूचना दी थी कि लगभग 10 बजे रात कार व स्कूटर चोरी की पतारसी के समय रामजस रोड पर चार अज्ञात व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया तथा मुहल्लेवालों ने बलपूर्वक उनकी अभिरक्षा से अभियुक्तों को छुड़ा लिया। इस सूचना के आधार पर धारा 13 जुआ अधिनियम 353/307/147/224/225 भा0 दं0 वि0 का मुकदमा कायम किया गया। दोनों मुकदमों की विवेचना तत्काल अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गयी। अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विवेचना प्रचलित है।

गुलिस्तां कालोनी, लखनऊ के फ्लैट पर श्री रतीश मोहन, सेवा-निवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग का अनधिकृत कब्जा

*14—श्री कन्हैया लाल सोनकर (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि गुलिस्तां कालोनी लखनऊ के मकान नं0 51 को पी0डब्लू0 डी0 के एक उच्च अधिकारी जो कई वर्ष पूर्व रिटायर हो चुके हैं अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए हैं जिस पर बेदखली की वैधानिक कार्यवाही कई माह पूर्व पूर्ण हो जाने के बावजूद खाली कराने के सक्रिय कदम नहीं उठाये जा सके हैं और अनधिकृत कब्जे कायम हैं। क्या नियमानुसार बढ़ दर से अनाधिकृत कब्जे पर उक्त अधिकारी से पैनल रेंट वसूल किया गया है? यदि हां, तो अब तक कितना और कब-कब वसूल हुआ है?

श्री राम नरेश यादव—

गुलिस्तां कालोनी, लखनऊ स्थित फ्लैट नं0 51 जो श्री रतीश मोहन, सेवा-निवृत्त अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अप्राधिकृत अध्यासन में था, दिनांक 24-1-1978 (पूर्वान्ह) को खाली करा लिया गया है। श्री रतीश मोहन से उपर्युक्त आवास की नियमानुसार दण्डित दरों पर किराये की सम्पूर्ण धनराशि रु0 4289-90 पैसे वसूल कर ली गई है।

*15—श्री शम्भू नाथ चौधरी—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

उन्नाव जिले के ग्राम नासिरपुर निवासी श्री राजबहादुर का नसबन्दी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*16—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम नासिरपुर, थाना फतेपुर चौरासी, जिला उन्नाव के हरिजन निवासी (श्री राम बहादुर) ने एक प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश को इस आशय का दिया था कि दिनांक 29-30 नवम्बर, 1976 को नसबन्दी के मामले में पुलिस व राजस्व कर्मचारी तथा अधिकारियों न उसके गांव नासिरपुर में हरिजनों के घरों में घुसकर लूट-पाट की, औरतों की बेइज्जती की तथा कई जगह आग लगाई तथा मारा-पीटा? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव—

श्री राम बहादुर ने नहीं अपितु श्री राज बहादुर निवासी ग्राम नासिरपुर ने प्रश्न में उल्लिखित शिकायतों से संबंधित एक प्रार्थना-पत्र भेजा था।

इन शिकायतों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई।

अपराध अनुसंधान विभाग की जांच से आरोप गलत एवं अप्रमाणित पाये गये।

बलिया जिले में दिये गये आग्नेयास्त्र के लाइसेन्स

*17—श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बलिया जनपद में वित्तीय वर्ष 1975–76 और 1976-77 में किन-किन व्यक्तियों को मय पता और नाम सहित किस-किस प्रकार का आग्नेयास्त्र का अनुमति-पत्र कब-कब दिया गया और क्या इनमें कुछ ऐसे व्यक्ति तथा उनके परिवार के लोग हथियार रखने का अनुमति-पत्र प्राप्त किए हैं, जिनके विरुद्ध गम्भीर शिकायतें होने के कारण ऐसे प्राप्त लाइसेन्स दीर्घकाल से निरस्त कर दिए गए थे ? यदि हां, तो ऐसे बदनाम लोगों को पुनः हथियारों का लाइसेन्स देने का आधार क्या है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

वित्तीय वर्ष 1975–76 और 1976–77 में बलिया जनपद में स्वीकृत किए गए आग्नेयास्त्र के लाइसेन्सों की सूची संलग्न† है।

इनमें से किसी व्यक्ति के विरुद्ध जांच के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली थी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि आपातस्थिति के दौरान बलिया जनपद में जो लाइसेन्स दिये गये, वे सुरक्षा और आवश्यकता को ध्यान में रख कर नहीं, बल्कि नसबन्दी के कोटे के आधार पर दिये गये हैं ? और बलिया जनपद में असामाजिक तत्व भी इस तरह से लाइसेन्स पा गये है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इसकी जांच करवायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

माननीय सदस्य अगर लिख कर देंगे, तो आवश्य जांच करवा लेंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

उन लाइसेंज को दिये जाते समय रेकार्डस् में क्या इस तरह कुछ रिमार्क्स हैं कि अमुक व्यक्ति ने स्वयं नसबन्दी करा ली है या उसने नसबन्दी का कोटा पूरा कर लिया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या माननोय मंत्री जी इसकी भी जांच करायेंग कि जो सूची दी है, उसमें उदय नारायण चौबे तथा शलेन्द्र चौबे, यह दोनों छात्र हैं और नाबालिग हैं, इनको भी बन्दूक के लाइसेन्स दे दिय गये हैं और इसलिये इनको दिये गये ह क्योंकि इनके चचा के बन्दूक के लाइसेन्स किसी डकैती में इस्तेमाल होने के कारण रद्द कर दिये गय थे ? अब चाचा के लाइसेन्स रद्द करके, उनके भतीजों को दे दिये गये हैं जो नाबालिग हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसको भी अगर माननीय सदस्य लिख कर देंगे, तो जांच करवा लेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का तो यही प्रश्न है कि क्या ऐसे लोगों को लाइसेन्स दिये गये हैं जिनके खिलाफ शिकायतें थीं, तो माननीय सदस्य ने जो यह प्रश्न किया है कि नाबालिगों को दे दिया गया, आप इसकी सूचना मंगाकर माननीय सदस्य को दे दें ।

---

†छापी नहीं गयी ।

देवरिया तथा गोरखपुर में पटेल आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन हेतु मुख्य मंत्री की घोषणा

*18—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताएगी कि 9 सितम्बर, 1977 को मुख्य मंत्री ने गोरखपुर, देवरिया में यह घोषणा-पत्र-प्रतिनिधियों, जन-प्रतिनिधियों के बीच की थी कि शीघ्र ही पटेल आयोग की सिफारिशें पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिये लागू की जायेगी ? यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

जी हां। पटेल आयोग द्वारा इंगित एकीकृत क्षेत्रीय विकास की पद्धति के अनुसार कार्यक्रमों को चलाने की घोषणा कई बार कई स्थानों पर की जा चुकी है।

2—पटेल आयोग की अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

3—क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या का निदान तभी संभव है जब स्थानीय स्तर पर उपलब्ध प्रकृति सम्पदा, जनशक्ति एवं अन्य संसाधनों का क्षेत्र की समस्यायें एवं परिस्थितियों के अनुकूल रणनीति पर आधारित परियोजनाओं के माध्यम से अधिकतम उपयोग (आप्टिमम एक्सप्लायटेशन एण्ड यूटीलाइजेशन) किया जाय।

4—इसके लिये नियोजन प्रक्रिया के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। केन्द्र द्वारा मेहता कमेटी पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के सम्बन्ध में गठित की गयी है। इसकी सिफारिशें प्राप्त होने पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकारों को विकेन्द्रीकृत कर पंचायती राज संस्थाओं को देने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

5—इसमें कुछ समय लगने की संभावना है। अतः 1977–78 में 15.00 करोड़ रु0 का प्राविधान स्थानीय नियोजन के लिये किया गया था और विकास क्षेत्रों के अनुपात में इस धनराशि का आवंटन जिलों को कर दिया गया है। 1978–79 के बजट में इसके लिए 25.00 करोड़ रु0 का प्राविधान किया गया है।

6—प्रदेश की छठी योजना के निर्माण के लिये जो कार्यकारी दल गठित किये गये हैं, उन्हें यह स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि क्षेत्रीय असमानता की समस्या का गहन अध्ययन कर अगली पंचवर्षीय योजना (1978-83) इस प्रकार की बनायें जिससे कि क्षेत्रीय असमानता यथासम्भव दूर हो सके। आशा है कि अक्टूबर, नवम्बर, 1978 तक इस योजना का प्रारूप तैयार हो जायगा और इसके कार्यान्वयन से क्षेत्रीय असमानता की समस्या का उचित निदान सम्भव हो सकेगा।

सतर्कता अधिष्ठान के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत स्थानीय निकायों एवं शिक्षण संस्थाओं को सम्मिलित किये जाने की मांग

*19—श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री बत येंगे कि क्या सरकार सतकेता आयोग के कार्यक्षेत्र में स्थानीय निकायों, निगमों तथा शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रबन्धकों आदि को भी सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से सरकार के विचाराधीन है तथा इस पर कब तक अन्तिम निर्णय हो जायेगा ?

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 18 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री राम नरेश यादव—

स्थानीय निकायों के कर्मचारी वर्ग, विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग तथा सरकारी शिक्षण संस्थाओं के अध्यापक एवं कर्मचारी पहले से ही सतर्कता अधिष्ठान के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित है। जहां तक गैर–शासकीय शिक्षण संस्थाओं की प्रबन्ध समितियों के सदस्य तथा शिक्षक वर्ग का सम्बन्ध है, वे "लोक सेवक" नहीं हैं।

बाराबंकी जिले में कत्ल, डकैती एवं राहजनी की घटनाएं

*20—श्री ऊदल—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बाराबंकी में आज कल औसतन 40 डकैती व 5–6 कत्ल की घटनाएं रोज हो रही हैं और 15 जून, 1977 के बाद से अब तक कत्ल, डकैती, राहजनी की घटनाएं हजार के ऊपर हो चुकी हैं जिससे पूरे जनपद के ग्रामीण अंचलों में पूरी तरह से असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है? यदि हां, तो इस काल में (15 जून से अब तक) थानेवार कत्ल डकैती व राहजनी की घटनाओं का विवरण क्या है? जनपद में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिये सरकार कोई विशेष कदम उठा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

कथित स्थिति सही नहीं है। यह कहना गलत है कि जनपद में असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है। 15 जून, 1977 से अब तक (प्रश्न प्राप्त होने की तिथि 23–11–77 तक) थानेवार कत्ल, डकैती व राहजनी की घटनाओं का विवरण संलग्न है। अपराध स्थिति सामान्य और पूर्ण नियंत्रण में होने के कारण अपराधों की रोक–थाम के लिये कोई विशेष कदम उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी अपराधों पर नियंत्रण हेतु निम्न कदम उठाये गए हैं।

(क) सक्रिय रात्रि गश्त का प्रबन्ध किया गया है।

(ख) कुख्यात डकैतों को गिरफ्तार करके उनकी अपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ . . 1162 . . पर)

भूतपूर्व मंत्रियों द्वारा सरकारी आवास पर अनधिकृत कब्जा

*21—श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने भूतपूर्व मंत्री ऐसे हैं जो गत चुनाव हार जाने के उपरान्त भी सरकारी आवास में रह रहे हैं? यदि हां, तो उनसे आवास अभी तक खाली क्यों नहीं करवाए गए और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा खाली करवाने के लिये क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्री राम नरेश यादव—

5 भूतपूर्व मंत्री ऐसे हैं जो गत चुनाव हार जाने के उपरान्त भी सरकारी आवास में अप्राधिकृत रूप से रह रहे हैं। उनसे आवास खाली कराने के लिये उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही चल रही है।

गोंडा जिले के ग्राम पिपरा राम चन्द्र पुरवा डेवरुआ निवासी श्री बरसाती का नायब बरोगा रेहरा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*22—श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक 27–28 अक्टूबर, 1977 की रात को बरसाती पुत्र हरीराम हरिजन, निवासी ग्राम पिपराराम, चन्द्र पुरवा डेवरुआ

थाना उतरौला, जिला गोण्डा के घर पर रात में हमला करके नायब दरोगा, थाना रेहरा तथा कुछ सिपाहियों सहित कुछ व्यक्ति बरसाती की औरत को पकड़ कर ले गए तथा जिसके सम्बन्ध में बरसाती ने कई प्रार्थना-पत्र आई0 जी0, हरिजन ब्रांच, उत्तर प्रदेश तथा पुलिस अधीक्षक, गोण्डा एवं थानाध्यक्ष, उतरौला को 28 अक्तूबर, 1977 को भेजा है ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ? क्या थानाध्यक्ष, उतरौला ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर जांच कर मुकदमा कायम किया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि दिनांक 27-10-77 की रात को बरसाती पुत्र हरीराम हरिजन निवासी ग्राम पिपरा राम चन्द्र पुरवा डेबरुआ थाना उतरौला, जिला गोन्डा के घर पर हमला करके नायब दरोगा थाना रेहरा तथा कुछ सिपाहियों सहित कुछ व्यक्ति बरसाती की औरत को पकड़ कर ले गये। दिनांक 28-10-77 को श्रीमती करोरा को उसके पिता श्री छोटे लाल द्वारा दर्ज रिपोर्ट दिनांक 4-9-77 अन्तर्गत धारा 342/323 भा0 दं0 वि0 के संबंध में विवेचक श्री रामचन्द्र मिश्र ने नियमत: श्रीमती करोरा देवी को उसके पिता सहित थाना रेहरा लाये और उसी दिन (28-10-77) को श्रीमती करोरा का बयान धारा 164 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम, गोन्डा द्वारा लेखबन्द्ध कराया जिसमें श्रीमती करोरा ने अपने पिता के साथ रहने की इच्छा जाहिर की थी। यह सत्य है कि बरसाती, पुत्र हरीराम हरिजन निवासी ग्राम पिपरा रामचन्द्र पुरवा डेबरुआ थाना उतरौला, जिला गोन्डा ने आई0 जी0 हरिजन ब्रान्च उत्तर प्रदेश तथा पुलिस अधीक्षक, गोन्डा को दरखास्तें दी थी कि नायब दारोगा थाना रेहरा कुछ सिपाहियों तथा व्यक्तियों सहित दिनांक 27,28-10-77 की रात को उसकी औरत श्रीमती करोरा को उसके घर से निकाल ले गये। थानाध्यक्ष उतरौला द्वारा दरखास्तों की विवेचना की गयी तो मालुम हुआ कि प्रार्थी ने न्यायालय मुख्य डी0एम0 उतरौला की अदालत से धारा 97 जा0 फौ0 अन्तर्गत वारन्ट जारी कराने के लिये इस्तगासा कर चुका है। अत: मामला न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर मुकदमा पंजी-बद्ध नहीं किया गया।

बांदा जिले के अमचुर नेरुआ ब्लाक के अन्तर्गत जंगल की कटाई संबंधी मुकदमा

*23—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्य मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि 25 जुलाई सन् 1974 को बांदा जिले के मारपुन्डी रेंज के अन्तर्गत अमचुर-नेरुआ स्थित वन विभाग की खेती लायक परती खाली जमीनो को आदिवासी कोलों एवं भूमिहीनों तथा हरिजनों में पट्ट पर दिए जाने हेतु कोई राजनीतिक आन्दोलन चलाया गया था ? क्या यह सही है कि आन्दोलन कारियों के विरुद्ध चल रहे मुकदमे अभी तक वापस नहीं लिए गए ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

25 जुलाई सन् 74 को कम्युनिस्ट नेता डा0 केशव प्रसाद तिवारी, सर्व श्री कुश्नी सिंह, पुत्र भागवत सिंह, नत्थू अहीर तथा बाबादीन अहीर की अगवानी में अमचुर नेरुवा ब्लाक में करीब 327 व्यक्ति जंगल काट कर साफ कर रहे थे। यह ज्ञात नहीं कि इस जमीन को आदिवासी कोलो, भूमिहीनों तथा हरिजनों में पट्टे पर दिये जाने हेतु ऐसा किया जा रहा था। इस संबंध में चलाया गया मुकदमा प्रशासनिक कारणों से वापस नहीं लिया जा सका है।

प्रतापगढ़ के कटरा मेदिनीगंज में बिजली के सामानों की चोरी

*24—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रतापगढ़ के कटरा मेदिनीगंज के मेले में इसी महीने नवम्बर, 1977 में लाखों रुपए की बिजली व बिजली क सामानों की चोरी का मामला पकड़ा गया है ? अगर हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली प्रतापगढ़ में अपराध संख्या—19 पर भा0 द0 वि0 की धारा 420/467/468 के अन्तर्गत एक मामला पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना की जा रही है।

परिवहन कार्यालय काठगोदाम के कर्मचारी श्री किशन चन्द्र को मारने-पीटने की घटना

*25—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् 1977 के माह अगस्त के दूसरे सप्ताह में कुछ गुण्डे परिवहन कार्यालय, काठ गोदाम, जिला नैनीताल में सरकारी रुपए को लूटने के लिए घुस गए और वहां उपस्थित कर्मचारियों को मारा पीटा ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार 9-8-1977 को श्री किशन चन्द्र तिवारी आशुलिपिक, सम्भागीय परिवहन कार्यालय, काठगोदाम द्वारा पुलिस चौकी, काठगोदाम पर इस आशय की लिखित सूचना दी गई की उनके कार्यालय में एक अज्ञातव्यक्ति बुरे-बुरे शब्द कह रहा था तथा जब वादी द्वारा उसे मना किया गया तो उस व्यक्ति ने कार्यालय के प्रधान लिपिक को धक्का मारकर गिरा दिया तथा वादी के कान के पास छुरा मारा। इस सूचना पर अभियोग अन्तर्गत धारा 332/553/324 भा0 द0 वि0 अंकित करके विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के मध्य अभियुक्त का नाम ओडा उर्फ जसवीर निवासी काठगोदाम प्रकाश में आया। अभियुक्त काफी प्रयासों के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया जा सका। उसके विरुद्ध धारा 82/83 द0 प्र0सं0 की कार्यवाही की गई। अभियुक्त के विरुद्ध मफसरी में दिनांक 23—8—77 को आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया तथा अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद के पब्लिक प्रासीक्यूटर की ग्रेच्युटी एवं पेंशन

*26—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि दिनांक 18 अक्तूबर, 1977 के प्रश्न संख्या 31 से सम्बन्धित उत्तर में उन्होंने यह सूचना दी है कि सम्बन्धित व्यक्तियों को ग्रेच्युटी और पेंशन के भुगतान का आदेश जनवरी, 1977 में करा दिया गया है ? क्या यह सही है कि 19 नवम्बर 1977 तक कोई भुगतान सम्बन्धित व्यक्तियों को नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब का क्या कारण है और पेंशन भुगतान में शीघ्रता लाने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

सम्बन्धित अधिकारी को पेंशन उपादान के भुगतान में विलम्ब का कारण महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा जनवरी, 1977 में जारी पुनरीक्षित भुगतान देश का कोषाधिकारी के पास समय से न पहुंचना है। पुनः प्रयास करने पर महालेखाकार द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 1978 को भुगतानादेश पुनः जारी कियागया और सम्बन्धित अधिकारी को पेंशन/उपादेय का भुगतान तदनुसार दिनांक 27 मार्च 1978 को कर दिया गया है।

एटा जिले के थाना कासगंज में अपराध संख्या 680/77 के अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*27—श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा के थाना कासगंज में अपराध संख्या 680/77, धारा 302 में भारतीय दण्ड संहिता में अब तक स्थानीय पुलिस

(कासगंज) ने कितने अभियुक्तों की गिरफ्तारी की तथा न गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के विरुद्ध जा० फौ० की धारा 82, 83 की कार्यवाही अमल में लाई गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार अपराध संख्या 680/77 धारा 302 भा० द० वि० से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट में चार अभियुक्तों को नामांकित किया गया था। उनमें से एक अभियुक्त को कासगंज की पुलिस द्वारा दिनांक 6-11-77 को गिरफ्तार किया गया। दो अभियुक्तों ने दिनांक 18-11-77 को एवं शेष एक अभियुक्त ने दिनांक 1-12-77 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया। अतः किसी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 दं० प्र० सं० की कार्यवाही नहीं की गई। विवेचना के उपरान्त चारों अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 12-12-77 को आरोप-पत्र न्यायालय भेज दिया गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है।

*28—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[11वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मथुरा जिले के थाना गोवर्धन के अन्तर्गत पुलिस मुठभेड़ में जाटवों की मृत्यु एवं जांच रिपोर्ट

*29—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 7/8 फरवरी, 1976 को थाना गोवर्धन मथुरा के अन्तर्गत भिकवी मोती नामक दो जाटवों की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु दिखाई गयी थी उसकी मैजिस्टीरियल जांच हुई ? यदि हां, तो क्या सरकार वह जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्नगत पुलिस मुठभेड़ की मैजिस्ट्रीयल जांच पूर्ण हो चुकी है। जांच मैजिस्ट्रेट की संस्तुति के अनुसार घटना की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है, अतः मैजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखना जनहित में न होगा।

थानाध्यक्ष, थाना गरौठा जिला झांसी के विरुद्ध सी० आई० डी० की जांच

*30—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना नवाबाबाद, झांसी के ज्येष्ठ उपनिरीक्षक, पुलिस (श्रीराम अवतार दीक्षित) की पदोन्नति थाना अध्यक्ष, गरौठा, जिला झांसी में नवम्बर, 1977 को की गयी ? और क्या इनके विरुद्ध "छिलौने हरिजन" निवासी थाना बानपुर, जिला ललितपुर के कत्ल के सम्बन्ध में कोई सी०आई०डी० जांच एवं विभागीय जांच हुई ? क्या यह सही है कि जांच के विचाराधीन रहते उन्हें पदोन्नति दी गयी, यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

यह सही है कि श्री राम अवतार दीक्षित पुलिस उप निरीक्षक को दिनांक 28-11-77 से थानाध्यक्ष थाना गरौठ जिला झांसी के पद पर नियुक्त किया गया तथा उक्त उप निरीक्षक के आचरण के सम्बन्ध में सी० आई० डी० द्वारा जांच की गई थी। उस आधार पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो रही है। विभागीय कार्यवाही में प्रायः सभी साक्षियों के साक्ष्य प्रस्तुत हो चुके हैं किन्तु उपलब्ध साक्ष्य से उप निरीक्षक द्वारा किसी ऐसी गंभीर अनियमितता का संकेत नहीं मिला है जिसके कारण थानाध्यक्ष के रूप में उनकी नियुक्ति जो पदोन्नति नहीं है, अनुचित समझी जाती। विभागीय कार्यवाही में सबूत पक्ष की ओर से केवल एक साक्षी का साक्ष्य लिया जाना है और यह साक्षी काफी समय से मेडिकल अवकाश पर है।

*31--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[दिनांक 1-11-77 को तारांकित प्रश्न संख्या 8 द्वारा उत्तरित]

फर्रुखाबाद जिले के ग्राम धनसुआ की कथित श्रीमती उरी की फतेहगढ़ कोतवाली में लिखाई गयी रिपोर्ट

*32--श्री रणजीत सिंह, जूदेव (जिला झांसी) --

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद फर्रुखाबाद में ग्राम धनसुआ के हरिजन गुलाब की पत्नी उरी ने दिनांक 12 जून, 1977 को कोई रिपोर्ट कोतवाली, फतेहगढ़ में लिखाई ? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है और उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम धनसुआ (फर्रुखाबाद) में श्रीमती उरी पत्नी श्री गुलाब नाम की कोई हरिजन महिला नहीं है बल्कि उक्त ग्राम में श्रीमती भगवानी पत्नी श्री गुलाब नाम की महिला है लेकिन उक्त श्रीमती भगवानी द्वारा भी दिनांक 12-6-77 को थाना कोतवाली फतेहगढ़ पर कोई रिपोर्ट दिया जाना ज्ञात नहीं हुआ । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

नैनीताल क्लब में अग्निकांड सम्बन्धी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

*33--श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि 28 नवम्बर, 1977 को नैनीताल पुलिस लाइन में भयंकर अग्निकांड का क्या कारण था ? इससे कितने की क्षति हुई ? आग किन कारणों से लगी तथा कौन-कौन से अभियुक्त पकड़ में आये हैं और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

दिनांक 28 नवम्बर, 1977 को नैनीताल पुलिस लाइंस में कोई अग्निकांड नहीं हुआ । उक्त तिथि को नैनीताल क्लब के शैले हाल में कुमायूं वृत्त के वनों की नीलामी चल रही थी । वनों की उक्त नीलामी के विरोध में उत्तराखंड संघर्षवाहिनी के सदस्यों, छात्रों एवं असामाजिक तत्वों की भीड़ द्वारा नारेबाजी व पत्थर बाजी करने के उपरान्त नैनीताल क्लब के मुख्य भवन सनी साइड, 20 सूट व डायनिंग हाल में आग लगा दी गई ।इससे 58.24 लाख रुपये की सम्पत्ति की अनुमानित क्षति हुई । आग लगाये जाने का कारण वनों की नीलामी के विरोध में था । इस संबंध में निम्नलिखित 5 अभियुक्त प्रकाश में आये थे जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था:--

1--निर्मल, पुत्र राम दत्त जोशी ।

2--उमेश पुत्र चिन्तामणि ।

3--राम सिंह उर्फ श्याम सिंह, पुत्र के0 एस0 बिष्ट ।

4--भगीरथ लाल पुत्र मनसा राम ।

5--सतीश चन्द्र पुत्र चन्द्र प्रकाश ।

इनमें से एक को 11 मार्च, 1978 को जमानत पर तथा शेष चार को मुकदमा वापस उठा लिये जाने के कारण 13 मार्च, 1978 को छोड़ दिया गया है क्योंकि अब इस घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है ।

वन विभाग के महिला कम्पाइलर का स्थायीकरण

*34—श्री सुन्दर लाल (जिला उन्नाव)—

दिनांक 18 अप्रैल, 1975 श्री शिवानन्द नौटियाल, विधायक के तारांकित प्रश्न संख्या 1 के संदर्भ में क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि वन सचिव ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र सं 04650/14-1-75 दिनांक 19 सितम्बर, 1975 द्वारा वन सांख्यकीय संवर्ग में किसी महिला कम्पाइलर की नियुक्ति अनियमित करार दी थी तथा कम्प्यूटर के पद पर पदोन्नति की दूसरी अनियमितता कहा था और महिला को कम्पाइलर के पद पर प्रत्यावर्तित भी कर दिया गया था यदि हां, तो उसे दिनांक 31 मार्च, 1977 को स्थायी तथा 5 नवम्बर, 1977 को पदोन्नत किये जाने का क्या कारण है ?

श्री श्रीचन्द—

जी हां । इसका निम्नलिखित कारण है ।

महिला कम्पाइलर की लम्बी सेवा तथा उत्तम कार्य को देखते हुए तथा सांख्यकीय सेवा नियमावली के न होने के कारण सामान्य रूप से उन्हें कम्पाइलर के पद पर स्थायी कर दिया गया है । इनकी कम्प्यूटर के पद पर पदोन्नति तदर्थ रूप से मात्र कार्य संचालनार्थ की गयी है ।

*35—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*36—श्री पूरन चन्द्र—

[स्पष्टीकरण के लिये हटाया गया]

अलवर डाकू के मारे जाने की घटना एवं पुरस्कार वितरण

*37—श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि एटा जिले में अलवर डाकू के मारने के बारे में दो पक्ष होने की सूचना के बावजूद पुलिस को पुरस्कार वितरण किया गया ? यदि हां तो क्यों? क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्र दैनिक 'आज' में प्रकाशित दो चित्र जिसमें एक में अलवर के सीने पर भाले के जख्म का निशान दिखाया गया था और दूसरे में ढकी हुई छाती और पुलिस की गोली का निशान बताया गया था यदि हां, तो इन दोनों के बारे में क्या सच्चाई है ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक 9-12-77 को जिला एटा में अलवर डाकू पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया था। कुछ समाचार-पत्रों में अलवर डाकू के मारे जाने की घटना के संबंध में भ्रामक समाचार तथा चित्र प्रकाशित हुए थे इस संबंध में अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक द्वारा स्वयं घटनास्थल पर जाकर जांच की गई। जांच से अलवर का पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना ही पाया गया। अलवर के शव के पंचायतनामे में केवल दो घाव आग्नेयास्त्र के पाये जाने का उल्लेख है तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उक्त डकैत की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई। जांच से अलवर डाकू के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि होने पर ही संबंधित पुलिस अधिकारियों कमचारियों को पुरस्कार दिया गया ।

सीतापुर के आर्यनगर मोहल्ला निवासी श्रीमती ऊषा अग्रवाल की कथित रहस्यमय मृत्यु

*38—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 5 फरवरी, 1977 को सीतापुर के आर्यनगर मोहल्ले में श्रीमती ऊषा अग्रवाल की रहस्यमय मृत्यु हुई जिसकी रिपोर्ट उसी दिन कोतवाली,

सीतापुर में लिखाई, क्या यह सही है कि इस रहस्यमय घटना के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र उस समय के गृह सचिव को सी० आई० डी० की जांच के लिये दिया गया था ? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ।

श्री राम नरेश यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती ऊषा अग्रवाल की मृत्यु 6-2-77 को प्रातः मोहल्ला आर्यनगर, सीतापुर में उसकी ससुराल में हुई थी जिसकी रिपोर्ट स्थानीय पुलिस में कभी नहीं की गई।

श्रीमती ऊषा अग्रवाल के भाई श्री जगदीश चन्द्र अग्रवाल निवासी सीतापुर ने घटना के 23 दिन बाद दिनांक 1-3-77 को सर्वप्रथम इस मामले की शिकायत गृह सचिव को शिकायती पत्र देकर की और मृत्यु के बार में पुलिस को कोई रिपोर्ट नहीं की गई।

अपराध अनुसंधान विभाग की जांच से पाया गया कि श्रीमती ऊषा को 31-1-77 की रात्रि में चक्कर आया था और वह बेहोश हो गयी थी । उसे 1-2-77 को उसके पति ने डाक्टर गोपाल मेहरोत्रा को दिखाया था । 2-2-77 की रात्रि में ऊषा को फिर चक्कर आया था और वह बेहोश हो गई थी । 3-2-77 को सुबह ऊषा को उसके पति ने डाक्टर श्याम बिहारी लाल अग्रवाल को दिखाया । 5/6-2-77 की रात्रि में ऊषा तथा उसके पति विजय कुमार खाना खाकर अपने कमरे में सो गये थे । प्रातः लगभग 7 बजे जब उन्हें चाय के लिये जगाया गया तो ऊषा अपनी चारपाई पर बेहोश पाई गई अतः तुरन्त उसे डाक्टरों को बुलाकर दिखाया गया जिन्होंने श्रीमती ऊषा को मृत घोषित कर दिया। इन डाक्टरों क अनुसार उन्होंने ऊषा के शव पर ऐसे कोई लक्षण नहीं पाये जिससे यह आभास मिलता कि ऊषा की हत्या की गई थी। अपराध शाखा की जांच के दौरान भी ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि ऊषा की हत्या की गयी थी। ऊषा की मृत्यु का वास्तविक कारण ज्ञात न हो सका।

थाना बछरावां जिला रायबरेली में लिखाई गई हत्या की रिपोर्ट

*39--श्री सुन्दरलाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

क्या यह बात सही है कि दिनांक 14 जून, 1977 को थाना बछरावां, जिला रायबरेली में एक रिपोर्ट इस आशय की हुई थी कि मुलजिमान ने उसकी बहिन को जला कर मार डाला है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही मुलजिमान के विरुद्ध की गयी? यदि नहीं की गई तो क्या सरकार इस मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराके दोषी पुलिस कर्मचारियों तथा मुलजिमान के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव---

जी हां। स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त गण कृपाशंकर, रमाशंकर काली प्रसाद तथा श्रीमती रामावती को गिरफ्तार किया गया । वर्तमान समय में जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है।

पिथौरागढ़ जिले के ग्राम कुरमा निवासी श्री जीवन चन्द्र जोशी की मृत्यु

*40--श्री नारायण सिंह भैसोरा (जिला पिथौरागढ़)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1977 में श्री जीवन चन्द्र जोशी, ग्राम कुरमा, जिला पिथौरागढ़ की किन्हीं लोगों के द्वारा हत्या कर दी गयी और 20 अप्रैल, 1977 को श्री चिन्तामणि जोशी ने जिलाधिकारी को इस संबंध में प्रार्थना-पत्र दिया ? इस हत्या के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या उक्त मृतक के शव की जांच की गयी ? क्या 4 जुलाई, 1977 को मृतक के पिता श्री तारादत्त जोशी द्वारा कुछ लोगों के

नाम लिख कर जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ व क्षेत्रीय संसद सदस्य को कोई प्रार्थना-पत्र दिया गया जिसमें अपना जीवन खतरे में होने की आशंका व्यक्त की गयी थी? यदि हां, तो श्री तारादत्त के जीवन रक्षार्थ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार माह मार्च, 1977 में श्री जीवन चन्द्र जोशी, ग्राम कुरमा का शव जंगल में सड़ी दशा में प्राप्त हुआ। मृतक के पिता ने शव को शिनाख्त किया तथा उसकी हत्या किये जाने का कोई संदेह व्यक्त नहीं किया। जांच अधिकारी को भी मामला आत्म-हत्या का प्रतीत हुआ। अत: शव का पंचायत नामा भर कर उसके वारिसों को दे दिया गया। इस कारण शव के परीक्षण की आवश्यकता नहीं समझी गयी। दिनांक 20-4-77 को मृतक के पिता ने जिलाधिकारी को एक प्रार्थना-पत्र दिया, जिसकी जांच कराई गई पर जांच के दौरान श्री जीवन चन्द्र जोशी की हत्या का कोई साक्ष्य नहीं मिला। जांच से श्री तारादत्त जोशी के जीवन को कोई खतरा नहीं पाया गया। अत: प्रार्थना-पत्र के आधार पर कोई अन्य कार्यवाही नहीं की गई।

"हिल एरियाज न्यूज लेटर" के प्रकाशन संबंधी श्री एम0 एल0 भारद्वाज, प्रबन्ध निदेशक कंसीलियम प्राइवेट लि0 को लिखा गया पत्र

*41—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

द्वितीय सत्र 1977 के छठे मंगलवार, दिनांक 11 अक्तूबर, 1977 के तारांकित प्रश्न संख्या 25 के उत्तर के सन्दर्भ में पर्वतीय विकास मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या यह सत्य है कि आयुक्त एवं सचिव, पर्वतीय विकास विभाग, हिल एरियाज न्यूज लेटर के सम्पादक हैं? यदि हां, तो उन्होंने पत्रिका के विषय में उत्तर के साथ संलग्न पत्र श्री एम0 एल0 भारद्वाज, प्रबन्ध निदेशक कंसीलियम प्राइवेट लि0, 182 जोर बाग, नई दिल्ली को क्यों लिखा तथा श्री भारद्वाज का उपरोक्त पत्रिका से क्या सम्बन्ध है?

श्री शोभन सिंह जीना—

जी हां। उन्होंने यह पत्र श्री एम0 एल0 भारद्वाज, प्रबन्ध निदेशक, कंसीलियम प्राइवेट लिमिटेड को इसलिए लिखा क्योंकि कंसीलियम प्राइवेट लिमिटेड के साथ इस पत्रिका को छपाने का अनुबन्ध हुआ था जिसके अनुसार इस पत्रिका के प्रकाशन के सम्बन्ध में उन्हें कंसल्टेंसी चार्ज दिया जाता था और पत्रिका का मुद्रण एवं प्रकाशन इसी फर्म के द्वारा कराया जाता था। सम्पादन कार्य इसी फर्म के कार्यालय में होता था। श्री भारद्वाज चूंकि इस फर्म के प्रबन्ध निदेशक हैं, अत: उनको इस सम्बन्ध में पत्र लिखा गया।

वन विभाग द्वारा विद्युत विभाग को बल्ली की आपूर्ति न किये जाने संबंधी गोरखपूर के ठेकेदारों का पत्र

*42—श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर के जंगल के ठेकेदारों ने दिनांक 16 सितम्बर, 1977 को उन्हें कोई हस्ताक्षरित ज्ञापन दिया है जिसमें ठेकेदारों ने वन विभाग द्वारा विद्युत विभाग को बल्ली सप्लाई न करने का उल्लेख किया है? यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं?

श्री श्रीचन्द—

जी हां।

विद्युत विभाग से विचार विमर्श के उपरान्त निश्चित कीमत एवं शर्तों पर बल्लियों की सप्लाई वन विभाग द्वारा की जाती है। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों की लाटों में

लोडेड बल्लियों की पार्सिंग यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जाती है कि विद्युत् विभाग को बल्लियों की सप्लाई निर्धारित श्रेणी व माप दण्ड की हो। पार्सिंग की इस प्रक्रिया में ठेकेदारों को सम्भवत: कुछ असुविधा व कठिनाइयां हो सकती है। मुख्यत: इसी कारण उन्होंने वन विभाग द्वारा सप्लाई न करने की मांग की है।

पुलिस लाइन, गोरखपुर के सिपाहियों के क्वार्टर का आवंटन

*43—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पुलिस लाइन गोरखपुर में सिपाहियों के लिए निर्मित क्वार्टर्स उन्हें न देकर दूसरों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन आवासों को तुरन्त खाली कराकर सिपाहियों को देगी ?

श्री राम नरेश यादव—

पुलिस लाइन गोरखपुर में सिपाहियों के लिए निर्मित 94 क्वार्टर्स में से 61 क्वार्टर्स सिपाहियों को ही आवंटित हैं। शेष 33 क्वार्टर्स प्रशासनिक आवश्यकता की दृष्टि से पुलिस विभाग के ही दूसरे कर्मचारियों को दिए गए हैं क्योंकि वे कर्मचारी भी बिना किराये के आवा गृह पाने के हकदार हैं तथा सीमित वित्तीय प्राविधान के कारण इनके लिए अभी तक आवासीय व्यवस्था नहीं की जा सकी है। ऐसी परिस्थिति में इन 33 आवासों को तुरन्त खाली कराया जाना ठीक न होगा।

अतिरिक्त जिलाधिकारी (किराया नियंत्रण) लखनऊ के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*4—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि गत राष्ट्रपति शासन की अवधि में दिनांक 8 जून, 1977 और 22 अक्तूबर, 1977 को अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ (किराया नियन्त्रण) को अनियमितताओं और पक्षपात पूर्ण आरोपों की जांच के लिये शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उनकी जांच किसके द्वारा कराई गई और जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक 8 जून, 1977 का शिकायती पत्र शासन को प्राप्त हुआ परन्तु दिनांक 22-10-77 का कोई शिकायती पत्र शासन को प्राप्त नहीं हुआ।

दिनांक 8 जून, 1977 के शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी लखनऊ से जांच कराई गई और जांच से तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (किराया नियंत्रण), लखनऊ की तथाकथित अनियमिततायें और पक्षपात-पूर्ण आरोप साबित नहीं हुए।

*45—श्री हिम्मत सिंह—

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त।]

श्री गोपाल निवासी ग्राम-कटोलिया, जिला-सीतापुर का मकान गिराये जाने सम्बन्धी थाना थानगांव में लिखाई गई रिपोर्ट

*46—श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना-थान गांव, तहसील, बिसवां, जिला सीतापुर में ग्राम-कटोरिया के कुछ गरीब व्यक्तियों के घर क्षेत्रीय व्यक्तियों ने जून, 1977 तथा नवम्बर, 1977 में गिरा दिए थे और उनकी सम्पत्ति लूट ली गयी थी ? यदि हां, तो पुलिस ने आज तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

श्री राम नरेश यादव—

श्री गोपाल, निवासी ग्राम कटोलिया मजरा नसीरपुर, देवरिया, थाना थान गांव, जिला सीतापुर ने अपने चचेरे भाई शिवनंदन व अन्य 24 व्यक्तियों के विरुद्ध दिनांक 28-6-77 को वादी की पूरब की दीवार की नीव, दक्षिण की पूरी दीवार व उत्तर की आधी दीवार गिराने और गांव के दयाल के छप्पर नोंच कर फेंक देने, खूंटे उखाड़ कर फेंक देने और चूल्हे फोड़ देने के बारे में एक रिपोर्ट थाना थानगांव पर दिनांक 30-6-77 को अंकित कराई जिसके आधार पर थाने पर अभियोग धारा 143/144/427/448 भारतीय दण्ड विधान का कायम हुआ। विवेचना से घटना का सम्बन्ध केवल गोपाल की 5 फीट दीवार गिराये जाने का पाया गया। अतः इस सम्बन्ध में सभी 25 नामजद अभियुक्तों का चालान अदालत किया गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है ।

दयाल के छप्पर नोचने, खूंटा उखाड़ने तथा चूल्हा तोड़ने का आरोप विवेचना से प्रमाणित नहीं हुआ ।

प्रश्न में उल्लिखित अवधि में उक्त ग्राम में ऐसी कोई अन्य घटना का होना नहीं पाया जाता है ।

*47—श्री कन्हैया लाल गुप्त—

[6ठे बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या 49 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

इटावा जिले के पुरविया टोला निवासी श्री धर्म नारायण का श्री जगन्नाथ की मृत्यु संबंधी शिकायती पत्र

*48—श्री सत्यपाल सिंह यादव, श्री जगदीश सिंह तथा श्री सूरज प्रसाद (जिला शाहजहांपुर)—

क्या मुख्य मंत्री को श्री धर्म नारायण, पुत्र बाबादीन, निवासी पुरविया टोला, थाना कोतवाली, जिला इटावा का प्रार्थनापत्र दिनांक 18 जुलाई, 1977 को इस आशय का प्राप्त हुआ कि उनके बहनोई श्री जगन्नाथ, निवासी नारायण पुरवा, थाना जूही कानपुर की हत्या जहर देकर की गयी यद्यपि जांच करने वाले डाक्टरों को उपरोक्त जगन्नाथ को जहर दिए जाने की आशंका थी फिर भी मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच हुई। यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ? यदि नहीं हुई, तो क्या सरकार गुप्तचर विभाग द्वारा इस मामले की जांच कराकर अपराधी व्यक्तियों को दण्ड दिलाने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित आशय का श्री धर्म नारायण पुत्र श्री बाबादीन निवासी पुरविया टोला थाना कोतवाली जिला इटावा के शासन तथा जिला प्रशासन को प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। इस संबंध में जांच कराई गई जांच से जहर देने की शिकायत तथा अन्य आरोप अप्रमाणित रहे। दिनांक 11-4-76 को श्री जगन्नाथ की हैलेट अस्पताल कानपुर में मृत्यु हो जाने के उपरान्त उक्त घटना के संबंध में श्री धर्म नारायण का एक अन्य प्रार्थना-पत्र दिनांक 17-4-76 थाना जूहीं में प्राप्त हुआ था जिस पर उसी दिन पुलिस द्वारा दरियाफ्तहाल जारी कर विवेचना प्रारम्भ की गई। उक्त घटना के बारे में इसके पहले पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई थी इस कारण पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। जांच से कोई हस्तक्षेपीय अपराध न होने के कारण दरियाफ्तहाल विवेचना में प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो चुकी। अतः अब प्रश्नगत घटना की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा कराने का प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर जिले के ग्राम बौडिहा निवासी श्री सद्धू हरिजन का सवर्णों के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

*49—श्री दयाराम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर, तहसील बांसगांव, ग्राम बौडिहा के सिद्धू आदि हरिजनों ने सवर्णों के जुल्म अत्याचार केबारे में सुरक्षा पाने हेतु दिनांक 7 अक्तूबर 1977 को मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश, लखनऊ और जिलाधीश, गोरखपुर को प्रार्थना–पत्र दिया था ? यदि हां, तो शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री सिद्धू आदि हरिजनों द्वारा दिनांक 7-10-77 को मुख्य मंत्री तथा जिलाधीश गोरखपुर को किसी भी प्रार्थना–पत्र का दिया जाना नहीं प्रतीत होता। श्री सिद्धू हरिजन का दिनांक 30-10-77 का एक प्रार्थना पत्र जिलाधीश तथा ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में दिनांक 3–11–77 को प्राप्त हुआ था जिसमें यह शिकायत की गयी थी कि प्रार्थी की 40 डिसिमल जमीन पर ग्राम के ही कुछ पंडित जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और उनसे उसे हमेशा जान माल का खतरा बना रहता है । इस संदर्भ जांचोपरान्त ज्ञात हुआ है कि चकबन्दी से श्रीसिद्धू को जो जमीन आवंटित हुई है उसके व श्री सिद्धू के सहन के बीच कुछ पंडितों की जमीन है जिसे वह लेना चहता है पर पंडित लोग देना नहीं चाहते हैं। दोनों पक्षों के बीच उप संचालक चकबन्दी के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है श्री सिद्धू और उनके परिवार वालों के जान माल का कोई खतरा नहीं पाया गया है किन्तु फिर भी सिद्धू तथा उनके परिवार वालों की सुरक्षा के लिये संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश दिया गया है कि वह इस गांव पर कड़ी निगरानी रखें और शांति भंग होने की आशंका होने पर तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें ।

श्री प्रभुनाथ राम कृषि यन्त्र उत्पादक एवं रिपेयरिंग कार्यशाला बरदह, जिला आजमगढ़ का कर्मशील पूंजी-हेतु प्रार्थना-पत्र

*50—श्री दयाराम भास्कर—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री प्रभुनाथ राम कृषि यन्त्र उत्पादक एवं रिपेयरिंग कार्यशाला बरदह जनपद, आजमगढ़ ने कर्मशील पूंजी हेतु उक्त कुटीर लघु उद्योग विकसित करने हेतु दिनांक 19 नवम्बर, 1970 व 19 सितम्बर 1977 उद्योग मन्त्री 14 मार्च, 1957 को मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश लखनऊ, व उद्योग निदेशक ऋण तथा अनुदान विभाग, उत्तर प्रदेश कानपुर, 4 अगस्त 1965 व उद्योग अधिकारी, आजमगढ़ के क्रमशः 18 फरवरी, 1965, 8 जुलाई, 1968, 13 फरवरी, 1971, 6 अप्रैल, 1971, 21 जुलाई, 1971 व जिलाधीश, आजमगढ़ को 3 फरवरी, 1965 व 13 मार्च, 1965 व 21 जुलाई, 1967 व 7 दिसम्बर, 1967 व 5 फरवरी, 1968 व 1 दिसम्बर, 1971 को आवेदन-पत्र दिया है? यदि हां, तो उपरोक्त सभी प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रति व्यक्ति औसत आमदनी में विषमता दूर किये जाने की मांग

*51—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के विभिन्न जिलों की प्रति व्यक्ति औसत आमदनी (पर कैपिटा इनकम) में बहुत विषमता है ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या है और क्या इस अन्तर को समाप्त करने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

जिलेवार प्रति व्यक्ति औसत आमदनी के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। अतः विषमता के संबंध में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। किन्तु यह निर्विवाद है कि प्रदेश के पर्वतीय,पूर्वीय तथा बुन्देलखंड क्षेत्र अपेक्षाकृत पिछड़े हुये हैं। इस विषमता को इन पिछड़े क्षेत्रों से समाप्त करने के लिये राज्य सरकार विशेष रूप से प्रयत्नशील है। अगली पंचवर्षीय (वर्ष 1978-83 की) योजना बनाने हेतु गठित कार्यकारी दलों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि वे आर्थिक असंतुलन की वर्तमान समस्या के स्तर तथा करणों पर गहराई से विचार करें और छठी योजना के लिये योजनायें प्रस्तुत करते समय इस उद्देश्य को सामने रखें और यह भी स्पष्ट करें कि छठी योजना के कार्यान्वियन के फलस्वरूप उक्त योजना काल के अन्त में क्षेत्रीय असन्तुलन यथा सम्भव कम हो सके।

बहराइच जिले के ग्राम रायबोझा एवं नानपारा में कथित डकैती

*52--श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के थाना मोतीपुर के ग्राम रायबोझा तथा थाना नानपारा के ग्राम विश्वनाथ गांव में तारीख 13 नवम्बर 1977 को एक ही रात्रि में जो डकैतियां पड़ी थीं उसमें कितने-कितने डकैत पकड़े गए हैं अगर नहीं पकड़े गए, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13-11-77 को कथित ग्रामों में कोई भी डकैती नहीं पड़ी थी। अतः किसी डकैत के पकड़े जाने का प्रश्न नहीं उठता।

गाजियाबाद जिले के ग्राम इन्दरगढ़ी में हरिजन युवकों को जलने से मृत्यु

*53--श्री श्याम दत्त पालीवाल---

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम इन्दरगढ़ी थाना मसूरी, जिला गाजियाबाद में दिनांक 11 नवम्बर, 1975 की रात को तीन हरिजन युवकों को जला दिया गया था ? यदि हां तो अभी तक इस मामले में क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम नरेश यादव---

श्री राम सहाय पुत्र श्री जेठवा राम ग्राम इन्दरगढ़ी ने दिनांक 12-11-75 को थाना मंसूरी जिला गाजियाबाद में एक लिखित रिपोर्ट दी कि सर्वश्री वासुदेव, बलदेवसिंह व हेमप्रकाश वादी के ट्यूबवेल पर पढ़ते थे तथा रात को वहीं सो जाते थे। दिनांक 11-11-75 की शाम को भी वादी के पिता उन तीनों को ट्यूबवेल पर छोड़ आये थे। दिनांक 12-11-75 की प्रातः वादी ने सारा ट्यूबवेल जला हुआ पाया। उपरोक्त तीनों लड़के भी जलकर राख हो गये पाये गये। उक्त सूचना पर थाने में दरखास्तहाल कायम किया गया। विवेचना के मध्य दरखास्तहाल को धारा 302/436 भा0 दं0 वि0 में परिवर्तित किया गया। अभियोग की विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गई। जांच पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों की मृत्यु दुर्घटनावश आकस्मिक रूप से होना पाये जाने की सम्भावना पाई गई। किसी अपराध का होना नहीं पाया गया। अतः विवेचना अंतिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त गई जो न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

*54--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

[9वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]।

दुद्धी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्लांटेशन एवं लगाये गये पौधे और प्लान्टेशन हेतु ली गयी भूमि

*55—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी वन खण्ड के अन्तर्गत वर्ष 1975 से अब तक कितने प्लान्टेशन लगाए गए तथा उस पर कितना सरकारी व्यय हुआ तथा वर्तमान जीवित पौधों की संख्या क्या है ? क्या यह सही है कि सारे प्लान्टेशन मौके पर नहीं है ? यदि हां, तो क्या दोषी कर्मचारियों को दंडित करने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री श्रीचन्द—

दुद्धि वन प्रभाग के अन्तर्गत वर्ष 1975 से वर्ष 1977 तक 24 प्लान्टेशन 1540 हैक्टर पर लगाये गये तथा इस पर अभी तक 10,49,430 रुपया सरकारी व्यय हुआ। वर्तमान समय में जीवित पौधों की संख्या 11,19,007 है। यह सही नहीं है कि प्लान्टेशन मौके पर नहीं है। अत: किसी दोषी कर्मचारियों को दंडित करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

*56—श्री ईश्वर प्रसाद—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दुद्धी एवं अगोरी विजयगढ़ डिवीजन के अन्तर्गत प्लान्टेशन के लिये जो किसानों की भूमि वर्ग 4, सीरदारी तथा भूमिधरी ली गई है ? क्या उस भूमि के बदले उनको कोई दूसरी भूमि अथवा नकद के रूप में मुआवजा दिया गया है यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द—

अगोरी वन प्रभाग के किसी काश्तकार की कोई भी भूमि प्लान्टेशन के लिये नहीं ली गई। दुद्धी वन प्रभाग के केवल एक केस में 5 काश्तकारों की 9 बीघा 18 बिस्वा 6 बिस्वांसी भूमि नर्सरी के लिये ली गई है और उसके बदले में 5 काश्तकारों को 12 बीघा 15 बिस्वा और 4 विस्वांसी वन भूमि दी गई, जिस पर वे इस समय भी खेती कर रहे हैं नकद मुआवजा किसी को अभी तक नहीं दिया गया है।

*57—श्री हरिकेवल प्रसाद—

[8 वें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

उन्नाव जिले के ग्राम बनी में श्री सुन्दर लाल व श्री सुखलाल की कुएं की चुनाई करते समय मृत्यु एवं उनके आश्रितों को दी गयी सहायता

*58—श्री चन्द्रपाल (जिला उन्नाव) श्री गजाधर प्रसाद (जिला बहराइच) तथा श्री राम आसरे वर्मा—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि दिनांक 2 जनवरी, 1978 को ग्राम बनी, थाना गंगाघाट, उन्नाव में दो व्यक्ति (सुन्दर लाल चमार व सुखलाल कुम्हार) कुएं की चुनाई करते समय दब तक मर गए ? यदि हां, तो क्या उनके शव प्राप्त हुए और घटना की रिपोर्ट थाने में की गई ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई और मृतकों के आश्रितों की क्षतिपूर्ति हेतु क्या किया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। इस घटना की रिपोर्ट 4-1-78 को थाने पर की गई और सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खुदाई करने के उपरान्त दबे हुए शव 15-2-78 को निकाले गए। शवों को परगना मजिस्ट्रेट, उन्नाव की उपस्थिति में कुयें से निकालने के पश्चात् पंचायतनामा भरा गया तथा शव परीक्षा कराने के पश्चात् शव मृतकों के निकट संबंधियों को अन्तिम संस्कार हेतु दिए गए।

मृतकों के आश्रितों को निम्नलिखित अनुतोष दिया गया:—

1—श्री सुन्दर लाल चमार की विधवा श्रीमती शान्तिदेवी व उसकी एक छोटी लड़की के लिये 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का आवंटन ग्राम समाज द्वारा करारकर कब्जा दिलाया गया। मौके पर तत्कालिक प्रतीक आर्थिक सहायता के रूप में 100रु0 का अनुदान दिया गया तथा मुख्य मंत्री के विवेकानुदान कोष से भी रु0 5,000 का एक मुश्त अनावर्तक अनुदान दिया गया।

2—श्री सुखलाल कुम्हार की विधवा वृद्धा सास श्रीमती भगाना को मौके पर प्रतीक आर्थिक सहायता के रूप में रु0 100 का अनुदान दिया गया। रुपया 40 प्रति मास वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत की गई। इसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री जी के विवेकानुदान कोष से रु0 2,500 की धनराशि एक मुश्त अनावर्तक अनुदान के रूप में दिया गया।

सीतापुर जिले के ग्राम नमूपुर में महिला की हत्या

*59—श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नमूपुर, थाना तालगांव, जिला सीतापुर में 28/29 दिसम्बर, 1977 को एक महिला की हत्या कुछ व्यक्तियों ने कर दी? यदि हां, तो इस हत्या का कारण क्या दहेज था? क्या सरकार इस हत्या काण्ड की जांच कराके पूर्ण तथ्य सदन को देगी?

श्री राम नरेश यादव—

श्री परशुराम निवासी ग्राम शरीपपुर कसमण्डा थाना तालगांव जिला सीतापुर ने दिनांक 28/29–12–77 की रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी नतपतोहू को मार डालने के सम्बन्ध में दिनांक 29–12–77 को एक लिखित सूचना थाना तालगांव पर दी थी जिसके आधार पर एक मुकदमा धारा 452/302 भारतीय दण्ड विधान का कायम हुआ।

अपराध विवेचनाधीन है। अब तक की विवेचना से हत्या का कारण ज्ञात नहीं हुआ है। विवेचना जारी है।

मेरठ जिले के सहायक जेलर श्री ओमवीर सिंह की पोस्टिंग

*60—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने की कृपा करेंगे कि सहायक जेलर मेरठ (श्री ओमवीर सिंह) को तीसरी बार मेरठ जेल में पोस्ट कर दिया गया जबकि उनके लिये शासन के आदेश हैं कि उनको मेरठ जेल में पोस्ट न किया जाय? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी हां, लेकिन शासन द्वारा इस प्रकार के कोई आदेश नहीं दिए गये कि मेरठ में उनको पोस्ट न किया जाय।

*61—श्री मैनेजर सिंह—

[दिनांक 28–3–78 को तारांकित प्रश्न संख्या 38 (2) के 2 के अन्तर्गत उत्तरित]।

मेसेर्स चन्द्रा इण्डस्ट्रीज, कुल पहाड़, जिला हमीरपुर का किराया क्रय योजना के अन्तर्गत मशीन खरीदने हेतु प्रार्थना-पत्र

*62—श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि बेरोजगार जूनियर इंजीनियर प्रोपराइटर चन्द्रा इन्डस्ट्रीज, कुल पहाड़ जिला हमीरपुर का किराये के आधार पर मशीन खरीदने का प्रार्थना-पत्र मैनेजिंग डाइरेक्टर, यू0पी0 स्माल इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, सर्वोदयनगर, कानपुर के कार्यालय में सन् 1972 से विचाराधीन रख कर 17 अगस्त, 1966-77 ई0 को अस्वीकृत कर दिया गया है? यदि हां, तो विलम्ब और कर्ज न देने के कारण क्या हैं?

श्री राम प्रकाश—

लघु उद्योग निगम की किराया क्रय योजना के अन्तर्गत मशीनों की व्यवस्था का मेसर्स चन्द्रा इन्डस्ट्रीज का प्रार्थना पत्र निगम को फरवरी, 73 में प्राप्त हुआ था। निगम ने स्वीकृति की सूचना 23 मार्च, 1973 को भेजते हुये फर्म से औपाचारिक कार्यवाही पूर्ण करने का अनुरोध किया। फर्म ने इसमें विलम्ब किया तथा अपनी मांग में दो बार परिवर्तन किया और तदनुसार आवश्यक औपचारिक कार्यवाही पूर्ण नहीं की। फर्म की पुनः संशोधित मांग 23 अक्तूबर, 1974 को प्राप्त हुई, जिसके पूर्व निगम की इस योजना की व्यवस्था में परिवर्तन हो चुका था और उसे निगम द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया के सहयोग से चलाना प्रारम्भ कर दिया जायगा। तदनुसार फर्म का प्रार्थना-पत्र निगम द्वारा स्टेट बैंक आफ इण्डिया को स्वीकृति हेतु भेजा गया और फर्म से बैंक से सम्पर्क स्थापित करने का अनुरोध किया गया। फर्म ने बैंक के समक्ष भी विलम्ब किया और अन्तिम रूप से बैंक ने जून, 1977 में निगम को सूचित किया कि फर्म का बैंक के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव उपयुक्त न होने के कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। तदनुसार निगम ने अगस्त, 77 में फर्म को सूचना भेजकर विषय को समाप्त कर दिया।

हिन्डालकों में गोलीकांड और बरामद किये गये अवैध शस्त्र

*63—श्री गोविन्द सिंह नेगी —

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल के हिण्डालको के गोली काण्ड में कितने मजदूर मारे गये व कितने आहत हुये? इस घटना के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये? क्या यह सही है कि मैनेजर के कार्यालय से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुये? यदि हां तो उसका विवरण क्या है?

श्री राम नरेश यादव—

हाल दिनांक 24-12-77 को हिण्डालको के गोली कांड के संबंध में कोई भी मजदूर मारा नहीं गया। केवल 8 व्यक्ति घायल हुये जिनमें 7 मजदूर हैं और एक सिक्योरिटी गार्ड है। इस घटना के संबंध में कुल 12 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये। यह सही नहीं है कि हिन्डालको के मैनेजर के कार्यालय से बहुत बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्र बरामद हुये। सही यह है कि विवेचना के दौरान उसी दिन हिन्डालको के सिक्योरिटी कार्यालय की तलाशी लेने पर दो जिन्दा हैन्ड गिरनैड, दो बन्दूक 12 बोर, एक देशी तमन्चा, तीन पिस्टल तथा भरे एवं खाली कारतूस बरामद हुये।

प्रतापगढ़ जिले के श्री त्रिभुवन लाल शुक्ल, एडवोकेट, पर आक्रमण

*64—श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 को लगभग साढ़े 4 बजे प्रतापगढ़ कचेहरी प्रांगण में श्री त्रिभुवन लाल शुक्ल, एडवोकेट के ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों ने दिन-दहाड़े आक्रमण किया? क्या इस घटना के सम्बन्ध में कोई रपट थाना कोतवाली में दर्ज कराई गयी? यदि हां, तो उसमें कितने मुलजिमान है, आज तक उक्त मामले में पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री राम नरेश यादव :—

जी हां। इस घटना की दिनांक 31-12-77 को थाना कोतवाली में एक रिपोर्ट अंकित करायी गयी है। उपर्युक्त रिपोर्ट में 6 अभियुक्त सर्वश्री ओम प्रकाश पान्डेय, रज्जन सिंह, विश्म्भर चौधरी, प्रेमचन्द तिवारी, अशोक पान्डेय तथा रवीन्द्र सनातन पत्रकार नामांकित किये गये थे।

उपर्युक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना कोतवाली में मु0 अं0 सं0 770/77 धारा 147/323 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ । विवेचनोपरान्त सर्वश्री ओम प्रकाश पान्डेय, अशोक कुमार पान्डेय तथा प्रेमचन्द तिवारी के विरुद्ध 323 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत आरोप-पत्र प्रेषित किया गया। शेष व्यक्तियों की नामजदगी गलत पायी गयी।

प्रतापगढ़ डिग्री कालेज में गोली चलने की घटना एवं पाया गया हथगोला

*65—श्री विद्या शंकर —

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 4 जनवरी, 1978 को थाना कोतवाली के अन्तर्गत डिग्री कालेज, प्रतापगढ़ में स्थिति सायकिल स्टैन्ड पर बम फेंका गया ? क्या वहां दो गुटों की प्रतिद्वन्दिता के कारण गोली भी चली, यदि हां, तो कोतवाली पुलिस ने आज तक उक्त सम्बन्धित घटना से किसी मुलजिमान को पकड़ा ?

श्री राम नरेश यादव —

जी नहीं। प्राप्त सूचना के अनुसार थाना कोतवाली प्रतापगढ़ में श्री यदुवीर सिंह छात्र डिग्री कालेज प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 4–1–78 को एक रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि श्री अंजनी दूबे ग्राम सदर का पुरवा अशफाक निवासी माल गोदाम रोड तथा सुशील, पंजाबी मार्केट, प्रतापगढ़ ने पुरानी रंजिश के कारण जान से मारने की नियत से पिस्तौल एवं बम लेकर वादी को घेर लिया। अंजनी कुमार ने देशी पिस्तौल से फायर किया किन्तु किसी को चोट नहीं आयी। बम का प्रयोग नहीं हुआ अपितु बिना फूटा हुआ एक देशी हथगोला घटनास्थल पर मिला। रिपोर्ट के आधार पर मु0 अ0 सं0 5 धारा 307 भा0 द0 वि0 तथा धारा 5 एक्सप्लोसिव ऐक्ट पंजीकृत हुआ। विवेचनोपरान्त अभियुक्तगण गिरफ्तार हुये तथा उनका अन्तर्गत धारा 307 भा0 द0 वि0 तथा धारा 5 ऐक्सप्लोसिव ऐक्ट चालन अदालत किया गया।

*66—श्री राम सजीवन—

[दिनांक 17–10–77 को माननीय मंत्री द्वारा वक्तव्य दिये जाने के फलस्वरूप निरस्त]।

नैनीताल जिले के रामनगर में आपात्काल में चलाये गये फर्जी मुकदमें के संबंध में प्रार्थना-पत्र

*67—श्री रामदत्त जोशी—

क्या न्याय मंत्री बतालाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के रामनगर नामक उपनगर में आपात् स्थिति के दौरें में कुछ नागरिकों पर फर्जी मुकदमें कायम किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया प्रार्थना-पत्र दिनांक 28 सितम्बर, 1977 प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रार्थना-पत्र में सम्बन्धित मुकदमों को सरकार द्वारा वापिस किये जाने की मांग की गयी है। और सरकार ने इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, नैनीताल तथा एस 0 पी 0, नैनीताल से आख्या मांगी है।

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां, माननीय सदस्य का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है तथा जिलाधिकारी, नैनीताल की आख्या भी प्राप्त हो गई है। 'प्रश्नगत अभियोजन' की वापसी का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

आन्ध्र प्रदेश के तूफान पीड़ितों की सहायतार्थ चन्दे की वसूली एवं अधिकृत किये गये अधिकारी

*68—श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि आंधी तूफान सहायता के लिये चन्दा करने के लिए सरकारी अथवा गैर-सरकारी किन-किन एजेंसियों को अधिकृत किया गया है और इन एजेंसियों के द्वारा चन्दे की रकम का कोई हिसाब-किताब शासन को दिया गया है और उनके द्वारा किए गए चन्दे को चेक करने के लिये शासन ने कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या-क्या और किस प्रकार ?

श्री राम नरेश यादव—

आन्ध्र प्रदेश तथा पड़ोसी क्षेत्रों के तूफान से पीड़ित व्यक्तियों के सहायतार्थ धन एकत्रित करने के लिये शासन द्वारा केवल जिला अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। एकत्रित धनराशि जिलाधिकारीयों द्वारा समय-समय पर मुख्य मंत्री पीड़ित सहायता कोष में जमा करने हेतु शासन को भेजी जाती है जहां उसका नियमानुसार व्योरा रखा जाता है।

आगरा जिले में सतर्कता अधिष्ठान द्वारा नगरमहापालिका के अमीन की रिश्वत के संबंध में गिरफ्तारी

*69—श्री राजेश कुमार सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा में दिनांक 12 सितम्बर, 1977 को सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा नगर महापालिका के एक अमीन को एक व्यक्ति से रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार करने पर महापालिका के कर्मचारियों द्वारा सतर्कता विभाग के अधिकारियों के साथ मारपीट की गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

कथित घटना दिनांक 13-9-77 को हुई थी। मामले के संबंध में थाने में मुकदमा कायम करा दिया गया है।

*70—श्री गोबिन्द सिंह नेगी—

[दिनांक 4-4-78 को अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित।]

वन विभाग में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किये जाने संबंधी समिति का गठन

*71—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार ने वन विभाग में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है ? यदि हां, तो कब तक यह प्रथा समाप्त की जायगी ?

श्री श्रीचन्द—

वन निगम व श्रम सहकारी समितियों के माध्यम से, वन विभाग में ठेकेदारी प्रथा को लगभग आगामी तीन वर्षों में समाप्त किये जाने के संबंध में पर्वतीय क्षेत्रों के संसद सदस्यों एवं विधायकों की 22 जनवरी, 1978 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार एक समिति गठित कर दी गई है, मुख्य अरण्यपाल की अध्यक्षता में। उक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही इस विषय में निश्चित व्योरा दिया जा सकेगा।

आगरा जिले के थाना शाहगंज के कांस्टेबिल श्री राजवीर सिंह व श्री इब्राहीम के विरुद्ध अंकित अपराध

*72—श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आगरा जिला के थाना शाहगंज में अपराध संख्या 365, धारा 420 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत सिपाही चौधरी राजबीर सिंह के विरुद्ध जो केस दिनांक 23 जुलाई, 1977 को रजिस्टर्ड किया गया था उसमें क्या कार्यवाही अभियुक्त के विरुद्ध अभी तक की गयी है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री सतानन्द, निवासी गंगा मंदिर को केशोवालों की गली में घेर पय लिया, भरतपुर राजस्थान के प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना शाहगंज, आगरा में अप0 सं0-365धारा 420 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत कान्टेबिल राज वीर सिंह व कान्स्टेबिल इब्राहिम के विरुद्ध दिनांक 23-7-77 को कायम किया गया। अपराधकी विवेचना जारी है।

डाला एवं चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी, मिर्जापुर में बोरियों का वजन

*73—श्री राम अधार—

उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डाला और चुर्क सीमेंट फैक्टरी (मिर्जापुर) के लिए सीमेन्ट भरने हेतु बोरियां ठेकेदारों के माध्यम से ली जाती हैं ? और नियमतः उन खाली बोरियों का वजन 492 ग्राम से कम नहीं होना चाहिये, जबकि इस समय 380 ग्राम से लेकर 430 ग्राम वजन की ही बोरियां प्रयोग में लाई जाती हैं ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

श्री राम प्रकाश—

सीमेंट कन्ट्रोलर आर्डर के नियमों के अनुसार सीमेंट भरने हेतु नई और पुरानी बोरियों का प्रयोग किया जाता है, जिसका अनुपात समय-समय पर सीमेंट कंट्रोलर द्वारा निर्धारित किया जाता है। नई बोरियां खुली निविदा के माध्यम से तुलनात्मक भाव एवं उपयुक्ता के आधार पर ठेकेदारों के माध्यम से प्राप्त की जाती हैं। इन बोरियों के लिए इंडियन स्टैन्डर्ड स्पेसिफिकेशन निर्धारित है, जिसके अनुसार प्रत्येक बोरी का वजन 492 ग्राम होना चाहिये। इस मानक के अनुसार बोरियों का वजन 50 ग्राम तक अधिक या 40 ग्राम तक कम स्वीकार करने की व्यवस्था है। कम वजन होने पर मूल्य में उपयुक्त कमी कर दी जाती है। यह सही नहीं है कि डाला एवं चुर्क कारखाने में इस समय 380 ग्राम से लेकर 430 ग्राम तक की ही बोरियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। सीमेंट की पुरानी बोरियां खुली निविदा के आधार पर नियुक्त क्लेक्शन एजेंट्स के माध्यम से क्रय की जाती हैं तथा उनके लिये वजन की सीमा लागू नहीं होती।

चुर्क सीमेन्ट फैक्ट्री, मिर्जापुर में लाइम स्टोन का उत्पादन

*74—श्री राम अधार—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1977 में चुर्क फैक्टरी (मिर्जापुर) के लिए कितना पत्थर का प्रोडक्शन हुआ, और उसके लिये कितना बारूद का प्रयोग किया गया था ?

श्री रामप्रकाश—

मार्च, 1977 में 86,930 मी0 टन लाइम स्टोन का उत्पादन हुआ इस में बारूद सामग्री की निम्नलिखित मात्रा प्रयोग में लाई गई :—

1—स्पेशल जिलेटिन 2 × 8	1745 कि0 ग्राम
2—स्पेशल जिलेटिन 1 × 8	123 कि0 ग्राम
3—हैक्टोराइड	722 कि0 ग्राम

4—ओ0 डी0	5929 अदद	
5—ई0 डी0	7 अदद	
6—डिटोनेटिंग फ्यूज	2165 मीटर	
7—सेफ्टीफ्यूज (वाटर प्रूफ)	975 क्वायल	
8—सेफ्टीफ्यूज (बी0एस0)	1116 क्वायल	
9—ओनियम नाइट्रेट	3900 कि0 ग्राम ।	

मैनपुरी जिले में शिकोहाबाद–एटा मार्ग पर बसों की लूट की घटना

*75—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद-एटा मार्ग पर दिनांक 20/21 दिसम्बर, 1977 को सोरों स्नान को जाती हुई तीन प्राइवेट यात्री बसों को लूट लिया गया ? यदि हां, तो क्या इस घटना के अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा सका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20/21–12–77 की रात्रि में मेला मार्ग श्री गंगा स्नान को जाती हुई बसें नं0 यू0 टी0 एम0 119, बस नं0 यू0 टी0 एम0 25 तथा बस नं0 यू0टी0 एम0102 की सवारियों को ग्राम उसमानपुर के पास बदमाशों द्वारा लूट लिये जाने की सूचना उस रात्रि को 12–30 बजे श्री विद्याराम, ड्राइवर बस नं0 यू0टी0एम0119, द्वारा कोतवाली एटा पर दी गई। घटना थाना जसराना, मैनपुरी के क्षेत्र से सम्बन्धित होने के कारण उक्त सूचना के आधार पर थाना जसराना, मैनपुरी पर धारा 395/397 भा0दं0वि0 का अपराध पंजीकृत किया गया। विवेचना से नौ अभियुक्त प्रकाश में आये जिनमें से तीन गिरफ्तार किये जा चुके हैं, पांच ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया और एक अभियुक्त फरार है जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। विवेचना प्रचलित है ।

पुलिस विभाग के कर्मचारियों की संख्या एवं जनता पर पड़ने वाला औसत

*76—श्री राजेश कुमार सिंह—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय पुलिस सेवा में लगे व्यक्तियों की संख्या क्या है और उनका औसत जनसाधारण पर क्या पड़ता है ? क्या सरकार बढ़ते हुए अपराधों को दृष्टि में रखते हुए पुलिस कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री राम नरेश यादव—

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की विभिन्न शाखाओं में कुल 1,10,015 राजपत्रित व अराजपत्रित कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका औसत प्रति 1,000 जनसंख्या पर 1.24 पड़ता है।

वर्ष 1971 की जनसंख्या एवं 1971–73 के अपराध आंकड़ों के आधार पर नागरिक पुलिस के 2,460 सब-इन्सपेक्टर, 860 हेड कान्स0 तथा 8,395 कान्सटेबिलों के अतिरिक्त पदों की आवश्यकता आंकी गई थी। इनमें से अब तक 1,839 सब-इन्सपेक्कर, 713 हेड कान्स0 व 7,842 कान्सटेबिल के पद स्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष 626 सब-इन्सपेक्टर, 147 हेड कान्स0, 553 कान्स0, नागरिक पुलिस के पदों के सृजन के सम्बन्ध में आय-व्ययक में प्राविधान करा लिया गया है और ये पद यथासमय स्वीकृत किये जावेंगे ।

सुल्तानपुर जिले के रंकेडीह गोलीकांड में मृतकों के आश्रितों को दी गयी सहायता

*77—डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 8 अक्तूबर, 1977 का पत्र, सुल्तानपुर जिले के रंकेडीह गोली काण्ड में शहीद हुए लोगों के परिवारों को क्षतिपूर्ति देने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है तथा कितना मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

हां, श्रीमान। यह पत्र प्राप्त हुआ है।

इस गोलीकाण्ड में मृतक श्री हरीराम की विधवा श्रीमती राजकली देवी और मृतक श्री इश्तियाक अहमद की माता श्रीमती मकबूलन को एक-एक हजार रुपया अनुदान दिया जा चुका है। चार-चार हजार रुपया और स्वीकृत हुआ है और इसका भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा। यही स्थिति अन्य चार मृतकों के सम्बन्ध में है, जिनके परिवार के सदस्य मौजूद हैं।

बरेली जिले में कोतवाली पुलिस द्वारा श्री शरीफ अहमद की गिरफ्तारी एवं मृत्यु के विरुद्ध प्रदर्शन

*78—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 16 जनवरी, 1978 को बरेली कोतवाली पुलिस के हाथों शरीफ अहमद नामक एक युवक की हत्या की गई, और उक्त युवक की लाश लेकर छात्रयुवा संघर्ष समिति के नेतृत्व में सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग करने वाले प्रदर्शन पर लाठी चार्ज किया गया तथा छात्र युवा संघर्ष समिति के जिला संयोजक (श्री सुल्तान कुरैशी) सहित कई कार्यकर्ताओं पर मुकदमें कायम किए गए ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्ण तथ्य सदन के समक्ष रखेगी ?

श्री राम नरेश यादव- -

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 12 जनवरी, 1978 को शरीफ अहमद (मृतक) मुखबिर की सूचना पर गश्त पार्टी द्वारा 18 रेलवे लाइन प्रोटेक्टर के साथ गिरफ्तार किया गया था और 13-1-78 को 12.15 बजे थाने से जेल रवाना किया गया। दिनांक 15-1-78 को उसकी मृत्यु जेल कर्मचारियों की हिरासत में सदर अस्पताल उपचार हेतु ले जाते समय हुई। दिनांक 16-1-78 को कुछ असामाजिक तत्वों ने थाना कोतवाली के समक्ष एक उग्र प्रदर्शन किया तथा निरीक्षक कोतवाली को निलम्बित करने की मांग की। जिलाधिकारियों के समझाने-बुझाने के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली पर पथराव शुरू कर दिया। अतः उग्र भीड़ तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया गया तथा छात्र युवा संघर्ष समिति के जिला संयोजक (श्री सुल्तान कुरैशी) तथा अन्य 32 नामजद तथा अनेक अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध अ0सं0 72, धारा 147/ 332/ 336 भारतीय दण्ड विधान पंजीकृत करके विवेचना के बाद श्री सुल्तान कुरैशी तथा 28 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोग न्यायालय में विचाराधीन है। अन्य चार अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना जारी है। श्री शरीफ अहमद की मृत्यु की मैजिस्टीरियल जांच हो रही है।

सीमेन्ट कन्ट्रोलर द्वारा औद्योगिक इकाइयों के सीमेन्ट के मांग-पत्र का निरसन

*79—श्री राजकुमार शर्मा (जिला सहारनपुर)—

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1977 से दिसम्बर, 1977 तक का 650 मीट्रिक टन सीमेन्ट का लघु उद्योगों का प्रादेशिक कोटा सेन्ट्रल कन्ट्रोलर, दिल्ली ने कैंसिल कर दिया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

जी हां । अक्तूबर, 77 से दिसम्बर, 77 के त्रैमास के लिये औद्योगिक इकाइयों के उपयोग हेतु 5,000 टन सीमेन्ट का कोटा खाद्य एवं रसद विभाग के पत्र दिनांक 23–9–77 द्वारा उद्योग निदेशालय को आवंटित किया गया था । 15–10–77 तक उद्योग निदेशक के पास केवल 4,325 टन की मांग उपलब्ध थी, जिसकी संस्तुति समय से कर दी गई थी। शेष संस्तुति बाद में मांग प्राप्त होने पर भेजी गई, जिससे विलम्ब के कारण प्राप्त होने के आधार पर सीमेन्ट कन्ट्रोलर ने स्वीकार नहीं किया ।

केन्द्रीय कारागार, नैनी, जिला इलाहाबाद में डाक्टर सत्यव्रत सिन्हा की मृत्यु की जांच

*80—श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि केन्द्रीय कारागार, नैनी (इलाहाबाद) में दिनांक 7 नवम्बर, 1976 को श्री सत्यवीर सिन्हा, डा0 भूषन लाल धुपल (मीसा बन्दी) की मृत्यु प्लोराइड नामक जहर देने से हुई थी ? क्या यह सत्य है कि इसमें तत्कालीन जेलर का भी हाथ था ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करा कर समुचित कार्यवाही करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

केन्द्रीय कारागार, नैनी में श्री सत्यवीर सिन्हा नामक किसी व्यक्ति को मीसा के अन्तगत निरुद्ध नहीं किया गया था और न ही इस नाम के किसी व्यक्ति की मृत्यु उक्त जेल में दिनांक 7 नवम्बर, 1976 को हुई थी ।

सम्भवत: माननीय सदस्य का तात्पर्य डा0 सत्यव्रत सिन्हा से है । डा0 सिन्हा की मृत्यु 7 नवम्बर, 1976 को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा एवं उपचार के बावजूद हुई थी । यह एक असाध्य कैंसर रोग से पीड़ित थे । जहां तक डा0 भूषन लाल धुपल का सम्बन्ध है, कानपुर के श्री बी0 एल0 धुपर पुत्र डा0 लाल चन्द्र को मीसा के अन्तर्गत केन्द्रीय कारागार, नैनी में निरुद्ध किया गया था जिन्हें दिनांक 23 मार्च, 1977 को मीसा के विखण्डन के पश्चात् जेल से रिहा कर दिया गया था।

श्री सिन्हा की मृत्यु के उपरान्त मैजिस्ट्रीरियल जांच कराई गई और यह पाया गया कि मृत्यु बीमारी एवं स्वाभाविक कारणों से हुई थी ।

जी, नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

अतारांकित प्रश्न

गोरखपुर परिक्षेत्र के अन्तर्गत थानों के भवन

1—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर क्षेत्र में तमाम थानों के पास भवन नहीं हैं ? यदि हां, तो गिरफ्तार लोगों को कहां रखा जाता है ? क्या ऐसे भी थाने हैं जहां गिरफ्तार व्यक्तियों को पेड़ में बांध दिया जाता है ?

श्री राम नरेश यादव—

गोरखपुर परिक्षेत्र में कुल 102 थानों में से केवल 20 थाने ही ऐसे हैं जिनके लिए सीमित वित्तीय स्थिति के कारण अभी तक सरकारी भवन निर्मित नहीं कराये जा सके हैं और वे किराये के भवनों में आवासित हैं लेकिन उनमें भी गिरफ्तार व्यक्तियों को रखे जाने की अस्थायी व्यवस्था उपलब्ध है । परिक्षेत्र में इस समय ऐसा कोई थाना नहीं है, जहां गिरफ्तार व्यक्तियों को पेड़ से बांधा जाता हो ।

श्री इन्द्र पाल सिंह, सब-इन्सपेक्टर, पीलीभीत का स्थानान्तरण एवं यात्रा भत्ता

2—श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 आई0 (श्री इन्द्र पाल सिंह यादव) को अगस्त, 1977 में पीलीभीत से गाजियाबाद तथा उसके बाद गाजियाबाद से बिजनौर और पन्द्रह दिनों के अन्दर ही पुन: बिजनौर से पीलीभीत स्थानान्तरित किया गया? यदि हां, तो उसका क्या कारण है, और उन्हें इन स्थानान्तरणों के फलस्वरूप कितने रुपए का यात्रा भत्ता दिया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

श्री इन्द्रपाल सिंह सब-इन्सपेक्टर, पीलीभीत को बरेली परिक्षेत्र में 18 वर्ष से अधिक कार्यरत होने के कारण मेरठ परिक्षेत्र स्थानान्तरित किया गया था जहां उनकी नियुक्ति जनपद गाजियाबाद में की गई थी किन्तु कतिपय प्रशासनिक कारणों से गाजियाबाद के नियुक्ति आदेश को निरस्त करके जिला बिजनौर में नियुक्ति का आदेश दिया गया जहां इन्होंने 11 अगस्त, 1977 को अपना कार्यभार ग्रहण किया तथा अब भी वे जिला बिजनौर में नियुक्त हैं।

उक्त स्थानान्तरणों के फलस्वरूप इन्हें केवल 307.30 रु0 यात्रा भत्ता के रूप में दिया गया।

दक्षिणी खीरी वन प्रभाग के लिपिक, श्री शिवराम सिंह चौहान को एल0 एल-बी0 की परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति

3—श्री नरेश चन्द्र वर्मा (जिला खीरी)—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिणी खीरी वन प्रभाग के लेखाकार ने बिना पूर्व अनुमति के लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध शिया कालेज से एल-एल0 बी0 प्रथम वर्ष की परीक्षा 1977 में नियमित छात्र की हैसियत से दी है जो कि विधि विरुद्ध है और जिसकी शिकायत मन्त्री महोदय, सचिव, वन विभाग व अरण्यपाल केन्द्रीय वृत्त, खीरी को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद् खीरी शाखा द्वारा की गयी ? यदि हां, तो आज तक कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी है ?

श्री श्रीचन्द—

दक्षिणी खीरी वन प्रभाग में कार्यरत श्री शिवराम सिंह चौहान, कनिष्ठ सहायक लिपिक को उप अरण्यपाल, दक्षिणी खीरी वन प्रभाग के पत्र संख्या 8209/16–पी0 सी0, दिनांक 30 जून, 1977 द्वारा लखनऊ विश्वविद्यालय से एल0 एल–बी0 की परीक्षा में बैठने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ दी गयी थी कि सरकारी कार्य में किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इस आधार पर श्री चौहान अगस्त-सितम्बर, 1977 में परीक्षा में बैठे।

यह सही है कि श्री बिन्द्रा प्रसाद तिवारी, अध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद शाखा, खीरी से एक शिकायत दिनांक 26–9–1977 प्राप्त हुई थी जो मुख्य अरण्यपाल, उत्तर प्रदेश क माध्यम से अरण्यपाल केन्द्रीय वृत्त को भेजी गयी थी। श्री चौहान बिना अवकाश प्राप्त किये कभी भी कार्यालय में अनुपस्थित नहीं रहे, जिससे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद्, खीरी के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं समझी गयी।

4—श्री मंजूर अली खां—

[माननीय सदस्य ने वापस ले लिया।]

श्री वीरेन्द्र बहादुर धानुक, शिक्षक, जूनियर हाई स्कूल, अमौर, जिला कानपुर का छुआ-छूत के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

5—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विज्ञान शिक्षक (श्री वीरेन्द्र बहादुर धानुक) जूनियर हाई स्कूल अमौर, थाना घाटमपुर, जिला कानपुर ने छुआछूत की धारा 3/7 के अन्तर्गत रिपोर्ट की और उसके बाद एक रिपोर्ट थाना जूही, जिला कानपुर में भी 25 अगस्त, 1977 को

की ? क्या तारीख 19 सितम्बर, 1977 को उक्त अध्यापक ने माननीय मुख्य मंत्री, माननीय शिक्षा मन्त्री एवं कानपुर के डी0 आई0 जी0 पुलिस को भी रजिस्ट्री द्वारा प्रार्थना-पत्र भेजे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वीरेन्द्र बहादुर धानुक, विज्ञान शिक्षक, जूनियर हाई स्कूल, अमौर, जिला कानपुर, द्वारा थाना घाटमपुर पर दिनांक 16-7-77 को दी गई सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 3/7 छुआछूत ऐक्ट के अधीन कायम किया गया था। पुनः उनके द्वारा दिनांक 25–8–77 को थाना जूही (कानपुर) पर दी गई सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा 506 भारतीय दण्ड बिधान के अधीन कायम किया गया।

उपरोक्त धारा 3/7 छुआछूत ऐक्ट के मुकदमें में विवेचना अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त की गयी तथा धारा 506 भारतीय दण्ड विधान के दूसरे मुकदमे में न्यायालय द्वारा विवेचना की अनुमति न दिये जाने के कारण विवेचना नहीं की गई।

प्रार्थी के कुछ प्रार्थना-पत्र शासन तथा जिला प्रशासन को प्राप्त हुए थे जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी ने की। उनकी जांच से शिकायतें प्रमाणित नहीं हुयीं। अतः अन्य कोई कार्यवाही नहीं की गई।

लखनऊ नगर में दर्ज किये गये कत्ल के मुकदमें

6—श्री दीप न रायन (जिला गोंडा)—

क्या मुख्य मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर में विगत दो माह में कितने कत्ल के मुकदमें दर्ज किए गए हैं ? इन कत्ल के दर्ज मुकदमों में कितने मुकदमें ऐसे हैं जिनमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो क्यों तथा सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ नगर में दिनांक 23–9–77 से 23–11–77 के बीच हत्या के कुल 19 मुकदमें दर्ज किये गये। इन मुकदमों में से दो मुकदमों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है एवं इन अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

ग्यारहवीं बटालियन पी0 ए0 सी0, सीतापुर से निकाले गये कथित कान्स्टेबिल

7—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968 में ग्यारहवीं बटालियन पी0 ए0 सी0 (सीतापुर) के ऐसे कौन-कौन कान्स्टेबिल नौकरी से निकाले गये जो कि जून, 1977 में सत्र न्यायाधीश, सीतापुर की अदालत से दोषमुक्त घोषित किए जाने के कारण पुनः नौकरी में रख लिए गए ? क्या उन्हें नौकरी से पृथक् रहने की अवधि का वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

वर्ष 1968 में ग्यारहवीं बटालियन, पी0 ए0 सी0 (सीतापुर) का ऐसा कोई कान्स्टेबिल नौकरी से नहीं निकाला गया।

जिला परिषद् गोंडा के क्लर्क श्री मायाराम वर्मा की घूस लेने के संबंध में गिरफ्तारी

8—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 26 सितम्बर, 1977 को जिला परिषद्, गोण्डा के बिल क्लर्क (श्री मायाराम वर्मा) सतर्कता विभाग द्वारा घूस लेते हुए गिरफ्तार किए गए ? क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य में सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने एक अध्यापक तथा नवाबगंज क्षेत्र के विद्यालय प्रति उपनिरीक्षक (श्री राम सरोज) का सहयोग लिया था। यदि हां, तो इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गयी और सतर्कता अधिकारियों का सहयोग करने वाले को क्या इनाम दिया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय स्थानों पर पुलिस चौकी की स्थापना हेतु श्री महादेव प्रसाद पालीवाल का आवेदन-पत्र

9—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उन्हें 19 नवम्बर, 1977 को भेजा हुआ महादेव प्रसाद पालीवाल का यह आवेदन-पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा संस्तुत प्राप्त हुआ है कि मौजा बेहट नगरिया, मौजा कारव, पुन्थर, इकलहरा, सुरजपुर, साकिनपुर, नसरुल्लापुर, चौखडिया, गमपुर, शेखपुर, नूरपुर गढ़िया में से वहीं पुलिस चौकी की स्थापना उक्त क्षेत्र के निवासियों की सुरक्षा की दृष्टि से की गयी ? यदि हां, तो शासन ने उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या निर्णय किया है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां प्राप्त हुआ था। पुलिस चौकी की स्थापना अभी सम्भव नहीं है लेकिन उक्त क्षेत्र में देख-रेख की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के आदेश सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को दे दिये गये हैं। इस क्षेत्र की समस्याओं से थाना पुलिस विशेष सजग रहती है और पुलिस की चौकसी के कारण उक्त क्षेत्र को अपराध स्थिति नियंत्रण में है।

थाना कलान, जिला शाहजहांपुर के दरोगा के विरुद्ध श्री प्यारेलाल का शिकायती-पत्र

10—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंग कि श्री प्यारे लाल, निवासी ग्राम अमरापुर, थाना कायमगंज से दिनांक 12 सितम्बर, 1977 के आस-पास से यह शिकायत मिली है कि थाना कलान, जिला शाहजहांपुर के दरोगा और छः सिपाहियों ने उसे पकड़कर मारा-पीटा और उससे 300 रु0 छीन लिया ? यदि हां, तो इस मामले की जांच किस अधिकारी से कराई गई और उक्त थानेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेंश यादव—

जी हां। प्राप्त सूचना के अनुसार जांच क्षेत्राधिकारी जलालाबाद द्वारा कराई गयी। जांच में शिकायतें निराधार पाई गयीं। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद जिले में पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया क्रान्ति प्रेस का सामान

11—श्री दीप नरायन—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23 मार्च, 1976 को जब देश में आपात्कालीन स्थिति थी उस समय इलाहाबाद नगर में आर0 एस0 पी0 एम0 (एल0) क कार्यालय में ताला तोड़ करके इलाहाबाद नगर की पुलिस सारा सामान उठा ले गई थी तथा दूसरे दिन तत्काल ही उक्त राजनैतिक दल की प्रेस की मशीनरी भी उठा ली गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त राजनैतिक दल का सामान तथा प्रेस वापस किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक मार्च 23 तथा 24, 1976 को पुलिस ने इलाहाबाद नगर में स्थित आर0एस0पी0एम0 (एल0) क कार्यालय का ताला तोड़कर नहीं वरन् क्रान्ति प्रेस से गवाहों के समक्ष आपत्तिजनक कागजात पर्चे, किताब, रजिस्टर तथा प्रेस के सामान इत्यादि को सामान फर्द बनाकर कब्जे में लिया था और सभी सामान दिनांक 17 नवम्बर, 1977 को श्री राम सागर सिंह, जो उक्त प्रेस चलाते हैं, को वापस कर दिया गया है।

बांदा जिले में अपराधों में कथित वृद्धि

12—श्री देव कुमार—

क्या यह सही है कि बांदा जिल की अपराध स्थिति अत्यन्त खराब होने के कारण आम जनता में आतंक और असुरक्षा की भावना भर गई है ? यदि हां, तो 1 जनवरी, 1977 से 30 नवम्बर, 1977 तक अपराधों का विवरण क्या है तथा सरकार इस अराजक स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? नहीं, तो क्यों ?

जिले से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वर्ष 1977 में एक जनवरी से 30 नवम्बर तक बांदा जिले में 1,652 अपराध दर्ज दिये गये। जब कि इसी अवधि में वर्ष 1975 में 2,010 तथा वर्ष 1976 में इसी अवधि में 1,689 अपराध दर्ज किये गये थे। वर्ष 1975 तथा 1976 की तुलना में डकैती, लूट तथा हत्या क अपराधों में वर्ष 1977 में कुछ वृद्धि अवश्य हुई। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के सन्दर्भ में वर्ष 1975 तथा 1976 की अपेक्षा पुलिस द्वारा डकैतों से मुठभेड़ अधिक बार हुई तथा शस्त्र अधिनियम, आबकारी अधिनियम, गुण्डा अधिनियम एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अधिकाधिक मामलों में कार्यवाही की गई। इसक अतिरिक्त सघन गश्त का भी आयोजन किया गया तथा बसों को नियमित रूप से चेक किया गया और समय-समय पर अपराधियों को पकड़ने के लिये विशेष अभियान चलाये गये। यह सही नहीं है कि बांदा जनपद की अपराध स्थिति अत्यन्त खराब है और जनपद में आतंक और असुरक्षा की भावना व्याप्त है।

आजमगढ़ जिले में कतिपय थानों के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों का विवरण

13—श्री दयाराम भास्कर—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत थाना गम्भीरपुर, सरायमीर और अहिरौला में 1 अगस्त, 1977 से 22 सितम्बर, 1977 तक कुल कितनी चोरी, डकैती की घटनाएं घटी हैं ? उसमें कितनी मौतें हुई हैं, किन-किन डकैती के कौन-कौन मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं ? और चोरी, डकैती रोकने के लिए कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार चोरी की 13 तथा डकैती की 6 घटना अंकित हुई जिनमें से चोरी के दो मामले झूठे पाये गये। इन घटनाओं में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

डकैती की घटनाओं में से दो में कोई भी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है और विवेचना जारी है। शेष 4 डकैतियों में गिरफ्तार किये गये मुलजिमों की सूची संलग्न है। चोरी-डकैती रोकने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गयी—

(1) बड़े पैमाने पर गश्त चालू की गयी।

(2) वरिष्ठ अधिकारियों की देख-रेख में क्रियाशील अपराधियों पर निगाह रखी गयी।

(3) ग्राम सुरक्षा समितियों की गतिविधियों को तेज किया गया।

(4) अपराधियों के विरुद्ध कार गर कार्यवाही के लिये क्षेत्र के सभी स्थानों के बीच समन्वय स्थापित किया गया।

(5) अपराधों की रोकथाम के लिए जन सहयोग आमंत्रित किया गया।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1163 पर)

थाना सादुल्लानगर, जिला गोंडा में एक गजटेड आफिसर के विरुद्ध लिखाई गयी रिपोर्ट

14—श्री दशरथ सिंह—

क्या मुख्य मंत्री को पता है कि दिनांक 3 अक्तूबर, 1977 को थाना सादुल्लानगर, जिला गोंडा में किसी गजटेड अफसर के विरुद्ध आई० पी० सी० 161/506/504 की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है किन्तु उसकी तफ्तीश आज दिनांक 14 नवम्बर, 1977 तक नहीं की गयी है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। पंजीकृत अभियोग की विवेचना हो रही है।

प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योगों इकाइयों की स्थापना

15—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण औद्योगिक कार्यक्रम के अन्त गंत चालू वित्तीय वर्ष में जो 14,000 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उनमें से अक्तूबर, 1977 तक कितनी इकाइयां स्थापित की जा चुकी है?

श्री राम प्रकाश—

उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 1977–78 में समस्त जनपदों में 2,780 लघुस्तरीय एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध 1,158 इकाइयां ग्रामीण अंचलों में माह अक्तूबर, 1977 तक स्थापित हो चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वर्ष 1977–78 में समस्त जनपदों में 1,185 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके विरुद्ध अक्तूबर, 1977 तक 196 इकाइयां स्थापित की जा चुकी हैं।

वन विभाग द्वारा ठेकेदारों को दिये गये बल्लियों के रेट्स

16—श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

वन क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968-69 एवं 1973–74 में वन विभाग द्वारा बल्लियां क्रय करने के रेट्स ठेकेदारों को किस दर पर दिये गये थे तथा वर्तमान समय में रेट्स क्या निर्धारित किये हैं?

श्री श्रीचन्द—

वर्ष 1968–69 एवं 1973–74 में वन विभाग द्वारा बल्लियों के रेट्स जो विद्युत् विभाग से प्राप्त करके ठेकदारों को दिये गये थे उनकी दर निम्न प्रकार है:—

बल्लियों की श्रेणी	बल्लियों की लम्बाई मीटर में	वर्ष 1968–69 की दर प्रति बल्ली रु० में	वर्ष 1973–74 की दर प्रति बल्ली रु० में
3 ..	9	50.00	62.70
3 ..	10	55.00	68.95
4 ..	9	40.00	50.15
4 ..	10	45.00	56.45
5 ..	9	30.00	37.60
5 ..	10	40.00	50.15

उपरोक्त रेट एक्स स्टाक के थे ढुलाई कार्य विद्युत विभाग ने स्वयं सम्पादित किया । बल्लियों के उपरोक्त मूल्य के अतिरिक्त सप्लाई की गई बल्लियों के मूल्य का 3.25 प्रतिशत ओवर हेड चार्जेज के रूप में बन विभाग द्वारा विद्युत् विभाग से लिया गया । वर्तमान सप्लाई वर्ष 1977–78 के रेट्स निम्न प्रकार निर्धारित किये गये हैं:—

बल्लियों की श्रेणी	बल्लियों की लम्बाई मीटर में	वर्ष 1977–78 दर प्रति बल्ली (रुपयें में)
3	9	99.00
3	10	115.00
4	9	83.00
4	10	97.00

उपरोक्त दर पार्सिग डिपो तक का है । इसके अतिरिक्त बल्लियों की ढुलाई का व्यय विद्युत् विभाग द्वारा किया जायगा तथा वन विभाग बल्लियों के पार्सिग व रख-रखाव के व्यय 4 प्रतिशत ओवर हेड चार्जेज के रूप में विद्युत विभाग से और प्राप्त करेगा ।

ललितपुर जिले के थाना जखोरा में श्री उदय भान सिंह की जलने से मृत्यु

17—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ललितपुर जिले के थाना जखोरा में थाने के भीतर सितम्बर अथवा अक्तूबर, 1977 में किसी दिन एक नवयुवक को आग लगाकर जला दिया गया जिससे कि वह मर गया? यदि हां, तो पूरी घटना क्या है तथा दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना क अनुसार सितम्बर या अक्तूबर, 1977 में नहीं बल्कि दिनांक 21-11-77 को श्री उदयभान सिंह निवासी सेमराडांग थाना बार ललितपुर जिन्हें एक चोरी के मामले में संदिग्ध होने के कारण पूछतांछ के लिए थाना जखोरा लाया गया था, आग से जल कर जख्मी

हो गये तथा उन्हें उसी रात चिकित्सा हेतु सिविल अस्पताल ललितपुर लाया गया जहां उनकी 10–15 बजे रात्रि में मृत्यु हो गई । इस घटना के सम्बन्ध में थाना जखोरा की पुलिस के विरुद्ध उसी दिन धारा 331/342/302 भारतीय दण्ड विधान का अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की मैजिस्ट्रीरियल जांच से थाना जखोरा की पुलिस द्वारा मृतक को अवैधानिक तरीके से थाने में रोक कर अत्यधिक मानसिक एवं शारीरिक कष्ट दिये जाने के कारण मृतक द्वारा अपने शरीर में आग लगाने के लिए विवश होने- का साक्ष्य मिला है । सम्बन्धित पुलिस कर्मचारियों को दिनांक 22–11–77 को ही निलम्बित कर दिया गया था तथा थाने के समस्त कर्मचारियों का वहां से स्थानान्तरण कर दिया गयाथा। उनके विरुद्ध दर्ज मुकदमे की विवेचना जारी है ।

बस्ती जिले के कतिपय थानों के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों की घटनाएं

18––श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)––

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के ढेबरुआ, चिल्हिया तथा तेतरी बाजार थाने के अन्तर्गत माह अगस्त-सितम्बर, 1977 में कुल कितनी चोरी, डकैती, बलवा, राहजनी की घटनायें दर्ज हुईं उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कार्यवाही न करने वाले पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव––

उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद बस्ती के देबरुआ, चिल्हिया तथा तेतरी बाजार थाने के अन्तर्गत माह अगस्त-सितम्बर, 1977 में चोरी की 26, डकैती की तथा बलवा की 8 घटनायें दर्ज हुईं । राहजनी की कोई घटना दर्ज नहीं हुई । चोरी के 7 मामलों में विवेचना पूरी करके आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है । एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है तथा शेष 18 मामलों में अभियुक्तों तथा चोरी किये गये माल का पता न चलने पर अंतिम रिपोर्ट लगा दी गयी तथा एक मुकदमा गलत पाया गया जिसे खारिज करने हेतु प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है ।

डकैती का एक मामला जो थाना चिल्हिया से सम्बन्धित था विवेचना से यह मामला फर्जी पाया गया अतएव इसमें अन्तिम रिपोर्ट करते हुए खारिज करने के लिए प्रतिवेदन प्रेषित करा दिया गया ।

बलवे की 8 घटनाओं में 3 क्रास केस हैं । इनमें से 7 में विवेचना पूरी करके आरोप-पत्र न्यायालय में भेजा जा चुका है । बलवे का एक मामला अदम तफतीश रक्खा गया क्योंकि यह एक साधारण बलवा का मामला था ।

सभी मामलों में संबंधित थानों को पुलिस द्वारा नियमानुसार कार्यवाही किया पाया गया अतएव पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

बस्ती जिले के थाना इटवा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

19––श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ (जिला बस्ती) तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित––

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थानेदार थाना इटवा, जिला बस्ती के विरुद्ध 11 अप्रैल, 1977 से नवम्बर, 1977 तक कुल कितनी शिकायत शासन तथा अधिकारियों को प्राप्त हुई और उस पर अब तक किस-किस अधिकारियों से जांच कराई गयी ? और सम्बन्धित थानेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों?

श्री राम नरेश यादव––

प्राप्त सूचना के अनुसार थानाध्यक्ष इटवा के विरुद्ध 11–4–77 से नवम्बर, 1977 तक कुल 4 शिकायतें अधिकारियों को प्राप्त हुई जिनकी जांच पुलिस अधीक्षक बस्ती द्वारा कराई

गयी किन्तु लगाये गये आरोप सिद्ध नहीं हुए अतः थानेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठा ।

खीरी जिले के थाना नीम गांव में अंकित कुमारी तारावती की हत्या की रिपोर्ट

20—श्री लाल दास (जिला सीतापुर) तथा श्री नंगा राम (जिला खीरी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना नीमगांव, जिला खीरी दिनांक 2 सितम्बर, 1977 को कु0 तारावती की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । प्रश्नगत अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष नीमगांव जिला खीरी द्वारा प्रारंभ की गई । पोस्टमार्टम से मृत्यु का कारण गला दबाकर हत्या किया जाना पाया गया । विवेचना कर्ता द्वारा काफी प्रयास किये जाने के बावजूद अभियुक्तों का पता लगने में सफलता नहीं मिली । अतः विवेचना अन्तिम रिपोर्ट द्वारा समाप्त हुई । अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय द्वारा स्वीकार हो चुकी है ।

प्रदेश में लघु एवं कुटीर उद्योग की स्थापना एवं रोजगार दिये जाने की योजना

21—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गृह उद्योग धन्धों एवं लघु उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश के किन-किन जिलों के किन-किन ब्लाकों को किस-किस उद्योग के लिए चुना गया है ?

श्री राम प्रकाश—

प्रदेश के सभी जनपदों में उद्यमियों को स्थानीय संसाधनों के आधार पर कुटीर एवं लघु उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है । वर्ष 1977–78 में 60 विकास केन्द्रों को चुना गया है जहां पर उद्यमियों को सभी प्रकार की आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराई जायेंगी । इनकी सूची संलग्न है । ब्लाकों में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं अतः उद्योगों की ब्लाकवार सूची दिया जाना सम्भव नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 1164 पर)

22—श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1977–78 में गृह उद्योग धन्धों द्वारा कितने लोगों को रोजगार देने की योजना है इसमें से 30 नवम्बर, 1977 तक कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है और बाकी कितने-कितने लोगों को दिसम्बर, 1977 तक तथा जनवरी, 1978 से 31 मार्च, 1978 तक रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना प्रत्येक मास में है ?

श्री राम प्रकाश—

वर्ष 1977–78 में गृह एवं लघु उद्योग धन्धों द्वारा 31,500 व्यक्तियों को रोजगार दिलाने की योजना थी ।

अप्रैल, 1977 से नवम्बर, 1977 तक 13,770 व्यक्तियों को तथा दिसम्बर, 1977 तक 1,757 व्यक्तियों को रोजगार मिला । जनवरी, 1978 से मार्च, 1978 तक लगभग 4,000 व्यक्तियों को प्रतिमास रोजगार प्राप्त होने की सम्भावना है ।

विद्युत् विभाग को आपूर्ति के लिये वन विभाग द्वारा पारित बल्लियां

23—श्री बाबू लाल विद्यार्थी—

क्या वन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वन विभाग द्वारा ठेकेदारों से वर्ष 1973 से अब तक बल्लियां गोरखपुर, पीलीभीत, बरेली के लिए जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपया है, खरीदी गयी थीं, उपयोग में न आने के कारण सड़ रही हैं ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारी कौन हैं ?

श्री श्रीचन्द—

वन विभाग द्वारा विद्युत विभाग को सप्लाई के लिए वर्ष 1973 से अब तक जितनी बल्लियां पारित की गयीं उनमें से केवल 2096 बल्लियां जिनका कुल मूल्य (ओवर हेड चार्जेज छोड़कर) 92,268.24 रुपये है, विद्युत विभाग द्वारा दोषी बताई गई है और उसे उन्होंने नहीं उठाया है। सप्लाई की शर्तों के अनुसार विद्युत् विभाग को बल्लियों की खराबी चार माह के अन्दर सूचित करना था परन्तु विद्युत् विभाग में सप्लाई की गयी बल्लियों में उक्त दोष की शिकायत चार माह की अवधि के बाद को। इसलिए इसका उत्तरदायित्व वन विभाग पर नहीं आता और इसके लिए किसी अधिकारी को दोषी ठहराने का प्रश्न नहीं उठता।

एफ़ोरेस्टेशन डिवीजन, फैजाबाद के फारेस्टर को ग्रेच्युटी एवं प्राविडेन्ट फंड

24—श्री दया राम भास्कर—

प्रथम सत्र 1976 के चौथे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न सं0 16 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन फारेस्टर का कम्पलसरी रिटायरमेंट जून से दिसम्बर, 1975 के मध्य किया गया था क्या यह सही है कि अभी तक उनको अपनी पेंशन, फण्ड आदि उपलब्धियों का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस विलम्ब के दोषी अधिकारी कौन-कौन हैं और क्या सरकार शीघ्र भुगतान के आदेश देगी ?

श्री श्रीचन्द—

जैसा कि प्रथम सत्र 1976 के चौथे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या 16 के उत्तर में सूचना दी गयी थी, माह जून से दिसम्बर 1975 के मध्य, केवल एक वन विद का कम्पलसरी रिटायरमेन्ट किया गया था। महालेखाकार, उत्तर प्रदेश ने नवम्बर, 1977 में ही सम्बन्धित वन विद को पेंशन तथा ग्रेच्युटी के भुगतान का प्राधिकार पत्र जारी कर दिया था। फण्ड का भुगतान हो चुका है तथा जमानत की धनराशि के भुगतान के आदेश भी प्रसारित कर दिये गये हैं।

25—श्री राम आसरे वर्मा—

[1-11-77 को अतारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित।]

आगरा जिले में अंकित हत्या की घटनाएं एवं उनके अभियुक्त

26—श्री श्याम दत्त पालीवाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जनपद के विभिन्न थानों के क्षेत्रों में 1 जून, 1977 तथा 30 नवम्बर, 1977 के बीच कितनी हत्यायें हुई तथा पुलिस उनमें से कितनी हत्याओं के अभियुक्तों का पता लगाने में सफल हुई है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में आगरा जनपद के विभिन्न थानों में हत्या की घटनाओं के 56 अभियोग अंकित हुए तथा उनमें से 34 हत्याओं के अभियुक्तों का पता लगाने में पुलिस को सफलता मिली है।

बाराबंकी जिले से श्री बी0के0 दीक्षित पुलिस उपाधीक्षक का स्थानान्तरण एवं उनको आवंटित किया गया मकान

27—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बाराबंकी जनपद के कोई डी0 वाई0 एस0 पी0 को मास जुलाई सन्, 1977 में सी0 आई0 डी0, लखनऊ में नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या उन्होंने अपने बाराबंकी का सरकारी मकान अब तक नहीं छोड़ा है जबकि सन्, 1964 से उनकी पत्नी श्रीमती गिरिजा देवी के नाम नगर महापालिका, लखनऊ की ओर से पेपर मिल कालोनी में सस्ते दर पर मकान नं0 डी 15/3 मिला हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

माह जुलाई, 1977 में जनपद बाराबंकी से सी० आई० डी० में कोई पुलिस उपाधीक्षक स्थानान्तरण पर नहीं आये हैं। बाराबंकी जिले से पुलिस उपाधीक्षक, श्री बृज किशोर दीक्षित अगस्त, 1977 में स्पेशल सेल लखनऊ में स्थानान्तरित होकर आये और वहां से 16-12-77 को स्थानान्तरित होकर लखनऊ में ही सी० आई० डी० में नियुक्त हुए हैं।

श्री बी० के० दीक्षित की पत्नी श्रीमती गिरजा देवी के नाम पेपर मिल कालोनी में मकान नं० डी-15/3 वर्ष 1974 से मिला हुआ है।

श्री दीक्षित को जनपद बाराबंकी के एक मकान आवंटित हुआ था। श्री दीक्षित ने बाराबंकी का उक्त मकान अभी नहीं छोड़ा है। प्राप्त सूचना के अनुसार श्री दीक्षित के चार बच्चे बाराबंकी में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अतः उन्होंने शिक्षा सत्र के दौरान मकान खाली करने में असमर्थता व्यक्त की है।

ललितपुर एवं झांसी जिलों में उद्यमियों द्वारा ऋण की अदायगी एवं बंधक सम्पत्ति

28—डाक्टर भगवत दयाल (जिला झांसी)—

क्या उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1974-75, 1975-76, 1976-77 में ललितपुर एवं झांसी जनपद के कितने उद्योग ऋणियों ने अपने ऋण अदा कर दिये थ उनमें से कितना की सम्पत्ति विभाग द्वारा बन्धन मुक्त कर दी गयी और कितनों की अब तक नहीं की गयी? यदि हां, तो क्यों?

श्री राम प्रकाश—

वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

पर्वतीय क्षेत्र के राज्य मुख्यालय बजट में कथित दावतों एवं मनोरंजन हेतु प्राविधान

29—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि पर्वतीय क्षेत्र के राज्य मुख्यालय बजट में दावतों और मनोरंजन के लिए कितना प्राविधान पिछले तीन वर्षों में था और कितना धन इस मद में उक्त वर्षों में व्यय किया गया? इस वर्ष (1977-78) में इस मद के लिए कितना प्राविधान है?

श्री शोबन सिंह जीना—

पर्वतीय क्षेत्र के राज्य मुख्यालय बजट में दावतों और मनोरंजन के लिये पिछले तीन वर्षों में कोई पृथक् प्राविधान उपलब्ध नहीं था परन्तु केवल वर्ष 1976-77 में उपर्युक्त मद पर "कार्यालय व्यय" मद के अन्तर्गत रुपया 877.20 पैसा का व्यय किया गया था। वर्ष 1977-78 के आय-व्ययक में ",अन्य व्यय' प्रायमिक इकाई के लिये 50.000 रुपये का प्राविधान उपलब्ध है। इस वर्ष दावतों व मनोरंजन के लिये काई व्यय नहीं किया गया है।

पर्वतीय विकास विभाग द्वारा स्वदेशी व विदेशी फर्मों से किया गया इकरार नामा

30—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलायेंगे कि जुलाई, 1976 से जून, 1977 तक सरकार के पर्वतीय विकास विभाग द्वारा कितने और क्या-क्या इकरारनामें स्वदेशी और विदेशी प्राइवेट संस्थाओं/फर्मों/निगमों से निष्पादित किये गये? इनमें से कितने इकरारनामों के निष्पादन से पूर्व उनका विधिवत् परीक्षण हुआ है?

श्री शोबन सिंह जीना —

प्रश्नगत अवधि में पर्वतीय विकास विभाग द्वारा विदेशी तथा स्वदेशी फर्मों से दो इकरार-नामें किये गय। एक अनुबन्ध शासन द्वारा स्थापित कम्पनी "उपाय लिमिटड" तथा "ऐक्टिनी इन्ट्राड" नामक दो विदेशी फर्मों के बीच किया गया। यह अनुबन्ध प्रदेश क

पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले फल, सब्जी, दूध आदि की प्रोसेसिंग तथा विपणन आदि के लिये फैक्ट्री स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में किया गया था। दूसरा अनुबन्ध नई दिल्ली की एक प्राइवेट फर्म "कन्सीलियम प्राइवेट लिमिटेड" से किया गया जो विभाग द्वारा हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओंमें प्रकाशित पत्रिकाओं के कन्सलटेन्सी, सम्पादन, मुद्रण एवं वितरण के सम्बन्ध में था। इस अनुबन्ध का विधिक परीक्षण निष्पादन के पूर्व नहीं किया गया विदेशी फर्मों से जो अनुबन्ध किया गया। वह मंत्रि परिषद् के अनुमोदन एवं न्याय विभाग को दिखाने के पश्चात् किया गया।

पिथौरागढ़ जिले के भवन विहीन प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूल

31—श्री नारायण सिंह मैंसोरा—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत सन् 1976 तक कितने जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी पाठशालायें भवन रहित हैं और इन भवनों का निर्माण कितने वर्षों में पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री शोबन सिंह जीना—

जनपद पिथौरागढ़ में वर्ष 1976 तक 121 प्राइमरी तथा 31 जूनियर हाईस्कूल भवन रहित थे जिनमें से 105 प्राइमरी तथा 3 जूनियर हाई स्कूलों के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत हो चुका है। इन भवनों तथा शेष सभी भवनों का निर्माण कार्य छठी योजना अवधि में पूर्ण हो जाने की आशा है।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

माान्यवर, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए, अब कोई प्रश्न नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा —

माान्यवर, मुझको समय दे दें।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिए।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

माान्यवर, मेरी एक महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माान्यवर, मैं प्रश्न 5 के सम्बन्ध में पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय ओझा, इसकी अनुमति नहीं है। आप बैठिए।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

माान्यवर, मैंने बार-बार कहा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—

[× × ×]

नोट:—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष---

श्री जायसवाल जी ने बिना अनुमति के कहा है, यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---

मान्यवर, दुख के साथ कहना पड़ता है, आपको अधिकार है आप सदन से बाहर कर दें लेकिन यह महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समस्या है ।

श्री अध्यक्ष---

यह कोई तरीका नहीं है । आप बैठ जायें ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल---

धारा 301 के अन्तर्गत मैंने आपका ध्यान खींचा था ।

श्री अध्यक्ष---

उस पर मैं 2 घंटे की चर्चा की इजाजत दे चुका हूं । उसमें वक्त आने पर कहियेगा इस प्रकार से ध्यान दिलाना अत्यन्त अनुचित है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, मैं व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं । मैं आपकी इजाजत से सवाल उठाना चाहता हूं । मान्यवर, प्रश्न 5 का उत्तर. . .

श्री अध्यक्ष---

आप सुनिये जनार्दन जी, आप किस नियम के अनुसार उठाना चाहते हैं ? प्रश्नों के बारे में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता है । यदि आप असंतुष्ट हैं तो मेरे कक्ष में आप नियम 49 के अनुसार लिखकर दीजिये, यदि आप स्पष्टीकरण चाहते हैं । प्रश्नों में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है । प्रश्न का भी समय समाप्त हो चुका है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, औचित्य का सवाल मान लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

नहीं इसकी इजाजत नहीं है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)---

मान्यवर, प्रश्न संख्या 5 के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तथ्यों को छुपाया है इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि धारा 49 के अन्तर्गत लेकर इस पर. . .

श्री अध्यक्ष---

मुझे खेद है, आप इतने वरिष्ट सदस्य होकर अनावश्यक सदन का समय नष्ट करते हैं । नियम 49 में मेरे कक्ष में लिखकर दीजिये । नियम 49 में जब लिखकर देंगे तब मैं विचार करूंगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय---

मान्यवर, सुन लीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

आप अनावश्यक व्यवधान पैदा करते हैं । आप बैठिए ।

बाराबंकी जनपद के फतेहपुर तहसील में बैठने वाले वकीलों का फर्नीचर इत्यादि पुलिस द्वारा जलाये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

महोदय, बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत तहसील फतेहपुर के प्रांगण में 24-3-78 की शाम को एक अत्यन्त ही निन्दनीय एवं दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। परगनाधिकारी, फतेहपुर ने स्थानीय थाना पुलिस को आदेश देकर उक्त कचेहरी के वकीलों तथा मुवक्किलों के बैठने के 28 छप्पर, 5 तख्त, 10 कुर्सी, एक लकड़ी का सेट जलवा दिया। यही नहीं मान्यवर, जिन खम्भों व दीवालों पर यह छप्पर रखे थे उन्हें गिरावा दिया गया। इसको लेकर समस्त जनपद के बौद्धिक लोगों में विशेषकर वकील समुदाय में बड़ा रोष एवं आतंक व्याप्त है, कानून की खुली अवमानना इमरजेन्सी को मात कर देने वाली है। मैं आपका तथा शासन का ध्यान उपरोक्त दुष्कर्म की ओर आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि घटना की अविलम्ब जांच करवायी जाय तथा संबंधित परगना अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाय। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता संघ, फतेहपुर ने घटना की निन्दा की है और प्रस्ताव भी पास किया।

सीतापुर में बलीराम हरिजन की थाना तालगांव, में पुलिस की हिरासत में मृत्यु के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जैसी सूचना दी है वैसी ही श्री रियासत हुसैन ने सूचना दिया है। चूंकि पहले श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना थी इसलिये उनको अनुमति मैंने दिया है।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

मैं शून्य प्रहर की सूचना में एक व्यवस्था उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

इसको समाप्त होने दें, तब उठायें।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मान्यवर, मेरा भी नाम जोड़ दें।

श्री अध्यक्ष—

आपका नाम जोड़ दिया गया है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान एक अत्यन्त दुखद एवं निन्दनीय घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और वह यह कि 30 मार्च, 1978 को सीतापुर में थाना तालगांव की पुलिस ने अपनी हिरासत में बलीराम नामक हरिजन को इस निर्दयता के साथ पीटा कि उसकी मृत्यु हो गयी। बलीराम को एक कथित चोरी के अभियोग में पकड़ा गया था। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार थाने में मारकर बुरी तरह घायल कर दिया गया। चालान सीतापुर लाते समय परसंडी स्टेशन पर जब उसने पानी मांगा, तब पानी के स्थान पर डंडों की ही वर्षा की गयी। पानी नहीं दिया गया। कचेहरी से जेल तक एक ठेलिया पर लाद कर ले जाते समय भी पीटा गया और जेल द्वार पर सायंकाल पहुंचा कि उसकी मौत हो गई।

पुलिस के इस जघन्य कृत्य से जनता में भीषण असंतोष है। संसद, सदस्य श्री राम लाल राही ने 72 घंटे की प्रतीक भूख हड़ताल की है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

मान्यवर, दोषी पुलिसजनों को कठोर डंड दिया जाय जिससे कि भविष्य में पुलिस इस प्रकार का क्रूर व्यवहार न कर सके तथा आहत व्यक्ति के आश्रितों को तत्काल अधिकतम संभव आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में आवश्यक होगा कि तुरन्त जितनी जल्दी हो सके आप सूचना प्राप्त करके सदन को इस घटना के तथ्यों से अवगत करायें और इसमें यदि कोई अधिकारी दोषी पाया गया जिसने उस हरिजन की हत्या की है, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी है उससे भी अवगत करायें ।

ग्राम नगला चाहत, जिला मैनपुरी में नाइयों द्वारा सवर्णों की बेगार न करने पर नाइयों को पिटाई एवं आगजनी इत्यादि करने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन को संज्ञान में लाना

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस सनसनीखेज दुर्घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद मैनपुरी के थाना सिरसागंज के ग्राम नगला चाहत में दिनांक 1 अप्रैल, 78 को सवर्ण जाति के श्री संकट सिंह के यहां होली का आयोजन था, इस अवसर पर गांव के नाई श्री रामबहादुर से बेगार करने को संकट सिंह ने जोर दिया । श्री राम बहादुर ने कहा कि मेरा एक भाई सुबह से आपका काम कर रहा है मैं तो अपना रहट चलाने जा रहा हूं । बेगार को नहीं जाऊंगा । इसी पर उसको मारा पीटा और उसके चीखने चिल्लाने पर शराब के नशे में धुत 40 व्यक्तियों ने नाइयों के घरों को घेर लिया और राम बहादुर के घर में आग लगा दी और बन्दूक के फायर किये जिससे राम बहादुर के बांह में गहरी चोट लगी । अमर सिंह के बल्लम, मुन्ना के छर्रा लगे और राम किशन के ईटों की चोट आयी है । घर जल गया और यही नहीं खलिहान भी नाईयों का फूंक दिया गया । पुलिस अपराधियों से मिली हुई है ।

मान्यवर, यही नहीं नाई गांव छोड़कर भाग खड़े हुए हैं और उनके जानवर आदि सवर्ण छोड़कर ले गये । घटना की नामजद रिपोर्ट लिखाई, डाक्टरी करायी, लेकिन पुलिस अभी तक घटना स्थल पर नहीं गयी है । जिला अधिकारी को लिखा परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई जिससे सवर्णों के हौसले बढ़े हुए हैं । नाई भागे हुए हैं । उनके जीवन को खतरा है ।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि तत्काल नाइयों की सुरक्षा की जाय, अपराधियों को गिरफ्तार किया जाय और पुलिस को उसकी उदासीनता और अकर्मण्यता के लिये तत्काल दंडित किया जाय ।

आचार्य नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के प्रस्तवित स्थान में परिवर्तन में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं इस माननीय सदन एवं सरकार का ध्यान फैजाबाद जनपद में निर्माणाधीन आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । यह विश्वविद्यालय पूर्वांचल में सर्वाधिक पिछड़े एवं उपेक्षित भू-भाग में लगाने का निर्णय पूर्ववर्ती सरकार ने लिया था । इस स्थल पर विश्वविद्यालय के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि की आवाप्ति की जा चुकी है । फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी एवं रायबरेली

की सीमा पर प्रस्तावित इस विश्वविद्यालय से इस क्षेत्र को विकसित होने का मार्ग प्रशस्त होगा। यहां की भूमि इस विश्वविद्यालय के लिये सर्वथा उपयुक्त है। इस सन्दर्भ में अब तक राज्य सरकार का लगभग 50 लाख रुपया व्यय हो चुका है। काफी निर्माण कार्य हो चुका है फिर भी राज्य सरकार में इस विश्वविद्यालय के स्थान परिवर्तन सम्बन्धी मामला विचाराधीन है। इस स्थान परिवर्तन सम्बन्धी मामले को लेकर फैजाबाद मंडल के नागरिकों में असतोष का लहर व्याप्त हो गयी है और स्थिति तनावपूर्ण है। मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व क प्रश्न पर राज्य सरकार से अविलम्ब वक्तव्य की मांग करता हूं तथा इस सदन के जरिये राज्य सरकार से अनुराध करता हूं कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि ाविश्वविद्यालय, फैजाबाद को पूर्ववतां सरकार के निर्णयानुसार कुमारगंज में ही लगाना चाहिए।

लखनऊ के कृत्रिम अवयव एवं पुनर्वास केन्द्र में गबन भ्रष्टाचार तथा धांधलियों के विषय का नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—,

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान लखनऊ स्थित कृत्रिम अवयव एवं पुनर्वास केन्द्र में लाखों रुपए के गबन एवं धांधलो के सम्बन्ध में उचित कार्य-वाही हेतु आकर्षित करना चाहता हूं, इस केन्द्र को स्थापना भारत पाक-युद्ध के बाद 1972 में राष्ट्रीय सुरक्षा कोष को धनराशि एक करोड़ पच्चीस लाख रुपये का धनराशि से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा को गयी था। इस केन्द्र के कुछ निश्चित उद्देश्य भी स्थापित किये गये थे जिनको स्पष्ट रूप से अवहेलना को जा रही है। इस केन्द्र के लिये पचपन लाख रुपये को धनराशि से पांच मंजिले भवन निर्माण के लिए निर्धारित किया गया था। किन्तु अभी तक एक करोड़ खर्च हो गया लेकिन मात्र तीन मंजिली इमारत ही बन पायी है।

मान्यवर, इस केन्द्र में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद का बोलबाला है और मनमाने ढंग से पद व धन का दुरुपयाग हो रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित विषयों पर एक आयोग द्वारा निष्पक्ष जांच कराने हेतु सरकार को निर्देश देने का कष्ट अविलम्ब करें:—

1—किसके निर्देशों के फलस्वरूप रिहेविलीटेशन तथा आर्टिफिशियल लिम्ब सेन्टर अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं कर सका ?

2—इस केन्द्र ने प्रचार कैम्पों के आडम्बरों से ऊपर उठकर देश तथा प्रदेश को पिछले 5 वर्षों में क्या तकनीको एवं वैज्ञानिक योगदान दिया है ?

3—उक्त केन्द्र के वार्ड में केवल पुरुष रोगी ही भर्ती किये जाते हैं स्त्रियों को यह सुविधा क्यों नहीं प्राप्त है ?

4—यह केन्द्र पिछले 6 साल से कृत्रिम पैर ही बनाता जा रहा है जबकि हाथों की आवश्यकता इस प्रकार के लगभग 60 प्रतिशत रोगियों को होती है फिर कृत्रिम हाथ न बनने का क्या कारण है ?

5—प्रस्तावित किया जाता है कि रिहैविलीटेशन तथा आर्टीफिशियल लिम्ब सेन्टर लखनऊ का स्थानान्तरण लखनऊ विश्वविद्यालय के अधीन तथा के0 जी0 मेडिकल कालेज के अन्तर्गत अथवा लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित बीरबल पैली बोटनिक इंस्टी-ट्यूट के समकक्ष एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में होना चाहिए न कि सरकारी आदेशानुसार यह अपने से 3 गुना छोटे मेडिकल कालेज के हड्डी विभाग में विलय कर दिया जाय।

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

6—इसके भवन निर्माण पर निर्धारित धनराशि से दुगुना व्यय होने का उत्तरदायित्व किस पर है ?

सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले सत्र मे आपने स्वयं यह व्यवस्था दी थी कि शून्य प्रहर में जो सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं उनका उत्तर सात दिन के अन्दर माननीय मंत्री के हस्ताक्षर से प्राप्त हो जाना चाहिये। वर्तमान सत्र में मेरी तीन सूचनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि मुझे अभी तक किसी को भी सूचना प्राप्त नहीं हुई। इस तरह स मंत्रिगण कर्मचारियों के हाथ में हैं और कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। जब मैंने आपको सूचना भेज दी कि मैं प्रश्न उठाऊंगा तो मुख्य मंत्री के कार्यालय से मेरे पास कागज आया है।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में फिर से ध्यान आकर्षित करते हुए मैं चाहता हूं कि आप अपने पद का उपयोग कर इस तरह की व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे कि जिससे शून्य प्रहर में दी गयी सूचना का उत्तर माननाय मंत्रियों द्वारा समय से आ सके।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यद्यपि वे यहां इस समय हैं नहीं। शून्य प्रहर में पहले बहुत समय नष्ट होता था। इसलिय 301 में आवश्यक समझा गया कि जो प्रदेश में घटनायें होती हैं, उनकी सूचना माननीय सदस्य सदन में दे सकें और सरकार उनका उत्तर माननीय सदस्यों को भेज सके। लेकिन मुझे इस बात का अत्यन्त खेद है कि सरकार की ओर से सदस्यों की बार-बार मांग और मेरे निदश करने के बावजूद भी इसकी उपेक्षा की जा रही है। प्रथम तो सबसे बड़ी शिकायत यह थी कि इसका उत्तर केवल सचिव दे देते थे, जो संसदीय प्रणाली के विरुद्ध है और इसमें मैंने यह भी व्यवस्था दी थी कि यदि कोई सचिव कोई इस प्रकार का उत्तर पत्र द्वारा देता है और कोई सदस्य विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न भेजता है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। यह भी मैंने व्यवस्था दी थी कि इन प्रश्नों का अन्तरिम उत्तर सात दिनों में दे देना चाहिये और उसके बाद क्या कार्यवाही की गयी, इसको परसू करना चाहिए और उसके बाद सदस्यों को उसका उत्तर देना चाहिये, क्योंकि माननीय सदस्य भी शासन के अंग हैं। उनको सूचना से सरकार को माध्यम मिलता है, शासन के बारे में जो त्रुटियां हैं, उनके बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिये। इसलिये इसको थोड़ा महत्व दिया जाना चाहिय और इस प्रकार का निर्देश 26 फरवरी, 1978 को दिया गया था। लेकिन पुनः इसकी शिकायत उभय पक्ष के लोगों ने की है। अतः मैं पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि इसका पालन होना चाहिये था और जो शून्य प्रहर में 301 म सूचना मांगी जा रही हैं, निश्चित रूप से इसका उत्तर सदस्यों को जाना चाहिये।

मुख्य मन्त्री (श्री रामनरेश यादव)—

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है और आज के पूर्व भी जो व्यवस्था दी है, उसका पालन किया जायेगा और हम देखेंगे कि विलम्ब किस कारण हो रहा है और उस संबंध में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे और उसकी समुचित व्यवस्था करेंगे।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभारी हूं क्योंकि वह बार-बार इस प्रकार आश्वासन देते हैं। लेकिन मान्यवर, मुश्किल है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के आश्वा-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सनों का परिपालन विभाग नहीं कर रहे हैं। मान्यवर, शायद माननीय मुख्य मंत्री जी के पास इतना समय नहीं है कि वह इसको देख सकें कि जो आश्वासन उनके द्वारा दिये जा चुके हैं उनका परिपालन हो रहा है कि नहीं। मान्यवर, विरोधी दल का भी कुछ दायित्व है। हमारे यहां, मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक नयी परम्परा डाली गयी और हमने इसका स्वागत किया था। लेकिन उसका पालन नहीं होता तो हमें फिर शून्य प्रहर के बारे में उसी पुरानी परम्परा को लौटना पड़ेगा। न तो इतने महत्वपूर्ण विषयों पर कोई वक्तव्य, न कोई चर्चा, न कोई पूरक प्रश्न—यह आज कल इस माननीय सदन में हो रहा है और इसकी चर्चा अखबारों में भी आ रही है कि जनता जिस बात से प्रभावित है, उसकी चर्चा यहां कम होती है। इसलिये जनता में भी यही धारणा बनी है। इसलिये जिससे कि विरोधी दल अपने कर्तव्यों का पालन कर सकें, इसलिये जो शून्य प्रहर में सूचना आयें, उनकी कापियां मिलें, उन पर चर्चा करने की व्यवस्था की बात हो। उसका भी अवसर यहां दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जहां तक चर्चा का प्रश्न उठाया, उसमें वह सम्भव नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि वह नियम 51 के अनुसार जो सूचना है, उस पर अनुपूरक प्रश्न पूंछे जा सकते हैं। नियम 52 में दो घन्टे के विवाद की मांग की जा सकती है। यह तो एक अतिरिक्त व्यवस्था की गयी ताकि माननीय सदस्यों को सूचना मिल सके और माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वस्त किया है मुझे आशा है कि भविष्य में सदन को इस प्रकार की शिकायत नहीं होगी। सब सूचना मिलेगी और सूचना प्राप्त करने के बाद यदि माननीय सदस्य किसी विशेष विषय पर कोई विवाद करना चाहें तो उसको अध्यक्ष की अनुमति से नियम 52 के अन्दर लिया जा सकता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

यदि 15 दिन में हालत नहीं सुधरी और शून्य प्रहर के उत्तर हमारे दल को नहीं मिले तो हमारा दल अन्य प्रक्रिया जैसे कामरोको प्रस्ताव आदि के लिए स्वतन्त्र होगा।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आपका अधिकार है इसको मैं नहीं रोक सकता।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

मैं यह व्यवस्था चाहता हूं कि जिस प्रकार आपने यह व्यवस्था दी है कि शून्य प्रहर के प्रश्न का उत्तर अगर नहीं दिया गया तो आप विशेषाधिकार के प्रश्न को एडमिट करेंगे तो उसी प्रकार अगर आपके निदेश देने के बावजूद मंत्रि-मंडल के सदस्य शून्य प्रहर में किये गये प्रश्नों का उत्तर नहीं देते तो आप ऐसे मामलों में भी मंत्रियों के खिलाफ भी विशेषाधिकार के प्रश्न को एडमिट करेंगे? यह व्यवस्था आप से चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं। अगर आप विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना मुझे देंगे तो मैं उसके गुण दोषों पर विचार करूंगा।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि शून्य प्रहर के बारे में आपने हम लोगों के निवेदन पर पिछले सत्र में ही व्यवस्था दी थी लेकिन उसकी कार्यवाही में कुछ कठिनाई निश्चित तौर पर हो रही हैं। आप देख रहे है, हम देख रहे हैं। राजेन्द्र कुमार जी कहते रहे हैं, हम कहते रहे हैं कि कुछ देर से जवाब मिलता है। इस पर तो आपने आश्वस्त कर दिया है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, आपने व्यवस्था दी है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं। वह बात यह है कि केवल एक तरफा कार्यवाही यहां हो रही है और वह यह कि जब हम शून्य प्रहर की सूचना देते हैं तो आप 5- 7 जित ने चाहें उनको यहां पर पढ़ा देते हैं। पढ़ा हुआ भाग तो यहां पर कार्यवाही का हिस्सा हो जाता है लेकिन जो उत्तर मिलता है चाहे सात दिन में मिले, पन्द्रह दिन में मिले, पचास दिन में मिले, वह तो कार्यवाही का हिस्सा नहीं होता ।

मेरा यह निवेदन है कि कम से कम उस पर चर्चा होने के लिये वह कार्यवाही का हिस्सा बनें। जैसे श्री राजेन्द्र कुमार जी का सवाल (क) था उसका उत्तर (ख) आया। यदि (ख) सदन के सामने आ जाय और वह आज की प्रोसीडिंग में, कल की प्रोसीडिंग में आ जाय और मैं उस पर सूचना देकर आपसे नियम 52 या किसी नियम के द्वारा दो घण्टे की बहस का समय मांग सकता हूं। यहां पर एक तरफा कार्यवाही शून्य प्रहर में हो रही है। नारायण दत्त जी तिवारी ने ठीक कहा कि चर्चा उस पर नहीं हो पाती है। चर्चा की बात तो उन्होंने दूसरे ढंग से कही कि उस पर सवाल जवाब हो। मैं तो यह कहता हूं कि कम से कम वह बात कार्यवाही का हिस्सा हो जिसमें अगर हम लोग चाहें तो चर्चा हो सकती है। आपको सूचना देंगे आप निर्देश करेंगे तो।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न जो उपस्थित किया गया है इस पर मैं अपना निर्णय दे चुका हूं कि नियम 51, 52 और 56 में यह अधिकार आपको प्राप्त है । इसके अतिरिक्त नियम 301 में इसकी व्यवस्था की गयी। कार्य-सूची में एक मद यह भी है कि मंत्रियों के वक्तव्य यदि कोई हों।" तो मंत्रियों पर प्रतिबन्ध नहीं है कि वे वक्तव्य न दें। आप जो प्रश्न उपस्थित करते हैं वह तो कार्यवाही का अंग होता ही है पर जो उत्तर आयेगा वह कार्यवाही का अंग बने या न बने इस पर मैं विचार करूंगा लेकिन उस पर प्रश्न किया जाय इसका मतलब तो यह है कि आप चाहते हैं कि नियम 51 में परिवर्तित कर दें। नियम 51 में स्पष्ट लिखा है कि यदि एक से अधिक सूचनाएं प्राप्त होंगी तो एक दिन में एक ही स्वीकार होगी। तो क्या आप चाहते हैं कि नियम 51 को और 301 को बिल्कुल मिला दिया जाय ?

श्री श्यामधर मिश्र--

हम नहीं चाहते...

श्री अध्यक्ष--

यह नियम के विरुद्ध है जो सूचनायें आयेंगी उन पर विचार करूंगा कि वे कार्यवाही की अंग बनें या न बनें।

श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)--

मैंने पन्त नगर विश्वविद्यालय के बन्द पड़े रहने के सम्बन्ध में शून्य प्रहर में 10, 15 दिन पहले सूचना दी थी उसका कोई उत्तर अभी तक नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

उसके पूछने का यह अवसर नहीं है। आप लिखकर मेरे पास भेजिये, मैं सरकार को भेज दूंगा।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

ये जो शून्य प्रहर की सूचनायें हैं उनका जो महत्व है, जब उनका उत्तर सरकार की ओर से विलम्ब से आता है यहां तक कि बजट सेशन में जो सवाल उठाये गये थे उनका जवाब अब आ रहा है खत्म हो जाता है, उनका कोई महत्व नहीं रहता। बार-बार एश्योरेंसेज दिये गये लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इस पर आप विचार कर लें और कम से कम इतना प्रतिबन्ध तो लगा दें कि शून्य प्रहर का प्रश्न जिस सत्र में उठाया जाय उसका उत्तर उस सत्र के समाप्त होने से पहले आ जाय और वह सवाल पेंडिंग न पड़ा रह क्योंकि जो सवाल जिस समय उठाया जाता है उसकी अहमियत उसी समय होती है और जब सत्र खत्म हो गया तो उसकी अहमियत भी खत्म हो जाती है।

श्री अध्यक्ष—

यह जो सुझाव दिया गया है यह संभव नहीं है। अगर अधिवेशन सिर्फ 8 दिन का हो तो उत्तर कैसे उसके अन्दर दिया जा सकता है? ये जो प्रश्न इतने उठाये गये हैं मैं एक रोज सब दलों की बैठक बुला लूंगा जिसमें मुख्य मंत्री जी भी होंगे, संसदीय कार्य मंत्री भी होंगे और तब सारे पहलुओं पर विचार करके कोई रास्ता निकाला जायगा।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मुझे भी यह निवेदन करना है.....

श्री अध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता। आप बैठें।

(श्री सुखपाल पाण्डेय के खडे रहने पर।)

मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि श्री सुखपाल पांडेय जी हर प्रश्न पर खड़े हो जाते हैं तो उनको वह कम से कम उपनेता बना दें।

सम्भल, जिला मुरादाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगे के बारे में विचारार्थ गुप्त अधिवेशन करने की मांग

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

अध्यक्ष महोदय, यह बात आदरणीय सदन अच्छी तरह से जानता है कि सम्भल में जो घटना हुई वह कितनी दर्दनाक है। जिस ढंग से कत्ले आम हुआ है उसकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता। जिस दिन मुख्य मंत्री जी ने बयान दिया था माननीय रियासत भाई ने सुझाव रखा था कि सदन में चर्चा न हो, वातावरण और दूषित हो जायगा। मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं लेकिन उसके बाद जो कुछ वहां हुआ है, माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं वहां देखने गये, मेरे पास भी सूचनायें आई हैं वे इतनी दर्दनाक हैं और प्रशासन की अक्षमता और अदूरदर्शिता की परिचायक है और वहां के जिलाधिकारी ने किस तरह से व्यवस्था की है उसने अगर ठीक से काम किया होता तो इस तरह की घटना न होती। सब लोग स्वीकार करते हैं कि यह साम्प्रदायिक दंगा नहीं है, एक सुनियोजित षड़यंत्र ह। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहा चाहता लेकिन मुख्य मंत्री जी से यह मालूम करना चाहूंगा कि वहां के ताजा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

हालात क्या हैं, उनके बारे में यह आदरणीय सदन उनसे जानना चाहता है। उसकी जानकारी वह सदन को दें और हम लोग भी उस पर अपने सुझाव देना चाहेंगे। सदन में इसकी चर्चा न की जाय इस बात से सहमत होते हुए भी मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं यदि उपयुक्त समझा जाय तो एक गुप्त अधिवेशन कर लिया जाय जिसमें सब लोग खुल कर अपनी बात कह सकें और सही बात सामने आये, तदनुसार उस पर कार्यवाही की जाय। गुप्त अधिवेशन की मेरी कोई नई प्रार्थना नहीं है। मैंने विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली देखी उसमें तो कहीं इसका जिक्र नहीं था लेकिन लोक सभा की नियमावली के नियम 195 में जहां तक मुझे स्मरण है उसमें यह स्पष्ट प्राविधान है कि अगर इस आशय की प्रार्थना की जाती है तो गुप्त अधिवेशन का आयोजन किया जा सकता है और उसमें चर्चा होनी चाहिए।

मान्यवर, जहां तक मुझे स्मरण है इस आदरणीय सदन में भी इसके पहले चर्चाएं हुई हैं, जिसमें आपको अधिकार है। ये जो दीर्घाएं हैं, यह भी आपके नियंत्रण में हैं। दर्शकों को आप हटा सकते हैं, पत्रकारों को हटा सकते हैं ताकि हमें गुप्त चर्चा करने का मौका मिले। इन सब बातों का उल्लेख करते हुए मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप, चाहे किसी नियम को निलम्बित ही क्यों न करना पड़े, वह आपके अधिकार में है, ऐसी व्यवस्था करें जिससे इस आदरणीय सदन का एक गुप्त अधिवेशन हो सके और सम्भल में जो घटना हुई उसके बारे में चर्चा हो सके ताकि हम किसी निर्णय पर पहुंच सकें।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

यह जो माननीय सदस्य ने विचार व्यक्त किया है वह कार्य सूची में किस नम्बर पर है ?

श्री अध्यक्ष—

यह नियम में लिखा हुआ है कि किसी भी प्रश्न को अध्यक्ष की अनुमति से लिया जा सकता है। उन्होंने मुझे लिखित दिया और उसमें उन्होंने अनुमति चाही कि शून्य प्रहर के बाद वह इस बात की प्रार्थना करेंगे कि सम्भल की घटनाओं के बारे में एक गुप्त अधिवेशन हो। इसलिये यह प्रश्न सदन के सामने उपस्थित करने की मैंने उन्हें अनुमति दी।

श्री अजीत सिंह सेठी—

उन्होंने मांग तो की नहीं कि गुप्त अधिवेशन हो....

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, माननीय सदस्य, सीतापुर ने जो प्रस्ताव रखा है वह साधारणतया तो ऐसा लगता है कि विचार के योग्य है लेकिन इस प्रदेश में साम्प्रदायिकता का जहर ज्यादा न बढ़े इसके लिये आवश्यक है कि वह स्वयं विचार करें कि गुप्त अधिवेशन बुलाने मात्र से ही जिस बात को वे चाहते हैं गोपनीय रहेगी, वह बहुत बढ़ जायेगी। साम्प्रदायिक घटनाओं को लेकर गोपनीय अधिवेशन करने लगेंगे तो इससे शान्ति व्यवस्था कायम होने में, साम्प्रदायिक एकता कायम रहने में सहायता मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हमें विचार करना चाहिये कि कामारोको प्रस्तावों के द्वारा कि क्या घटना घटित हुई। इसके बारे में अलग-अलग बातें हो सकती हैं। कोई कह सकता है कि इसमें फलां का हाथ है जैसा कि सम्भल के बारे में समाचार-पत्रों में कहा गया। कोई कहता है कि यह गन्ने के मसले को लेकर शुरू हुआ, कोई कहता है कि यह महात्मा गांधी डिग्री कालेज से शुरू हुआ....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

आप तो विस्तार में जा रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

उन्होंने कहा कि इसके लिये जिलाधिकारी जिम्मेदार हैं, वे अक्षम हैं। मैं कह रहा हूं कि इसके अलग-अलग वर्जन हैं और अलग-अलग बातें हैं। जहां शान्ति व्यवस्था बिगड़े, साम्प्रदायिक झगड़े हों वहां इस सदन का परम दायित्व है कि वह न बढ़ पाएं। दायित्व भी जरूरी नहीं है, अगर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई वक्तव्य दिया तो ठीक किया। जहां तक मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा, मुझे किसी आवश्यक कार्यवश बाहर रहना पड़ा, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन वक्तव्य में भी सन्तुलन रखना पड़ता है। विरोधी दल को भी सन्तुलन रखना होगा। हमें भी टीका-टिप्पणी करते समय यह चाहिए कि हम कोई ऐसी बात न करें जिससे एक और तनाव बढ़े। इसलिये मैं यह नहीं समझता क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी घटित हुई हैं। अगर हम एक बार यह दृष्टिकोण बना लेंगे और हर साम्प्रदायिक तनाव के बारेमें विशेष अधिवेशन बुला लेंगे तो यह एक अच्छा उदाहरण नहीं होगा।

पहले भी इस तरह के साम्प्रदायिक तनाव और झगड़े हुए हैं लेकिन हमने गोपनीय अधिवेशन नहीं किया है। यहां सदन में उन घटनाओं में उसकी चर्चा रही है और थोड़ा गर्मा-गर्मी का वातावरण रहा। लोग गोपनीय अधिवेशन से समझेंगे कि क्या मामला है जिसके लिए गोपनीय अधिवेशन बुलाया गया समाचारों के संवाददाता यहां नहीं बैठ पायेंगे और इसकी जो कार्यवाही होगी वह भी गोपनीय रखी जायेगी। समाचार-पत्र के लोग यहां नहीं रहेंगे तो यह भी अपनी अटकलें लगा सकते हैं कि यहां क्या हुआ। जो सत्य से परे बात होंगी वह भी आ सकती हैं और अतिरंजित बातें होंगी।

श्री अध्यक्ष—

आप तो अब विस्तार में जा रहे हैं, संक्षेप कीजिये। आप यही कहना चाहते हैं कि गोपनीय अधिवेशन नहीं होना चाहिये। यह कोई विवाद का प्रश्न नहीं है। मुझे निर्णय देना था आप लम्बी वक्तृता करने लग गये हैं अतः शीघ्र समाप्त कीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं आपसे उदात्त होने की मनोकामना रखता हूं आप निर्णय लेने में शीघ्रता न करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने निवेदन किया कि यह प्रश्न विवाद का नहीं है। यह तो मुझे को निर्णय देना था। आपका मत उसमें मिल गया कि गुप्त अधिवेशन का औचित्य नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, मुझे जरा कहने दीजिये। आखिर अगर कोई तर्क रखेगा तो उसके पीछे कौन से तर्क संगत तथ्य हैं यह बताने पड़ेगें। नहीं तो लोग कैसे स्वीकार करेंगे। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। जो इस सदन की ज्यादा समय से सेवा कर रहे हैं उनको थोड़ा ज्यादा अवसर देगें अपनी बात कहने का। तो मै कह रहा था कि जिस घटना के संबंध में वह दुखी हैं हम सब दुखी हैं लोकिन गोपनीय अधिवेशन से जिस गोपनीयता को वह रखना चाहते हैं उससे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा इसलिये वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें। जहां तक घटना का संबंध है उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई, न्यायिक जांच के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं, शांति समिति बनाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं यह हम अवश्य जानना चाहेगें जिसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी हमें बतायें।

(श्री रियासत हुसेन के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

इस पर कोई विवाद नहीं होगा। रियासत साहब मैं इस पर इजाजत नहीं दूंगा। आप लोग बैठें। श्री शतरुद्ध जी, आप बैठें। इस वक्त यह प्रश्न विचाराधीन है गोपनीय सत्र के बारे में। तो कोई गुप्त अधिवेशन इस विधान सभा का तो नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा में ऐसी परिपाटी है कि नेता सदन के प्रस्ताव पर गोपनीय अधिवेशन हो सकता है। इसलिये जो श्री राजेन्द्र कुमार जी ने प्रस्ताव रखा है वह ग्राह्य नहीं हो सकता क्योंकि गुप्त अधिवेशन की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि तिवारी जी ने कहा कि उसके बारे में तरह-तरह की संभावनायें लोग लगायेगें और अतिरंजित समाचार भी प्रकाशित हो सकते हैं। उसका प्रदेश के वातावरण पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा इसलिये इसकी मैं अनुमति नहीं दूंगा।

श्री रियासत हुसेन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, एक छोटा सा निवदन सुन लीजिये। मेरा इस संबंध में निवेदन है कि यह विषय गंभीर है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ माननीय सदस्यों को बुलायें आपकी मौजूदगी में, वहां क्या हुआ वह अलग चीज है, लेकिन आगे वह किस प्रकार रुके उसके लिये वह क्या कर रहे हैं। उसमें क्या आपके सुझाव हो सकते हैं और क्या हम लोगों के हो सकते हैं। यदि यह संभव हो तो कर लें। सम्भल और मुरादाबाद के दूसरे इलाकों में बिना वजह डर फैला है उसका हल कैसे हो इस संबंध में बात हो जाय।

श्री अध्यक्ष—

इस संबंध में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से परामर्श करने के बाद ही कुछ व्यवस्था कर सकूंगा। अब मुख्य मंत्री का इसमें जब आइटम आएगा-मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों, तो उस समय मैं मुख्य मंत्री जी से पूछ लूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला ननीताल)—

जितनी बातें सदन के सामने आई हैं, सदन भी यह चाहता है कि साम्प्रदायिक तनाव कम हो, शान्तिमय वातावरण हो, किन्तु मैं एक बात उनसे जानना चाहता था कि वहां का जो भी कांड हुआ है, उसकी न्यायिक जांच कराने की घोषणा कर दें, तो बड़ा अच्छा होगा।

श्री अध्यक्ष—

मैंने कह दिया, कार्यक्रम का जब यह भाग आयेगा, तो मैं उनसे पूछ लूंगा।

उत्तर प्रदेश कीटनाशी (अपील) नियमावली, 1975 †

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कृषि अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या ए0 9970/12-5-517-72, दिनांक 14 जनवरी, 1976 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश कीटनाशी (अपील) नियमावली, 1975 का उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम, 1904 की धारा 23 के की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नियमावली विलम्ब से सदन के पटल पर रखी जाने के संबंध में आपत्ति

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अभी ग्राम्य विकास मंत्री जी की तरफ से जो नियमावली सदन के पटल पर रखी गई है, उसे आप देखें, यह नियमावली 14 जनवरी, 1976

---

† छापी नहीं गयी।

को बनाई गई थी और आज 78 में इस सदन के सामने यह नियमावली रखी जा रही है। मैं इस सन्दर्भ में आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि आप सरकार को कहें कि जो नियमावली बने वह समय के अन्दर सदन के पटल पर रखी जाय, ताकि उसका माननीय सदस्य उपयोग कर सकें अन्यथा यह नहीं के बराबर हो जाता है। सरकार द्वारा इन नियमों को झुठलाने की एक प्रक्रिया चल चुकी है। यों यह सारी प्रक्रिया तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी को उसी विधान सभा सत्र में रखनी चाहिये था। फिर भी इस प्रकार की गल्ती भविष्य में इस सरकार द्वारा न दोहराई जाय, इसलिये मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मुझे बड़ा दुख है कि माननीय सदस्य गोरखपुर, जो शासन का भी अनुभव रखते हैं, ने कृपापूर्वक मेरा भी उल्लेख कर दिया। पहली बात यह कि जिस तारीख का इसमें उल्लेख है, उसमें मैं मुख्य मंत्री था ही नहीं....

श्री अध्यक्ष--

मतलब यह कि उसके बाद आप थे, लेकिन नियमावली नहीं रखी गई।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

दूसरी बात यह कि माननीय सदस्य जब सिंचाई राज्य मंत्री भी थे, जनरल क्लाजेज ऐक्ट का उन्होंने अध्ययन किया होगा, उसका मुझे भी अनुभव है, जब ऐक्ट में प्राविधान नहीं होता था तो लीगल राय लेनी पड़ती है कि वह रखा जाए या नहीं तो इसमें भी प्रतिनिहित विधायन समिति या अन्य अधिकारियों की राय भी हुई होगी, इसलिए देर हुई होगी।

श्री अध्यक्ष--

जब मंत्री लोग नियमावली सदन के पटल पर रखें, तो यदि उसमें विलम्ब हो तो अवश्य ही उसका स्पष्टीकरण भी उन्हें उनके साथ ही देना चाहिए। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री इस सम्बन्ध में अवश्य जनकारी प्राप्त करें कि यह नियमावली इतने देर से सदन के पटल पर क्यों रखी जा रही है? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके वह सूचना दे दें और भविष्य में जो नियमावली सदन के पटल पर रखी जाए और जिसमें बहुत देर हुई हो, उसमें उसका कारण भी बता दिया जाया करे तो उचित होगा।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष जी, जब आप बोलते हैं, तो हमको ठीक से सुनाई नहीं पड़ता है, तो झुककर इससे (साउन्ड बाक्स) सुनता हूं, किन्तु फिर भी सुनाई नहीं देता है। तो अब या तो हम अपने कान का इलाज करा लें (व्यवधान) कान हमारा ठीक है। कुछ लोगों का गला जरूर खराब है। मेरा आपसे निवेदन है कि हमारा कान भी ठीक है। अगर आप चाहें तो कान का फिर से इलाज करवा लेंगे। इसका इलाज जरूर करवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष--

यह पहले भी हमने कोशिश की थी। इसमें सुधार कराने का प्रयास किया था।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (छठा संशोधन) नियमावली 1978 †

संसदीय वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 9043(एस0टी0-)36-1, दिनांक 19 जनवरी, 1978 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (छठां

† छापी नहीं गयी।

[श्री केशरी नाथ त्रिपाठी]—

संशोधन) नियमावली, 1978 को संयुक्त प्रान्तीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, 1947 की धारा 23 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उद्यान श्रम (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1977 †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरीनाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 4506 (वि)/36-3-570 (पी0एल0)-75, दिनांक 16 दिसम्बर, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश उद्यान श्रम (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23- की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 3044 (वि)/36-3-704 (वि)/72-यू0पी0ए0-26-1962-रूल-1963 ए0एम0(2)-1977, दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1977 तथा शुद्धि-पत्र संख्या 3044 (1) (वि)/36-3-704 (वि)-72, दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977†

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 4002 (वि0) 36-3-400(5) (डब्लू0 सी0)-77-सी-ए-8-1923-रूल-1975-ए0एम0(1)-1977, दिनांक 21 दिसम्बर, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश कर्मकार प्रतिकर (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1977 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (अड़तालीसवां संशोधन) नियमावली, 1978†

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से श्रम अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या 607 (वि) 36-3-78-2045 (एफ)-74, में प्रकाशित उत्तर प्रदेश फैक्ट्रीज (अड़तालीसवां संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां††

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 फरवरी, 1978 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0टी0-दो-4089/दस-6(26)-77-उ0प्र0अधि0 15-48-आदेश-78 दिनांक 31 जनवरी, 1978 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3घ की उप धारा (8) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयीं।

मान्यवर, आपकी अनुमति से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनांक 6 फरवरी, 1978 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0-दो–9957/दस-11 (2)/75–उ0 प्र0 अधि0 15-48–आदेश–78, दिनांक 6 फरवरी 1978 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर सरली करण समिति, 1977 का अन्तिम प्रतिवेदन †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)––

मान्यवर, आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश बिक्री-कर सरलीकरण समिति 1977 का अन्तिम प्रतिवेदन (28 नवम्बर, 1977) को सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की अनुपूरक रिपोर्ट 1975–76 (सिविल) तथा शुद्धि-पत्र †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)––

मान्यवर, आपकी अनुमति से भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की अनुपूरक रिपोर्ट 1975–76 (सिविल) को शुद्धि-पत्र सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

पंजायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुनाप्रसाद)––

मान्यवर, आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 56812–बी/33–2–237-72, दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 को उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान) (पंचम संशोधन) नियमावली, 1978 ††

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)––

मान्यवर, आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 5892–बी/33–39–75–यू0 पी0ए0–33। 61-नियम–63 संशो0 (5)–78, दिनांक 30 जनवरी, 1978 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (यात्रा और दैनिक भत्तों का भुगतान) (पंचम संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 237 (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (तृतीय संशोधन) नियमावली 1978

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)––

मान्यवर, आपकी अनुमति से पंचायती राज अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या 781–बी/33–156-72 उ0प्र0अ0-23/61 नियम–72, संशोधन (3)–1977, दिनांक 15 फरवरी, 1978 में प्रकाशित जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश क्षत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237(3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (अट्ठारहवां, एवं उन्नीसवां आदेश, 1977 तथा बीसवां) आदेश, 1978††

शिक्षा उप मंत्री (श्रीमती मालती शर्मा)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से शिक्षा अनुभाग-10 की---

(1) अधिसूचना संख्या 5617/15-10-77, दिनांक 14 अक्तूबर, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (अट्ठारहवां) आदेश, 1977।

(2) अधिसूचना संख्या 7684-15-10-77-60 (95)-75, दिनांक 31 दिसम्बर, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (उन्नीसवां) आदेश, 1977 तथा

(3) अधिसूचना संख्या 230/15--10-78, दिनांक 31 जनवरी, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (बीसवां) आदेश, 1978 को उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं।

जिला जेल प्रतापगढ़ के विचाराधीन बन्दी श्री बचऊ सिंह की मृत्यु से सम्बन्धित जांच आयोग की रिपोर्ट †

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जिला जेल, प्रतापगढ़ के विचाराधीन बन्दी श्री बचऊ सिंह की मृत्यु के मामले से सम्बन्धित जांच आयोग की रिपोर्ट को ज्ञापन सहित कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश के राज्य के संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आदेश, 1976 में संशोधन से सम्बन्धित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना ††

नियोजन राज्य मंत्री (श्री लक्ष्मण सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य के संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र आदेश 1976 में संशोधन से सम्बन्धित भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 282(1) उ0प्र0(1) 77, दिनांक 7 मई, 1977 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 9(2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

पायनियर, स्वतन्त्र भारत, दैनिक जागरण आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष---

विशेषाधिकार की जो सूचनायें हैं, मैं उनको ले रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र पति यादव, सदस्य, विधान सभा ने पायनियर, स्वतंत्र भारत, दैनिक जागरण, आदि समाचार-पत्रों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। उनकी शिकायत है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद सम्बन्धी प्रस्ताव पर 27, 28 व 30 मार्च को माननीय सदस्यों द्वारा आरक्षण के पक्ष में एवं विपक्ष में विचार प्रकट किए गये। अधिकांश समाचार-पत्रों की नीति यह रही कि आरक्षण के विपक्ष में दिए गये तर्क बलपूर्वक प्रकाशित किये गए और आरक्षण के पक्ष में बोलने वालों के नाम तक नहीं प्रकाशित किए गए।

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापे नहीं गये।

माननीय सदस्य, श्री यादव, ने अपनी सूचना में 30 मार्च को माननीय सदस्यों द्वारा विचार प्रकट करने का उल्लेख किया है जबकि उनकी सूचना ही 30, मार्च, 1978 को 9.45 पूर्वान्ह प्राप्त हुई थी, इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य, श्री यादव ने समाचार पत्र पायनियर, स्वतंत्र भारत, दैनिक जागरण आदि, का उल्लेख अपनी सूचना में पहले किया है, किन्तु अन्त में यह कहा है कि, अधिकांश समाचार-पत्रों की नीति यही रही है कि पिछड़े वर्गों के पक्ष में दिए जाने वाले भाषणों को, प्रकाशित न किया जाय। इससे यह स्पष्ट नहीं है कि किस समाचार-पत्र विशेष के विरुद्ध वे विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहते हैं। तीसरी बात यह भी उल्लेखनीय है कि विशेषाधिकार का प्रश्न किसी समाचार पत्र के संपादक, प्रकाशक, मुद्रक या संवाददाता के विरुद्ध उठाया जा सकता है। इस प्रकार का कोई भी उल्लेख माननीय सदस्य की सूचना में नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 64 के अनुसार जिन समाचार-पत्रों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जाना अभिप्रेत है, उनके नाम तथा उन समाचार-पत्रों की प्रति सूचना के साथ संलग्न किया जाना आवश्यक है, माननीय सदस्य श्री यादव ने ऐसे कोई समाचारपत्र की प्रति संलग्न नहीं की है। अतएव, अस्पष्ट तथा नियमानुसार न होने के कारण इस विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना को मैं अग्राह्य करार देता हूं।

विद्युत विभाग के सचिव एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री कल्पनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा ने विद्युत् विभाग के सचिव एवं सम्बन्धित सभी अधिकारियों के विरुद्ध सदन के अवमान का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। माननीय श्री कल्पनाथ सिंह का कहना है कि 30-3-78 को कार्य सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के उत्तर में माननीय विद्युत् मंत्री ने कहा है कि 'अदालत पंचायत मठिया और वहसुआ किसी भी ग्राम या ग्राम सभा में बिजली की लाइन नहीं गयी है।" इसी उत्तर के अन्त में माननीय विद्युत् मंत्री ने यह भी कहा है कि 'बिजली न देने का मुख्य कारण पर्याप्त मात्रा में ग्राम वासियों से प्रार्थना-पत्र न देना ही है।" माननीय श्री कल्पनाथसिंह ने यह भी कहा है कि इस उत्तर के साथ जो सूची संलग्न की गयी है उसमें मद (स) की क्रम संख्या 13, 14, 15 और 16 पर उल्लिखित ग्राम मठिया और बहुसुआ के हैं और उनमें विद्युतीकरण का न होना मांग या आवेदन पत्र का न होना नहीं बल्कि बिजली की लाइन का ही न होना है। माननीय सदस्य का कहना है कि जिन अधिकारियों ने इस प्रश्न का गलत उत्तर सदन के पटल पर रखा है, उन्हें सदन के अवमान का दोषी माना जाये और उपर्युक्त विषय विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द किया जाय।

उपर्युक्त अतारांकित प्रश्न का जो उत्तर माननीय विद्युत मंत्री ने दिया है उसमें कोई विरोधाभास प्रतीत नहीं होता। इस उत्तर के साथ जो संलग्नक दिया हुआ है उसकी मद (स) का शीर्षक है उन 19 ग्रामों की सूची.....

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय, आप अपनी व्यवस्था देने से पहले सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

यह तो आप जानते है कि जब मैंने इस पर विचार कर लिया है.....

*श्री कल्पनाथ सिंह—

हमारा तो आपने कुछ सुना नहीं। आप सुन लीजिए। इस मामले में हम बिलकुल दूसरी बात कहना चाहते हैं। हमारा यह कहना है कि आज अगर गलत सूचनाएं सदन को दी जायेंगी, जो सूचनाएं अधिकारी देते हैं श्रीमन्, मंत्री महोदय, के विरुद्ध जान बूझकर मैंने विशेषाधिकार की नोटिस नहीं दिया, क्योंकि यह कहा जा सकता है कि मंत्री महोदय ने जानबूझकर ऐसा उत्तर नहीं दिया, जो उत्तर उनको प्राप्त था वह उत्तर उन्होंने सदन को सुना दिया। मेरा यह कहना है कि अगर अधिकारियों को इतनी छूट रहेगी, जो चाहे उत्तर मनमाना लिख कर भेज दें, तो अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि प्रश्न करने की, उत्तर प्राप्त करने की यह पूरी की पूरी प्रक्रिया ही समाप्त हो जायगी और इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों के अधिकार हैं कि वह इस सदन में प्रश्न करके जानकारी प्राप्त करें और शासन भी इन प्रश्नों के माध्यम से सचेत होता रहता है। उसको बहुत सारी बातों की जानकारी होती रहती है और इस प्रकार न केवल शासन चलाने में, शासन के लोगों को प्रश्नों के माध्यम से माननीय सदस्यों के द्वारा सहायता दी जाती है, बल्कि इस सदन में भी उस कार्यवाही के चलते सबूत रहता है और लोगों की यह मान्यतायें हैं कि आज कार्यपालिका इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। अगर ऐसा नहीं होता है और इस प्रकार की गड़बड़ी आगे चलने दी जायगी तो उसका नतीजा यह होगा, जैसा मैंने पहले कहा है, कि इस सदन को प्रश्न करने की या बहस करने की या सुझाव देने की सारी की सारी प्रक्रिया पूरी की पूरी समाप्त हो जायगी और फिर जिन कारणों से इस सदन को विशेषाधिकार दिया गया है, जो विविध व्यवस्था है उसके अनुसार प्रत्येक सदस्य प्रत्येक व्यवस्था के लिये उत्तरदायी है, लेकिन श्रीमन्, विशेषाधिकार इसी लिए प्राप्त है कि वह सफलतापूर्वक इस सदन में अपना कार्य सम्पादित कर सके और अगर उस कार्य के सम्पादन में किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है, कोई आदमी उसके लिए उत्तरदायी होता है तो मेरा यह निवेदन है कि मेहर बानी करके इसको विशेषाधिकार समिति को भेजें।

यह अपनी तरह का एक अनोखा मामला इस सदन के सामने आ गया कि क्या कार्यपालिका पर इस सदन का नियंत्रण रहे या न रहे—यह मेरा प्रश्न है। मैं यह नहीं कहता उसकी जांच हो जाय। मेरा कहना अगर गलत है समिति को निगाह में तो मैं आपसे और पूरे सदन से क्षमा याचना कर लूंगा कि मुझ से गलती हुई, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वह अधिकारी तो सदन में नहीं आ सकता लेकिन उन अधिकारियों की ओर से माननीय मंत्री जी इस सदन को कहें कि जिन लोगों ने ऐसी गलत सूचनाएं दी हैं उनकी ओर से, अपनी ओर से नहीं, मैं इस सदन से क्षमा याचना करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने दो प्रश्न इसमें उपस्थित किये। एक सिद्धान्त का सवाल कि जो प्रश्न सदन में माननीय मंत्रिगण देते हैं उनका आधार प्राप्त सूचना होता है। तो उनका कथन है कि यदि सूचना गलत हो तो उन अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित किया जाय।

और दूसरा प्रश्न जो उन्होंने उपस्थित किया है वह उन तथ्यों के बारे में तो इसमें जो माननीय विद्युत् मंत्री ने उत्तर दिया और जब अपने-अपने विशेषाधिकार की सूचना का नोटिस दिया तो उन्होंने जो सूचना दी, उनका कथन यह है कि जिन ग्रामों में बिजली की लाइन नहीं है, वह कहते हैं यह ग्रामों के अन्दर बिजली के चाहने वाले नहीं थे। यह उन्होंने दिया है। इसमें कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विरोधाभास नहीं है। और फिर यह भी आप जानते हैं कि एक निश्चित नियम है कि मंत्रिगण ही यहां सदन के प्रति उत्तरदायी है। यदि कोई अधिकारी गलत सूचना देता है तो यह मंत्रियों का कर्तव्य है कि गलत सूचना दिये जाने के अभियोग में उनके विरुद्ध कड़ी और आवश्यक कार्यवाही करें। इसलिए जो सूचना मेरे पास थी उसके आधार पर मैंने माननीय कल्पनाथ सिंह जी के इस प्रश्न को अग्राह्य करार दिया है। क्योंकि जो अब तक इस पीठ से आदेश दिये गये हैं उनके संकलन में करण संख्या 213 के अनुसार यही परम्परा है कि यदि सूचना गलत भी हो तो उन अधिकारियों से सम्बन्धित मंत्री की कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन सूचना की असत्यता के आधार पर विशेषाधिकार का प्रश्न किसी समिति को देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। इसलिए मैंने इसको अग्राह्य किया है। लेकिन यदि माननीय सदस्य मेरी जानकारी में लायें कि इसमें वास्तव में गलती की गयी है तो मैं माननीय विद्युत् मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि सचिव और अन्य अधिकारी जिन्होंने गलत सूचना दी है उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। इसलिये सूचना को मैंने अग्राह्य करार दिया है।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री श्री मोहम्मद मसूद खां के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष :—

सर्वश्री, रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा सुखपाल पाण्डेय सदस्यगण, ने माननीय श्री मोहम्मद मसूद खाँ, सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। माननीय श्री तिवारी तथा श्री पाण्डेय का कहना है कि 22 मार्च 1978 के लिये निर्धारित प्रश्न कार्य सूची की नत्थी (ग) में श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी के तारांकित प्रश्न संख्या 14 के उत्तर में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कल कहा था कि "वर्ष 1977–78 में सड़कों तथा पुलों की योजना के लिये विभाग को जो परिव्यय दिया गया वह मंजूर शुदा कार्यों के लिए काफी न होने की वजह से इस साल के बजट में नई सड़कों के निर्माण अथवा पुरानी सड़कों के पुन निर्माण के कोई भी नये कार्य शामिल नहीं किये जा सकें।" माननीय श्री तिवारी तथा श्री पांण्डेय का कहना है कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का उक्त उत्तर सही नहीं था। वर्ष 1977–78 के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर स्मृति-पत्र (मार्च, 1978) में अनुदान संख्या 63 पर पृष्ठ संख्या 153 में जिला परिषद् आजमगढ़ की 12 सड़कों का सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षण किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है और कहा गया है कि "चालू वित्तीय वर्ष में जो व्यय होगा वह बचत से पूरा किया जायगा।" माननीय श्री तिवारी एवं श्री पांडेय ने यह कहा कि माननीय मंत्री जी ने गलत बयानी करके और सही तथ्यों को छिपा कर माननीय सदस्यों को और सदन को गुमराह किया है। माननीय मंत्री जी पूरी जानकारी रखते थे क्योंकि वर्ष 1977–78 के लिये अपने विभाग की अनुपूरक अनुदानों की माँगों को उन्होंने स्वयं ही सदन में प्रस्तुत किया था। सूचना में माननीय श्री तिवारी तथा श्री पांडेय ने सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा जानबूझ कर गलत बयानी करने और माननीय सदस्यों को अंधकार में रख कर सदन को गुमराह करने के कारण भी दिये हैं।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी से बस्तु स्थिति बताने के लिये कहा। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने दिनांक 3 अप्रैल, 1978 को अपने पत्र द्वारा बताया कि वर्ष 1977–78 के मूल आय–व्ययक में नयी सड़कों के निर्माण अथवा मौजूदा सड़कों के पुन: निर्माण का कोई भी कार्य सम्मिलित नहीं किया गया केवल पुलों के निर्माण के 8 कार्य ही सम्मिलित किय गय हैं। जिला परिषद् आजमगढ़ की 12 सड़कों के विषय में जिनका माननीय श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्री

[श्री अध्यक्ष---]
सुखपाल पाण्डेय ने सूचना में जो उल्लेख किया था, के विषय में स्थिति स्पष्ट करते हुये माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने बताया कि ये सड़कें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अनुरक्षण हेतु ली गयी। इस कार्य की विधायी स्वीकृति वर्ष 1977-78 की अनुपूरक मांगों के माध्यम से ली गयी । उन्होंने यह भी कहा कि प्रश्नगत सड़कें मौजूदा सड़कें है जिनकी गणना जिला आजमगढ़ में मौजूद सड़कों की कुल लम्बाई में शामिल है । इनको सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रख-रखाव के लिये लिया गया है। अनुरक्षण कार्य "सड़कों क निर्माण" अथवा "पुन: निर्माण" के अन्तर्गत नहीं आता । अनुरक्षण हेतु ली गयी सड़कों की लम्बाई से बम्बई योजना के अनुसार आवश्यक लम्बाई में कोई अन्तर नहीं पड़ता है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपन जबाब में यह लिखा है कि जो पहला बजट 1977-78 का पेश किया गया था उसमें कोई नयी सड़कें नहीं रखी गयी थीं। मैंने यह सूचना दी थी कि मंत्री जी का बयान गलत था और उसके समर्थन में एक उदाहरण दिया है, अनुपूरक बजट का । लेकिन जो बजट था 1977-78 का उसमें भी आप देखेंगे पृष्ठ 252 पर, 48 से लेकर सीरियल 57 तक मान्यवर, यह नयी सड़कों के लिये प्राविधान किया गया है और पृष्ठ 254 पर जो नीचे योग दिया हुआ है उसके आगे लिखा है कुल योग नई सड़कों का तो बाकायदा टोटल और कितना बजटरी प्रौविजन किया गया है इन सबका उल्लेख है। मान्यवर, इस तरह से आप देखेगें कि बजट में नई सड़कों का प्राविधान है और सप्लीमेन्टरी बजट में भी है ।

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि सप्लीमेंटरी बजट जो है वह बजट इन्क्लूड है । यह कहना कि बजट में नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । लेकिन मेरा निवेदन है कि बजट में सप्लीमेंटरी बजट भी शामिल माना जाना चाहिये। नम्बर दो, जो 77-78 का बजट आया था उसमें भी नयी सड़कों का उल्लेख है। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों के अधिकार के कस्टोडियन और गारजियन आप हैं। कोई भी निर्णय देने के पहले आप देखें। मंत्री लोग जो इस तरह के जबाब दिया करते हैं और जबाब आ भी रहे हैं तो वह उचित नहीं है। इसलिये व्यवस्था देने के पहले आप बजट को भी देख लें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय तिवारी जी, आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह वास्तविक स्थिति से संबंधित है। आपका कथन है कि 12 सड़कें, नयी हैं, और माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का कथन है कि यह नयी सड़कें नहीं हैं, बल्कि मैंटीनेंस के लिये हैं । उनका उत्तर है कि इसक अनुरक्षण के लिये ही उन्होंनें सप्लीमेंटरी बजट में इसकी व्यवस्था की थी। तो इसलिये मैंने इन तथ्यों को देखा। यह तो आप इसमें तर्क दे रहे है। अगर इसके बावजूद भी आपका यह तर्क है कि यह नयी सड़कें थी और माननीय मंत्री जी ने उनको अनुरक्षित कहा है तो मैं इसको देख लूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

मान्यवर, यही मेरा कहना है क्योंकि आप देंखे कि जिला परिषद् से यह ट्रॉन्सफर हुई है पी0 डुब्लू डी0 को/36 लाख रुपये का प्राविजन किया गया। उसमें कहा गया है कि जो इस साल का खर्च है, वह बचत से पूरा किया जायगा ।

इन सड़कों पर वह बचत से होगा। एक तरफ मंत्री जी कहत हैं कि जो मंजूर शुदाकार्य थे, उनके लिये पैसा पूरा नहीं था और दूसरी तरफ कहते हैं कि बचत से होगा। तो दोनों हिसाब से यह उत्तर गलत है।

श्री अध्यक्ष--

इस पर विवाद नहीं हो सकता। मैंने देखा, जो आप कहते हैं। जो स्मृत्ति पत्र है उसमें 153 पेज पर लिखा है:-- "337 सड़कें तथा पुल आयोजनागत (11) अनुरक्षण एवं मरम्मत अनुदान संख्या 63" जिसमें धन की राशि लिखी है। 1 करोड़ 35 लाख रुपये। तो इसलिये जो जिला परिषद् से सड़कें हस्तांतरित की गयी वह अनुरक्षण के लिये थी। इसलिये इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष--

मान्यवर, मैंने व्यवस्था दे दी है। व्यवस्था पर कोई आपत्ति मैं नहीं ले सकता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कोई विशेषाधिकार का प्रश्न आता है और माननीय सदस्यों का उसमें उल्लेख होता है तो उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है। सदन में सामान्यतया वह सदस्य उपस्थित ही रहते हैं। अभी सार्वजनिक निर्माण मंत्री जो है, उनका उल्लेख आया है। पहले भी मंत्रियों का उल्लेख आया है। तो जो प्रश्न आया है उसकी प्रतिलिपि माननीय सदस्य ने उनको अवश्य दी होगी। तो वह सदन में उपस्थित क्यों नहीं है? उनका वर्जन भी आना चाहिये। श्रीमन, आपने 2-3 टिप्पणियां भी की हैं। विद्युत मंत्री के लिये भी आपने कहा है। तो विद्युत मंत्री का पक्ष क्या है। हमको मालूम नहीं कि सूचना क्या थी और कौन अधिकारी दोषी था?

श्री अध्यक्ष--

इसमें मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं थे। जब मुझे सूचना मिली तो मैंने उस प्रश्न को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के पास उनका स्पष्टीकरण मांगने के लिये भेजा। वह मुझे प्राप्त हो गया। उसको मैंने देखा और उसके बाद मैंने निर्णय दिया। तिवारी जी विशेषज्ञ और जानकार है, वह जानते है कि नियम 66 के अनुसार आवश्यक नहीं है कि मैं निर्णय करने से पहले सूचना देने वाले सदस्यों से स्पष्टीकरण मागूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब नित्य विशेषाधिकारों की बाढ़ आती हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को मैं जहां आवश्यक समझता हूं और आपने देखा होगा मैं सदन से सहायता लेता हूं। आपका समय बचाने के लिये जहां मैं आवश्यक नहीं समझता हूं वहां माननीय सदस्यों को कष्ट नहीं देता हूं और मैं स्वंय निर्णय लेता हूं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, वह स्वयं कष्ट लेना चाहते हैं। (हंसी)

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्य, विधान सभा ने माननीय मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है। उनका कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री ने 30 मार्च, 1978 को सदन में वक्तव्य देते हुये मुरादाबाद जनपद के सम्भल नगर में कानून व्यवस्था की गम्भीर हालत को सम्प्रदायिक दंगा बताया था। माननीय

[श्री अध्यक्ष—]
सदस्य का कहना है कि मौके की जानकारी तथा गांधी मेमोरियल विद्यालय के प्रधानाचार्य का वक्तव्य साबित करता है कि 30 मार्च, 1978 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दिया गया वक्तव्य सत्य से परे था तथा उसमें तथ्यों को मरोड़ कर दिया गया था। उनका कहना है कि इस वक्तव्य द्वारा माननीय सदस्यों को सही जानकारी पाने का अधिकार से वंचित किया गया है और शासन की कमियों पर परदा डालने के नीयत से गलत तथ्य देकर सदन को गुमराह करने का प्रयत्न करके सदन का अवमान किया है।

इस प्रश्न पर मैंने अभी निर्णय नहीं दिया है। मुख्य मंत्री के पास स्पष्टीकरण के लिये भेज दिया है। मुख्य मंत्री जी सम्भल के बारे में जो माननीय सदस्यों ने प्रश्न किये उसमें क्या और कोई सूचना आप सदन को देना चाहेंगे ?

सम्भल, जिला मुरादाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगे के संबंध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)—
मान्यवर, मैं इसी समय सदन को सूचना दिये दे रहा हूं जो कि मुझे प्राप्त हुई है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—
मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है। इससे पहले कि मुख्य मंत्री मेरे प्रश्न का जवाब दें बेहतर होता कि आप पूरे प्रश्न को पढ़ देते जो कि मैंने उठाया है।

श्री अध्यक्ष—
आपका इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता है। आपने जो प्रश्न विशेषाधिकार का दिया हैं उसको मैंने मुख्य मंत्री के स्पष्टीकरण के लिये भेजा है, वह तो पृथक से रियासत हुसैन और अन्य लोगों की सूचना का, जवाब दे रहे है। मैंने स्वयं कहा था कि जब यह आइटम आयेगा (कार्यक्रम पर) तो मुख्य मंत्री से मै कहूंगा कि यदि उनके पास कोई अतिरिक्त सूचना हो तो इस वक्तव्य के बाद वह सदन को दे दें। इसलिये मैंने कहा है। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है।

*श्री राम नरेश यादव—
मान्यवर, स्थिति को नियन्त्रण में लाने के लिये कौन इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे प्रदेश के किसी कोने और अंचल में कहीं पर दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति न पैदा हो इसके लिये प्रभावी कदम उठाये गये हैं। पुलिस और पी0 ए0 सी0 वहां पर काफी संख्या में लगा दी गयी है। गश्त जारी है। कर्फ्यू लगाया गया था। कल 10 बजे से 12 बजे के बीच में हटाया गया और इस बीच में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। अब तक 146 व्यक्ति गिरफ्तार किये जा चुके हैं। एक लाख रुपया जिलाधिकारी को भेजा गया है कि लोगों की सहायता के लिये जो भी उचित समझें, दें। एक बात अवश्य है कि दुकानों का जो नुकसान हुआ है या और अन्य क्षति हुई है हम व्यवस्था करें कि उसकी पूर्ति हो सके। साथ ही यह भी ध्यान में है कि समाचार-पत्रों से और अन्य प्रकार से जो बातें सुनायी पड़ती हैं वह न हो। हमने कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह स्वंय जाकर पूरी जांच करें और जो भी इस तरह के समाचार आ रहे हैं उनको ध्यान में रखकर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जांच करें। वह अपनी रिपोर्ट देंगे।

इसलिये इस समय मैं माननीय सदस्यों से इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार की भावना को लेकर हम आप बैठे हैं उनमें किसी विद्वेष की भावना से नहीं सोचना चाहिये और न आप सोचते है और न ही किसी प्रकार का प्रयास किया गया है कि किसी प्रकार का रंग इसको दिया जाय। जो सूचना उपलब्ध थी उसी आधार पर पिछली बार मैंने कहा था और आज भी जो सूचना है उससे अवगत करा रहा हूं। मैं वहां गया था लोग आये, विधायक लोग भी थे। उनसे अपील की कि प्रदेश की शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिये वहां की जनता से अपील करें कि सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाये रखें और इस प्रकार वहां पीस कमेटी काम कर रही है। लोग स्वत: चन्दा इकट्ठा करके सहायता भी पहुंचा रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने साम्प्रदायिक एकता को स्थापित करने के लिये भावना व्यक्त की है। उनसे अपने को पूर्ण सम्बद्ध करते हुये इतना कहना चाहता हूं कि पहले कमिश्नर की इंक्वारी घोषित हुई और बाद में जुडिशियल इंक्वायरी की जाय तो इसमें समय व्यर्थ में नष्ट होगा। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए न्यायिक जांच की गयी है। क्या मुख्य मंत्री जी संभल में न्यायिक जांच करायेंगे?

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर,पहले भी साम्प्रदायिक एकता इस प्रदेश में रही और इसमें हम लोग या हमारी पार्टी सहयोग देने के लिये तैयार है। सुबह भी जब चर्चा हुई थी तो हम केवल एक आश्वासन चाहते थे कि संभल में जो घटना हुई है उसको रोकने के लिये इन्होंने क्या किया और क्या प्रयास किया कि प्रदेश के अन्य अंचलों में यह दुर्भावना न फैले। आवश्यक था कि मुख्य मंत्री घोषित करते कि न्यायिक जांच करायेंगे। वाराणसी में आयुक्त से जांच कराने की बात हुई और फिर न्यायिक जांच करायी। हम चाहते हैं कि मुख्य मंत्री जी घोषित कर दें कि यहां न्यायिक जांच करायेंगे।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्,आपको स्मरण होगा,हमको याद है,जब माननीय मुख्य मंत्री ने चार-पांच दिन पहले सदन में वक्तव्य दिया था। उस समय हमने स्वयं और उनके निवेदन पर और आपकी इच्छानुसार यह बात कही थी कि ऐसा कोई प्रश्न नहीं होना चाहिए जिससे कोई तनाव पैदा हो और उसी राय के आज भी हम लोग है। लेकिन यह भी साथ-साथ जानना चाहते है कि उस दिन के बाद और उसके पहले जो अप्रिय घटना हो गयी थी, मृतकों की संख्या बतायी गयी। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा। वहां पर मुख्य मंत्री जी और अमुक अमुक मंत्री गण भी गये। उनके जाने के बाद भी अप्रिय घटना और मौतें हो गयीं। तो उनके जाने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ? क्यों उसके बाद भी 2/3 आदमी मारे गये और अप्रिय घटनाकाण्ड हुआ और कर्फ्यू लगा होने के बाद भी क्यों उत्पात हुआ और लोग मारे गये?

श्री रामअधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहती हूं कि क्या शासन में इस तरह का कोई आदेश है कि जहां पर साम्प्रदायिक दंगे होंगे, उसकी जिम्मदारी वहां अधिकारियों पर होगी यदि हां, तो क्या वहां के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को हटाने का सरकार का कोई विचार है?

*श्री आरिफ मोहम्मद खां—

मान्यवर, मैंने विशेषाधिकार के प्रश्न पर स्पष्टीकरण के लिये मांगा है,लेकिन इस संबंध में मेरा मकसद सिर्फ यह था कि सम्भल में होने वाली घटना और उसके बाद जो जानकारी प्राप्त हुयी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया और उसके बाद आज के अखबारों में छपा गांधी मेमोरियल डिग्री कालेज के प्रधानाचार्य का वक्तव्यजिसमें उन्होंने कहा है कि सम्भल में उत्पन्न गम्भीर शांति व्यवस्था के प्रश्न को लेकर मेरे विद्यालय का नाम घसीटना अनुचित है—मेरा मकसद इनके बारे में था। मान्यवर, उस विद्यालय के प्रिन्सिपल साहब ने ही कहा है कि जो जुलूस निकला और जिससे सारे हालात पैदा हुये, उसमें न तो विद्यालय के खिलाफ नारे लगाये गये और उन उपाधियों के खिलाफ नारे लगाये गये जिनका वर्णन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था और यहां कहा था कि इसी को लेकर या इसी को आपत्तिजनक बताकर जुलूस निकाला गया और उसके बाद सम्भल में साम्प्रदायिक दंगा हुआ।

मान्यवर, आपने और मुख्य मंत्री जी ने भी समस्या को गम्भीर बताया लेकिन बिना तथ्यों को जाने बिना उसको वैसा कह दिया। लेकिन उसमें तथ्य यह था कि म्युनिसिपैल्टी के मजदूरों ने, जिनको 9 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली थी, ने जुलूस निकाला लेकिन उसको सरकार के समर्थकों ने और सरकार की तरफ से साम्प्रदायिक दंगा बता दिया और उसकी वजह से पूरे प्रदेश में खासतौर से पश्चिमी प्रदेश में तनावपूर्ण वातावरण हो गया।

मान्यवर, उस वक्तव्य के बाद ऐसा हुआ कि पूरे प्रदेश में साम्प्रदायिक आग सी सुलग कर रह गयी। लेकिन मान्यवर, यहां के लोग अब 30 सालों में काफी होशियार हो गये हैं। वे इन समस्याओं को समझने लगे हैं। और इस लिये वह और आगे नहीं बढ़ी। अतः मान्यवर, जब सदस्यों से कहा जाता है कि वह अपने ऊपर रोक लगा कर बात किया करें तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से और सरकार से मंत्रियों से भी निवेदन करूंगा कि वे ऐसे मामलों पर वक्तव्य बहुत सोच विचार कर भविष्य में देने की कृपा करें। मैं मुख्य मंत्री जी और वित्त मंत्री जी का नाम इसके बारे में इसलिये लेना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि ये साम्प्रदायिक प्रवृत्ति के लोग थे जिन्होंने जुलूस निकाला था जबकि उक्त विद्यालय के प्रिंसिपल का कहना है कि किसी मुस्लिम लड़की की तरफ उन उपाधियों की तरफ आपत्ति नहीं की गयी थी। हां कुछ गन्दी उपाधियों के बारे में हिन्दू लड़कियों ने जरूर आपत्ति की थी। यह उस कालेज के प्रिंसिपल का कहना है। मैं इसके बाद अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

आपने तो दूसरा वक्तव्य ही दे-दिया कि वहां पर जो जुलूस निकला उसको म्युनिसिपल कर्मचारियों ने निकाला। जो अपनी पिछली मांगों के बारे में जलूस निकाल रहे थे उस पर पुलिस ने हमला किया झगड़ा हुआ। यह तो बात ही पृथक् हो गयी।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन अब दुख के साथ थोड़ी सी बात कहनी पड़ रही है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि संभल में जो दुःखद घटना हुई है जो मैं पिछले तीन-चार दिन से वहां मुरादाबाद में बैठकर सब देख रहा था। प्रदेश की और देश की जनता पार्टी में जो अन्दरूनी खींचा तानी है उसका भी पार्ट बनाने की कोशिश की जा रही है। इसलिये श्रीमन मैं आप से दरखास्त करूंगा कि इस जिसे

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां न हो। मनानीय मुख्य मत्री जी कुछ जिम्मेदार लोगों को, मुरादाबाद के जो विधायक हैं, उन को सबको मिला कर आप की मौजूदगी में इस सिलसिले में क्या हुआ है, क्या करना है, क्या और आगे करना चाहिये, इसके ऊपर कुछ बात कर लें तो उचित होगा, मनानीय सदन के अन्दर इस तरीके की बातें न हों तो अच्छा है ।

श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, जो संभल की घटना हुई है, उस के संबंध में कल मुझे मुख्य मन्त्री जी को सुनने का अवसर मिला था । यह तो मैं कहूंगा कि मैंजिस्ट्रीयल जांच करने की बात करते हैं तो वह पहले ही कर दी जाय । मैं समझता हूं कि शायद कमिश्नर की जाच नाकाफी होगी। मै जानता हूं कि इस तरह की घटना कोई पसन्द नहीं करता है नहीं मैं यह चाहता हूं कि मैंजिस्ट्रियल जांच न हों, वह तो सब से पहले हो । परन्तु हर मामले में बातों को उलझाना मेरी समझ में नहीं आता । माननीय रियासत साहब ने जनता पार्टी की बात कही। किसी समय कहीं पर कोई दूंगा हो जाय, गड़बड़ हो जाय, कोई लोग लड़ने लगें। उसमें जनता पार्टी की आपसी खींचातानी आप को कैसे नजर आ जायगी ? यह इस तरह की बात है जो....

श्री अध्यक्ष —

शर्मा जी आप रुकिये ..। मैं चाहता था कि मुख्य मंत्री जी जानकारी दें कुछ सदस्य चाहते थे कि विशेष जानकारी। अब इस पर कोई भाषण नहीं होना चाहिये। इसमें कोई प्रतिवाद करने का प्रश्न नहीं है । जानकारी दी वह गलत होगी अपनी जगह पर। आपने इस बारे में अपना सुझाव दे दिया कि न्यायिक जांच होनी चाहिये। पर्याप्त है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

जो जानकारी उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संदर्भ में दी गयी है उस से ऐसे तथ्य प्रकाश में आये हैं कि वहां के जो जिलाधिकारी महोदय थे, जहां पर यह दंगा हुआ है, उनके ही कार्यकाल में और भी दो तीन साम्प्रदायिक दंगे हो चुके हैं। मान्यवर, इस सदर्भ में केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की बड़ी-बड़ी घटनायें हो जाती हैं । इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पीछे प्रशासनिक अधिकारी भी दोषी होते हैं। यदि वे सक्षम नहीं होते उस परिस्थिति को संभालने में तो घटना बहुत भंयकर रूप धारण कर लेती है। संभल में जो घटना हुई यदि प्रशासनिक अधिकारी ने स्थिति को संभाला होता तो शायद इस प्रकार की घटना न हुई होती । मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो जिलाधिकारी उस समय वहां पर थे जब यह दंगा हुआ शायद उनका स्थानान्तरण कर दिया गया है। तो अगर यह तथ्य सही हैं कि उनके कार्यकाल में दो-तीन सामम्प्रदायिक दंगे हुये हैं, हाल ही में तो इस बात को ध्यान में रखते हुये क्या वह इस बात के लिये सदन को आश्वस्त करेंगे कि इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही करेंगे जो परिस्थिति को संभालने में सक्षम न हुये और स्थिति का भंयकर रूप धारण करने में जिनका हाथ रहा है ?

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, यहां सम्भल के विषय में एक प्रधानाचार्य का वक्तव्य भी विवाद के रूप में आ गया । माननीय मुख्य मंत्री ने सदन में वक्तव्य दिया और आरिफ साहब ने जो कहा तो क्या प्रधानाचार्य का वक्तव्य सही मान लिया जायगा ? यदि नहीं, की तो क्या उनसे विशेष जानकारी की जायगी कि यह वक्तव्य कैसे निकला ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने किये हैं यदि माननीय मुख्य मंत्री जी को उनकी जानकारी हो तो उनकी जानकारी वे इसी वक्त दे दें या उचित या समझें तो बाद में पूरे तथ्यों पर सूचना एकत्रित करके दे सकते हैं।

*श्री रामनरेश यादव—

अध्यक्ष महोदय, अभी तक जो सूचना मेरे पास रही है उसी के आधार पर मैंने सदन को अवगत कराया है। एक बात अवश्य है कि हमारे सम्मानित सदस्य आरिफ साहब ने जो प्रश्न उठाये इतना मैं अवश्य कह देना चाहता हूं कि जो भावना उनके मन में है कि इस तरह की घटनायें नहीं होनी चाहिये और यदि अगर कहीं पर इस तरह की घटना हो जाय तो दूसरे स्थानों पर उसकी छाप नहीं पड़नी चाहिये, इससे सदन के सभी सम्मानित सदस्य सहमत हैं और मैं भी सरकार की ओर से इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि कहीं भी इस तरह की घटना की पुनरावृति बाहर नहीं होना चाहिये। इस लिये उस भावना को ध्यान में रखकर ही हमने आयुक्त को जांच अधिकारो की हैसियत से नियुक्त किया है और ये सारे बिन्दु उनकी परिधि में से रखे हैं कि समाचार पत्रों में क्या समाचार प्रकाशित हुए हैं, प्रधानाचार्य ने क्या वक्तव्य दिया है, किस प्रकार स्थानीय अधिकारियों ने क्षमता अथवा अक्षमता का परिचय दिया है। यह अवश्य है कि जांच के चलते रहते जैसे ही जानकारी शासन को इस बात की होगी और यह बात शासन के समक्ष आयेगी कि किसी अधिकारी द्वारा असावधानी अथवा लापरवाही बरती गयी है तो वह चाहे जिलाधिकारी हो अथवा पुलिस अधीक्षक,उनके खिलाफ जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी लेकिन यह सब किया जायगा जानकारी प्राप्त करने के बाद जिसके लिए मैं सदन को आश्वस्य करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री ने स्वयं प्रकाश डाल दिया है . .

श्री देव बहादुर सिंह—

न्यायिक जांच के बारे में क्या कहना है ?

श्री अध्यक्ष—

देव बहादुर जी , सदन को मुख्य मंत्री जी के विचार मालूम हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कमिश्नर की जांच बिठा दी गयी है और उसमें सब पहलुओं पर जांच कर ली जायगी कि प्रशासन के अधिकारियों का इसमें क्या भाग था, कैसे यह दंगा शुरू हुआ,गांधी महाविद्यालय का इससे क्या सम्बन्ध है, किसने शुरुवात की यह सारे प्रश्न उस जांच में आ जायेंगे और उसके बाद सदन को भी उससे अवगत करा दिया जायगा। इसलिये साम्प्रादायिक एकता के हित में आवश्यक होगा कि अब इस विवाद को आगे न बढ़ाया जाय।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1978 †

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरीनाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†विधेयक 4 अप्रैल, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी—

माननीय, मैं उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 †

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

माननीय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करन हतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक; 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

माननीय, म आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 †

श्री अध्यक्ष—

माननीय आबकारी मंत्री . . . . . (श्री केशरीनाथ त्रिपाठी के खड़े होने पर)

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय आबकारी मंत्री नहीं हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । अनावश्यक है ।

श्री श्यामधर मिश्र—

माननीय, आप सुन तो लें . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था में अव्यवस्था है । मैं सुन रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं यह कह रहा हूं कि अगर माननीय आबकारी मंत्री नहीं हैं तो अधिकार दूसरे मंत्री को इसे उपस्थित करने का है, यह मैं मानता हूं लेकिन पढ़ते वक्त उनको कहना चाहिये कि मैं उनकी ओर से पढ़ रहा हूं ।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

नियमों में ऐसा प्राविधान नहीं है । आप नियम देख लें ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्रि परिषद् की संयुक्त जिम्मेदारी होती है और कोई भी मंत्री उसको पेश कर सकता है . . . . . (व्यवधान)

---

†दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—
उन्होंने अव्यवस्था का प्रश्न उठाया और आपकी ओर से व्यवस्था हो गई....

श्री अध्यक्ष—
अव्यवस्था के प्रश्न की इजाजत नहीं है। जो लोग उठाते हैं तो वह अव्यवस्था ही है।

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—
मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—
प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरी नाथ त्रिपाठी—
मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—
श्री नारायण दत्त तिवारी ने नियम 56 के अन्तर्गत एक कामरोको प्रस्ताव की सूचना मुझे दी है। वह इस प्रकार है—दिनांक 31 मार्च, 1978 को सायंकाल लगभग साढ़े सात बजे खतौली, जिला मुजफ्फरनगर में श्रीमती इन्दिरा गांधी की कार पर कुछ असामाजिक एवं हिंसात्मक तत्वों द्वारा ईंट, पत्थर तथा चाकू से हमला किया जाना जिसमें कार के ड्राइवर श्री क्षत्तर सिंह बुरी तरह घायल हो गये। यह कामरोको प्रस्ताव उन्होंने दिया है। वैसे यह बजट अधिवेशन है। लेकिन मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि चूंकि यह एक गम्भीर आरोप है और इस प्रकार की घटना भी अत्यंत गंभीर है इसलिये इस संबंध में वे एक वक्तव्य निश्चित तारीख पर शीघ्रातिशीघ्र सदन में दें और आवश्यक हुआ तो मैं माननीय तिवारी जी को इस पर प्रश्न करने की इजाजत दूंगा। मैं कामरोको प्रस्ताव नहीं स्वीकार कर रहा हूं लेकिन मुख्य मंत्री जी को इस सम्बन्ध में निर्देश दे रहा हूं कि वे वक्तव्य दें। वक्तव्य में प्रश्नों की इजाजत भी दूंगा।

(मुख्य मन्त्री) श्री राम नरेश यादव—
मैं कल वक्तव्य दे दूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—
आज शाम को दे सकें तो....

श्री अध्यक्ष—
आप क्या कल नहीं रहेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी—
मैं अलीगढ़ जा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—
मुख्य मंत्री जी अगर आप आज वक्तव्य दे सकें तो आज दे दें नहीं तो फिर कौन सी तारीख में आप चाहते हैं.... (व्यवधान)

श्री राम नरेश यादव—
इसकी विधिवत् सूचना मंगाने के बाद कल मैं वक्तव्य दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष—
तिवारी जी क्या कल आप नहीं रहेंगे? तो कोई दूसरी तारीख बताइये।

श्री नारायण दत्त तिवारी—
आज शाम को दे दें। कम से कम निंदा तो कर दें।

श्री अध्यक्ष—
आज उन्होंने कहा नहीं दे सकते क्या 6 तारीख रख दें?

श्री नारायण दत्त तिवारी—
मैं आप से बात कर लूंगा।

श्री अध्यक्ष—
मुख्य मंत्री जी, बाद में कोई तारीख मुकर्रर कर लेंगे।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 †

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—
मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें मुख्यत: दो बातों के संबंध में आवश्यक कानून बनाने की स्थिति पैदा हुई। एक तो यह कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत 1 जुलाई, 1952 को गृह निर्माण योजना के लिए जो भूमि 7 जुलाई, 1949 में जिनके पास थी उनको अधिनियम में छूट दी गई थी और उसके अन्तर्गत कुछ लोगों ने भूमि को अपने कब्जे में कर लिया और खेवट में इस तरह से उनका नाम लिखा गया। उस छूट का उद्देश्य यह था कि गृह निर्माण योजना के मातहत कुछ इमारतें बनाई जायं जो कि जनहित में थी। इसलिए उसको जमींदारी विनाश अधिनियम से छूट दे दी गई और उस पर वह लागू नहीं हुआ क्योंकि वह खाली जमीन थी इसलिए वह शासन में निहित हो जाती। परन्तु 1969 में सरकार को जानकारी मिली कि कुछ हाऊसिंग कमेटियां इस भूमि को 17 साल तक अपने अधिकार में रखने के बाद भी गृह निर्माण का कार्य पूरा नहीं कर सकीं और उस जमीन का दुरुपयोग कर रही हैं। इसलिए 1 सितम्बर, 1969 को एक अधिसूचना जारी कर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम में यह व्यवस्था की गई और ऐसी भूमि के संबंध में भी यह अधिनियम लागू कर दिया गया जिससे वह भूमि शासन में निहित हो गई।

देहरादून की एक सोसायटी 'अंजलिया' ने उस पर आपत्ति की थी। जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि उपयोग या यूटिलाइजेशन का मतलब 'टु मेक इम्प्रूवमेंट' है। इसलिए उसमें कुछ भी थोड़ा बहुत काम किया गया है तो उसमें उन्होंने सुधार किया है, जमीन को इम्प्रूव किया है इसलिए इस पर यह लागू नहीं होता है और शासन पर वह जमीन निहित नहीं होती। अत: यह आवश्यकता पड़ी कि इतने बड़े पैमाने पर जो जमींदारी विनाश अधि-

† दिनांक 20 मार्च, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

नियम से विमुक्ति पाई है जिसका वह दुरुपयोग कर रहे हैं उसको लिया जाय । इसमें यह प्राविधान किया गया है कि अगर नींव पड़ गयी है यानी नींव तक मकान बन गया है तो इसको मान लिया जाय कि इसका उपयोग हो गया है । अत: प्राविधान किया गया है कि नींव तक भी कोई निर्माण नहीं किया गया है तो समझा जायेगा कि उन्होंने जिस प्रयोजन के लिए लिया था उसका दुरुपयोग किया है ।

(इस समय 1 बजकर 48 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री वीरेन्द्र पति यादव पीठासीन हुये ।)

दूसरा मान्यवर, मैदानी क्षेत्रों में जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम के द्वारा जो निजी वन थे, उन पर उनका अधिकार समाप्त कर गांव सभाओं या शासन में निहित कर दिये गये हैं । लेकिन मैदानी क्षेत्रों में वह अभी व्यवस्था नहीं है । वहां पर कानून 1960 कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 बनाया गया था, उसमें यह प्राविधान था कि भूमि की परिभाषा में वन नहीं आते हैं । इसलिये उन जंगलातों को निजी प्रयोग में ला कर लोग लाभ उठा रहे हैं । इस तरह से मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में यह भेद हो गया था, बढ़ गया था, इसलिय आवश्यक हो गया है कि इनको एक करके उन्हें भी गांव सभाओं में निहित कर दिया जाय । इसमें यह प्राविधान किया गया है । इसका मुआवजा वार्षिक आय का आठ गुना दिया जायगा । मैदानी क्षेत्रों में भी यही सिद्धान्त माना गया था । उसी के अनुरूप पहाड़ी क्षेत्रों में वही मुआवजा देने का प्राविधान किया गया है । मैं समझता हूं कि ये दोनों ऐसे उद्देश्य हैं, जिन्हें सभी सदस्य स्वीकार करेंगे और इससे सहमत होंगे । अत: मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे स्वीकार किया जाये ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, इस विधेयक के दो पार्ट्स हैं । एक तो वह सोसाइटी जो भूमि वाले पहले के जमींदार थे, जिनकी जमीनों को लेकर उन्होंने मकान या फैक्टरियां आदि बनाने के आधार पर मुक्त कर दिया गया था, दूसरे व्यक्तिगत जंगलात भी इससे मुक्त थे । जो संशोधन मंत्री जी ने पेश किया है वह जनहित में बहुत है और अच्छा भी है, लेकिन यह देखना पड़ेगा कि जो सोसाइटीज इस अधिनियम से मुक्त की गई थीं, वे कोई व्यक्तिगत सोसाइटियां नहीं थीं, वे सार्वजनिक सोसाइटियां हैं । अत: उनका निर्माण कार्य भी जनहित में था और यदि उनका कार्य जनहित में है तो इस विधेयक को एक प्रवर समिति को सौंप देना चाहिये । क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला आया है कि जिन कम्पनियों के निर्माण कार्य 1—9—69 को पूरे हो गये हैं या जिनकी नींव तक भी पड़ गई है, उनको उससे मुक्त रखा जाय। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ।

वन विभाग का जो आया है वह उस भूमि-व्यवस्था से अलग रखा गया था । वह जो जनहित में था, वह किसी इन्ट्रेस्ट की वजह से है तो उसे व्यक्तिगत हित से लेकर सार्वजनिक हित में दे दिया जाय, लेकिन उनको फारेस्ट विभाग को देकर या अधिग्रहण करके ऐसे उपयोग में नहीं आना चाहिये । जिससे जंगल की क्षति हो । तो जो जंगल था, जिसका निर्माण हो

चुका है; उनको देखने का, तो इसे एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय; क्योंकि यह अधिनियम सरकारी आंकड़ों के आधार पर बन रहा है । इससे औद्योगिक कम्पनियों का अहित हो सकता है, इसको ध्यान में रखना होगा ।

कुमायूं और उत्तराखण्ड में जंगलात थे, उनका सार्वजनिक हित में उपयोग हो सकता है, तो सरकार द्वारा उनका अधिग्रहण कर लेना उचित होगा । क्योंकि उनसे उनकी व्यवस्था सुरक्षित होती है, जंगलात से जानवरों की सुरक्षा होती है और भी उससे सार्वजनिक हित में सहयोग मिलता है इस संशोधन के साथ इसे मान लिया जाय कि यह प्रवर समिति को सौंप दिया जाय ताकि मूल तथ्य आ जांय, क्योंकि सरकार ने जिनको मुक्त कर रखा था तो उसकी कुछ मंशा रही होगी । यह मंशा उनका सार्वजनिक हित में उपयोग हो सकता है । इसको देखने के लिये एक प्रवर समिति का निर्माण किया जाय ।

*श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के माध्यम से यह जो विधेयक यहां पर जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 पर विचार हो रहा है । इसकी ओर माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा । जब जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू किया गया था कि उस समय पर्वतीय क्षेत्र में और मैदानों में जंगलों को नहीं लिया गया था । वन भूमि को भूमि नहीं माना गया था । उसके पीछे भी कुछ हेतु रहा होगा । अपना प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है । काश्तकारों के लिये जो कृषि उपकरणों की आवश्यकता होती है अपने पशुओं के लिये वन से आवश्यक सामग्री चारा आदि मिलता है या उनके चुगने के लिए चरागाह की अवश्यकता होती है, इस हित को ध्यान में रखते हुए इन वनों को सरकार द्वारा जमींदारी विनाश अधिनियम में नहीं लिया गया है । जिस प्रस्ताव पर इस समय विचार हो रहा है इसका प्रारूप ऐसे समय में बना था, 1975-76 के आपातकाल में इस प्रस्ताव का प्रारूप बना था । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी चर्चा के लिये और जनमत संग्रह के लिये इसको रखा जाय, जनमत संग्रह किया जाय । सारी सुविधायें जो काश्तकारों को अपने निजी वनों से उपलब्ध थीं वह समाप्त हो जायगी । वन विभाग द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो कृषकों या दूसरे वर्ग के लोगों को वनों की लकड़ी की आवश्यकता होती है या उपकरणों की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति हो सके ।

श्री मन्जूर अली खां (जिला रामपुर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है । कोरम इस वक्त पूरा नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता---

रुकिये, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लि ये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई ।)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें ।

श्री नारायण सिंह भैंसोरा---

मान्यवर, वन विभाग के जरिये कुछ ही गांवों और पर्वतीय क्षेत्रों में उपभोग के लिये जंगल लगाकर लकड़ी की व्यवस्था की है । आज समस्त काश्तकार अपनी अपनी भूमि में कुछ पेड़ों को उगाकर अपनी दैनिक उपभोग की वस्तुओं का उपभोग करते रहे हैं । यदि इस संशोधन को ला कर उनका अधिग्रहण किया जाता है तो काश्तकारों को लकड़ी भी उपलब्ध

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नारायण सिंह भैंसोरा]

नहीं हो पायेगी । आज वनों का आर्थिक दोहन के लिये उपयोग किया जा रहा है । आज किसानों को अपने उपकरणों के लिए जैसे "जुआ","हल" और "दनियाली"के लिए जो विशेष प्रकार की लकड़ी की आवश्यकता होती है, वह उपलब्ध नहीं हो पाती है तो काश्तकार अपनी सुविधा के लिये अपनी जमीनों में वनों को लगा देते हैं परन्तु यदि उन्हें अधिग्रहण कर लिया जायगा तो उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ जायगा ।

दूसरी बात जिस पर यहां पर विचार व्यक्त किये गये हैं वह यह है कि जितनी भी उसकी सालाना आमदनी होती है उसका 8 गुना दिया जायगा इस सम्बन्ध में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक पेड़ लगाया जाता है, अगर मान लीजिये कि चीड़ का पेड़ है तो 15–20 वर्ष तक उससे कोई आमदनी नहीं होती है, कुछ वर्ष बाद वह लीसा जरूर दे देगा लेकिन अगर उसकी 1 या 2 टहनी टूट गयी तो उससे 1 या 2 वक्त का ही खाना पक सकेगा । तो पेड़ की आमदनी जब वह पूर्ण व्यस्क होता है तभी आंकी जा सकती है । पेड़ों की भी अलग-अलग किस्में होती है । जब उसका उपयोग टिम्बर के लिये होता है तब ही अनुमान लगाया जा सकता है कि उससे क्या आमदनी हो सकती है और कितना उससे लीसा निकाला जा सकता है । अलग-अलग पेड़ का उपयोग और आमदनी अलग-अलग दृष्टिकोण से होती है। तो किन मापदण्डों के अनुसार उसकी कीमत लगायी जाय, यह विवाद का प्रश्न है । इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस विधेयक को जनमत संग्रह करके इस पर विचार किया जाय जिससे किसानों को कठिनाइयां न उठानी पड़ें और इस प्रकार के वनों का अधिग्रहण न किया जाय ।

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

माननीय अधिष्ठाता जी, अभी माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 और कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में जनता की भावनाओं को आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी तक पहुंचाना चाहता हूं । मान्यवर, यह विधेयक कांग्रेस के शासनकाल में सामने आ रहा था लेकिन जन भावनाओं के रोष के रूप में देखते हुए उसको या तो स्थगित कर दिया गया या उसको समाप्त करने की बात कह दी गयी थी । यदि आप पहाड़ की परिस्थति को ठीक ढंग से स्वयं देखें तो आप अनुभव करेंगे कि इसका कोई मतलब नहीं है । एक तरफ तो पहाड़ों के अन्दर जब अधिक भूमि का कटाव होने लगा, नदी-नाले जमीन को काटने लगे जो जमीन बेकार पड़ी थी तो जमीदारों ने वन महोत्सवों पर जिसे आप 30 साल से कहते आये हैं कि अधिक पेड़ लगाओ जिससे आपको फायदा हो, पेड़ लगायें, खासकर जंगल वालों ने बांझ, जिससे हल बनते हैं, के पेड़ लगवाये और कहा कि जो चोरी-छिपे जंगल से पेड़ काटे जाते हैं तो हमने बांझ के पेड़ ही लगवा दिये हैं ।

उन्होंने कहा कि तुम्हें झोपड़ी और मकान बनाने के लिये चीड़ की जरूरत पड़ती है, काहे के लिये दूर जाओ, जो बेकार भूमि पड़ी है, उसमें चीड़ लगा दो । हमारे यहां "बैलों" का जो जुआ होता है, वह बड़ी खास लकड़ी का होता है । वह लकड़ी बड़ी मुलायम होती है। उसको लोगों ने लगाया । घास का प्रश्न हमारे यहां बहुत बड़ा था, 30–30 मील घास के लिये महिलायें जाती थीं । तो इस तरह से मान्यवर, लकड़ी की समस्या को हल करने के लिये, घास की समस्या को हल करने के लिये और जाड़ों में पशुओं के नीचे हम लोग

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पेड़ की पत्तियां बिछाते हैं। पेड़ की जो पत्तियां नीचे गिरती है, उनको पशुओं के नीचे डाल देते हैं ताकि गर्मी बनी रहे। तो इस प्रकार से अपने खेत के अन्दर या सीमित भूमि पर जो हमने वन लगाये इस बात का मुझे ताज्जुब है कि वह एक छोटा-सा सुन्दर वन है, 15, 20, 40, 100 पेड़ उसमें ह। जो शासन के पास जो वन है, पहल उनकी रखवाली करो, तो इस विधेयक के द्वारा शासन का मन्तव्य पूरा नहीं होता है। उसमें लिखा है कि 8 गुना आपको कीमत दे दी जायगी। इसकी कीमत कैसे निकालेंगे एक पेड़ से सूखी पत्तियां गिरती हैं, उसकी क्या कीमत होगी 8–10 आने होगा। आजकल जब बसन्त आ गया है, उसकी मुलायम पत्तियों को जानवरों को खिलायेंगे। मेरे मित्र ने तो जनमत संग्रह की बात कही मैं तो कहता हूं कि उसमें दिमाग फिजूल का खर्च होगा। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस संशोधन को वापस ले लीजिए, इससे जनता को बहुत हर्ष होगा और इससे जनता को बहुत बड़ी राहत भी मिलेगी। धन्यवाद।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह जो संशोधन प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। बड़े-बड़े नगरों के आस पास बड़ी-बड़ी सोसाइटिया के रजिस्ट्रेशन के बाद, बड़ी भूमि आवास के लिए अर्जित कर रखी थी, 17–18 सालों में कोई निर्माण का काम का नहीं हुआ है, उन गरीब काश्तकारों की जमीन ले ली गयी कालोनी और बिल्डिंग बनाने के नाम पर, लेकिन वहां पर कोई किसी प्रकार का आवास नहीं बना। वह जमीन जो व्यर्थ में पड़ी हुई थी आज उस जमीन की कीमत बढ़ते-बढ़ते वहां तक पहुंच गयी कि वह कीमत बीस गुना, 25 गुना, 30 गुना तक पहुंच गया। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह इस विधेयक के द्वारा उसको अधिग्रहीत कर रहे है। मैं इसका समर्थन करता हूं। उन्होंने जिन भावनाओं और जन आकांक्षाओं के प्रति बहुत बड़ा आदर प्रस्तुत किया है। इसलिये मै इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता कि सदन इसे पारित करेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्रीजी ने जो यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है उस पर अपनी कुछ बात कहना चाहूंगा। जमींदारी विनाश विधियों में संशोधन विधेयक में जो सोसायटियां हैं और उनके पास जो भूमि है यह तो कानूनी बात है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला किया है, उसी के माध्यम से संशोधन प्रस्तुत किया है, वह तो मजबूरी है, उसे तो पास करना ही है। तो कितनी भूमि की आश्यकता कम से कम है जब इस पर नियम बने तो उधर भी मंत्री जी ध्यान देंगे।

जो यह कुमायूं और उत्तराखण्ड का संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसके बारे में मैं कुछ अपने सुझाव देना चाहूंगा। क्योंकि जो वन भूमि वहां है पहाड़ के अंचल में, जो लोग रहते हैं उनके पास थोड़ा-थोड़ी जमीन है और उसमें कुछ भूमि में लोगों ने वन लगाया है। उसके पहले जब निजी भूमि मे वन नहीं था तो वन विभाग वहां समुचित मात्रा में लकड़ी-पत्ती और अन्य उपयोगी चीजें उपलब्ध कराता था। धीरे-धीरे प्रतिबन्ध लगा दिया गया और अब निजी वन हैं उसी पर वे लोग अब निर्भर करते हैं यदि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये उन्हें लकड़ी और पत्ती लेनी होती है लगता है कि अगर मंत्री जी अपनी पार्टी की बैठक की गयी होती और जो पहाड़ के विधायक ह, उनसे राय ली गयी होती तो कोई राय नहीं देता कि उसे पेश किया जाय क्योंकि जो सुविधायें आज उपलब्ध हैं अपने निजी वन से जब वन विभाग में वह निहित हो जायगा तो वे सुविधायें नहीं रहेगी। इसलिये मैं पहले तो यह कह रहा हूं कि इसको वापस ले लिया जाय जैसा कि और लोग कह रहे हैं, मैं भी सहमत हूं लेकिन अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इतना अवश्य कर दें कि वे सुविधायें जो अपन वन से

[श्री देव बहादुर सिंह]

उनको उपलब्ध है वे आगे भी उपलब्ध होती रहें, किसी प्रकार की कठिनाई न हो इतनी भी तरमीम कर दें तब भी सुख-सुविधा का ध्यान रहेगा और वे लाभ उठाते रहेंगे । इन सब सुझावों के साथ निवेदन करूंगा कि ऐसा जरूर करें जिससे वहां के लोगों को कष्ट न हो सके ।

श्री देवेन्द्रदत्त शास्त्री (जिला देहरादून)--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय राजस्व मंत्री जी ने कुंमाऊं और उत्तराखण्ड जमींदारी बिनाश (संशोधन) विधेयक जो प्रस्तुत किया है मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि पूरे पर्वतीय क्षेत्र की जो भौगोलिक परिस्थिति है और उस क्षेत्र की जनता की आय के जो साधन है उन सब दृष्टियों से देखा जाय तो यह विधेयक आज वहां की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है । मै जानता हूं कि 1952 में जब उत्तर प्रदेश के अन्दर जमींदारी समाप्ति का कानून आया उन दिनों स्व0 माननीय पन्त जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वे पर्वतीय क्षेत्र की परिस्थिति से अच्छी तरह परिचित थे और जमींदारी को समाप्त करने में उनका बड़ा हाथ था । वहां की परिस्थिति को देखते हुए और जनता की आय के साधनों का मद्देनजर रखते हुए उस समय इसमें छूट दी गयी । माननीय सदस्य जानते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र की 99 प्रतिशत जनता की आय के साधन और अपने पेट पूर्ति का साधन केवल मात्र वे वन हैं, जिनमें वे छोटे-मोटे पेड़ लगा कर या बागवानी करके या पेड़ पालन और पशुपालन करके अपने परिवार का पालन करते हैं ।

मैं समझता हूं कि यदि राजस्व मंत्री का उद्देश्य कुछ सोसायटियों को जिन्होंने बाद में उन गरीब लोगों का शोषण किया है उनको समाप्त करना है तो मैं उनका स्वागत करुंगा । यदि संशोधन करने की आवश्यकता थी तो इस बात की थी कि कुछ चन्द पूंजीपति लोग आज भावर या पर्वतीय क्षेत्र में चले गये हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उसको बचाना चाहिए था । संशोधन के उद्देश्य का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जो औपचारिक रूप से रखा जा रहा है, उसमें उनके खेत हैं, मेरा भी खेत है । यद्यपि मैं देहरादून रहता हूं पर वहां मेरा खेत है । वहां एक खेत और दूसरे खेत के बीच में 20–20, 50–50 फिट के अन्तर का डील रहता है, उसमें किसान पेड़ उत्पादन करता है । वहां पर घास का पेड़ लगाता है । यदि जमींदारी विनाश संशोधन जो आया है यदि एक किसान अपने पशुपालन के लिये पेड़ लगायेगा या बागवानी के पेड़ लगायेगा तो इस संशोधन के बाद उसका अधिकार समाप्त हो जायगा ।

मैं मैदानी इलाके के बारे में भी जानता हूं । जबसे सरकार ने वनों के संरक्षण तथा पेड़ आदि काटने का कानून बना दिया है उसके बाद से मैदानी इलाके के काश्तकार को भी उसकी डाल पर अगर कोई ऐसा आम का या जामुन का पेड़ है जिस पर फल नहीं आता है, वह बेकार है, और वह उसे काटाना चाहता है, तो उस बेकार पेड़ को काटने की इजाजत लेने के लिये 10-10 चक्कर वन विभाग के तथा दूसरे विभाग के अधिकारियों के यहां के लगाने पड़ते हैं । इसलिये मेरा निवेदन यह है कि आप वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखें । इस दृष्टि से पर्वतीय किसानों के साथ अन्याय होगा । लेकिन इसका जो यह पहलू है कि कुछ बड़े-बड़े लोगों ने, सोसाटियां बनाकर, सोसाइटियों के नाम पर भूमि ले रखी है उन से उस भूमि को निकल वाया जाय, उसका मैं स्वागत करता हूं ।

पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक और आर्थिक स्थिति को देखते हुए दूसरा संशोधन विधेयक लाया जाये । यदि मैदानी इलाके में आप 12 एकड़ रखते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र में 50 एकड़ रखना होगा क्योंकि उस 50 एकड़ में मुश्किल से 8-10 एकड़ भूमि ही उपजाऊ होगी ।

शेष में तो, जो बंजर होगी, किसान घासफूस आदि ही लगाता है। मैं जानता हूं माननीय राजस्व मंत्री जी का उद्देश्य पवित्र होगा, लेकिन कानून ऐसा लाना होगा जिससे गरीब किसान के साथ न्याय हो सके। इससे तो उनके साथ अन्याय होगा, उनके बच्चों को पालने के जो साधन हैं वे छिन जायेंगे।

मान्यवर, आज पर्वतीय क्षेत्र के 62 प्रतिशत परिवार के लोग सेना में हैं। जब सैनिक अवकाश ग्रहण करके अपने घर वापस आता है तो उसे अपना कार्य करने के लिये भूमि की आवश्यकता होती है। वह वापस आकर बागवानी तथा खेती आदि करना चाहता है। उसको यह काम करने का जो अब तक अवसर मिलता था वह भी इस विधेयक के पास होने पर उसे नहीं मिल पायेगा और वह भटकेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां की भौगोलिक परिस्थितियों को अगर ध्यान में रखकर विधेयक लाया जायगा तो उससे वहां की जनता का हित होगा।

श्री यशपाल सिंह, (जिला सहारनपुर)—

मान्यवर, जो यह संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसके एक अंश तक मैं उसका स्वागत करता हूं। वह अंश यह है कि जसा कि उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने हाउसिंग सोसायटियां बना कर मकान बनाने के लिये भूमि ले ली है, पर अभी तक उसका इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसे लोगों से, सोसाइटियों से, वह भूमि वापस ले ली जाय और जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कश लोग हैं, वह उन्हे दे दी जाय उसका मैं स्वागत करता हू। लेकिन दूसरा जो जंगलात के बारे में माननीय मंत्रीजी ने संशोधन रखा है उससे मैं इत्तफाक नहीं करता हूं। जमींदारी खात्मे का मकसद यही है कि जो मेहनतकश हैं उनका किसी प्रकार से शोषण न हो। जिन लोगों को अधिकार विरासत में मिले हैं उनके अधिकार समाप्त करके जो काम करने वाले हैं, जो मेहनत करते हैं, वे अधिकार उनको दे दिये जायें। यहां पर जहां तक जंगलात का ताल्लुक है वह तो विल्कुल अलग है। उसमें यह बात नहीं आती है। जो मैदानी इलाके हैं, वहां पर जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वह जमींदारों ने काश्तकारों को दे रखी थी। जमीन को जोतता काश्तकार था लेकिन नफा जमींदार उठाते थे। लेकिन जो जंगलात हैं उनके ऊपर जो खेती करते हैं वह जमीन उनको ही मिलनी चाहिए। लिहाजा मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस सिलसिले में वह गम्भीरता पूर्वक विचार करें कि जहां जंगलात के मालिकान का जरिया आमदनी केवल वही जंगलात है तो उनके हक हकूक को कायम रखें, खत्म न करें। इतना कहने के बाद यह जो प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आया है। मैं उसका समर्थन करता हूं।

*श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)—

अधिष्ठाता महोदय, वन विभाग के मुताल्लिक जो मानानीय मंत्री जी ने संशोधन पेश किया उसके समर्थन में कुछ कहने के लिये खड़ा हुआ हूं। जमींदारों के पास जो जंगल की जमीन थी तो जमींदारी खत्म होने के बाद उन्होंने उन जंगलों को खूब बरबाद किया। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां कटाव हुआ और नाले बन गये, और बाढ़ आने लगी। यह जो नदियों में बाढ़ आती है या नदियों में पानी की कमी हो जाती है वह अधिकतर वृक्षों के कटान के कारण आती है। अगर यह विधेयक पास हो जाय तो यह जमीन वन विभाग के पास पहुंच जायगी। जो खेतों के लायक भूमि है उसपर तो खेती हो लेकिन जिस जमीन पर खेती नहीं हो सकती उसपर बन ही लगाने चाहिए जिससे वाटर लेबिल बढ़े और कटाव कम हो। इस तरह से किसानों का भी फायदा हो और भूमि पर हरियाली भी हो सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मन्जूर अली खां--
मान्यवर, कोरम हाउस में फिर नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता--
देखा जा रहा है, माननीय सदस्य जरा रुकिये ।

एक सदस्य--
दिलचस्पी कम है, दिलचस्पी हो तो बैठें ।

(कोरम के लिये घन्टी बजायी गयी ।)

श्री अधिष्ठाता--
माननीय चीफ व्हिप, शासक दल । कृपा करके देखेंगे कि कोरम शीघ्र से शीघ्र हो जाय । उनको यह देखना चाहिए, यह उनकी जिम्मेदारी है कि हाउस में कोरम होना चाहिए ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--
वह है ही नहीं, चीफ व्हिप भी गायब है ।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनःआरम्भ हुई ।)

श्री गंगा सहाय यादव--
प्रकृति के नियम के हिसाब से देश या मुल्क को कम से कम एक तिहाई भूमि वनों से आच्छादित होनी चाहिए । ब्रिटिश राज्य में 12 से 14 परसेंट तक वन था अब करीब 22 परसेंट वृक्षारोपण हो चुका है । तो 22 परसेंट कुल जमीन है जिस पर वृक्ष लगे हैं । अभी कम से कम 11 प्रतिशत और जो बाकी है अगर वह परसेंटेज पूरा हो जाय तभी हम पूरी ऋतुओं का लाभ उठा सकेंगे ।

इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं कि जो जमीन हमारे वहां पड़ी है, चाहे पहाड़ों में हो या मैदानों में, जो काश्तकारों के काबिल है उसका अधिग्रहण न किया जाय किन्तु बाकी सब जमीन को सरकार ले ले । इसीलिये मैं इसका समर्थन करता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह मेहरा (जिला अल्मोड़ा)--
माननीय अधिष्ठाता महोदय, राजस्व मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, जो सदन में विचार के लिये आया है उसके एक अंश जो कुमाऊं और उत्तराखण्ड से सम्बन्धित है । मैं निवेदन करूंगा कि कुमाऊ और उत्तराखण्ड में जो निजी बन हैं उनको शासन में निहित कर दिया जाय इसमें इस प्रकार का एक संशोधन आया है जिससे सारे पर्वतीय अंचल में भारी जन असंतोष है । असंतोष के 2--3 कारण हैं । पहला कारण यह है कि सारा सदन जानता है कि पर्वतीय अंचल में 67 प्रतिशत से भी अधिक भूमि पर इस समय जंगल लगे हुए हैं । जो निजी क्षेत्र में छोटे-छोटे जंगल जहां 40--50 से लेकर 100 पेड़ है उनको भी शासन में निहित करने के माने यह हैं कि जो जंगल निजी क्षेत्र में है जिनका उद्देश्य है कि वहां चारे की जो कमी है उसको पूरी करने के लिये लोगों ने उस भूमि में जिसमें अन्न नहीं पैदा होता है वहां वन लगा रखे हैं, भीमल या वेतुन के, जिससे चारे की कमी को वह पूरा कर सकें । मान्यवर, दूसरा असंतोष का कारण यह है कि यह कहा गया है कि इस संशोधन में जंगल की जो वर्तमान कीमत है उसका आठ गुना कम्पेंसेशन या (प्रतिकर) दिया जायेगा । मैं नहीं समझता हूं भीगल या वेतुन की जंगल जो और किसी काम में नहीं आते हैं केवल चारे के काम आती है, किस प्रकार से मूल्यांकन किया जायगा कि उनकी सालाना आय क्या है ? इसलिये मैं राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह इस पर थोड़ा विचार करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

(राजस्व मन्त्री को पुकारे जाने पर)

श्री इन्द्रमणी बड़ौनी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मुझे भी बोलने का मौका दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं सदस्यों से कहूंगा कि वह सतर्कता दिखायें बोलने में जिससे चेयर की दृष्टि उन पर पड़ सके । अब आप बैठें । मैंने राजस्व मंत्री को बुला लिया है ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, जहां तक रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटीज को जो विमुक्ति दी गयी थी जमींदारी अबोलीशन ऐक्ट से उसके संबंध में सभी माननीय सदस्यों ने स्वागत किया है इसलिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । लेकिन जहां वन भूमि के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये गये हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में, उसमें एक तो यह आशंका व्यक्त की गयी है कि छोटे-छोटे किसान जो उससे घास लेते हैं, पत्तियां लेते हैं उन्हें वन विभाग में या शासन में निहित हो जाने के बाद कठिनाई होगी । लेकिन हमारा ऐसा कोई आशय नहीं है । मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि जो उनके परम्परागत अधिकार हैं घास-पत्ती लेने आदि के वह उसी तरह से रहेंगे । जो नियमावली बनायी जायगी उसमें उनको सुरक्षित कर दिया जायगा ।

श्री यशपाल सिंह—

मैं मन्त्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

मन्त्री जी समाप्त कर लें, बाद में हो जायगा ।

श्री शारदा भक्त सिंह—

जो हिस्सेदार मध्यवर्ती जमींदारों के रूप में उनके लिये यह कानून बनाया जा रहा है और उन्हीं के वनों को अधिकृत किया जायगा । जो खायकर है अर्थात् खेत की मेड़ पर पेड़ लगा लेते हैं या खेत में छुटपुट पेड़ लगा लेते हैं, वह वन की परिभाषा में नहीं आते । इसलिये माननीय सदस्यों ने विशेष कर दो बातों पर जोर दिया । एक तो यह कि उनके जो घास-पत्ती लेने के परम्परागत अधिकार हैं उनमें कोई बाधा उत्पन्न न हो । मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उनको उसी प्रकार सुविधा प्राप्त होती रहेगी । दूसरे यह कि जो खायकर हैं जो सीरदार होकर भूमिधर हो गये हैं उनके मेड़ पर जो पेड़ हैं वह वन की परिभाषा में नहीं आते और उनको अधिग्रहण नहीं किया जायगा । जैसा कि शास्त्री जी ने कहा था कि यहां तो समाप्त कर दिया और पहाड़ों में उनके कब्जे में रहें तो यह विषमता होगी । इसी को दूर करने के लिये यह किया गया है । मुआवजे के बारे में यह प्रश्न किया गया कि किस प्रकार निश्चित किया जायगा । इसके बारे में नियमावली बनेगी । यह कहा गया कि 20 साल से जो उनकी औसत आय आ रही है साल भर की उसको निकाल कर आठ गुना मुआवजा दिया जायगा । चूंकि मैदानी क्षेत्रों में ऐसा ही है इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों के लिये भी यह उचित ही रहेगा । मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य जो इसकी असली मंशा है उसको समझकर इस विधेयक का समर्थन करेंगे ।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि मैदानी इलाकों में एग्रीकल्चर लैंड का जो जमींदार तैनात किया गया तो जैसे मेरी खुद काश्त की जमीन थी तो मैं मालिक था । अगर दूसरा काश्तकार जोतता था तो उसको हक दे दिया गया । अगर मालिकान उसका उपयोग कर रहे हैं और आमदनी ले रहे हैं तो फिर उसको खत्म करने का औचित्य क्या है ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी को इस पर बाद में कहने का अवसर प्राप्त होगा उस समय स्पष्टीकरण भी हो सकता है । मित्रसेन जी, आप अपना संशोधन वापस लेना चाहेंगे ?

श्री मित्रसेन—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि इस वहस में हिस्सा लिया । मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया जिससे साबित हो सके कि उत्तराखण्ड में वनों की क्या सीमा होगी और कितने तक वे लोग रख सकते हैं । उन्होंने कहा कि विषमता मिटाने के लिये ऐसा किया है । मैदानी क्षेत्रों में वातावरण और भौगोलिक स्थित दूसरी होती है विषमता पहाड़ों में दूसरी । वहां पर बहुत से लोग वनों से अपना जीवन निर्वाह करते हैं । विषमता तो उनके मिटाने से मिटती नहीं है । मैं समझता हूं कि जो संशोधन मैंने रखा है उसका किसी तरह से निदान नहीं हुआ है इसलिये मैं अपने संशोधन को वापस नहीं ले रहा हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 10 तक खण्ड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 और कुंमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 का अग्रतर संशोधन करने के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है—

अध्याय एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश विधियों का संशोधन अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) इसे 30 नवम्वर, 1977 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

अध्याय दो

उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन ।

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 2 में—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1950 की धारा 2 का संशोधन

(एक) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, और सदैव से बढ़ाई गई समझी जायगी, अर्थात्—

"(1-क) उपधारा (1) के अधीन इस अधिनियम के उपबन्धों में अपवाद या परिष्कार करने के लिये राज्य सरकार के अधिकार का प्रयोग समय-समय पर किया जा सकता है।";

(दो) उपधारा (2) और उसके स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा और स्पष्टीकरण रख दिये जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे, अर्थात्—

"(2) जहां उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्य सरकार द्वारा किया गया प्रख्यापन किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में हो, जो उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 के अधीन निबंधित किसी सहकारी समिति या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन समिति दायित्व वाली किसी कम्पनी द्वारा किसी गृह निर्माण योजना के प्रयोजनों के लिये 7 जुलाई, 1949 को धृत हो, वहां राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, लोक हित में, प्रख्यापन का विखण्डन या अतिक्रमण ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में कर सकती है, जिसका अधिसूचना के दिनांक तक गृह-निर्माण योजना के निष्पादन में, चाहे ऐसी समिति या सोसाइटी या कम्पनी के किसी व्यतिक्रम के कारण या किसी अन्य कारण से, उपयोग वस्तुतः नहीं किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनार्थ यह समझा जायगा कि गृह निर्माण योजना के निष्पादन में क्षेत्र का उपयोग वस्तुतः नहीं किया गया है, यदि इस उपधारा के अधीन अधिसूचना के दिनांक पर—

(क) भवन-निर्माण स्थल की स्थिति में, कम से कम नींव पूरा होने के स्तर तक निर्माण न किया गया हो; और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, भूमि पर कोई सड़क या पार्क नहीं है।

(3) उस भूमि के क्षेत्र का, जिसके सम्बन्ध में उपधारा (2) के अधीन अधिसूचना जारी की जाय, उपयोग राज्य सरकार द्वारा गृह निर्माण और नगर विकास प्रयोजनों के लिये ऐसी रीति से किया जा सकता है, जो नियत की जाय।";

अध्याय तीन

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी-विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

3—कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1960 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् —

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, सन् 1960 में नई धारा 4-क का बढ़ाया जाना

"4-क-दिनांक 1 जनवरी, 1978 से वन भूमि के सम्बन्ध में प्रत्येक हिस्सेदार के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे और समस्त भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो जायेंगे, और इस अध्याय और अध्याय पांच के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित,

वन भूमि में हिस्सेदार के स्वत्व का राज्य सरकार में निहित होना

वन भूमि पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी खायकारी भूमि पर लागू होते हैं ।"

धारा 6—का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 6 में—

(एक) उपधारा (1) में खण्ड (4) को दिनांक 1 जनवरी, 1978 से निकाल दिया गया समझा जायगा ।

(दो) उपधारा (2) को दिनांक 1 जनवरी, 1978 से निकाल दिया समझा जायगा ।

धारा 18 का संशोधन

5—मूल अधिनियम की धारा 18 में, उप धारा (1) में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(गग) किसी निजी वन की स्थिति में, उससे होने वाली औसत वार्षिक आय, जिसकी गणना निहित होने के दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती बीस कृषि वर्षों की अवधि में ऐसे वन से होने वाली आय के आधार पर की जायेगी ;" ।

धारा 19 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(एक) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्—

"(i) धारा 12 के अधीन हिस्सेदार को देय प्रतिकर निम्नलिखित होगा:—

(क) खायकारी भूमि की स्थिति में, धारा 18 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लगानी आय में से, हिस्सेदार द्वारा देय मालगुजारी, अबवाब और स्थानीय करों को घटाने के पश्चात् निकाली हुई धनराशि का तीस गुना :

(ख) निजी वन की स्थिति में ऐसे वन से होने वाली औसत वार्षिक आय की धनराशि का आठ गुना ।"

(दो) उपधारा (3) में, खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रख दिया जायगा ; अर्थात्—

"(घ) ठेके के अधीन खायकारी भूमि और निजी वन की लगानी आय और औसत वार्षिक आय ;" ।

धारा 47 का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

"(3) राज्य सरकार अनुवर्ती अधिसूचित आज्ञा द्वारा, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई किसी आज्ञा का पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से, अतिक्रमण या परिष्कार कर सकती है, और कोई ऐसा अतिक्रमण या परिष्कार किसी पूर्ववर्ती दिनांक से, जो उस उपधारा के अधीन जारी की गई आज्ञा के दिनांक से पहले का न हो, प्रभावी किया जा सकता है ।"

धारा 52 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2) में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी वन भूमि के संबंध में प्रत्येक ऐसी आज्ञा ऐसे दिनांक से प्रभावी होगी जिसे राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर ।"

अध्याय चार

प्रकीर्ण

वैधीकरण

9—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए, भी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के प्रवर्तन से किसी छूट को समाप्त करने वाली या समाप्त करने का तात्पर्य रखने वाली, राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी कोई अधिसूचना, जो किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में हो, जिसका ऐसी अधिसूचना के दिनांक के पूर्व गृह निर्माण योजना के निष्पादन में प्रयोग वस्तुतः न किया गया हो, एतद्द्वारा, यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके जारी की गयी समझी जायगी और सदैव से इस प्रकार जारी की गई समझी जायगी, जहां विज्ञप्ति से संबंधित क्षेत्र ऐसा क्षेत्र हो जिसका इस प्रकार जारी की गयी विज्ञप्ति के दिनांक तक इस अधिनियम के अध्याय दो द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अर्थान्तर्गत किसी गृह-निर्माण योजना के निष्पादनार्थ उपयोग वस्तुतः न किया गया हो।

निरसन और अपवाद

10—(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन अध्यादेश, 1977 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उ0प्र0अध्यादेश संख्या 19, 1977

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अध्याय दो और तीन में उल्लिखित किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(राजस्व मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री देव बहादुर सिंह—

पास करने से पहले एक बात कहना चाहूंगा मान्यवर, जो मुआवजा आप पुनः देने की बात कहते हैं, अधिग्रहण के कई मामले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो क्या आप मुआवजा बाजार भाव पर देने का विचार करेंगे ?

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, यह तो मैंने पहले कहा कि औसत आय वार्षिक आय का आठ गुना।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

श्री यशपाल सिंह—

मान्यवर, मैंने स्पष्टीकरण मांगा था वह नहीं आया। मंत्री जी पारित करने से पहले उसे दे दें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि . . . .

श्री यशपाल सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं स्पष्टीकरण चाहता था वह पहले मैंने निवेदन किया आप ने फरमाया कि मंत्री जी बाद में स्पष्टीकरण देंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

आपकी स्पष्टीकरण की मांग ठीक है । आप का अधिकार है कि मंत्रीजी से स्पष्टीकरण मांगें, लेकिन मंत्री जी को बाध्य नहीं किया जा सकता । यह उनके लिए है कि वह स्पष्टीकरण दें या न दें ।

श्री यशपाल सिंह—

मैं बाध्य नहीं कर रहा हूं . . . .

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, मैंने जैसा कहा मैदानी क्षेत्र में जो निजी वन थे मध्यवर्ती के, उनको शासन को निहित कर दिया गया है । उसी प्रकार से जो निजी वन के हिस्सेदार हैं, उनके बारे में कानून बनाया जा रहा है । जहां तक काश्तकारों का सवाल है, उनके अधिकार समाप्त करने का इरादा नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 †

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इसमें इस संशोधन में जो प्राविधान किया गया है, उसमें पहला तो यह है कि धारा 142 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अगर कोई व्यक्ति भिन्न प्रयोजन के लिये अपनी भूमि का उपयोग करना चाहता है तो उसे परगनाधिकारी द्वारा प्रख्यापित कराना पड़ता है, तब उसका उपयोग हो सकता है । उसी तरह से वित्त निगम से यह कठिनाई उपस्थित की गयी कि अगर कोई औद्योगिक प्रयोजनों के लिये या आवासीय प्रयोजन के लिये ऋण लेना चाहता है तो जब प्रख्यापित नहीं करा लेते, वह नहीं हो सकता । तो उसमें समय लगता है और उसको कर्जा उपलब्ध होने में कठिनाई होती है । इसलिये यह प्राविधान किया गया है कि अगर किसी निगम या सरकारी बैंक से पैसा कर्ज के रूप में औद्योगिक प्रयोजन या आवासीय प्रयोजन के लिये लेना है तो इस प्रख्यापन की आवश्यकता नहीं होगी और वह मान लिया जायगा और वह कर्ज ले सकता है । यह सुविधा इस उद्देश्य से की गयी है कि हम अपने यहां औद्योगीकरण को बढ़ाना चाहते हैं, उसमें प्रगति करना चाहते हैं । उस प्रवृत्ति को बढ़ाना चाहते हैं इसलिये यह सुविधा दी गयी है ।

दूसरा, यह कि माननीय सदस्यों ने देखा होगा कि निर्बल वर्ग को जो भूमि आवंटित की जाती थी, उसके बारे में कई बार इस माननीय सदन में भी शिकायत की गयी कि उनको उस पर

---

†दिनांक 20 मार्च, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

कब्जा पाने में कठिनाई होती थी और कब्जा पाने के बाद भी उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे । इसलिये इसमें प्राविधान किया गया है कि परगनाधिकारी को अगर किसी आवंटी को कब्जा नहीं मिलता है, तो उनको हमने यह अधिकार दिया है कि वह उस पर कब्जा तुरन्त दिला सकते हैं और उसमें जो आवश्यक बल प्रयोग करना है, वह भी करा सकते हैं । इसके अतिरिक्त यह भी इसमें प्राविधान है कि अगर ऐसा कब्जा प्राप्त करने के बाद उस आदमी पर फिर अतिक्रमण हो और कोई जबरदस्ती कब्जा करना चाहे तो यह काग्नीजेबिल अफेंस होगा और उस आदमी को मुकदमा चलने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है । मैं ऐसा समझता हूं कि पिछले दिनों में इसका बहुत प्रचार किया गया कि हम निर्बल वर्ग की भूमि की रक्षा नहीं करना चाहते हैं और उस सम्बन्ध में हम पर बराबर यह आरोप लगाया गया कि शायद हम उस तरफ उतनी कड़ाई से कदम नहीं उठा रहे हैं । बार-बार इस सदन में आश्वासन दिया था कि हम ऐसे निर्बल वर्ग के लोगों के लिये, जिनको भूमि दी गयी थी, हम इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं कि उनको कब्जा मिल जाय और उनकी भविष्य में भी सुरक्षा हो सके । मैं समझता हूं कि जो प्रचार अधिक करते रहे और काम कम किया, इस कानून को बनाकर हमने हमेशा के लिये उनको आश्वस्त किया है कि अगर किसी छोटे आवंटी को भूमि पर कब्जा नहीं मिलता है तो उसे खर्च उठा कर मुकदमा करने की कठिनाई नहीं उठानी पड़ेगी ।

हमने परगनाधिकरी को अधिकार दे दिया है कि वह उसे तुरन्त कब्जा दिला दे और उसकी बेबसी का फायदा उठा कर कोई कब्जा कर लेता है तो हम उसे कब्जा ही नहीं दिलायेंगे बल्कि दंड भी देंगे जो तीन वर्ष का होगा । यह व्यवस्था इस बात के लिये आश्वस्त करती है कि किसी प्रकार हम सहन नहीं करना चाहते कि जो दीन व निर्बल वर्ग के लोग हैं जिनको जीवकोपार्जन करने के लिये हम भूमि आवंटित करना चाहते हैं उससे उनको कोई वंचित न कर सके । सदस्यों को जानकारी है कि 3 1/8 एकड़ से कम जिनका खाता है उन सभी को शासन ने लगान से मुक्ति दी है । बहुत दिनों से यह मांग थी जिनको अलाभकारी जोतों से कोई लाभ नहीं होता था और सारा परिवार उस छोटी सी जोत पर निर्भर करता था और उसको उस अलाभकारी जोत से कोई फायदा साल भर में नहीं होता था तो हमने यह प्राविधान किया है कि जब तक वह अपने पैरों पर खड़ा न हो जाय और वह खाता लाभकारी न बन जाय और प्रदेश की उन्नति में योगदान देने योग्य वह न हो जाय तब तक 3 1/8 एकड़ से कम भूमि के खातेदारों को लगान से सर्वथा मुक्त रखा जाय । इसके अतिरिक्त यह भी प्राविधान हमने किया कि जो विकास कर लगा हुआ था जिससे काश्तकार को काफी परेशानी थी उससे भी 3 1/8 एकड़ के ऊपर जो काश्तकार थे उनको मुक्त कर दिया गया और विकास कर हमेशा के लिये समाप्त कर दिया गया ।

प्रतिनिहित विधायन समिति ने सिफारिश की थी कि नियमावली में दो प्राविधान बड़े महत्व के हैं उनका समावेश मूल अधिनियम में होना चाहिये, इसलिये उनको इच्छानुसार इसमें उनका प्राविधान किया गया है । लैंड रेवेन्यू ऐक्ट में लैंड रिकार्ड आपरेशन की क्रियायें होती थीं, उनमें काफी देर लगती थी और उनमें पेचीदगी भी थी इसलिये यह प्राविधान किया गया है कि भू-अभिलेखों में दुरुस्ती की अथवा चकबन्दो में जो क्रियायें होती थीं कि रिकंसिलियेशन से मामले को सुलझा दिया जाय उसमें शीघ्रता हो जाय और लोगों को कठिनाई कम हो, यह व्यवस्था भी इसमें की गयी है और भी छोटी-मोटी आवश्यकताओं का प्राविधान करके इस संशोधन विधेयक को सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है और मैं समझता हूं कि सदन इसे स्वीकार करेगा ।

"श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।"

[श्री मित्र सेन---]

इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि माननीय मंत्री जी ने सवा 3 एकड़ के खातेदार को लगान से मुक्त कर दिया इसलिये कि वह अलाभकर जोत थी, जिससे यह राहत उनको दी गई, अलाभकर जोतें सरकार ने सवा 6 एकड़ तक मानी थी इसलिये सवा तीन एकड़ का कोई प्रश्न नहीं उठता, फिर भी सवा तीन एकड़ तक जो राहत दी गयी उसका मैं स्वागत करता हूं । लेकिन इसके साथ ही साथ जैसा कि कहा गया है कि जो अलाभकर जोत वाले थे वे पीड़ित थे और वे यह भार वहन नहीं कर सकते थे इसलिये उन्हें इससे मुक्त कर दिया है किन्तु यदि सवा छः एकड़ तक वाले काश्तारों को छूट दे दी जाती तब तो यह एक प्रगतिशील कदम कहा जा सकता था । मान्यवर, इसके तीन खण्ड हैं । मंत्रीजी ने कहा कि चूंकि लोग अपनी जमीन से भूमि के सम्बन्ध में कर्जा ले सकते थे, वे औद्योगिक कर्जा नहीं ले सकते हैं या उनकी जमीन बन्धक नहीं हो सकती थी इसलिये संशोधन ला कर लोग औद्योगिक कामों के लिये कर्जा ले सकते हैं। मैं चाहूंगा कि कम से कम जोतवालों को कर्जा देने की व्यवस्था की जाय क्योंकि जो छोटी इकाइयां औद्योगिक क्षेत्रों में चलावेंगे अपनी भूमि बन्धक रखकर कर्जा ले सकें तो उन्हें काफी पैसा मिल सकता है । इसलिये इसमें प्राविधान होना चाहिये था कि जो छोटी इकाइयां औद्योगिक क्षेत्र में चलाना चाहते हैं उनको कर्जा मिल सके ।

सदन में बार-बार इस बात का शोर होता रहा कि पिछली सरकार ने जो भूमि आवंटित की है उसमें कई आपत्तियां हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको इस संशोधन से कोई लाभ होने वाला नहीं है क्योंकि कब्जा मिलने के बाद भी जो 198 की कार्यवाही ए0डी0एम0सी0 के यहां से होती है उसमें एक एकड़ से ज्यादे का पट्टा नहीं मिला है । बहुत से ऐसे पट्टे हैं जिसमें वे सुआ-मोटो ऐक्शन करवा देते हैं अगर आप चाहते हैं कि पट्टे की जमीन पर काश्तकारों को कब्जा दिला दें तो आप इस प्रक्रिया को समाप्त करें जिस पर वे सुआ-मोटो चलाते हैं। इसके लिये भी आप आदेश दें । इसके अलावा अगर कोई प्रमाण मिले और अगर वह पट्टा गलत हो गया है तो जो गरीब आदमी है जिसको चार बिस्वा आबंटित हुआ है उसको भी आप जमीन से बेदखल कर देंगे । तो अगर इसे आप चालू रखेंगे तो कब्जे की जो कार्यवाही है उसका निस्तारण नहीं होगा ।

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह आवंटन हो रहा था और सीरदारी का हक लोगों को मिला 27 जनवरी, 1977 को, उसमें उन्हें भूमिधरी में कन्वर्ट किया गया उसमें बैनामा करने से रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश में इस तरह के करोड़ों मुकदमें पड़े हुए हैं और बैनामे नहीं हो पाये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इन संशोधनों पर विचार करेंगे क्यों कि ये बहुत ही मत्वपूर्ण हैं और विधेयक की मंशा के अनुरूप हैं । अगर यह नहीं करेंगे, मुकदमें की प्रक्रिया को आबंटियों के साथ सरल नहीं की जाती, छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिये ऋण देने की व्यवस्था नहीं की जाती, सवा तीन एकड़ के बजाय सवा छः एकड़ तक की अलाभकर जोत वाले को छूट नहीं दी जाती तो इसे प्रगतिशील नहीं कहा जा सकता है । इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि यह सदन इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दे जो एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट दे दे ।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। यह जो विधेयक आया है यह हमने जो गांवों की ओर चलने की बात कही है, उसी का हिस्सा है । जो पट्टे वाली बात भाई साहब ने कही वह मेरी समझ में नहीं आई। कुछ सही बात भी विरोधी लोग करेंगे या नहीं या अपने बयान अखबारों में देकर जनता में एक वातावरण पैदा करके शांति भंग करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य ध्यान रखें जो कुछ विरोधी दलों की ओर से कहा जा रहा है।

श्री मानसिंह आजाद—

हमने लगान कम की। यही नहीं आपने जो कहा कब्जा नहीं हुआ और हरिजन छोड़ रहे हैं यह गलत है। इन्होंने तो जो पट्टे दिये वह बड़े-बड़े लोगों को दिये या फिर जिन लोगों को बधिया किया उनको दिये। यह जो कानून बनाया है जो बड़े-बड़े लोग जमीन पर कब्जा किये हैं उनसे छुड़ाने के लिये प्रबन्ध कर रहे हैं ताकि उनको सजा दी जाय। यह तो केवल अखबारों में अपना बयान देने के लिये कहते हैं। अभी तक गांवों में जमीन बड़े-बड़े लोग दबाये हुए हैं वह उनसे हम छुड़ा रहे हैं। इसकी मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। हमरापुर में गांव समाज की जमीन है उस पर सड़क बननी थी उस जमीन को जगदीशपुर के प्रधान दबाये हुए हैं। जब उस पर सड़क बनने लगी जिसका कि जिलाधीश तक मुआयना करने गये उस सड़क को नहीं बनने दिया। वहां पर जनता की अदालत लगी जिस पर जिलाधीश ने आज्ञा की लेकिन थाना इंचार्ज मलिहाबाद ने श्रमिकों को जाकर कहा सड़क को बन्द करो नहीं तो तुम को बन्द कर देंगे।

मैंने जिला कमेटी में यह बात उठाई। थाना इंचार्ज ने कहा कि हिन्दू मुस्लिम झगड़ा होने का अंदेशा था फिर मैंने यह मामला उठाया उसमें मकसूद साहब भी मौजूद थे और सभा की जिसमें हमने बिल्ला लगाया कि हिन्दू मुस्लिम भाई-भाई हम सब एक हैं। यह जनता की अदालत ने फैसला लिया। यह एक प्रगतिशील विधेयक है जिसको आप अच्छा नहीं समझते हो आप देश भर में हुकूमत करने का दावा करते हो लेकिन 30 साल तक आपने कुछ नहीं किया . . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य कुछ आहिस्ता से बोलें।

श्री मानसिंह आजाद—

मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जनता की अदालत ने यह कहा कि उस थानेदार को तुरन्त हटाया जाय। तो ऐसे लोग जो हैं वह विरोध करना चाहते हैं। यह जो विधेयक लाया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। गांवों की ओर चलने की हमने शपथ ली है और हम उस ओर चल रहे हैं। अंत में मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको बधाई देता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो संशोधन विधेयक पेश किया है और उस पर मित्रसेन जी ने जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है, मैं उस प्रवर समिति के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, मैं उम्मीद करता था कि इस वक्त जो संशोधन विधेयक आएगा वह बहुत रिव्यूलूशनरी और क्रांतिकारी होगा और यह इसलिए कि इस सदन में बार-बार अलाभकर जोतों के बारे में बड़ी-बड़ी चर्चाएं हुई हैं, बड़ी-बड़ी कारगुजारियां हुई हैं और इसको लेकर वोटिंग तक हुआ है माननीय सदन के अन्दर और यह बड़ा भारी ईश्यू रहा है कि अलाभकर जोतों पर से लगान हटाया जाय। जब एक बार चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री थे, उनके समय में सवा छः एकड़ तक की जोतों पर से लगान हटाया भी गया। डाक्टर राममनोहर लोहिया और दूसरे अन्य प्रमुख जो समाजवादी कार्यकर्ता इस देश में हुए हैं, उन सबने यह कहा कि अलाभकर जोतें सवा 6 एकड़ की हैं। जहां तक जमींदारी एबालीशन कमेटी की जो सिफा-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन---]

रिशें हैं, उन सब में भी यही कहा गया है। जिस समय चौधरी चरण सिंह यहां की सरकार में मैम्बर थे, उस समय भी यह कहा गया है कि सवा 6 एकड़ तक की जोतें अलाभकर जोतें हैं इसके लिए हम लोगों ने बड़ी-बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन खेद इस बात का है कि जब जनता पार्टी के हाथ में शासन है, जब जनता पार्टी इस लायक बनी कि वह इस क्रांतिकारी मसले पर कोई निर्णय ले सके, तो उसने उसे 3 1/8 एकड़ कर दिया है। इससे डाक्टर राम मनोहर लोहिया की आत्मा क्या समझ रही होगी, यह मेरी समझ में नहीं आता है।

एक संशोधन विधेयक आज यहां पेश किया गया है, लेकिन मैं यह मानकर चलता हूं कि जब तक उत्तर प्रदेश में, चाहे बन्दोबस्त के जरिए हो या कोई कमेटी बनाकर उस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हो, हम यह निर्णय न ले लें कि इस देश की चेंज्ड परिस्थिति में सवा 6 एकड़ की जोत अलाभकर नहीं है, बल्कि 3 1/8 एकड़ की जोत हो गई है। जब तक यह न हो जाए अलाभकर जोत सवा 6 एकड़ की ही रहनी चाहिए। यदि जनता पार्टी यह चाहती है कि समाजवादी नीतियों के आधार बनाकर इस देश में कुछ करना है, निर्बल किसान के लिये कुछ करना है तो अच्छा होता कि माननीय मंत्री जी की घोषणा सवा छः एकड़ तक की होती, तो जिस पर बहुत समय से चर्चा हो रही है, उसके बारे में यह माना जाता कि जनता पार्टी की सरकार ने उस चीज को आज मान लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रवर समिति में यह जाना चाहिये, जिससे उसमें निर्णय हो कि अलाभकर जोत कौन है।

दूसरा मसला आबंटन के बारे में है। मंत्री जी ने कहा कि आबंटित जमीनों पर कब्जा नहीं दिला पाए, कब्जा होने के बाद भी मठाधीश लोगों ने उनसे वापस लेकर अपना कब्जा ले लिया। अब इसके लिए एस0 डी0 एम0 को पावर दिया गया है। लेकिन पूरे प्रदेश में कब्जा दिलाने में सबसे बड़ा रोल आपके लेखपाल और सुपरवाइजर कानूनगो का है। वास्तविकता यह है कि जहां इन लोगों ने चाहा कब्जा हो गया और जहां लेखपाल और कानूनगो ने नहीं चाहा तो भले ही एस0 डी0 एम0 ने आदेश दिया हो, उसमें कुछ नहीं हुआ है।

मिसाल के तौर पर हमारे क्षेत्र में एक गांव अक्का डिलारी है। वहां भूमि का आबंटन हो गया लेकिन जो भूमि आबंटियों को दी गयी उस भूमि पर कब्जा आज मठाधीशों का है। कई बार गांव में डिप्टी साहब, एस0 डी0 एम0 साहब भी गये, यहां तक कि मंत्रियों के प्रोग्राम भी उस गांव में हो गये। यहां तक कि भूतपूर्व राज्यपाल चन्ना रेड्डी साहब का भी प्रोग्राम हो गया। लेकिन वहां के भूमिहीनों को जो भूमि आबंटित हुई थी, उस पर गांव के मठाधीशों के ट्रैक्टर चल रहे हैं। जब तक इसके अन्दर प्राविजन नहीं करेंगे कि जिस गांव के अन्दर आवंटन नहीं हुआ है वहां के लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार और तहसीलदार को क्या सजा दे रहे हैं, जब तक यह नहीं होगा तब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उस वक्त तक जिनको भूमि का आबंटन हुआ है, चाहे हरिजन हों या गैर हरिजन, उस वक्त तक उसके कब्जे का मसला तय होने वाला नहीं है।

तीसरा यह मसला है जिनके पास बड़ी-बड़ी जमीनें हैं, अगर कोई उद्योग लगाना चाहता है तो भी फाइनेंस देने वाली एजेंसी जमीन को गिरवी रखकर फाइनेंस देती है। अब उस जमीन को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उसको लोन मिल जायगा। अगर यह स्पष्ट कहते कि जो भी उद्योग लगायेगा उसको ही जमानत मान कर, व्यक्तिगत तरीके से जमानत मान कर लोन मिल जायगा तो उसका उत्साह बढ़ता कि हमको लोन मिल सकेगा। जब यह नहीं है तो इससे कहीं स्पष्ट नहीं होता कि अगर वह छोटा-मोटा काम करना चाहेगा तो कैसे उसको लोन मिलेगा। जितनी भी एजेंसियां हैं गांव-गांव में जाती हैं, वह देखती हैं कि जिनको लोन मिल रहा है उनके पास चार बीघा जमीन है या नहीं। जिनके पास नहीं है उनको कैसे मिलेगा? वह कहीं जाकर किसी कारपोरेशन से लोन नहीं मांग सकेंगे क्योंकि वह सोचेंगे कि हमारे पास जमीन नहीं है।

जिन लोगों ने गांव में कर्ज लिया है, उनका क्या हस्र हुआ है, चाहे वह कोआपरेटिव हो या बैंक का लोन हो, हर गांव का आदमी जिसने लोन लिया है उसको या तो जमीन बेचनी पड़ी है या भैंस बेचनी पड़ी है, तब लोन अदा हुआ है।

यह बिल आपने जिन भावनाओं के साथ रखा है, क्रांतिकारी भावनाएं हैं, पर अधूरा क्यों, पूरी तरह से क्यों नहीं करते ? डाक्टर राममनोहर लोहिया के जितने समाजवादी साथी हैं, चाहे वे हमारे साथ हैं या उधर बैठते हैं उनको संतुष्टि तो हो कि सवा छः एकड़ तक जो अलाभकर जोतें हैं, वे लगान से मुक्त हो गयीं। जब तक संतुष्टि नहीं होती तब तक इस बिल का कोई खास फायदा होने वाला नहीं।

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो वर्तमान विधेयक प्रस्तुत किया है सचमुच जनहित में और किसानों के हित में है। कौन व्यक्ति इस सदन में होगा जो इस विधेयक की जो तीन चार मुख्य बातें हैं उससे इनकार करेगा ? सवा तीन एकड़ तक लगान माफी के सम्बन्ध में हमारे भाई रियासत हुसैन ने कहा कि सवा तीन एकड़ तक अलाभकर जोत दिखायी गयी है। हम अलाभकर जोत की बात नहीं करते हैं। हमने चुनाव घोषणा-पत्र में वादा किया है। उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। कांग्रेस सरकार तीस वर्ष में दिशाहीन और पंगु हो गयी थी। हमने वादा किया था सवा तीन एकड़ एक साल के भीतर माफ कर दिया।

नम्बर दो, किसानों को ऋण मिलने में जो कठिनाई होती थी, उसमें सुविधा दी जा रही है नम्बर तीन कब्जा नहीं होता था, पुनः पुनः जबरदस्त कब्जा कर लेते थे। इस विधेयक द्वारा कलेक्टर को अधिकार दिया जा रहा है कि जो गरीबों की जमीनों पर बार-बार कब्जा करते नहीं डरते थे, उनके खिलाफ जबरदस्ती की कार्यवाही करेगा और बल प्रयोग भी करेगा। चौथे जो अभिलेख तैयार होते समय सर्वे विभाग को डिसाइड करने का अधिकार नहीं था। किसानों को रेग्युलर सूट में जाना पड़ता था। इस विधेयक द्वारा जैसे चकबन्दी की कार्यवाही होती है, वैसे ही रिकार्ड आपरेशन में भी कार्यवाही होगी। ये 4 बातें ऐसी हैं जो प्रदेश के किसानों के हित में हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दूसरी तरफ खींचना चाहता हूं कि उन्होंने विकास कर माफ कर दिया। वे धन्यवाद के पात्र हैं। मैं विकास कर लगाने को एक राक्षसी प्रवृत्ति समझता हूं क्योंकि लगान स्वयं एक कर है। कांग्रेस सरकार के जमाने में जब मैं विधान सभा में था तो मैंने कहा था कि लगान स्वयं एक "कर" है और जो सरकार कर पर कर लगाती है वह पैशाचिक सरकार है। इसलिए सरकार द्वारा इस विकास कर को हटाकर माननीय मंत्री जी ने बड़ा ही उपकार किया है।

आपात्काल के नाम पर तमाम किसानों को दोहन किया जाता था, कांग्रेस सरकार ने लगान की वृद्धि कर दी थी। लगान वृद्धि 63 करोड़ और अब वह 29 करोड़ हैं। यह आंकड़े आपातकाल के पूर्व वर्ष 1975 के हैं। उस समय 21 करोड़ लगान था, 20 करोड़ विकास कर लगा था, कुल 41 करोड़ रुपये का प्राफिट होता था। जो कांग्रेस सरकार ने लगान बढ़ाया, जिसे आप वसूल करने जा रहे हैं वह आप 29 करोड़ लगान का वसूल करेंगे और 16 करोड़ रुपये साढ़े 3 एकड़ का माफ करेंगे। इस प्रकार से वर्ष 75 में विकास कर लगाकर आपने कुल 41 करोड़ रुपया लिया लेकिन अब आप वसूल करेंगे 45 करोड़ रुपया। यह किसान पर भार पड़ रहा है। आज जिस प्रकार से आपने बढ़ा हुआ किसान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शम्भूनाथ चौधरी—]

से लगान वसूल हुआ है उससे वे बहुत ही तृषित हो गये हैं। आज किसान आग बबूला होकर हमारे पास उमड़ आता है और पूछता है कि क्या मैंने आपको वोट इसलिए दिया कि कांग्रेस ने जो पाप किए उनको भी आप हमारे कंधों पर डालते हैं।

अन्त में, मैं इस विधेयक का तो समर्थन करता हूं लेकिन माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वर्ष 1975 में प्रदेश में जो परिस्थिति थी, उसको कायम करा दें। इन उम्मीदों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयक का तो समर्थन करना चाहता हूं लेकिन साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। पता नहीं ये सुझाव उनको कितनी दूर तक ग्राह्य होंगे या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ बातें इस सिलसिले में जरूर कहना चाहता हूं। अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहली बात जो इस विधेयक में है वह यह है कि 3 1/8 एकड़ तक के किसान की लगान माफी जिसे यह सदन पास कर चुका है, कोई खास बात नहीं है। अच्छा होता यदि अलाभकर भूमि का लगान ही माफ कर दिया गया होता। नहीं हुआ, आगे हो जायगा, उसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन एक बात है, वह यह है कि अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें कई चीजें एक साथ जोड़ी गयी हैं और खासतौर पर जिस बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह है कि यू0 पी0 लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट, 1901 जिसमें संशोधन करने का प्राविधान किया जा रहा है और उसका मतलब है भू-अभिग्रहण क्रियाओं से संबंधित प्रक्रिया।

अधिष्ठाता महोदय इस प्रदेश में सन् 1323 फसली के बाद शायद अब तक प्रदेश में कोई दूसरा बंदोबस्त नहीं हुआ, अगर चकबन्दी की बात को उससे निकाल दिया जाय, तो अधिष्ठाता महोदय, अंग्रेजों ने जो भूमि-व्यवस्था बना रखी थी, हमको ऐसा लगता है कि उसमें हम कुछ अपने को अलग अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे दृष्टिकोण साफ नहीं हो पा रहे हैं कि हमको भूमि व्यवस्था संबंधी कौन-कौन सी कार्यवाही करनी चाहिए, कौन-कौन सी नहीं करनी चाहिए और इसीलिए एक बात का उदाहरण मैं और देना चाहता हूं कि जो जमींदारी विनाश अधिनियम को और उस वर्ष को एक बन्दोबस्त का साल मान कर काम चलाया गया, उससे भी काम पूरा नहीं पड़ा और फिर जो पंचसाला बन्दोबस्त हुआ करता था नदियों के किनारे की जमीन, जो जमीन कट जाती थी, उससे काश्तकार का नाम हटा देने के लिये और जो जमीन निकल आती थी, उस पर काश्तकार का नाम जोड़ देने के लिए इस काम के लिए इसका इस्तेमाल होता था। पंचसाला बंदोबस्त, अधिष्ठाता महोदय, ने इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट का भी इस्तेमाल होता था और यही नहीं, एक जिला नहीं पूरब के तो कई जिले, कुछ पश्चिम के भी जिले हैं, जिन जिलों में यही भयंकर समस्या है। कहीं-कहीं यह समस्या एक प्रदेश में और दूसरे प्रदेश के बीच भी समस्या है, जैसे बुलन्दशहर और हरियाणा के बीच काफी यह समस्या

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है। यू0 पी0 और बिहार के बार्डर की यह समस्या है। मुझको उम्मीद थी कि शायद हमारे मित्र शम्भूनाथ जी चौधरी इस बात पर प्रकाश डालेंगे और उससे हमको कुछ ज्ञानवर्द्धन होगा। श्रीमन्, सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने यू0 पी0 और बिहार के वार्डर डिस्प्यूट को तय करने के लिये चन्दूलाल कमेटी का कमीशन नियुक्त किया। उस कमीशन ने रिपोर्ट दिया। उसके बावजूद किस प्रकार यू0 पी0 और बिहार का झगड़ा होता था, इस सदन को उतना समय नहीं कि उसका पूरी तरह से जिक्र किया जा सके, क्योंकि मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी नहीं हूं, सुनी-सुनाई बात पर कहता हूं। इस प्रकार श्रीमन् प्रदेश की सीमाओं का विवाद, जिले और दूसरे जिले की सीमाओं का विवाद, तहसील और तहसील की सीमाओं का विवाद गांव और गांव की सीमाओं का विवाद और उसी के साथ-साथ काश्तकारों के अपने हकों के साथ-साथ एक विवाद और उसका इस भू-अधिग्रहण प्रक्रिया के माध्यम से हल निकालने जा रहे हैं।

हम निवेदन करेंगे, एक बार नहीं, रेवन्यू विभाग में जहां तक मुझे याद है सन् 64 में फिर शायद 75 में और फिर शायद आखिर 76 में तीन जी0 ओ0 निकाल कर इस संदर्भ में इन्होंने स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया। फिर भी मैं मानता हूं कि स्पष्टीकरण हुए, लेकिन वह स्पष्टीकरण पर्याप्त नहीं। यही नहीं, कुछ वकीलों ने मुझको बताया कि वह स्पष्टीकरण कानून की निगाह में चैलेंज करने के लिये पर्याप्त है। लेकिन श्रीमन् मुझको ताज्जुब यह है कि यह सारी जानकारी होने के बावजूद भी जिन अधिकारियों ने इन सारी जानकारी को प्राप्त किया है, पूरा का पूरा रेवन्यू बोर्ड जो बैठा हुआ है इसी बात के लिए बैठा हुआ है और उसी के आदेश के तहत यह सारी कार्यवाही होती है। इसके बावजूद भी इस मर्ज का कोई इलाजात करना नहीं चाहता। कारण क्या है? ऐसे भी स्थान हैं, जिले हैं जिनमें एक बार रेवन्यू रेकार्ड आपरेशन हुए और फिर उसको दुबारा रद्द करके रेकार्ड आपरेशन करने की बात है। मैं एक किस्सा जानता हूं। और सब छोड़ दें। बस्ती, फैजाबाद जिले के बार्डर पर बीच की जमीन के बन्दोबस्त के सिलसिले में इतनी लूट हुई कि जिसका कोई हिसाब लगाना मुश्किल है और कितने दिन तक यह प्रक्रिया जारी रही यह कहना मुश्किल होगा। शायद 3 साल के ऊपर। बहराइच जिले में किस प्रकार बन्दोबस्त प्रक्रिया की शिकायत शासन को मिलती रही, इसके बावजूद शासन के कान पर जूं नहीं रेंगी। एक नहीं जाने कितने कत्ल हुए, भूमि के ऊपर कब्जे के विवाद को लेकर। गांव सभाओं की सीमा विवाद को लेकर और मैं अगर भूल नहीं करता हूं तो हो सकता है कुछ मामले रेवेन्यू बोर्ड में डिसीजन के लिये शायद पेंडिंग हों क्योंकि कुछ दिन पूर्व तक उनके फैसलें नहीं हुए थे। एक जिले से दूसरे जिले की सीमा के सम्बन्ध में।

अधिष्ठाता महोदय, रेवेन्यू विलेज की सीमा क्या होगी ? एक विलेज कट जाता हैं, जमीन दूसरे जिले में चली जाती है। एक जिले का आदमी कहता है वह जमीन मेरी हैं। दूसरा कहता है कि मेरी कटी, हुई जमीन है लिहाजा मुझको मिलनी चाहिए। इतना ही नहीं, अधिकार का सवाल तो आता ही है, यह भी झगड़ा खड़ा होता है कि इस जिले में जो जमीन कट कर आयी है वह हमारे जिले की जमीन है, दूसरे जिले वालों को नहीं मिलेगी चाहे उसके सारे के सारे काश्तकार एक दम भूमिहीन बन जायं। यही नहीं, जब गांव सभाओं के माध्यम से घाट चला करते हैं तो किस गांव सभा का अधिकार हो घाट चलाने में, इस प्रकार के झगड़े चलते है। मुझको यह आशा थी कि इस प्रकार की समस्या का समाधान इस विधेयक के माध्यम से निकलेगा, लेकिन वह दिखाई नहीं देता।

एक बात की तारीफ किये वगैर नहीं रह सकता कि जहां मुझको कमियां दिखाई देती है वहां एक अच्छी बात भी है कि अभिव्यक्ति प्रक्रिया के सम्बन्ध में चकबन्दी की प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा और मै जितनी इसकी तारीफ करूं वह थोड़ी है। लेकिन

[श्री कल्प नाथ सिंह]

इसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि इस मंशा की पूर्ति भी तभी हो सकती है जब आप अपने अधिकारियों के हाथ भी बांध दें ।

टाइटिल डिसाइड करने की बात चौधरी जी ने कही । देखने में तो अच्छा लगता है लेकिन एक आदमी का कब्जा दो साल पहले दर्ज हो गया और एक की जमीन कटने के पूर्व जिस आदमी की जमीन मौरूसी कास्त थी, सीरदारी या खुदकाश्त थी वह जमीन उसको मिलेगी या उसको मिलेगी जिसने उस पर कब्जा कर रखा है ? टाइटिल किसका होगा ? मेरा निवेदन है कि सबसे पहले जिस किसी ने भी बन्दोबस्त के पहले कब्जा कर रखा है, अगर उसकी जमीन के निकलने के पूर्व या नदी में जाने के पूर्व उसका अगर कोई विधि संबंधी अधिकार नहीं था, उसको पहले कोई कानूनी स्थिति प्राप्त नहीं थी तो इस चकबन्दी की प्रक्रिया में उसको स्थिति प्राप्त नहीं होनी चाहिए । मैं पूछता हूं कि आखिर उस काश्तकार का क्या दोष है जो पुश्त दर पुश्त से उस जमीन पर का बीज रहा है, किन्तु वह जमीन कट कर नदी के पेटे में चली गयी ? आपकी जमीन की जो प्रक्रिया है अगर उसके हिसाब से किसी ऐसे काश्तकार की जिसकी कि जमीन कट कर नदी के पेटे में चली जाय उस काश्तकार का नाम खारिज हो जाता है तो जिसकी जमीन नदी में चली जाय उसी को जमीन मिलना चाहिये आज वह दूसरे के नाम हो जाती है जिसके कारण तमाम मुकद्दमेबाजी होती हैं ।

एक और बात मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं । जिलों का और गांवों का जो सीमा विवाद है इसका भी हल हो जाना चाहिये । इसका फैसला कैसे होगा ? रेवेन्यू कानून से होगा या किस आधार पर होगा कुछ जगह, यह कहा जाता है कि वह बाजबुलअर्ज के आधार पर होगा । या पुराने आधार पर होगा ? इसमें व्यावहारिक कठिनाइयां है । उन कठिनाइयों पर भी मंत्री जी को विचार करना होगा । यह एक जगह नहीं है, सभी जगह है । मैंने तो गंगा के किनारे की बात बतायी माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जमुना के किनारे के गांवों को भी यही स्थिति है । वर्मा जी बता रहे हैं कि आजमगढ़ और देवरिया के बीच भी यही स्थिति है । इसके कारण लड़ाइयां हुई है । जहां कहीं भी नदी के कटाव से जमीन निकली, 2–4 कत्ल हो गये । इसकी सारी जिम्मेदारी गलत रेवेन्यू कानून की है । उसके स्पष्टीकरण के कारण यह होता है । इसी कारण लूट चलती हैं ।

मंत्री जी से कहेंगे तो वह कहेंगे कि पकड़वा दो, मगर देने वाला हमारे पास आयेगा क्यूं ? जिसको देना है वह तो देकर अपना काम करवा लेगा, मरेगा तो वह जो पुश्त दर पुश्त से जमीन पर काबिज रहा है और जिसकी जमीन निकल जायेगी । मेरा नम्र निवेदन है मंत्री जी इन बातों पर विचार करें । "हां" तो हम कहेंगे ही, मगर समस्यायें है उनको वे छोटी न समझें । मैं नहीं समझता यह प्राब्लम हरदोई जिले में हैं कि नहीं, मगर देवरिया, आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, फैजाबाद बहराइच, और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आगरा, कानपुर, बरेली, पीलीभीत आदि जगहों पर भी यह प्राब्लम हैं । जब सभी जगह यह प्राब्लम है तो आप कृपा करके एक दिन इस पर विचार करने की कृपा करें । लेकिन मेरा यह कहना है कि आप भले हो आज पास कर लें लेकिन मेहरबानी करके एक सम्मेलन आप बुला लीजिये और सारे विधायकों को बुला लीजिये । अपने अधिकारियों को बुला लीजिये । अधिकारी मेरी बातों का जवाब दें तो मैं आपकी बात मान लूंगा और संतुष्ट हो जाऊंगा । लेकिन मेरा निवेदन है कि कृपा करके जिस प्रकार से गड़बड़ी होने की संभावना दिखायी देती हैं उस गड़बड़ी को न होने दें । इन शब्दों के साथ मैं पुनः इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि अगर इस बिल को वह न लाये होते तो यह कहने को मौका भी न मिलता ।

(श्री बशपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर तथा कुछ सदस्य के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों को ध्यान रखना चाहिये कि 2 सदस्य जो मेरे दायें हाथ की तरफ के हैं, उनको बुलाता हूं उसके बाद बायीं तरफ के एक सदस्य को बुलाता हूं।

श्री यशपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी हमारे सामने जो बिल ले आये हैं और उसको जो हमारे साथियों ने प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मुझे कुछ ऐसा लगता है कि सरकार जो संशोधन ला रही हैं, उसके लाने में साये साये नहीं।

श्री अधिष्ठाता--

मालूम होता है कि आपका माइक काम नहीं कर रहा हैं, आवाज नहीं आ रही है। आप दूसरे माइक पर आ जाइये।

श्री यशपाल सिंह--

अधिष्ठाता महोदय, कल्पनाथ सिंह जी को आपत्ति है कि संशोधन हमारे पास कुछ है नहीं इसलिये हमें बोलने का अधिकार नहीं है। तो संशोधन रखा गया है कम से कम उसे तो समर्थन करने का अधिकार हैं ही।

श्री अधिष्ठाता--

अधिकार अवश्य है।

श्री यशपाल सिंह--

सरकार जो संशाधन लायी है कुछ मुझे ऐसा मालूम होता है कि सरकार सिसियर नहीं है। उसने गंभीरतापूर्वक इसको देखा नहीं है। आवंटियों के सिलसिले में जो उन्होंने कदम उठाये हैं मैं समझता हूं कि थोड़ा बहुत वह स्वागत योग्य है। जिन लोगों ने अनाधिकृत कब्जा आवंटियों की जमीन पर कर लिया था उसको उन्होंने एक दंडनीय अपराध उसको मान लिया सहीं है लेकिन श्रीमन्, अगर इसका इंप्लीमेंटेशन देखें तो कहीं नजर नहीं आता है। जनवरी के महीने में यह अध्यादेश जारी हुआ और मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कुछ नहीं बतलाया कि कितने आवंटियों को अधिकार दिलाया और कितने लोगों को जिन्होंने अनधिकृत कब्जे किये थे उनको सजा करायी।

मान्यवर, एक बड़ी जबंदस्त बात उन्होंने बतलायी कि सवा तीन एकड़ के जो काश्तकार हैं उनका हमने लगान माफ कर दिया है। म तो अवश्य इसको क्रांतिकारी कदम मानता अगर उन्होंने अलाभकर जोतों को लाभकर बनाने के लिये कोई व्यवस्था बनाई होती। लगान माफ करने से काश्तकारों का कोई विशेष भला होने वाला नहीं है। उन्होंने सवा तीन एकड़ वाले काश्तकारों का लगान माफ कराया। लगभग 12 करोड़ रुपये की यह धनराशि बठती है। लेकिन इसके साथ अगर देखा जाय तो जो इससे ऊपर के काश्तकार हैं उनके ऊपर लगान को बढ़ा दिया गया है। कहत ह कि हमने विकास कर खत्म कर दिया। इसस पहले की जो सरकार थी उसने लगान को पूर्ववत किया था और विकास कर को खत्म किया था जिसका जिक्र कहीं नहीं है। इसको देखा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जो पहले लगान 21 करोड़ रुपये वसूल होता था और हमारे जमाने में 33 करोड़ रुपये हुआ उसके बाद अब जो सवा तीन एकड़ के ऊपर वाले काश्तकार हैं उन पर जो दर बढ़ायी गयी है तो उसकी रकम लगभग 60-63 करोड़ रुपये बैठेगी।

विकास कर समाप्त करने से क्या फायदा हुआ? आज उत्तर प्रदेश का किसान कमर तोड़ मंदी से परेशान है। मैं समझता हुं कि उसकी जानकारी मंत्री जी को होगी। मुझे आशा थी कि उन हालातों को जानकर कुछ नई व्यवस्था लायेंगे जिससे

[श्री यशपाल सिंह]

किसानों को फायदा होगा। मान्यवर, मंत्री जी के संशोधन में एक यह प्रस्तुत किया है कि काश्तकार को यदि वह छोटे-छोटे उद्योग लगाना चाहेगा तो निगम या बैंक के जरिये भूमि को बन्धक रखकर ऋण मिल जायगा और उसे ऋण लेने में कठिनाई नहीं होगी। मान्यवर, जितनी इन्डस्ट्री है उनको इन्डस्ट्री के आधार पर लोन दे दिया जाता है। लेकिन काश्तकार के लिये जमीन को भी बन्धक बनाना पड़ेगा। क्या अच्छा होता कि ग्रामीण अंचल की ओर बढ़ते हुये एक यह कदम बढ़ाते कि काश्तकार को भी उनके उद्योगों के आधार पर ऋण मिलेगा और 1/4 जमा कर बाकी ऋण मशीनों आदि पर मिल जायेगा। इसलिये काश्तकारों के लिये कोई विशेष सुविधा तो इसमें दिया नहीं है।

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे थे कि उनके इस संशोधन से जो भू-अभिलेखे हैं उनमें तजी आयेगी लेकिन जैसा कि कल्पनाथ जी कह रहे थे और मैं भी निवेदन करना चाहता हुं कि इसमें जो दरियाबुर्द व बरामद क्षेत्र हैं उनके बन्दोबस्त के बारे में जिक्र नहीं है। हमारे जिला सहारनपुर में हमारे क्षेत्र तहसील नकुड़ में 1950 से बरामद शुदा जमीन बिना बन्दोबस्त के पड़ी है। मैं 1962 में जब विधायक होकर आया तब और उसके पहले 1956 से मैं इस कोशिश में हूं कि बन्दोबस्त हो जाय, लेकिन आज तक कोई उसमें बन्दोबस्त नहीं हुआ है। पिछलीबार रुकावट आई कि काश्तकारों के टाइटिल तय करने के लिये हरियाणा मैनुअल चाहिये, लेकिन वह जब मिला तो उसमें त्रुटि पायी गयी कि प्रेसीडेन्ट की अनुमति चाहिये। मेरा ख्याल है कि 10 महीने हो गये हैं। प्रेसीडेन्ट की अनुमति लाये हुये, लेकिन अभी तक वह ऐक्ट बनकर समाने नहीं आया है।

श्री अधिष्ठाता --

माननीय सदस्यों को जब कोई कागज देने आते हैं तो उनको खड़े नहीं रहना चाहिये।

श्री यशपाल सिंह --

मंत्री जी ने तजकिरा किया है कि कागज ठीक है, केवल ऐक्ट यहां लाने की देर है। ऐक्ट पुराना बना हुआ है। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहुंगा कि वह दरियाबुर्द व बरामद क्षेत्र जो है उनका भी बन्दोबस्त करें। मान्यवर, इसको पास तो मेजारिटी से कर देंगे लेकिन यदि इसमें गौर कर लिया होता तो पिछली सरकार ने जो किसानों की परेशानियों को देखते हुये लगान को पूर्ववत् किया था उसको स्वीकार करते और विकास कर को समाप्त करते तो मैं इनकी बात को मान लेता। इसलिये यह कोई नया कदम नहीं है। यदि किसानों की मजबूरी का फायदा उठाना चाहे तो आप उठा सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि काश्तकारों के हित में ग्रामीण अंचल के गरीब किसानों की हातलत पर रहम करायें और उनके ऊपर लगान पूर्ववत् ही रहने दें तो मैं उसका बहुत आभारी होउंगा।

श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, इस सदन में माननीय राजस्व मंत्री ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। साथ ही जो प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव है महज इसलिये कि इसमें विलम्ब हो उसका मैं विरोध करता हूं। माननीय रियासत साहब ने बार-बार डा0 राममनोहर लोहिया का जिक्र किया। मैं इस सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि डा0 लोहिया बार-बार इस बात को कहते रहे और उनके दर्शन और उनकी नीतियों में इस बात का जिक्र था कि जिस खेत से कोई लाभ न हो उस पर कोई लगान नहीं होना चाहिये। जनता पार्टी की नीतियों में इस बात का उल्लेख किया गया कि हम अन्त्योदय के दर्शन पर देश की अर्थ व्यवस्था को बढ़ाना चाहते है, दबे

हुये और पिछड़े लोंगों को उठाना चाहते है। उसी दर्शन के तहत हमारी जनता पार्टी ने सवा तीन एकड़ पर से लगान खत्म करके एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और उसको लागू करने के लिये यह विधेयक आया है। यहां बार बार सवा छः एकड़ की बात दोहराई जाती है। लकिन आप दखें कि पिछले तीस सालों में हमारा देश खोखला हो गया तथा अर्थ व्यवस्था चरमरा गयी है और देश दिवालियेपन की ओर बढ़ गया था।

जनता पार्टी का इरादा था कि सवा छः एकड़ से मालगुजारी माफ करेंगे लकिन आर्थिक संकट के कारण वह बात नहीं हो पायी। लेकिन जो हमारी सीमा है अलाभकर जोत की उस पर स लगान माफ करना उस दिशा में संकेत करता है कि आगामी वर्षो सें हमारी जनता पार्टी की सरकार उस ओर बढ़ने के लिये दृढ़ संकल्प है। भूमि आवंटन की बात कही गयी। पिछले 30 वर्षों में जो कांग्रेसी हुकुमत थी उसने भूमि आवंटन का हौवा खड़ा कर के संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कर दी थी। लोंगों को कब्जे नहीं मिल पाये थे लेकिन जनता पार्टी की सरकार के जमाने में इस तरह की शिकायतें नहीं मिलती है। केवल अखबारों में कुछ फर्जी बयानात निकलते है या विपक्ष से इस तरह की आवाज उठती है कि आवंटन में शिकायतें हैं।

आज सद न को इस विधेयक को प्रसन्नता के साथ पारित करना चाहिये क्योंकि इसमें प्राविधान किया गया है कि उन गरीब आवटियों को यदि कोई बेदखली करता है या अनाधि कृत कब्जा करता है तो कलेक्टर या सहायक कलक्टर को अधिकार है कि उनको बेदखल कर दे। अगर इस पर भी नहीं मानते तो ऐसे लोंगों को जो उनकी भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करते है तीन साल की कड़ी सजा दी जायगी। इसलिये जो तरह तरह की बात उठायी जाती हें, उन्हीं के लिये जो विधेयक प्रस्तुतत किया गया है उसमें प्रावीजन किया गया है। उन तमाम लोंगों के बारे में जो इन निबल वर्गों की लोंगों को जमीन पर कब्जा किये हुये थे, जिनको 3 साल की कैद की सजा का जो प्राविधान किया गया है वह एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। और ऐसे विधेयक को इस सदन में भारी बहुमत से पास करना चाहिये। मान्यवर, इस विधेयक की जो मंशा है, उसको मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। यह विधेयक उन लोंगो क बारे में जिनको आबंटन में थोड़ी जमीन मिली थो, उनके बारे में है और यह जो लोंगो को ऋण दिलाने के सिलसिले में सुविधा दी जा रही है। यह बड़ा महत्वपूर्ण कदम है।

मान्यवर हमारी जनता सरकार ने ऐलान किया है कि गांवों को कुटीर उद्योगों के जरिये आगे बढ़ायेंगे–और गांधीजी के स्वप्न को साकार करेंगे। मान्यवर, गांधीजी का भी यह स्वप्न था। उस स्वप्न को साकार करने का निर्णय ग्रामीण अंचल के लिये इस जनता पार्टी ने लिया है। ऐसी तमाम चीजों जो गांव में उपयोग होती हैं, उनको कुटीर उद्योग से तैयार किया जायेगा और उनको बड़े कारखानों में नहीं बनने दिया जायेगा। इस बात का संकल्प जनता पार्टी ने लिया है और ऐसे गरीब लोग जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनको बेकारी से बचाने के लिये जो कर्ज देने की बात है, वह बड़ा महत्वपूर्ण कदम है।

इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विपक्षी लोगों की तरफ से जो दलीलें आ रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश के पिछड़े, गरीब, दबे और, कुचले लोगों को आगे बढ़ाने के लिये इस निर्णय को लिया है। इस काम में जो भी बाधायें हैं उनको समाप्त करते हुये, इस देश के गरीब लोगों, पिछड़े लोगों को विशेष अवसर देकर आगे बढ़ाने के लिये यह विधेयक मदद कर रहा है। अतः मैं चाहूंगा और इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे विधेयक को भारी बहुमत से पास करायें ताकि

[श्री राम द्विवेदी---]

किसानों को, भूमिहीनों को और गरीब लोगों को राहत दे सकें। इन शब्दों साथ मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

मैं माननीय सदस्यों के समक्ष इस बात को रखना चहता हूं कि यह विधेयक तो आप के समक्ष विचाराधीन चल ही रहा है। इसके अलावा कुछ संशोधन भी आये हैं माननीय कल्पनाथ सिंह जी के जिनमें वह काफी समय लेंगे। इसके बाद एक मण्डी विधेयक भी आ रहा है। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सदस्य बोल सकते हैं, लेकिन फिर सारा कार्य सदन के समय के अन्दर नहीं हो पायेगा जब तक कि उसको आगे के लिये और न बढ़ाया जाय। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि माननीय सदस्यों से कि जो विधेयक चल रहा है, कि कृपया अब उस पर न बोलें।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)---

मान्यवर, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है, जिसको माननीय मंत्रीजीं ने सदन के समक्ष रखा है। इसमें ऐसा करदें कृपया कि जो इसमें माननीय सदस्य बोलना चाहते थे, उनके समय में कुछ कटौती करके एक समय दे दें ताकि जो महत्वपूर्ण चीजें छूट जाती हैं कहने के लिये, उनकी ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित किया जा सके।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य मैं समझता हूं मेरी बात से सहमत होंगें कि माननीय कल्पनाथ सिंह जी का जो संशोधन आ रहा है जो व्यापक है। उस पर आप सभी मनानीय सदस्य बोल सकेंगे।

श्री शारदा भक्त सिंह---

मान्यवर, यह जो विधेयक मैंने इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उसके संबंध में मैंने माननीय सदस्यों के विचार सुनें। मैं समझता हूं कि साधारण तौर पर लोगों ने उसका स्वागत ही किया है। लेकिन कुछ बातें कहीं गयी हैं। जिनके संबंध में कुछ कह देना आवश्यक है। पहले तो यह बात कही गयी कि यह जो भूमि बंधक वाली बात है, इस बात से कोई प्रगति या क्रान्तिकारी कदम नहीं होगा। मैं इसको क्रान्तिकारी कदम नहीं मानता।

एक कठिनाई थी कि कोई अगर औद्योगिक आवासीय प्रयोजनों के लिए अपनी जमीन रख कर कर्ज ले उस में भी उसे बहुत देरी लगती है। पहले निगम या बैंक कहते थे कि पहले प्रख्यापन प्राप्त हो जाय तब कर्ज देंगे। प्रख्यापन प्राप्त करने में कई महीने लग जाते थे और जो काम करना होता था उस में व्यवधान पैदा होता था। इसका मतलब यह नहीं है कि सब लोग जमीन को बंधक रख कर कर्ज लें। जो जमीन को बंधक रखना चाहते हैं, जमीन के बंधक के तौर पर जो पैसा लेना चाहते हैं उस में जो कठिनाई है उसे दूर करने का प्राविधान किया जाय। अन्य काश्तकारों को वैकल्पिक साधन प्राप्त हैं जैसे कोआपरेटिव और बैंक है जो खोले जा रहे हैं। यह तो उनके लिये है जिनके पास भूमि नहीं है, कम भूमि उपलब्ध है, उनको साधन उपलब्ध कराये जायं। यह तो उन लोगों के लिये है जिन्हें भूमि बंधक रख कर कर्ज प्राप्त करना है। वित्त निगम से, बैंकों से उन को जो कर्ज लेने में बिलम्ब होता था प्रख्यायन प्राप्त करने में जो कठिनाई होती थी हमने उसे दूर कर दिया।

माननीय रियासत हुसैन जी ने कहा कि सवा छः एकड़ माननीय लोहिया जी ने कर दिया था। बड़ा क्रांतिकारी कदम था। मैं समझता हूं कि किस विधेयक से क्या हम करना चाहते हैं यह चीज आप के समझ में आ जाय तो अच्छा है। इस विधेयक से कम से कम आप को आभास हो जाना चाहिये कि हमारी नियत क्या है, हमारी चाल किस दिशा को है, हमारे चरण किधर जा रहे हैं किस मंजिल तक हम जाना चाहते हैं इसका अगर आभास आप को हो जाय तो विधेयक का काय पूरा हो जायगा।

आप को पता है पिछले दिनो में कांग्रेस सरकार ने लगान 41 करोड़ से बढ़ाकर 63 करोड़ कर दिया था और जब हमारे सामने प्रश्न आया तो हमने पहला कदम उठाया भूमि को 13,1/8 एकड़ किया । आठ-नौ महीनों में ही हमने 63 करोड़ रुपये सें 33-34 करोड़ रुपया अपने काश्तकारों पर से हटाया । इससे मैं समझता हूं कि सरकार किस तरफ जा रही है । किसानों को हम देख रहे हैं। आगे हम क्या करना चाहते हैं आप देखेगें अभी काफी समय बाकी है । आप को धैर्य रखना चाहिए कांग्रेस की तरफ से भी कहा गया है कि क्रांतिकारी कदम नहीं है। आप तो तीस वर्ष में नहीं कर सके । हमें तो साल भर ही हुआ है, हम ने शुरुआत की है । 63 करोड म लगभग 33–34 करोड़ भूमि लगान काश्तकारों से हटाया ।

इसके अतिरिक्त यह कहा गया कि हम ने जो चकबन्दी की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है उससे कुछ सुविधा होगी। जल्दी हो जाय लेकिन माननीय कल्पनाथ सिंह जी ने प्रश्न उठाया है बंगाल रेगुले शन ऐक्ट का, नदियों के कटान से एक गांव की भूमि दूसरे गांव में चली जाती है। मैं ऐसा समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस समय जो कानून व्यवस्था है उसमें कोई कठिनाई नहीं है जो बंगाल रगुलेशन ऐक्ट है वह हमारे यहां लागू नहीं है । हमने निश्चित कर दिया है कि राजस्व विभाग में जो गांव की वाउन्डरी है जो रेवेन्यू वाउन्डरी है वह उस की अंतिम वाउन्डरी है। इस प्रकार गांव के कटने से उसकी वाउन्डरी अब नहीं बदलेगी यह हमने निश्चित कर दिया है । भूमि कटकर चाहे दूसरी तरफ जाय या इधर रहे छोटे काश्तकार के कब्जे में जो भूमि है वह हर हालत में उसकी रहेगी । इसलिये भूमि के कटने से काश्तकार के अधिकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह भी निश्चित कर दिया है कि कहीं पर भूमि पानी में चली गयी बालू में पड़ गयी तो इससे हक खत्म नहीं होगा । खाते में उसका लेखा रहेगा केवल इसका दैवी आपदा मान लिया जायगा । जिन कृषकों की भूमि नहीं है उनसे हम लगान नहीं लेगें · · · लेकिन खाता उसके नाम चला जायगा। जब जमीन पानी से निकल आयेगी और कृषि योग्य हो जायगी तो फिर उस पर लगान पड़ेगा । इसको हमने दैवी आपत्ति मान लिया है और कब्जा खत्म नहीं होगा ।

बिहार और उत्तर प्रदेश के बारे में बाउन्डरी का सवाल उठाया गया। आपने अखबारों में उसकी चर्चा भी पढ़ी होगी। पिछले दिनों मैंपटना गया हुआ था । दो दिन का समय ले कर गया था। बड़ी भयंकर स्थित बतलाई जाती थी लेकिन दो घंटे में बात तय हो गयी। फिर वहां के राजस्व मंत्री लखनऊ आये। उस संबंध में उनसे बात चीत हुई । जब उनके सामने सारा कानून रखा और अपनी मंशा बतलाई तो उन्होंने कहा कि कोई कठिनाई नहीं है हम लोग निबट सकते हैं । कट कर जो जमीन बिहार में या उत्तर प्रदेश में चली गयी यह बात निश्चित हो गयी कि आर्बिट्रशन के द्वारा पत्थर लगा दिये जायेंगे और हमेशा के लिये बाउन्डरी निश्चित कर दी जायगी । लेकिन कौन काश्तकार काबिज है, इसके लिये दोनों ओर से संघर्ष चल रहा था। रिकार्ड आपरेशन की प्रक्रिया हमने प्रारम्भ कर दी है, और उसके समाप्त होने पर वह कठिनाई भी दूर हो जायगी हमेशा के लिये । स्थिति यह रहती थी कि उधर के काश्तकारों की भूमि अगर इधर आ गयी तो वह शिकायत बिहार में करते थे और वहां से लिखा पढ़ो करते थे।

वहां के जब मंत्री आये तो हमने कहा कि वहां के काश्तकार भी हमको उतने ही प्रिय हैं, सीधे हमें लिखा करें, बिहार के स्तर से लिखा पढ़ी करते हैं तो हमको अच्छा नहीं लगता उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया । हम लोगों ने आपस में मिल कर जो निश्चिय किये थे और गाइड लाइंस बनाई थीं उनको दोनों तरफ के जिलाधिकारियों को भेजा जा चुका है।

[श्री शारदा भक्त सिंह]

उन पर विचार हो रहा है और शीघ्र ही वह कठिनाई दूर हो जायगी । जो लोग गड़बड़ी करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं और जहां पर लोग कानून को नहीं समझते तो उसे हमें लोगों को बतलाना होगा ।

एक बात रियासत साहब ने कही कि उनके गांव में कब्जे नहीं दिलाये गये । जब तक लेखपाल और नायब तहसीलदार को सजा नहीं दी जायगी य कब्जे नहीं दिलाये जा सकते । जब इस भूमि का आवंटन किया गया था वह इतने समय में हुआ, प्रचार अधिक और काम कम किया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि भूमि का आवंटन जिस तरह से होना चाहिये था वह नहीं हो सका और लोगों को कब्जा प्राप्त नहीं हो सका । जमीन की पैमाइश नहीं हो सकी । पिछली सरकार ने यह जो कुछ किया जल्दी में किया जिसस कठिनाई पैदा हुई । उस जिम्मेदारी को हमने लिया । कब्जे के पट्टे तो कांग्रेस सरकार ने दे दिये लेकिन उस भूमि को हम दे रहे हैं । हमने नायब तहसीलदार से लेकर कमिश्नर तक को आदेश दे दिये है कि 31 मार्च तक चार महीने के दौरान जितने भी पट्टे पिछली सरकार ने किये हैं, जो आवंटन भूमि का किया गया है उसकी सूची बनाई जाय, सबकी छानबीन कर ली जाय और जिनकी पैमाइश नहीं हुई उनकी पमाइश हो जानी चाहिये, जिनको कब्जा नहीं दिया जा सका उनको कब्जा दे दिया जाय और जो भूमि कृषि योग्य न हो उसे विकल्प में दूसरी भूमि दे दी जाय लगभग वह कार्य पूरा हो चुका है ।

अन्तरिम रिपोर्ट से पता चला कि एक लाख लोगों से ज्यादा कब्जे हमने दिलवाये हैं और वह प्रक्रिया जारी है और शिकायतें उस संबंध में बहुत कम हो रही हैं और जो एक आध आती भी हैं उन पर तुरन्त कार्यवाही की जाती है । इस समस्या को राजनीतिक रूप दिया जा रहा था और बराबर चिल्लपों मची हुई थी उसको हम हमेशा के लिये खत्म करना चाहते है । हम पट्टा एक बार दिला भी दें और फिर दूसरा उस पर कब्जा कर ले और हर साल अधिकारी उस कब्जे को दिलाता रहे तो इस तरह से हमेशा नहीं चल सकता । कब्जा दिलाने के बाद अगर कोई उसकी बेबसी का फायदा उठा कर के कब्जा कर लें तो हमने यह प्राविधान किया है कि उसको दंड मिलना चाहिय और उस संबंध में तुरन्त कार्यवाही होनी चाहिये और अगर प्रचार है तो हम कहते हैं कि थाने में रिपोर्ट करो । चिल्लाने से कोई काम नहीं चलेगा । अगर आप झूठ कहते हैं तो वह साबित हो जायेगा । इसके लिये हमने कानून बना दिया है कि वह काग्निजेबुल आफेंस होगा । अगर किसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया तो उसका यह पहला कर्त्तव्य होगा कि वह थाने में ही रिपोर्ट करें । उसकी जांच हो जायगी ।

एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे गांव में कब्जा नहीं मिला । लेखपाल आपके यहां कब्जा नहीं दिला पाये । यह बात सच है कि लेखपाल को कब्जा दिलाना चाहिये । लेकिन यह केवल सरकार का ही कर्त्तव्य नहीं है कि वह कब्जा नहीं दिला पाई । आप हमसे उम्मीद करते हैं कि हम आपके गांव में कब्जा दिला दें । वहां पर आपके होते हुए कब्जा न दिला पायें, सारा इंतजाम हमसे कराना चाहते हैं, तो यह बड़े ताज्जुब की बात है ....

श्री रियासत हुसैन--

सारे स्टेप्स लेने के बावजूद भी कब्जा नहीं मिला ।

श्री शारदा भक्त सिंह--

सरकार कानून बना सकती है, आदेश दे सकती है और कड़ाई से कार्यवाही कर सकती है लेकिन मैं विरोधी दल माननीय सदस्यों से अपील करना चाहता हूं कि यह काम गरीबों के लिये हो रहा है, हमें उनकी सहायता करनी चाहिये । यह अकेले हमारा काम नहीं है । अगर आप को मालूम हो तो आप संघर्ष करके समस्या का समाधान करन की दिशा मे कदम उठायें । इसी दृष्टि से गरीबों की ऐसी समस्याओं का समाधान हो सकता है ।

समस्यायें बड़ी है और हमें उन्हें हल करना चाहिये । हम महसूस करते हैं कि जो गरीबों के साथ अन्याय हुआ है उसको हम दूर करें। इन शब्दों के साथ जो विचार आपने व्यक्त किये उनका म स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जो संशोधन आपने रखे है उन्हें आप वापस लेंगे।

श्री हरि केवल प्रसाद--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने एक जी0ओ0 निकाला था उसके तहत यह था कि पूरे प्रदेश के अन्दर और खास-तौर से हमारे पूर्वांचल में हर जिले में गांव समाज के कमजोर वर्ग के लोग जो बसे हुए हैं। जिनके सदियों से वहां पर मकान हैं, झोपड़ी हैं, जमीन है उसके ऊपर गांवों के प्रभावशाली लोगों के नाम भूमिधरी खाते में दर्ज है और अभी तक वे कागज में वे ज्यों की त्यों पड़े हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी स जानना चाहूंगा कि इन नामों को खारिज कराकर जो लोग बसे हुए है उन्हें कब्जा दने और खाते में दर्ज करान की व्यवस्था करेंगे ?

दूसरी बात यह हैं कि इस बात को देखते हुए कि जो जमीन का आवंटन भूमिहीनों में किया गया है और वह उन्हीं अधिकारियों ने किया है जो 30 वर्षों से कांग्रेसी हुकूमत के गुलाम रहे हैं और जिन्होंने व्यापक पैमाने पर भूमिहीनों को बसाने का काम किया है और यह भी सही हैं कि आज भी अधिकांश भूमि पर ऐसे लोगों ने कब्जा किया है, जैसे लखीमपुर खीरी से लेकर बाराबंकी तक.....

श्री अधिष्ठाता---

आप तो भाषण दे रहें हैं । अब आप बैठें ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

एक मिनट लूंगा । वहां पर एक एक आदमी के पास पांच-पांच सौ एकड़ से लेकर ढाई हजार एकड़ तक जमीन के पट्टे हैं । ट्रस्ट के नाम पर, ठाकुर जी के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर जो जमीनों पर कब्जा किये हुए है क्या उसक संबंध में जांच करन के लिय विधान सभा सदस्यों और लोक सभा सदस्यों की कोई कमेटी गठित करेंगे ऐसे मामलों का जायजा लेकर शासन को रिपोर्ट दें ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सदस्य ने अपने विचार प्रकट कर लिये हैं हालांकि यह अवसर नहीं था । इसका उतर बाद में होगा इस समय नहीं होगा ।

श्री हरि केवल प्रसाद--

मान्यवर, इस समय उत्तर नहीं दे सकते ?

श्री अधिष्ठाता---

आप बैठिये । मेरा अनुरोध है कि हाउस की गरिमा आपके द्वारा ही रखी जा सकती है मंत्री जी इसका उत्तर बाद में देंगे ।

श्री मित्र सेन---

मान्यवर, मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के संदर्भ में मैंने जो संशोधन रखा था उसमें माननीय सदस्यों ने जो चर्चा में भाग लिया मैं उनका आभारी हूं । मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि यह कठिनाइयों का निवारक विधेयक हैं और कोई नई चीज नहीं कर रहे है और जो कठिनाईयां हैं उनका निवारण कर रहें हैं ।

[श्री मित्रसेन]

दूसरी चीज उन्होंने यह कही कि भू-अभिलेखों के बारे में चकबन्दी के आधार पर टेबुलेशन कराके फिर से उनको दुरुस्त कराया जायगा। उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य कल्पनाथ सिंह जी ने गांव से लेकर सूबे की सीमा तक का प्रश्न उठाया। मैं चाहता हूं कि सूबे की समस्या को छोड़ दिया जाय आज गांवों में घर-घर में समस्या पैदा हो गई है। लोग आपस में लड़ रहे हैं। घरों के नक्शे पुराने जो सन् 1301 के बने हुए हैं। क्या मंत्री भी आबादी का फिर से सर्वेक्षण करायेंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य कृपा करके बतलायें कि वह अपना संशोधन वापस लेंगे।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मैं अपना संशोधन वापस लेने की स्थिति में नहीं हूं। जो मैंने संशोधन रखा है उसक बारे में मंत्री जी ने किसी किस्म का आश्वासन नहीं दिया जिसको कि वह भविष्य में पूरा कर सकें।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक सप्ताह के अंदर अपना प्रतिवदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

(प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदश भूमि विधि संशोधन) विधयक, 1978 पर विचार किया जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और (स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2--10 तक

अध्याय--दो

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1950 की धारा 143 का संशोधन

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 143 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

"(3) जहां किसी संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर को उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के पूर्व या उसके पश्चात् उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण के अधीन किसी अन्य निगम द्वारा ऐसे भूमि धर द्वारा धृत किसी भूमि की प्रतिभूति पर कोई ऋण दिया गया हो, वहां इस अध्याय के उपबन्ध (इस धारा को छोड़कर) ऐसी भूमि के संबंध में ऐसे भूमिधर पर लागू न रह जायेंगे और तदुपरांत वह उक्त भूमि के उत्तराधिकार के विषय में ऐसी स्वीय विधि से, जिसके वह अधीन हो, शासित होगा।"

धारा 152 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 152 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी और सदैव से रखी गयी समझी जायगी' अर्थात्:--

152 (1) संक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का स्वत्व आगे दी गयी शर्तों के भूमिधरी स्वत्व कब अधीन रहते हुए संक्रमणीय होगा।

संक्रमणीय होगा

(2) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा स्पष्ट रूप से अन्यथा अनुज्ञात के सिवाय असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर का स्वत्व संक्रमणीय नहीं होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट भूमिधर, ऐसी परिस्थितियों में जो विहित की जायं, अपनी जोत में अपने स्वत्व को राज्य सरकार से तकावी के रूप में या किसी सहकारी समिति से या स्टेट बैंक आफ इंडिया से या ऐसे किसी अन्य बैंक से जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खंड (ङ) के अर्थान्तर्गत अनुसूचित बैंक हो, या उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से लिये गये ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में कब्जा दिये बिना बन्धक रख सकता है और अपनी जोत में, उस भाग को छोड़कर जो इस प्रकार बन्धक रखा गया हो, अपने स्वत्व को कृषि-उद्यान, करण और पशुपालन की शिक्षा से सम्बद्ध किसी भी प्रयोजन के लिये दान द्वारा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्था को संक्रमित भी कर सकता है।"

धारा 192 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 192 में, शब्द "या सीरदार" निकाल दिये जायेंगे।

धारा 198 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 198 में, उपधारा (1) में खंड (ड) में, शब्द "सीरदार" निकाल दिया जायगा।

नयी धारा 198-क का बढ़ाया जाना

6--मूल अधिनियम की धारा 198 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:--

"198-क (1) जहां धारा 195 या धारा 197 में निर्दिष्ट कोई भूमि किसी व्यक्ति को, चाहे असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर या असामी के रूप में प्रदिष्ट की जाय, और प्रदेशनग्रहीता से भिन्न कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करके और ऐसे प्रदेशन ग्रहीता की सम्मति के बिना ऐसी भूमि पर काबिज हो, वहां असिस्टेन्ट कलेक्टर प्रदेशनग्रहीता के आवेदन-पत्र पर, उसे ऐसी भूमि का कब्जा दिला सकता है और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जिसे वह आवश्यक समझे।

गांव सभा के प्रदेशन ग्रहीताओं को कब्जा दिया जाना

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रदेशनग्रहीता द्वारा आवेदन-पत्र

(क) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 के प्रारम्भ के पूर्व किये गये प्रदेशन की स्थिति में ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर, और

(ख) किसी अन्य मामले में, ऐसे प्रदेशन के दिनांक से तीन वर्ष के भीतर,

प्रस्तुत किया जा सकता है।

[श्री अधिष्ठाता]

(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन बेदखल किये जाने के पश्चात्, विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसी भूमि या उसके किसी भाग पर पुनः अध्यासन करता है, वहां पर कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(4) कोई न्यायालय जो उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति को सिद्धदोष करें, उस व्यक्ति को ऐसी भूमि या उसके किसी भाग से सरसरी-तौर से बेदखल करने के लिये आदेश दे सकता है और ऐसा व्यक्ति किसी अन्य कार्यवाही पर जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरुद्ध की जाय, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बेदखल किया जा सकेगा ।

(5) उपधारा (3) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।"

नयी धारा 247—क का बढ़ाया जाना

7—मूल अधिनियम की धारा 247 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्:—

कतिपय दशाओं में मालगुजारी से छूट

"247—क (1) धारा 245, 246 और 247 में किसी बात के होते हुए भी ऐसे परिवार के जिसके सदस्यों द्वारा 1 जुलाई, सन् 1977 को प्रारम्भ होने वाले कृषि वर्ष के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पश्चात् भूमिधर के रूप में धृत भूमि का कुल क्षेत्रफल 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से अधिक न हो, प्रत्येक सदस्य को राज्य सरकार को मालगुजारी का भुगतान करने के दायित्व से छूट होगी ।

(2) किसी व्यक्ति या उसके परिवार के किसी सदस्य का किसी खाते में अंश, इस धारा के अधीन छूट का अवधारण करने के प्रयोजनार्थ, ऐसी रीति से और ऐसे प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया जायगा जो नियत किया जाय, किन्तु कोई ऐसा अवधारण ऐसे खाते के आगम से सम्बन्धित किसी वाद या अन्य कार्यवाही में किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण पर बन्धनकारी नहीं होगा ।

(3) नियत प्राधिकारी, प्रत्येक मण्डल के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों की जो उपधारा (1) में उल्लिखित छूट के हकदार हों, एक सूची तैयार करेगा जिसमें ऐसे ब्योरे, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से दिये जायेंगे, और जो ऐसे दिनांकों के पूर्व प्रकाशित किये जायंगे जो नियत किये जायं, और ऐसी सूची के संगत उद्धरण सम्बन्धित व्यक्तियों को वितरित करायेगा ।

(4) इस धारा के उपबन्धों के होते हुए भी, किसी खाते के लिये धारा 245, 246 और 247 के अधीन निर्धारित मालगुजारी अधिकार-अभिलेखों में पूरी-पूरी लिखी जायेगी, और सभी अन्य प्रयोजनों के लिये उसके द्वारा देय मालगुजारी समझी जायगी ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजनों के लिये "परिवार" के अन्तर्गत कोई व्यक्ति उसका पति या उसकी पत्नी और उसके अवयस्क बच्चे हैं, चाहे वे उसके साथ संयुक्त हों, या नहीं ।"

धारा 294 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 294 में, उपधारा (2) में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा और 1 जुलाई, सन् 1977 से बढ़ाया गया समझा जायगा, अर्थात्:—

"(कक) प्राधिकारी जो धारा 247–क में उल्लिखित छूट के लिये हकदार खातेदारों की सूची तैयार और प्रकाशित करेगा, ब्यौरे जो ऐसे सूची में दिये जायेंगे, उसके प्रकाशन की रीति, दिनांक जिसके पूर्व उसे प्रकाशित किया जायगा, वह रीति जिसके अनुसार और समय जिसके भीतर ऐसी सूची में दर्ज किये जाने से छूट गये किसी व्योरे के लिये या दर्ज किये गये किसी व्योरे के विरुद्ध आपत्तियां की जायेंगी और रीति जिसके अनुसार और प्राधिकारी जिसके द्वारा ऐसी आपत्तियोंका निस्तारण किया जायगा और उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन अंशों का अवधारण करने से सम्बन्धित विषय; "।

अध्याय—तीन

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1954 की धारा 8–क का संशोधन

9—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 8–क में—

(एक) उपधारा (2) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(घ) प्रत्येक कटक के लिये मानक गाटा";

(दो) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात् :—

"(3) सहायक चकबन्दी अधिकारी गाटा या गाटों की उत्पादकता, अवस्थिति और वर्तमान मिट्टी की श्रेणी को ध्यान में रखते हुए, चकबन्दी समिति के सदस्यों और कटक के खातेदारों से कटक के सर्वोत्तम गाटों का अभिनिश्चय करके उपधारा (2) के खंड (घ) में निर्दिष्ट मानक गाटों का अवधारण करेगा।"

अध्याय—चार

उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, 1963 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1963 की धारा 2 का संशोधन

10—उत्तर प्रदेश वृहत् जोतकर अधिनियम, 1963 की धारा 2 में,—

(क) खंड (8) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(8–क) "बाग भूमि" का तात्पर्य भूमि के किसी ऐसे विशिष्ट टुकड़े से है जिस पर इतनी संख्या में वृक्ष लगाये गये हों कि उनसे या उनक पूर्णत: विकसित हो जाने पर ऐसी भूमि या उसके किसी प्रचुर भाग का मुख्यतया किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग करना प्रवारित हो या हो जायगा, और ऐसी भूमि पर के वृक्षों से बाग बन जायगा;";

(ख) खण्ड (20) में, शब्द "बाग" निकाल दिया जायगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 11

अध्याय—पांच

यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 3, सन् 1901 की धारा 54 का प्रतिस्थापन

11—यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 54 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायगी, अर्थात्:—

"54 (1) इस अध्याय के अधीन मानचित्र और अभिलेखों का पुनरीक्षण करने के लिये अभिलेख अधिकारी आगे दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विहित प्रक्रिया के अनुसार सर्वेक्षण, मानचित्र शोधन, खेतवार पड़ताल और चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण और सत्यापन करायेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण और सत्यापन हो जाने के पश्चात्, नायब तहसीलदार ऐसे रजिस्टर में लिपिकीय भूलों और गलतियों को, यदि कोई हों, ठीक करेगा और सम्बद्ध खातेदार और अन्य हितबद्ध व्यक्तियों को नोटिस भिजवायेगा जिसमें चालू वार्षिक रजिस्टर और ऐसे अन्य अभिलेखों से जिन्हें विहित किया जाय, सुसंगत उद्धरण दिये जायेंगे, और जिसमें भूमि के संबंध में उनके अधिकार और दायित्व और उक्त उपधारा में उल्लिखित क्रियाओं के दौरान पायी गयी भूलें और विवाद दिखाये जायेंगे।

(3) कोई व्यक्ति जिसे उपधारा (2) के अधीन नोटिस जारी की गयी हो, नोटिस की प्राप्ति के इक्कीस दिन के भीतर नायब तहसीलदार के समक्ष उसके संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है जिसमें ऐसे अभिलेखों या उद्धरणों में प्रविष्टियों की शुद्धता या उनके प्रकार के सम्बन्ध में प्रतिवाद किया गया हो।

(4) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति भी उपधारा (5) के अनुसार विवाद का निपटारा होने के पूर्व नायब तहसीलदार के समक्ष, या उपधारा (6) के अनुसार आपत्तियों का विनिश्चय किये जाने के पूर्व सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष किसी समय आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है।

(5) नायब तहसीलदार—

(क) जहां उपधारा (3) या उपधारा (4) के अनुसार आपत्तियां प्रस्तुत की जायें, वहां सम्बद्ध पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात्, और

(ख) किसी अन्य स्थिति में, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे,

भूल का सुधार करेगा और अपने समक्ष उपस्थित होने वाले पक्षकारों के बीच समझौता द्वारा विवाद का निपटारा करेगा और ऐसे समझौते के आधार पर आदेश पारित करेगा।

(6) उन सभी मामलों के अभिलेख जिनका निस्तारण नायब तहसीलदार द्वारा उपधारा (5) की अपेक्षानुसार समझौता द्वारा नहीं किया जा सकता, सहायक अभिलेख अधिकारी को भेज दिया जायगा, जो उनका निस्तारण, यथास्थिति, धारा 40, 41, या 43 क के उपबन्धों के अनुसार करेगा और जहां विवाद में हक का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, वहां वह उसका विनिश्चय सरसरीतौर पर जांच करने के पश्चात् करेगा।

(7) जहां उपधारा (6) के अधीन सरसरीतौर पर जांच करने के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी का समाधान हो जाय कि विवादग्रस्त भूमि राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी की है, वहां वह ऐसी भूमि पर अप्राधिकृत अध्यासन रखने वाले व्यक्ति को बेदखल करायेगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है जो आवश्यक हो।

(8) सहायक अभिलेख अधिकारी का प्रत्येक आदेश—

(क) जो उपधारा (6) के अधीन दिया गया हो, धारा 210 और 219 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा;

(ख) जो उपधारा (7) के अधीन दिया गया हो, व्यथित व्यक्ति द्वारा किसी सक्षम अधिकारितायुक्त न्यायालय में प्रस्तुत वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा।"

*श्री कल्पनाथ सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 11 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य बढ़ा दिये जाय:—

"प्रतिबन्ध यह है कि इस सर्वेक्षण, मानचित्र शोधन, खेत की पड़ताल और चालू वार्षिक रजिस्टर का परीक्षण करने पूर्व यह भी सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जायेगी कि यदि बन्दोबस्त में यह मांग है जो नदियों के कटाव के कारण अपनी भूमि की किस्म बदल देते हैं और नदी के कटाव के कारण गाटे के नम्बर बदल गये हैं या सम्मिलित हो गए हैं, या विकृत हों गए हैं, या पुराने आधार पर पहचाने नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी दशा में पूर्व के बन्दोबस्त या बन्दोबस्तों में जो भी मानचित्र रहा हो उसके आधार पर नदी में कटने से पूर्व के किसानों का नाम प्रस्तावित वार्षिक रजिस्टर में दर्ज करेगा और उसी प्रकार मानचित्र ठीक करेगा।"

अधिष्ठाता महोदय, यह संशोधन में इसलिए रखना चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने यह कहा उत्तर देते समय कि ऐसी व्यवस्था करदी गयी है कि अब किसी का नाम, बालू कटने के कारण या नदी में कट जाने के कारण खतौनी से खारिज नहीं होगा और लगान निलम्बित रहेगा। मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जिस भूमि पर किसान का नाम दर्ज नहीं है और जिस भूमि पर लगान भी दर्ज नहीं है, नदी में जाने के पूर्व वह जमीन किस किसान की थी,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

तो उस जमीन की बन्दोबस्त प्रक्रिया चालू होने के पूर्व उसमें भी नाम दर्ज कर दिया जाए और उस गाटे का नम्बर बना दिया जाए और तब उसके बाद यह प्रक्रिया चालू हो। यह मैंने इसलिए रखा है ताकि इससे मंत्री जी की मंशा पूरा हो जाए और उसमें किसी प्रकार की गड़-बड़ी होने की संभावना न रहे। इसलिये यह संशोधन मैं मंत्री जी की मंशा की पूर्ति के लिए रखना चाहता हूं।

(इस समय 4 बजकर 13 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)।

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, मैंने पहली बात सदन के सामने प्रस्तुत कर दी। जहां तक लोगो का खाते में नाम लिखे जाने का प्रश्न है, उसका प्रभाव उसमें नहीं पड़ेगा।लेकिन कल्पनाथ सिंह जी कहते हैं कि यदि उनका नाम नहीं लिखा है,उनका नाम देखकर के, जांच करके लिख दिया जाए और मेरे विचार से तो यह भ्रष्टाचार का एक प्रारम्भ होगा और इसमें बड़ी कठिनाई होगी हम बिना किसी अधिकार या प्रमाण के जमीन पर उसका नाम लिखने का अधिकारियों को निदेश दे दें तो इससे भ्रष्टाचार पनपेगा। मेरे ख्याल से इसका कोई आधार नहीं है, सालों साल जांच होती है, जिन लोगों का कब्जा होता है, उनका नाम लिखा ही रहता है तो सालों साल के कागज छोड़कर पिछले कब्जे का नाम देखें या पता लगाएं तो यह बिलकुल ठीक नहीं है। इसका नक्शा रहता है और नक्शे में लाल स्याही से उसका नाम लिखा रहता है तो जो नहीं लिखा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। अतः मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी को यह भ्रम हो गया है कि सारे लोगों का नाम दर्ज है। जिन लोगों का नाम दर्ज नहीं है, उसके एवज में दूसरे आदमी का नाम मिलकर दर्ज कर दें। सवाल यह है कि किसी का नाम नदी में जाने के कारण हट गया था तो उसका नाम दर्ज हो गया नहीं ? वह जमीन किसकी होगी ? मंत्री जी का यह ख्याल है कि इससे भ्रष्टाचार, जो आप कम करना चाहते हैं, कम होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि वह इससे बढ़ीगा। क्योंकि टाइटिल डिसाइड करने का काम कौन करेगा, क्योंकि इसमें किसी का टाइटिल है नहीं। मंत्री जी नहीं मानना चाहते हैं तो न मानें, लेकिन मेरी मजबूरी है कि वह न मानें, तो उस दल में रहने के नाते अपना संशोधन भी वापस ले लूं, क्योंकि वह काम मैं करूंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि हमारी बात और मंत्री जी की बात सब रेकार्डड रहे। आने वाला समय बतायेगा कि हम सही थे या मंत्री जी। इसलिये मुझे अपना संशोधन वापस लेने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि कल्पनाथ सिंह को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 11 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा (7–क) और (7–ख) क रूप में बढ़ा दिये जायं—

"(7–क) उपधारा 6 और 7 की कार्यवाही के पश्चात् सहायक अभिलेख अधिकारी नायब तहसीलदार को इस बात के लिये अधिकृत करेगा कि यदि खातेदार अपनी जोत को

एक गाटे पर इक्कट्ठा करना चाहें और इस आशय का आवेदन-पत्र दे तो नायब तहसीलदार उसी प्रकार से कार्यवाही करेगा जैसे चकबन्दी के दौरान चक बनाने की कार्यवाही की जाती है।"

"(7–ख) चकबन्दी के पश्चात् चकों को अन्तिम रूप देने के पश्चात् मानचित्र बनाया जायगा और अन्तिम प्रस्तावना के पूर्व सभी खातेदारों को पुनः एक सूचना गाटों या चकों की संख्या, क्षेत्रफल, चौहद्दी और प्रस्तावित मानचित्र का रूप बनाकर दिया जायगा। यदि उपर्युक्त विवरण में कोई त्रुटि अशुद्धि या गड़बड़ी खातेदार की जानकारी में आवें तो वह पुनः उसकी शुद्धि के लिए सहायक अभिलेख अधिकारी को 15 दिन के अन्दर आवेदन-पत्र देगा और निस्तारण से क्षुब्ध होने पर उसकी अपील अभिलेख अधिकारी को करेगा जिसका आदेश अभिलेख प्रक्रिया में अन्तिम होगा।"

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय, माननीय कल्पनाथ जी ने जो संशोधन रखा है, उसके द्वारा रेकार्ड आपरेशन के साथ ही शायद चकबन्दी की प्रक्रिया भी चाहते हैं। चकबन्दी के लिए अलग से विधेयक है। जहां रेकार्ड आपरेशन की आवश्यकता है, चकबन्दी की जाय तो पूरी तरह से चकबन्दी के आधार पर सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अगर कोई दरख्वास्त दे दे कि उसके गाटे इकट्ठे कर दिये जायं तो दूसरे लोगों पर भी प्रभाव पड़ेगा, पूरा नक्शा बदलना पड़ेगा। हम चकबन्दी प्रत्येक गांव में कराना चाहते हैं। जहां तक उनकी भावना है, मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि अगर कहीं ऐसी स्थिति है कि वहां अलग से चकबन्दी करवाना चाहता है तो उसकी व्यवस्था कर देंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मंत्री जी ने इस भावना से सम्बद्ध कर दिया अपने को, मैं वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री कल्पनाथ सिंह को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ)।

श्री कल्पनाथ सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, अजेंडा में जो छपा है, उसमें और शब्द बढ़ाना चाहता हूं आपकी आज्ञा से। "जिस व्यक्ति का कब्जा हो" इसमें "जिस व्यक्ति" और "कब्जा हो" के बीच "विधि सम्मत" जो हैं दिया जाय। ऐसा मैं पढ़ूंगा।

श्री अध्यक्ष—

पढ़ दीजिये, वापस तो लेना ही है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

पता नहीं मंत्री जी मान लें। आपने पहले से कैसे कह दिया? आप समझते है। कि मंत्री जी हर बात नहीं मानेंगे?

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड 11 में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा (9) और (10) के रूप में जोड़ दिया जाय—

"(9) जहां सीमा विवाद दो जिलों, तहसीलों, परगनों एवं ग्रामों के बीच हो तो अभिलेख अधिकारी ऐसे विवादों के निपटारे के पूर्व यह निश्चित करेगा कि अभिलेख प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व जिस गाटे पर जिस व्यक्ति का विधि सम्मत कब्जा हो उसे आधार मानकर बन्दोबस्त की कार्यवाही होगी।

[श्री कल्पनाथ सिंह]
और उससे कोई व्यक्ति कब्जे से बेदखल नहीं किया जायगा चाहे जिला, तहसील, परगना या ग्राम का कोई भाग नदी की धारा बदलने के कारण बदल भी जाय।"

(10) "यदि किसी भूमि पर लगान या मालगुजारी अंकित न हो तो ऐसे खातेदार पर उसके खाते या खाते के किसी भाग पर सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा भू-राजस्व नियत किया जायेगा किन्तु ऐसा राजस्व निर्धारित करने में इसके पूर्व की किस्म, जमीन और अंकित लगान का तथा मौजूदा किस्म जमीन और भू-राजस्व का ध्यान रखा जायगा।"

मैं 2 बातों के लिये यह संशोधन रखना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि जो विवाद की बात इसके पूर्व अपने भाषण में कही थी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि विवाद रहेगा ही नहीं और 2 गांवों के बीच का अगर झगड़ा होगा तो 2 गांवों के जो मानचित्र होंगे, वे ही अन्तिम मान लिए जायेंगे। देखने में और कहने में तो यह आसान लगता है लेकिन कौन फैसला करेगा कि किस गांव का मानचित्र सही है। हर गांव के मानचित्र एक दूसरे के विरोधाभासी हैं और यह कहना बड़ा मुश्किल है कि किस गांव का मानचित्र सही है और किसका गलत है। दूसरे जमीन का भी फर्क पड़ जाता है और गांवों के लोगों में लाठी लठव्वल की नोबत आ जाती है। इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि आप यह तो तय कर दीजिए कि नदी के उस पार या इस पार की जो भी जमीन है, वह मुस्तकिल तौर पर मानचित्र के आधार पर मान ली जायगी और काश्तकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जो पहले रहेगा, वही मान लिया जायगा। मेरी जानकारी है कि रेवेन्यू विभाग के अधिकारी ऐसे झगड़ों को तय करेंगे, 1323 फसली के नक्शों को इस्तेमाल करके लेकिन इस प्रकार वे झगड़े पैदा कर देते हैं।

मेरी जब लोगों से इस सम्बन्धमें बात हुई तो उनका कहना था कि इसका अर्थ यही निकलता है कि उसके लिए अधिकारी बैठे हुए हैं। वे वही अर्थ नहीं निकालते हैं जो माननीय मंत्री जी निकालते हैं। इन सारे झगड़ों को समाप्त करके इस बात को तय कर दिया जाय कि इसको गांव की सीमा निर्धारित कर दी जाय। अगर ऐसा कर देंगे, जैसा मैंने पहले कहा था, आपको क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन भी निर्धारित करने में आसानी हो जायगी। नदी के एक पार की जमीन अगर कटती है तो दूसरी ओर के लोग कहते हैं कि यह हमारी जुरिस्डिक्शन है। 1323 फसली का नक्शा है। इससे ला लैसनैस की हालत पैदा हो गयी है। मैं चाहता हूं कि अगर माननीय मंत्री इस पर विचार कर लें तो उनकी बड़ी कृपा होगी, नहीं तो यह भी बताया जाय कि जो मैंने कहा था वह सही है या माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, वह सही है।

आज हालत यह है कि लगान मुकर्रर करने के लिये जो बंदोबस्त होता है सर्किल रेट के मुताबिक ही होता है, मैं पूछना चाहता हूं कि सर्किल रेट कौन तय करेगा, लेखपाल को कहां से इल्हाम हो जायगा कि वह सर्किल रेट में आये। अगर पुरानी बात को लेकर देगा तो एक जमीन जो पुराने रेट से दूसरे सर्किल रेट की थी तो नये बंदोबस्त के समय नदी से जमीन कटने के बाद उसकी किस्म बदल जाती है तो फिर उसका लगान पुराने सर्किल रेट पर ही होगा और मैं समझता हूं कि मंत्री जी भी अगर ठंडे दिल से विचार करेंगे तो उनको यह बात युक्तिपूर्ण मालूम पड़ेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि उपधारा (10) का संशोधन भी मंत्री जी कबूल करने की कृपा करें।

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन, 1950 में दी गयी सिफारिश के अनुसार ग्राम वह क्षेत्र है, जो उस क्षत्र के रेवेन्यू रिकार्ड में दिखाया गया है। जो बंगाल रेगुलेशन ऐक्ट की बात सोचते हैं कि अगर इधर की भूमि दूसरे गांव में पहुंच गयी, तो ऐक्वीजीशन हो जायगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

ऐसा नहीं सोचता हूं। मैं कतई यह बात नहीं सोचता। मैं यह चाहता हूं कि आप साफ कर दें कि आपकी क्या मंशा है। आप किसको गांव मानते हैं? आप यही कह दीजिए कि जमींदारी उन्मूलन के समय जिस गांव में जो जमीन थी,वह उसी गांव में रहेगी। आज की तारीख से जो जमीन जिस गांव में रही है, उसी गांव में रहेगी। तो इससे गांव का विवाद साफ हो जायगा। कुछ भी तय करिये लेकिन तय कर दीजिए।

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, माननीय कल्पनाथ सिंह जी कहते हैं कि तय कर दीजिए। मैं कहता हूं कि तय है। एक काश्तकार की जमीन नदी में या नदी के दूसरी तरफ चली जाय, तो उसको कठिनाई उसकी अज्ञानता के कारण पैदा होती है। जहां तक कानून का प्रश्न है वह चाहे नदी के इस पार रहे, चाहे उस पार रहे, काश्तकार के हक में कोई फर्क नहीं पड़ता है। नदी के किनारे की जमीन उर्वरा हमेशा रहती है, जब तक उसमें बालू न पड़ जाय। यह एक कानून है, जब तक वह जमीन कृषि अयोग्य न हो जाय तब तक वह उसी काश्तकार के नाम लिखी रहेगी और जब वह जमीन कृषि के अयोग्य हो जायगी, तो काश्तकार को कुछ भी लगान आदि नहीं देना पड़ेगा।

जब कभी जमीन नदी में से निकलेगी, तो फिर वह उसी काश्तकार की हो जायगी, उसी काश्तकार को मिलेगी। उसमें किसी और को जमीन नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए नदी के कटाव से जो जमीन प्रभावित होती है, चाहे इधर की हो, चाहे उधर की हो, जहां तक काश्तकारों का सवाल है, जो काश्तकार जोते, चाहे इस गांव में जोते, चाहे उस गांव में जोते, उसके अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि जो सीमाओं के झगड़े हैं, उस पर हम विचार कर रहे हैं। उस पर मैं अन्तिम रूप से विस्तृत रूप से और स्पष्ट करना चाहता हूं, लेकिन उसमें कानून की कठिनाई नहीं है। दोनों ओर के अधिकारी तय कर लेंगे, जो आपकी भावना है, उसमें जो भी सम्भव है, वह हम करेंगे, लेकिन कानून में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आप इस संशोधन को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

कल्पनाथ सिंह जी, आप अपना संशोधन वापस लेते हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री कल्पनाथ सिंह को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 11 इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 12—13

अध्याय—छः

उत्तर प्रदेश भूमि विकास अधिनियम, 1972 का निरसन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1972 का निरसन

उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम 1972 का निरसन

12—उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनियम, 1972 को दिनांक 1 जुलाई, 1977 से निरसित किया जाता है ।

अध्याय—सात

निरसन और अपवाद

13—(1) उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1978 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 3, सन् 1978

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, धारा 7, 8 और 9 में उल्लिखित किसी मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 12 तथा 13 इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1978

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, उत्तर प्रदेश वृहत् जोत कर अधिनियम, 1963 और यू0 पी0 लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का अग्रतर संशोधन करने, और उत्तर प्रदेश भूमि विकास कर अधिनयम, 1972 का निरसन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय—एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा ।

(2) इसे 21 जनवरी, 1978 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री शारदा भक्त सिंह—

माननीय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978†

कृषि राज्य मंत्री (श्री धीरेन्द्र सहाय)—

माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधयक, 1978 पर विचार किया जाय।

माननीय, जब दिसम्बर, 1977 में इसकी अवधि समाप्त हो रही थी तो उसको बढ़ाने के लिये अध्यादेश लाया गया था। और 1972 में जो अल्पकालिक संशोधन पेश हुआ था तब उसमें जिलधिकारी को यह अधिकार दिया गया था कि मंडी समिति के जो अधिकार है, चेयरमैन, उप-चेयरमैन और समिति के, वह जिलाधिकारी द्वारा चलाये जांय। उस अल्पकालिक संशोधन 1972 को समय-समय पर आगे बढ़ाया गया और उसका आखिरी जो समय था वह भी दिसम्बर 1977 में समाप्त हो रहा था। चूंकि उस समय विधान सभा का सत्र नहीं चल रहा था इसलिए यह अध्यादेश लाया गया था। इसकी अवधि को इस वक्त इसलिये बढ़ाया गया, क्योंकि चुनाव का समय नहीं था। हमारे गांव समाजों का चुनाव निकट भविष्य में होने जा रहा था, तो यह सोचा गया कि यह चुनाव जब संपन्न हो जांय और जो नयी ग्राम सभायें, बनकर आ जायं तो उसके आधार पर चुनाव कराये जायं। इसलिये उस अवधि को बढ़ा दिया गया।

उसके साथ ही साथ हम इसका लाभ लेकर के कुछ और कमिया जो थीं उनको भी इसमें संशोधित कर लिया। तो पहले तो यह जो एक वर्ष का समय बढ़ाया उसमें यह भी प्राविधान कर लिया कि एक तदर्थ समिति का गठन करने का प्राविधान किया जिसमें तीन सदस्य, एक अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे। और जो स्थावर सम्पत्ति है उसको अंतरण करने का अधिकार नहीं रखा। क्योंकि यह तदर्थ समिति थी इसलिए यह नहीं रखा।

फिर माननीय, जो हमारी व्यापारिक परिव्यय की परिभाषा थी उसमें थोड़ी सी त्रुटि थी। उसको भी इस संशोधन में हमने ठीक कर लिया। इसमें जो पहले था उसमें यह लिखा था कि "व्यापारिक परिव्यय" का तात्पर्य किसी भी नाम से कहे जाने वाले ऐसे परिव्यय से ह जो व्यापार या अन्यथा किसी रूढ़ि या प्रथा के अधीन या उससे अभिप्रेत किसी कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के किसी सौदे के संबंध में किसी व्यापारी से वसूल किया जाता हो या वसूल किया जा सकता हो अथवा उसका देय हो। इसमें कुछ संशोधन किया है। इसे स्पष्ट कर दिया है। कृषि उत्पादन के बजाय "निर्दिष्ट" कृषि उत्पादन और व्यापारी "से" के स्थान पर व्यापारी "द्वारा" कर दिया है।

इसके बाद धारा 17 में कुछ आवश्यक संशोधन किया है। पहले कुछ कठिनाइयां थीं जिनको इसमें संशोधन करके दूर किया गया है। पहला तो यह रखा है कि यदि उत्पादन आढ़तिया के माध्यम से बचा जाय तो आढ़तिया क्रेता से मंडी शुल्क वसूल कर सकता है कर वह समिति को उसका देनदार होगा। दूसरा यह है कि यदि कोई व्यापारी सीधे उत्पादक से उत्पादन

† दिनांक 28 मार्च, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[श्री धीरेन्द्र सहाय]

क्रय करे तो व्यापारी समिति को मंडी शुल्क का देनदार होगा। तीसरे यह कि यदि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उत्पादन क्रय करे तो उत्पादन बेचने वाला व्यापारी उसे क्रेता से वसूल कर सकता है और वह समिति को मंडी शुल्क का देनदार होगा। चौथा यह किया है कि यदि व्यापारी सीधे उपभोक्ता को उत्पादन बेचता है तो व्यापारी उपभोक्ता से मंडी शुल्क वसूल कर सकता है और व्यापारी समिति को उसका देनदार होगा। पांचवां यह कि यदि उत्पादक उपभोक्ता को उत्पादन बेचता है तो उपभोक्ता समिति को मंडी शुल्क का देनदार होगा, और छठा यह कि ऐसे उत्पादन के विक्रय की किसी अन्य स्थिति में, क्रेता समिति को मंडी शुल्क का देनदार होगा। जो भी कठिनाइयां समय-समय पर सामने आयी उनको ध्यान में रख कर, उनको दूर करने के लिये संशोधन किये गये हैं ताकि भविष्य में वे कठिनाइयां सामने न आयें।

एक ओर चीज इसमें की गयी है और वह है विकास निधि के प्राविधान किये जाने की। इसमें यह किया है कि जो भी मंडी समिति के पास धन है उसका 65 प्रतिशत विकास कार्यों के लिये निर्धारित कर दिया जाय। इसके अलावा यह भी किया है कि आगे कितना प्रतिशत इस निधि में जमा हो सकेगी उसे परिषद् समय समय पर निर्धारित करती रहेगी। यह धन विकास के कार्यों पर खर्च होगा और इसे मन्डी विकास निधि कहा जायगा। इसके जरिये से जो आज मंडियों में कार्य हो रहा है, जो विकास कार्य है वह ठीक तरीके से चल सके इसके लिये यह प्राविधान इसमें किया गया है। इसमें यह एक प्राविधान और किया गया है कि जो बैंक बंधक रखते थे, व्यापारी लोग जो चीज गिरवी रखते थे, टेक्निकली वह सेल माना जाता था तो ऐसी सूरत में बैंकों को लाइसेंस लेने की अवश्यकता होती थी।

लेकिन वास्तव में माल बिक्रेता नहीं था बल्कि बैंक रुपये देने के लिये उसको बंधक रखते थ तो अब बैंकों को मुक्त कर दिया गया है, लाइसेंस लेने को अब जरूरत नही है। क्योंकि बैंको से जितनी जल्दी रुपया व्यापारियों को मिले उतनी ही सुविधा रहगी उचित मूल्य दिलाने में, मंडियों में। तो मान्यवर, जो थोड़ी बहुत कमियां रही हैं उनको हमने संशोधित कया है। मैं समझता हूं कि हमार जो साथी है, माननीय सदस्य सभी इसको पारित करेंगे; इसमें कोई विशेष बात नहीं है, मैं आशा करता हूं कि सभी माननीय सदस्य इसको पारित करेंगे।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं अपन प्रस्ताव को.....

श्री अध्यक्ष—

एक बात के संबंध में मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं। आज साढ़े 5 बजे तिलक हाल में बजट पर एकाउन्टेन्ट जनरल और वित्त सचिव आयेंगे और सदस्यों को जो बजट हैं उसकी पेचीदगियों के बारे में थोड़ा अपना दृष्टिकोण रखेंगे। इसलिये ज्यादा मुनासिब होगा कि इस बिल को समय पर समाप्त किया जाय और आध घंटे से ज्यादा इसमें समय नहीं लेना चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, क्षमा करेंगे। यह कहां तक उचित है कि आपकी ओर से इसकी घोषणा की जाय। माननीय सदस्य बजट को पेचीदगियों को समझते हैं, यह हमें मानना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी, आप जो आपत्ति कर रहे हैं, यह सी0पी0 ए0 के तत्वाधान में हो रहा हैं। कार्य मंत्रणा समिति ने यह तय किया था कि आज 4 विधेयक लेने हैं तो केवल तीन ही ले रहा हूं और एक विधेयक को नहीं लिया जा रहा हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मैं आपत्ति इस बात पर कर रहा हूं कि अगर सदन की कार्यवाही में आ जाय कि पेचीदगियों के बारे में बतायेंगे कि तो यह संसदीय नहीं होगा, भले ही कुछ माननीय सदस्य गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैंने सूचना दी है। आप तो तिवारी जी इतने वरिष्ठ सदस्य हो कर भी आप बहुत टेक्निकल हो जाते हैं। (हंसी) यह काम मेरे ख्याल से शायद श्रीमती बख्शी के सुपुर्द करते तो अच्छा था।

श्री रियासत हुसैन—

मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत कर रहा हूं।

*श्री रियासत हुसैन—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मन्डी विधि (संशोधन) विधेयक 1978 को इस सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करें।"

श्रीमन्, मैं बहुत थोड़े समय में इस अपने संशोधन को रखूंगा। मुझे दुख के साथ यह संशोधन रखना पड़ रहा है। वह इसलिये कि जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था वह खास तौर से प्रजातांत्रिक शक्तियों को मजबूत करने और शासन का विकेन्द्रीयकरण करने का था, यह दो चीज मुख्य थीं। इसी आधार पर अधिकतर माननीय सदस्य यहां चुनकर आये। परन्तु इस चीज से जो माननीय मंत्रीजी ने रखा, और मिसाल के तौर पर इसी माननीय सदन में माननीय सत्य प्रकाश मालवीय जी ने कहा कि 31 दिसम्बर, 1978 तक अवधि बढ़ा दी गयी, और अब मंडी समिति का मामला आ गया, यानि 31-12-1978 तक इसके भी चुनाव अब हम नहीं करा पायेंगे। इसका कारण जो बताया उसके आधार पर शायद चुनाव कभी नहीं हो पायेंगे। मुख्य कारण बताया कि ग्राम सभाओं के चुनाव की वजह से हम इसको टाल रहे हैं।

श्रीमन्,जो मंत्री महोदय, ग्राम सभाओं से ताल्लुक रखते हैं, जिनका विभाग है, उन्होंने पिछले सत्र में उसके अन्दर हर तरह का आश्वासन सदन को दिलाया था कि उन्हीं तिथियों पर ग्राम सभाओं और परिषदों के चुनाव हो जायेंगे। लेकिन उसका पता नहीं। मेरी समझ में नहीं आता कि मंडी के चुनाव ग्राम सभाओं के चुनाव पर क्यों टाले जा रहें हैं ? ग्राम सभायें इस समय हैं और हर चीज तैयार है तथा उन मंडियों के नामिनेशन का सेक्योरिटी मनी 100 रुपया भी सरकारी खजाने में जमा है। जब प्रक्रिया इलेक्शन की शुरु हो गयी थी, नाम फाइल हो चुके थे तो उस समय न मालूम किन कारणों से चुनाव मुल्तवी हो गये। वह ऐसे मुल्तवी हो गये कि पहले 30-10-71 को होने थे। फिर 31-12-77 तक समय बढ़ाया गया तो वह भी समाप्त हो गया। फिर एक साल के लिये यानि 31-12-78 तक बढ़ा दिया गया। मेरी समय में नहीं आता कि यह क्यों हो रहा है ? यह तो किसानों से संबंधित है।

मंडी बिल को जब सदन में प्रस्तुत किया गया था तो उस समय चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री थे। उन्होंने इस बिल को सदन के अन्दर पारित किया था और इस आशा के साथ किया था कि जिस तरह से किसानों की लूट आढ़त पर मचती है, उसके दामों के और पैसों के नाम पर, व्यापारी और आढ़ती किसानों का शोषण करते थे, उसको समाप्त करने के लिये इस बिल को पास किया था। लेकिन जिस जोर शोर के साथ इसको पारित किया था कि कम से कम जो चीज किसान पैदा करेगा उसकी बिक्री करने वह हमारे हाथों में आयेगा। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक इलेक्शन नहीं हो पाये।

एडहाक कमेटी बनाई, वह चल रही थी लेकिन उनको समाप्त कर दिया गया और आज हर मंडी के अन्दर कलेक्टर और सचिव जो चाहें वह कर रहें हैं। इसलिये और समय मांगना प्रजातंत्र के विरोध में है और जो शक्ति के विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं उसके विरोध में यह चीज है। आप एक एडहाक कमेटी बना सकते हैं—तीन आदमियों की और बना देंगें। अव्वल तो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन]

हमको यह अन्देशा है कि अन्दरूनी बात तो मालूम नहीं लेकिन अखबारों में चर्चा है कि इन कमेटियों का हश्र, भी कहीं वही न हो जिस तरह से श्रीवास्तव जी की फूड कमेटीज का हुआ। इनकी चर्चा तो हो गयी दिल्ली तक, मेम्बर्स भी बन गये लेकिन हुआ कुछ नहीं। बदनामी अलग से हुई। यहां भी इस कमेटी का चेयरमैन तो होगा लेकिन उसको पावर कुछ नहीं होगी। सारी पावर्स होंगी डायरेक्टर को जो लखनऊ में बैठा है। इस लिए इससे फायदा क्या? एक लम्बी चौड़ी बात आपने कह दी कि मंडी टैक्स किसान को नहीं देना पड़ेगा। लेकिन आप यकीन जानिये कि आज भी किसान परही वह पड़ता है और यह जो छः क्लाजेज आपने जोड़ी हैं इनके बावजूद भी वह बोझा किसान पर ही पड़ेगा। चूंकि जब मंडी में किसान अपना गल्ला लेकर जाता है तो वह वहां सबसे अकेला, सबसे कमजोर, सबसे बिना पढ़ा लिखा होता है। चाहे वह आलू लेकर या, गल्ला लेकर या, चावल लेकर जाय, जब एक बार मंडी में पहुंच गया तो इस हालत में होता है कि वापस नहीं जा सकता।

आपने कहा कि आढ़ती या व्यापारी को टैक्स देना पड़ेगा तो यह नहीं होगा। वह किसान को ही देना होगा चाहे वह किसी नाम से देना पड़े। यह जो पांच छः आइटम्स आपने रखे हैं यह बेकार हो जायेंगे। हां, एक चीज इसमें अच्छी है कि जो मंडी का विकास फंड होगा उसका 65 प्रतिशत या जो भी तय करें उस एरिया के विकास के लिये खर्च होगा। आपने यह भी कह दिया कि इस वक्त जो पैसा है, वह भी मंडी फंड में कंवर्ट हो जायगा। बहुत अच्छी बात है। काफी पैसा हो जायगा। लेकिन बात फिर वही आती है। सारी शक्ति होगी डायरेक्टर के हाथ में जो खर्चे करने वाली बात है तो वह सुझाव किसके होंगे किस प्रकार वह कैरी आउट होगें।

एक बात और कहकर अपनी बात खत्म करुंगा। सन् 71 से मंडी समितियों के स्थल चुनने की बात चल रही है लेकिन आज तक निर्णय नहीं हो सका। यह निर्णय इसलिये नहीं कर सके क्योंकि उनके बनाने में जो फायदा देखा जा रहा है। वह किसान का नहीं बल्कि वह अधिकारी वर्ग जिसकी साठगांठ व्यापारी वर्ग से उसका फायदा देख रहा है, उदाहरण के लिये मुरादाबाद का मंडी स्थल ले लें। वह वहां है जहां 24 नेशनल हाईवे पास करके, दो-दो चढ़ाई पार करके किसान को जाना होगा वह जायगा नहीं। वहां किसानों का नहीं बल्कि उन व्यापारियों का हित सामने रखकर सोचा गया जिससे कि उन व्यापारियों को ज्यादा खर्चा न देना पड़े। इसलिये जितने भी मंडी स्थल हैं शहर के चारों तरफ (मैं पूरे प्रदेश के लिये कह रहा हूं) पूरी प्रदेश मे जो मंडी स्थल बन गये हैं, चाहे तीन---तीन-चार मंडी स्थल बनाने पड़े, लेकिन शहर के अन्दर जाने से किसान बच जाय और शहर के बाहर के बाहर अपने माल को बेंचकर हिफाजत के साथ अपने घर चला जाय। इस सुझाव के साथ, मान्यवर मैं अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)---

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि बढ़ाने का भी अधिकार हो और जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।"

मान्यवर, मैं साधारणतः किसी संशोधन को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के पक्ष में नहीं रहता, लेकिन कुछ विशेष कारणों से मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं। यह विधेयक उत्तर प्रदेश में 1954 में प्रवर समिति के सामने प्रस्तुत हुआ और 1964 में यह विधेयक पास हुआ। जिस समय यह विधेयक पेश हुआ, उस समय प्रस्ताव आया कि इसे संयुक्त प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। लेकिन माननीय मंत्री महोदय ने यह निवेदन किया कि बहुत दिनों से इस विधेयक के लिये प्रयत्न हो रहा है और इसे टाला जा रहा है। इसलिये उनका निवेदन था कि इसको प्रवर समिति को न देकर पास कर दिया जाय।

मान्यवर, इस विधेयक में बहुत ही खामियां है । तो मान्यवर, इस विधेयक का सही रूप से मूल्यांकन दोनों सदनों की समिति में होता । हमारे मित्र रियासत साहब ने भी कहा । संयुक्त प्रवर समिति में गम्भीरता पूर्वक इस पर विचार होना चाहिये । मैं माननीय मंत्री महोदय, से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इसको केवल औपचारिकता के लिये नहीं रख रहा, क्योंकि यह विधेयक हमारी नीति का बहुत महत्वपूर्ण अंग बन गया है । आज साधारणतय: अच्छी मंडियों में 40 लाख रुपये सालाना आमदनी होती है और सही तौर से किया जाय तो मुझे मालूम है कि कई जिले ऐसे हैं कि जहां 80 लाख सालाना की आमदनी हो सकती और विकास की बहुत बड़ी बुनियाद यह बन सकता है ।

मान्यवर, एक बात मुझे यह निवेदन करनी है कि हम लोग बहुत उत्साह में है कि अपने यहां नया समाज बनाना है । हमारे साथियों का बहुत ऊंचा इरादा है लेकिन जो उनका इरादा समाज में परिवर्तन करने का है, उसमें अभी तक हमारी के वल एक ही उपलब्धि रही है कि हम जनतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिये लड़े और उसी उपलब्धि का जिक्र करते-करते हम लोग एक वर्ष बीत गये लेकिन मुझे डर है कि अगर उस दिशामें हम कुछ कर न पाये तो कहीं हमारी वह छाप भी मिट न जाय । हर विभाग में आर्डीनेंस लाना, विधेयक लाना और इस तह से राजनैतिक बात करना,यह कोई नयी जनतांत्रिक राजनीति नहीं है । इससे कोई नया समाज नहीं बन सकता है । हम लोगों की एक प्रक्रिया बन गयी है । एक साल में एक कमेटी बना ली । 1964 में बिल आया और 1967 मे लागू हुआ । पहले ऐडहाक बनी । यह निर्णय लिया गया कि वह एक साल तक काम करेगी । उन्हें विस्तृत अधिकार थे । उसके बाद दो साल बाद कमेटी बनी । 1978 में अभी तक इस विधेयक ने ऐसी किसी कमेटी के दर्शन नहीं किये कि जो जनता की चुनी हुयी कमेटी हो । इस तरह से तो यह काला कानून अप्रत्यक्ष रूप से बन जाता है । तो मान्यवर, इसमें जो खामियां हैं, उसमें देखें तो तीन तरह से नामजद हो गये । वह सदस्य हापुड़ की मंडी के लिये नामजद हो जाय तो बाधा नहीं पड़ सकती । जो बिल ड्राफ्ट करने वाले हैं....

सदन के समय में वृद्धि का प्रस्ताव

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज केवल आधे घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय आधे घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (क्रमागत)

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, माननीय धीरेन्द्र सहाय जी एक अच्छे प्रगतिशील नौजवान हैं उन्हें कम से कम इस विधेयक में यह देख लेना चाहिये कि जो तीन आदमी इस में नामजद कर रहे हैं । तीनों आदमी यदि हापुड़ मंडी के सदस्य बन जाते हैं तो कानून में बाधा नहीं पड़ती है । मुझे दुख है कि सारे प्रयत्न करने के बावजूद हापुड़ की मंडी का निर्माण वहां के व्यापारियों ने रुकवा दिया मैं एक महीने बाहर रहा मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या हुआ व्यापारी नहीं चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से एक साल के लिये मंडी किसानों के अधिकार में दी जाय 150 लाख, अस्सी लाख रुपये का फंड होता है कमेटी का उसकी आमदनी का खर्च करने के लिये तीन आदमी आप नामजद करने जा रहे हैं । तीनों आदमी हमार सेक्रटेरियेट से, मंत्री जी को अपने प्रभाव से प्रभावित करके नामजद बन जाते हैं । आने वाला समय क्या कहेगा ।

[श्री सोहन वीर सिंह तोमर---]

मान्यवर, मंडी कमेटी 70 आदमियों के वोट से बन सकती है। एक ब्लाक में बैठ कर वोट डाले जा सकते हैं। आप यह प्राविजन कर सकते हैं। इसका समय जब तक रहेगा जब तक यह प्रोविजन रहेगा। मै सारे मंत्रिमडल में बैठने वाले लोगों से निवेदन करूंगा कि एक प्रस्ताव लाकर उन कमेटियों का चुनाव करने की घोषणा की जाय। कम से कम अपने मित्र धीरेन्द्र सहाय जी से यह आशा रखता हूं। यह 31 दिसम्बर तक लागू होगा। एक महीने अन्दर चुनाव हों सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इसे देख लिया जाय।

मान्यवर, हम लोगों के पास मंत्रियों के यहां से हर बार पत्र मिलते रहते हैं कि जेल के लिये एक आदमी का नाम भेजिये, खाद्य विभाग के लिये नाम भेजिये लेकिन जो जेल कमेटी बनी उसमें सारे अवांछनीय तत्व नियुक्त हुये, खाद्य कमेटी में ब्लैक मारकेटियर नामजद हुये हमारे सारे पत्र, रिकम्डेशन रद्दी की टोकरी में डाले जाते हैं। क्यों आप पूछते हैं कि नाम भेजिये। नौकर शाही में अधिकारों का दुरुपयोग कर के यह सब किया जाता है। इसलिये इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय ताकि इस से कुछ निष्कर्ष निकल सके।

(कुछ सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर।)

श्री अध्यक्ष---

में यह कहना चाहता हूं कि चार विधेयकों को आज पास करने के लिये इस सदन में समय निश्चित किया गया था और यह तीसरा विधेयक है और आप जानते हैं कि साढ़े चार बजे कार्यवाही समाप्त हो जाती है। फिर नियम 51 के प्रश्न लिये जाते हैं। आपका जो संशोधन था उसे रियासत साहब ने पेश कर दिया और दूसरा संशोधन तोमर जी ने पेश कर दिया। यह हो नहीं सकता कि आप सबको बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

विदेशों में हर विधेयक पर तीन दिन तक बहस होती है आप 15 मिनट ही दे दें वर्ना हम लोग बैठकर यहां क्या करेंगें जब संशोधन पेश करने वाले का भी कोई समय नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष---

नेता सदन तथा विरोधी दल के नेता मिल कर तय करें क्यों कि समय मैंने निश्चित नहीं किया, सबने मिल कर तय किया है। मैं नहीं चाहता किसी बिल को जल्दी में पास किया जाय, लेकिन जो फैसला आप करते हैं उसको मुझे कार्यान्वित कराना होता है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

आप चाहते हैं कि हम तमाशायी बनें रहें और सदन में बैठे रहें और नेता सदन अगर चाहते है तो प्रदेश को लूटने दिया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)---

मेरी भी इसमें दिलचस्पी है और 5 मिनट मैं भी इस पर बोलना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है कि कल 1 घंटा इस पर समय निर्धारित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

माननीय नेता सदन अगर सहमत हों तो इस बिल पर कल 1 घंटे के लिये समय दे दिया जाय और कल इसको बाद में ले लिया जाय 5 बजे से ?

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)---

सदन के माननीय सदस्यों की राय को देखते हुये इसको कल 1 घंटे के लिये ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

तिवारी जी भी इससे सहमत होंगें कि कल इसे 1 घंटे के लिये लिया जाय ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

ठीक है, ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, कल इसे 5 बजे के बाद 1 घंटे के लिये ले लिया जायगा और आज इसे इस समय स्थगित किया जाता है ।

नियम 51 के अंतर्गत सूचनाएं

त्ती अध्यक्ष---

नियम 51 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें आज प्राप्त हुई हैं उनमें मैंने श्री रियासत हुसैन की सूचना स्वीकार की है जो इस प्रकार है दिनांक 2 अप्रैल, 1978 को चित्रकूट जिला बांदा में होने वाले रामायण मेले को जाने वाली रोडवेज बसों पर कर्बी, जिला बांदा के पास, विद्यार्थियों द्वारा पथराव किया जाना तथा 2 प्राइवेट बसों को आग लगाये जाने के कारण लगभग 50 यात्रियों का घायल होना" माननीय मुख्य मंत्री इस पर किस तारीख को वक्तव्य देगें ?

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)---

8 रख दीजिये

श्री अध्यक्ष---

8 को तो छुट्टी है ।

श्री रामनरेश यादव---

8 को छुट्टी है तो 10 रख दें ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय तिवारी जी चाहते हैं कि खतौली कांड के बारे में जो आज सुबह वकतव्य था उसे भी 10 अप्रैल को रख दिया जाय । लेकिन 10 को 2 घंटे की नियम 52 के अन्तर्गत एक चर्चा है इसलिये 11 को इसे रखने उचित होगा लिहाजा खतौली कांड पर वक्तव्य 11 तारीख को होगा ।

लालगंज जिला रायबरेली में छात्रों पर हुये गोलीकांड और लाठी चार्ज के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)---

मान्यवर, दिनांक 13-3-78 को प्रातःकाल सरेनी की ओर से एक ट्रक इलाहाबाद की तरफ मिट्टी लाने जा रहा था । लालगंज इण्टर कालेज के कुछ छात्र अनधिकृत रूप से ट्रक पर पीछे से सवार हो लिए ताकि कस्बा लालगंज आ सकें जिसके समीप से इस ट्रक को गुजरना था । थाना लालगंज से लगभग 2 किलोमीटर दूर गांधी चौराहा पर कुछ विद्यार्थी ट्रक को रुकवा कर उतर पड़े एक विद्यार्थी ट्रक से उतर नहीं पाया था कि ट्रक चल दिया । उक्त विद्यार्थी चलते ट्रक से दूरी पर जा कर कूद पड़ा और चोट खा गया । इस विद्यार्थी का नाम गुरु प्रसाद पुत्र श्री वंसीलाल, निवासी मदीखेरा थाना लालगंज है और यह बैसवारा इण्टर कालेज में कक्षा 9 का छात्र है । इसकी आयु लगभग 15-16 वर्ष है । उक्त घायल छात्र को लेकर

[श्री राम नरेश यादव—]

श्री राजकिशोर पुत्र अयोध्या प्रसाद, निवासी पूरे अम्मरपीर मजरे दतौली, थाना लालगंज लगभग प्रात: 8.30 बजे बैलगाड़ी पर थाना लालगंज उसी दिन आया और घटना के सम्बन्ध में लिखित प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी जिसके आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 81 अन्तर्गत धारा 279/338 भा0 द0 वि0 अंकित किया गया। घायल छात्र गुरु प्रसाद को प्राथमिक उपचार हेतु प्राइमरी हेल्थ सेन्टर लालगंज रवाना किया गया जहां प्रात: 8.40 बजे डाक्टरी परीक्षा हुई। वहां से उसे विस्तृत उपचार हेतु सदर अस्पताल राय-बरेली रवाना किया गया। उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या 81 धारा 279/338 भा0 द0 वि0 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार संबंधित ट्रक का नं0 यू0 टी0 वाई0 9005 था और ट्रक ड्राइवर घटनास्थल से इलाहबाद की ओर भाग गया था। मजरुम के थाने आने के कुछ समय पश्चात् कुछ अध्यापक और विद्यार्थी थाने पर आये और कहने लगे कि यहां की पुलिस निकम्मी है, अभी तक ट्रक ड्राइवर को न पकड़ सकी। थानाध्यक्ष द्वारा आवश्यक कार्य-वाही का आश्वासन दिये जाने पर भी उपरोक्त अध्यापक व विद्यार्थी उपद्रव करने लगे और थाने पर उग्ररूप से पथराव करने लगे। यह लोग थाने को फूंगने व पुलिस कर्मचारियों को जान से मार डालने पर उतारू थे। किसी भी प्रकार स्थिति के न सुधरने पर और उपद्रवियों जिसमें बहुत से अन्य असामाजिक तत्व सम्मिलित हो गये थे द्वारा लगातार पथराव व तोड़-फोड़ व हिंसक कार्यवाही करने पर पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिये बार-बार चेतावनी तथा भीड़ को अवैधानिक जनसमूह घोषित करने के उपरान्त विवश होकर गोली चलानी पड़ी। प्रथम बार थानाध्यक्ष ने मस्केट से चार फायर किये और दोबारा थानाध्यक्ष के आदेश से कान्सटेबिल ए0 पी0 गंगा सागर द्वारा रायफल से दो फायर तथा कान्सटेबिल सी0 पी0 दुर्गा सिंह द्वारा लाइसेन्सी 12 बोर बन्दूक से दो फायर किये गये। इस घटना में 24 पुलिस, पी0 ए0 सी0 तथा होमगार्ड के कर्मचारियों को चोटें आयीं, थाने की इमारत को और पुलिस की ट्रक गाड़ी नं0 यू0 एस0 एस0 729 को क्षति पहुंची। उपद्रवियों में से 8 को चोटें आयीं जिनमें से चार को अग्निशस्त्र की चोटें थी। इनमें से एक घायल को हथेली में अंगूठे के पास फ्रैक्चर था शेष को चोटें साधारण थी। इस घटना के सम्बन्ध में थानाध्यक्ष द्वारा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 82 अन्तगत धारा 147/148/149/307/323/353/336/427 भा0 दं0 वि0 समय 12.30 बजे 13-3-78 को अंकित किया गया।

इस संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि दिनांक 13-3-78 को लालगंज में यह घटना क्रम प्रात: 8.30 से दोपहर 3.00 बजे तक चलता रहा। इस अवधि में उपद्रवियों द्वारा थाने पर पथराव किया गया, पुलिस स्टेशन का टाट पर्दा जलाया गया, एक बस को पूर्ण रूप से जलाया गया और तीन बसों को काफी क्षति पहुंचायी गयी स्थानीय डाकतार विभाग की नयी इमारत को जलाने का विफल प्रयास किया गया रेलवे स्टेशन के सिगनल के तार व शीशे तोड़ डाले गये और जल कल विभाग की सम्पत्ति को क्षति पहुंचायी गयी।

थाने से तितर बितर होने के बाद उपद्रवियों ने कस्बा लालगंज व उसके आस-पास के क्षेत्र में आगजनी, तोड़-फोड़ व आतंक की कार्यवाही की जिसे पुलिस दल द्वारा घटनास्थलों पर पहुंच कर नियंत्रित किया गया। इन सभी घटनाओं में दो पुलिस गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया गया। 24 चोट खाये पुलिस कर्मचारियों में एक पुलिस उपाधीक्षक दो पुलिस उप निरीक्षक व 20 हेड कान्सटेबिल/कान्सटबिल (पुलिस व पी0 ए0 सी0) व एक होमगार्ड थे। रोडवेज के एक ड्राइवर व एक कन्डक्टर को भी चोट आयी थी। उपद्रवियों की कुल संख्या 1000 से ऊपर थी जिनमें से कुल मिला कर प्रथम सूचना रिपोर्टों में 39 अभियुक्त नामजद थे। इनमें से 14 अभियुक्त आगजनी करते हुए मौके पर पुलिस दल द्वारा गिरफ्तार किये गये थे। अन्य कोई अभियुक्त दिनांक 13-3-78 को गिरफ्तार नहीं हुआ।

स्थानीय पुलिस द्वारा दी गयी रिपोर्ट आदि के अनुसार शांति व्यवस्था को तात्कालिक गम्भीर खतरा देखते हुए परगना मजिस्ट्रेट डलमऊ ने चालीस व्यक्तियों के विरुद्ध गैर जमानती वारन्ट जारी किया जिनमें से तीन व्यक्ति दिनांक 22-3-78 को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। इन तीनों अभियुक्तों को दस-दस हजार रुपये की दो-दो जमानतें व दस हजार रुपये का व्यक्तिगत बन्धनामा दौरान मुकदमा शांति व्यवस्था कायम रखने हेतु परगना मजिस्ट्रेट डलमऊ के द्वारा धारा 116 (3) जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत मांगा गया। सेशन जज ने उपरोक्त आदेश को संशोधित कर यह निर्देश दिया कि अभियुक्तगण से केवल जाप्ती मुचलका लेकर छोड़ दिया जाय।

दिनांक 24-3-78 को इन चालीस में से एक अन्य व्यक्ति परगना मजिस्ट्रेट डलमऊ के न्यायालय में हाजिर हुआ और जमानत पर रिहा हुआ। यह व्यक्ति जेल नहीं गया। इन चालीस व्यक्तियों में से 36 व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुए है और उनके विरुद्ध अभी तक धारा 82/83 जाप्ता फौजदारी की कार्यवाही नहीं हुई है। दिनांक 22-3-78 के बाद इनकी गिरफ्तारी के लिये कोई दबिश भी नहीं दी गई। दिनांक 13-3-78 को लगभग 1.40 बजे दिन श्री दिलीप कुमार उपाध्याय, उपाध्यक्ष छात्र संघ बैसवारा डिग्री कालेज ने लालगंज से आकर फिरोज गांधी कालेज, रायबरेली छात्र यूनियनके अधिकारियोंसे सम्पर्क स्थापित करके पुलिस पर दोषारोपण करते हुए रायबरेली के छात्रों में उत्तेजना उत्पन्न की। उत्तेजित छात्रों द्वारा एक जुलूस (250) निकाला गया। यह जुलूस राजकीय इण्टर कालेज तथा महात्मा गांधी इण्टर कालेजके छात्रों को लेता हुआ, जिनकी संख्या 500के लगभग हो गई थी, जिलाधिकारी के निवास स्थान पर लगभग 3.15 बजे अपराह्न पहुंचा। जुलूस जिलाधिकारी के निवास स्थान का मुख्य द्वार बलपूर्वक खोलकर अन्दर घुस गया और गाली गलौज करते हुए बंगले पर ईट पत्थर फेंकने लगा, जिससे बरामदे में लगा शीशा नष्ट हो गया। बंगले पर नियुक्त कान्स-टेबिल व परगनाधिकारी के जीप ड्राइबर द्वारा मना करनेपर छात्रोंने उनको लात, घूसों, पत्थर से चोट पहुंचाई, यह छात्रसमूह बंगले पर लगभग एक घंटा रहा जिलाधिकारी द्वारा सांत्वना देने पर छात्र वापस चले गये। इस सम्बन्ध में अपराध संख्या 208 अन्तर्गत धारा 147/ 337/332/353/447/427/504/506/188 भा0 द0 वि0 व 9 क्रिमिनल लाअमेन्ड मेंट का 11 नामजद व्यक्तियों एवं छात्रों के विरुद्ध थाना कोतवाली में पंजीकृत हुआ विवेचना से सात अभियुक्तों के नाम और मालूम हुए। इन 18 में से 13 गिरफ्तार हुए एक ने न्यायालय में आत्म समर्पण किया और चार फरार हैं। उसमें विवेचना हो रही है। उपरोक्त 13 अभियुक्त जमानत पर रिहा हो चुके हैं।जिलाधिकारी के बंगले से लौटते हुए 50-60 छात्रों के समुदाय ने हेड पोस्ट आफिस के निकट एक पुलिस उप निरीक्षक को घेर कर घूसों से मारा कमीज फाड़ दी तथा मोटर साइकिल की बैटरी तोड़ दी। उप निरीक्षक द्वारा इसकी लिखित सूचना दिये जाने पर अपराध संख्या 210 धारा 147/332/427 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ जिसमें 6 अभियुक्त नामजद हैं। इसके सम्बन्ध में चार अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। एक अभियुक्त फरार है और एक ने न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है। इन दो के सम्बन्ध में विवेचना हो रही है। दिनांक 15-3-78 को करीब एक बजे दिन फिरोज गांधी कालेज छात्र संघ पदाधिकारियों के नेतृत्व में करीब 50-60 छात्र व अन्य लोगों न धारा 144 का उल्लघन करते हुए जुलूस निकाला व कलेक्ट्रेट में प्रवेश करने लगे जिस पर इनके विरुद्ध अपराध संख्या 213 धारा 188 भा0 द0 वि0 अंकित किये गये। इनमें से सात अभियुक्तों को मौके पर ही पकड़ा गया जिनका चलान कर दिया गया।

[श्री राम नरेश यादव]

धारा 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता, के अन्तर्गत पंजीकृत प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद चालीस व्यक्तियों में सर्व श्री चन्द्र प्रकाश रमाकान्त, मंगल प्रसाद शर्मा तथा गंगा विष्णु के भी नाम हैं। उसमें श्री राकेश शुक्ल का नाम नहीं है। श्री मंगल प्रसाद शर्मा तथा श्रीगंगा विष्णु 13-3-78 की घटना से सम्बन्धित अपराध संख्या 82 में नामजद हैं। अब स्थिति सामान्य होती जा रही है फिरोज गांधी डिग्री कालेज 27-3-78 और शेष शैक्षिक संस्थायें 28-3-78 को खुल गयी हैं। स्थिति पर कड़ी निगाह रक्खी जा रही है और पुलिस की गश्त निरन्तर जारी है।

इस घटना की मैजिस्ट्रीयल जांच अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रायबरेली द्वारा की जा रही है।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

मान्यवर, यह 13 तारीख की जो घटना घटी तो उसकी जब रिपोर्ट लिखाने पत्रकार गये तो थानेदार ने रिपोर्ट फाड़ दी, इस पर टीचर्स और स्टूडेन्ट्स वहां गए। किन्तु मुख्य मंत्री जी ने जो बताया कि उहोंने मार डालने के लिये थाने में गए, तो कितने टीचर्स और स्टूडेन्ट्स प्रथम बार हाजिर हुए, जिन्होंने रिपोर्ट लिखने के लिये जोर दिया ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जो भी समाचार मिला है और जो भी सूचना मिली है, उसमें कहीं भी रिपोर्ट फाड़ने की चर्चा नही है और न कोई प्रार्थना पत्र आया है। जो थाने पर गये थे, वह आतंक का वातावरण पैदा करने के लिये गय थे, वह आतंक पैदा करना चाहते थे और शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते थे, वे रिपोर्ट लिखाने नहीं गये थे।

श्री अजीत सिंह सेठी—

आप यह बताएं कि कितने लोग उस समय गये थे ?

श्री राम नरेश यादव—

उनकी संख्या काफी थी, करीब 100-150 से ऊपर रही होगी।

श्रीमती सुनीता चौहान (जिला रायबरेली)—

कायदे से वे रिपोर्ट लिखाने गये थे, इसलिये यह झगड़ा हुआ, खैर मैं यह जानना चाहती हूं कि फायरिंग के समय क्या दूसरे भी अधिकारी मौजूद थे और जिनको चोट लगी वे कौन-कौन व्यक्ति या छात्र थे ?

श्री राम नरेश यादव—

जहां तक रिपोर्ट लिखाने का सवाल है, अब तक कोई सूचना इस तरह की है नहीं कि वे रिपोर्ट लिखाने गये और वह लिखा नहीं गई। इसलिये रिपोर्ट न लिखने या उसे फाड़ने का कोई सवाल नहीं है। जहां तक घायल छात्रों का सवाल है, वह मेरे सामने इस समय नहीं है, लेकिन मैं मंगा कर सदन के सामने रख दूंगा।

श्री रामदेव यादव (जिला रायबरेली)—

मान्यवर, क्या चन्द्रप्रकाश, रमाकान्त, मंगल प्रसाद शर्मा और गंगा विष्णु पत्रकार है और उन्होंने इन घटनाओं को अपने पत्रों मे छापा है और इसके पहले भी उन्होंने पुलिस के खिलाफ और परगनाधिकारी के खिलाफ अन्य घटनायें छापी है, इसलिये उनको इसमें फंसाया गया है, क्या इस मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

किसी को प्रश्न के द्वारा किसी पर आरोप लगाने की अनुमति नहीं हो सकती है, आप सीधे प्रश्न पूछें कि जिनका नाम लिखा है, क्या यह पत्रकार हैं और उन्होंने पहले भी उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई है ?

श्री रामनरेश यादव---

मंगल प्रसाद शर्मा, गंगा विष्णु, रमाकान्त और चन्द्र प्रकाश पत्रकार है, लेकिन ये लोग उस समय थे। जो प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित है, उसमें इन लोगों का भी नाम है। एक बात और जरूर है कि गंगा विष्णु और चन्द्र प्रकाश, इनके विरुद्ध और भी पहले कई मुकदमें चल चुके हैं, जिसमें मंगल प्रसाद शर्मा पर सन् 63 में 500 रुपये के जुर्माने की सजा हुई थी और सन् 68 में भी 50 रुपये का जुर्माना हुआ था। गंगा विष्णु के खिलाफ कई प्रकार के अभियोग 68 व 76 में भी चल चुके हैं। रमाकान्त पर 69 में मुकदमा चल चुका है। चन्द्र प्रकाश के खिलाफ कोई मुकदमा पहले नहीं चला था, लेकिन उनका नाम धारा 107/16 की रिपोर्ट में था।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मैं यह जानना चाहता हूं कि, जिस सन्दर्भ में रामदेव जी ने पूछा क्या यह सही है कि कुछ पत्रकारों ने जनवरी माह में आई0 जी0 और मंत्री जी को एक निवेदन-पत्र दरोगा जी के सम्बन्ध में दिया था, उनके खिलाफ शिकायत किया था? दूसरी बात, फर्स्ट इन्फार्मेशन रिपोर्ट में जो 13 तारीख को 9 या साढ़े 8 बजे लिखाई कही जाती है उसमें किन व्यक्तियों के खिलाफ कोई आरोप लगाये गये?

श्री रामनरेश यादव---

मान्यवर, जहां तक इन लोगों द्वारा कोई आई0 जी0 के यहां, पुलिस के यहां प्रार्थनापत्र देने का सवाल है इसकी कोई सूचना नहीं है। रह गया जो 13-3-78 को साढ़े आठ बजे रिपोर्ट हुई है उसमें किसी का नाम नहीं है। बिना नाम के रिपोर्ट की गयी है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

वक्तव्य से मालूम हो रहा है कि साढ़े आठ बजे सुबह से झगड़ा शुरू हुआ। क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वहां कोई मैजिस्ट्रेट किस समय पहुंचा और फायरिंग से पहले टियर गैस या लाठी चार्ज हुआ या नहीं?

श्री रामनरेश यादव---

मान्यवर, वहां पर मैजिस्ट्रेट कुछ विलम्ब से पहुंच थे। लकिन उसके पहले ही जो। पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद थे उनके द्वारा प्रयास किया गया कि किसी प्रकार से ऐसी स्थिति न आये कि गोली चलानी पड़े। इसलिए सब प्रकार के सम्भव प्रयास भीड़ को तितर-बितर करने के लिये किये गये थे।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)---

इसमें लिखा है---प्रथम बार थानाध्यक्ष न मस्कट से चार फायर किये और दोबारा थानाध्यक्ष के आदेश से कांस्टेबिल ए0 पी0 गंगा सागर द्वारा रायफल से दो फायर तथा कांस्टेबिल सी0 पी0 दुर्गा सिंह द्वारा लाइसेंसी 12 बोर बन्दूक से दो फायर किये गये। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि फायरिंग थानाध्यक्ष के आदेश से की गयी। क्योंकि आम तौर पर फायरिंग आदेश मैजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाता है, क्या यह प्राविधान कर दिया गया है कि थानाध्यक्ष के आदेश से गोली चलायी जायगी?

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, मैंने पहले कह दिया है कि उस समय तक कोई मैजिस्ट्रेट मौजूद नहीं था। लेकिन भीड़ हिंसा पर उतारू थी, हिंसा का वातावरण पैदा कर दिया था जिस तरह से वहां क्षत-विक्षत करने का प्रयास किया गया, लोगों को चोटें आयीं, शांति व्यवस्था को बनाये रखने के लिए, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए ताकि बाद में कोई दुर्घटना न हो, इस तरह के आदेश वहां पर किये गये। परिस्थिति पर विचार करते हुए उन्होंने ऐसा किया।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि इन छात्रों के जुलूस के पीछे, तोड़ फोड़ के पीछे किसी राजनीतिक दल का हाथ रहा है?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, बिलकुल यह स्पष्ट है कि वहां पर जिस प्रकार से हिंसा का वातावरण बनाया गया, और इस तरह की स्थिति लायी गयी उसके पीछे कांग्रेस (आई) के लोगों का हाथ रहा है और वह छात्रों का सम्बन्ध उन्हीं लोगों से रहा है ।

श्री रामदेव यादव—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वह सत्य से परे है, मनगढंत है और असंतोष-जनक है । इसलिये माननीय मुख्य मन्त्री जी से चाहता हूं कि क्या इस घटना की न्यायिक जांच करायेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

मान्यवर, जिस प्रकार से घटनाक्रम रहा और जिस प्रकार से सारी बात हुई सारी परि-स्थितियों पर विचार करते हुए मैजिस्ट्रेट की जांच हो रही है । इसलिये न्यायिक जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अभी बताया कि कांग्रेस (आई) राजनीतिक दल ने ये दंगे करायें । माननीय मुख्य मंत्री ने जो वक्तव्य दिया उसमें कहीं पर भी कांग्रेस (आई) का जिक्र नहीं है । क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर उन्होंने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस (आई) ने ये दंगे कराये, क्या वे उनको पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री राम नरेश यादव—

जो मैंने बताया है वह सूचना के ही आधार पर बताया है । जो सूचना मिली है और जो तथ्य सामने आये हैं, उन्हीं के आधार पर माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने यह सूचना दी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

किस अधिकारी ने उन्हें सूचना दी है, सूचना का आधार बताने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष—

आप का कथन है कि किस अधिकारी ने यह रिपोर्ट दी है कि इस झगड़े में कांग्रेस (आई0) का हाथ है?

श्री रामनरेश यादव—

जांच का जो सूत्र है, उसके आधार पर ही मैंन बयान दिया है और यह बात बतायी है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर इनकी आदत पड़ गई है । हर जगह इनको कांग्रेस (आई) छाई दिखाई पड़ती है । मान्यवर, आप हमारी रक्षा करें और उनसे जो सूचना मांगी है, वह बतायें कि वह कौन सा कारण है कि वक्तव्य में कोई जिक्र नहीं है लेकिन फिर भी इसके लिये कांग्रेस (आई) को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और बार-बार इसका जिक्र कर रहें है?

श्री राम नरेश यादव—

ऐसा नहीं है । बाहर से कोई बात नहीं जोड़ दी गई है परन्तु जो वस्तु स्थिति है, जो प्रश्न यहां पर वक्तव्य के बाद आते हैं, उनक आधार पर हो जो सूत्र में, जांच में मामले आयें, उनके

आधार पर ही मैंने यह सूचना दी है। किस प्रकार से वातावरण कांग्रेस (आई) द्वारा विषाक्त किया जा रहा है, इसलिये और भी जो स्थिति थी उसके बारे में मैंने बताया।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात की न्यायिक जांच करायेंगे कि इसमें कांग्रेस (आई) का हाथ है, अन्यथा इस आरोप को वापस लेंगे ?

श्री राम नरेश यादव---

मान्यवर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि न्यायिक जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी परिस्थितियों को देखकर ही हमने इसमें मैजिस्टीरियल जांच करायी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

मान्यवर, इनकी तो आदत हो गयी है कांग्रेस (आई) को बदनाम करने की। ये अपनी पुलिस को तो कन्ट्रोल कर नहीं सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 30 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
4 अप्रैल, 1978।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिए अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1027 पर)

विवरण

(1) निम्नलिखित दो मामलों में आर्थिक सहायता दिनांक 8 मार्च, 1978 के राज्यादेश द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है--

(क) श्रीमती यशोदा सिन्हा पत्नी स्व0 डा0 सत्यव्रत सिन्हा, इलाहाबाद । रु0 10,000

(ख) श्रीमती राजपाली माता स्व0 श्री बंशराज, गोण्डा । .. रु0 10,000

(2) चार निम्नांकित मामलों में मृतक मीसा डिसिर बन्दियों को या तो कोई आश्रित नहीं है अथवा आश्रित व्यक्ति पात्र नहीं पाये गये:--

1—श्री रामसागर मिश्र पुत्र श्री शिवमंगल मिश्र, लखनऊ, .. कोई आश्रित नहीं है ।
2—श्री रामवृक्ष पुत्र श्री बठोले, बस्ती .. .. कोई आश्रित नहीं है ।
3—मो0 हिदायत अली पुत्र अली मो0 यूसूफ, बाराबंकी .. कोई आश्रित पात्र नहीं पाया गया ।
4—श्री नन्दी प्रसाद पुत्र श्री छोटे लाल, बुलन्द शहर, .. कोई आश्रित पात्र नहीं पाया गया ।

(3) ऐसे मामले जो अभी विचाराधीन है:—

1—श्री मुश्ताक अहमद पुत्र श्री इफ्तिखार अहमद, इलाहबाद ।
2—श्री खलील अहमद पुत्र श्री खैरात अली, इलाहाबाद ।
3—श्री राम सुन्दर पुत्र श्री रामराज, गोरखपुर ।
4—श्री बच्चन यादव पुत्र श्री बाल मुकुन्द देवरिया ।
5—श्री रघुनाथ सिंह पुत्र श्री गैंग सिंह, सीतापुर ।
6—श्री बाबू राम मल पुत्र श्री रामबली मल, आजमगढ़ ।
7—श्री चेतराम पुत्र श्री पौथीराम, बरेली ।
8—श्री बौली पुत्र श्री दौली, अलीगढ़ ।
9—श्री विशल लाल मित्तल पुत्र श्री काशीनाथ, सहारनपुर ।
10—डा0 इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री हरिश्चन्द्र, बुलन्दशहर ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1031 पर)

सूची

1—श्री बद्री दत्त उप्रेती	..	अनुभाग अधिकारी, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2
2—श्री बृजराज सिंह	..	प्रवर वर्ग सहायक, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1
3—श्री पी० सी० पाण्डे		प्रवर वर्ग सहायक, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2
4—श्री संतोष कुमार पाण्डे	..	प्रवर वर्ग सहायक, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1
5—श्री वीरेन्द्र कुमार सक्सेना		लेखाकार, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–1
6—श्री तेजेश्वरी प्रसाद	..	संदर्भदाता, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2
7—श्री इकबाल अहमद,	..	संदर्भदाता, राज्य सम्पत्ति अनुभाग–3

संसद पुस्तकालय भवन

अनुलग्नक 'ग'

(देखिये तारांकित प्र0 सं0 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1048 पर)

जनपद बाराबंकी में 15 जून, 1977 से 23 नवम्बर, 1977 तक थानेदार घटित कत्ल, डकैती व राहजनी की घटनाओं का विवरण

क्रम-संख्या	थाना	कत्ल	डकैती	राहजनी
1	कोतवाली	2	9	19
2	फतेहपुर	10	8	8
3	कुर्सी	..	1	4
4	देवा	4	10	5
5	मोहम्मदपुर	3	8	3
6	राम नगर	7	7	2
7	राम सनेही घाट	3	4	5
8	रुदौली	2	1	2
9	मवई	2	..	4
10	टिकैतनगर	4	1	5
11	सफदरगंज	1	2	5
12	पटरंगा	2	1	1
13	जैदपुर	4	4	5
14	कोठी	3	3	1
15	लोनी कटरा	4	5	..
16	सुबेहा	1	6	3
17	मसौली	3	7	..
18	प्रसन्दा	1	4	..
	कुल योग ..	56	81	72

नत्थी 'घ'

निर्दिष्ट डकतियों में गिरफ्तार किए गए मुलजिमों की सूची

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1073 पर)

क्रमांक	थाने का नाम	घटना की तिथि	मुकदमा अपराध संख्या	गिरफ्तार किये गये मुलजिमों के नाम ।
1	2	3	4	5
1	गंभीरपुर	7-8-77	126 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0	1—मनोकामना राय 2—अवधेश 3—चन्द्रवली 4—देवानाथ 5—राममिलन 6—राम अवध 7—जितेन्द्र राय 8—राजेन्द्र राय 9—सुभाष राय 10—राधे श्याम 11—पारस नाथ 12—केशव राय
2	गंभीर पुर	9/10-8-77	129 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0	1—फूल चन्द्र 2—सर्वजीत यादव उफ नेउर 3—तूफानी
3	सरायमीर	19/20-8-77	149 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0	1—नन्हकू 2—श्रीमती अनारी
4	महरौला	23/24-8-77	190 धारा 395/397 भा0 दं0 वि0	1—सभाजीत सिंह

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 21 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1076 पर)

विकास केन्द्रों की सूची

विकास केन्द्र का नाम	जिले का नाम	विकास केन्द्र का नाम	जिले का नाम
1—फतेहाबाद	.. आगरा	.. 31—हाठ	.. हमीरपुर
2—अतरौली	.. अलीगढ़	.. 32—अटारा	.. बांदा
3—कोसीकला	.. मथुरा	.. 33—चिनहट	.. लखनऊ
4—जलेसर	.. एटा	.. 34—लालगंज	.. रायबरेली
5—मक्खनपुर	.. मैनपुरी	.. 35—नवावगंज	.. उन्नाव
6—माजा-श्रौन्टा	.. इलाहाबाद	.. 36—विसवां सिधौली	.. सीतापुर
7—करछना एवं मुन्ना	.. इलाहाबाद	.. 37—संडीला	.. हरदोई
8—पुखरायां	.. कानपुर	.. 38—पलिया कलां	.. लखीमपुर खीरी
9—कन्नौज	.. फर्रुखाबाद	.. 39—सारवधना	.. मेरठ
10—विन्दकी	.. फतेहपुर	.. 40—पुरकाजी	.. मुजफ्फरनगर
11—जसवन्तनगर	.. इटावा	.. 41—नागल	.. सहारनपुर
12—भोजीपुरा	.. बरेली	.. 42—गुलाठी	.. बुलन्दशहर
13—गजरयोला	.. मुरादाबाद	.. 43—मुरादानगर	.. गाजियाबाद
14—तिलहर	.. शाहजहांपुर	.. 44—रामनगर	.. नैनीताल
15—बोरीखेरा	.. पीलीभीत	.. 45—रानीखेत	.. अल्मोड़ा

16—विलासपुर	..	रामपुर	..	46—लोहाघाट	..	पिथौरागढ़
17—नजीबाबाद	..	बिजनौर	..	47—रामनगर	..	वाराणसी
18—उझानी	..	बदायूं	..	48—राबर्ट्सगंज	..	मिर्जापुर
19—श्रीनगर	..	पौड़ी-गढ़वाल	..	49—बैल्थरारोड	..	बलिया
20—बम्बा	..	टिहरी-गढ़वाल	..	50—मच्छली शहर	..	जौनपुर
21—उत्तरकाशी	..	उत्तरकाशी	..	51—नन्दगंज	..	गाजीपुर
22—जोशीमठ	..	चमोली	..	52—गोसाईगंज	..	फैजाबाद
23—विकेशनगर	..	देहरादून	..	53—अतरौला	..	गोण्डा
24—नौतनवां	..	गोरखपुर	..	54—बलरामपुर	..	गोण्डा
25—नौगढ़	..	बस्ती	..	55—तुलसीपुर	..	गोण्डा
26—बरहज बाजार	..	देवरिया	..	56—पचपेरवा	..	गोण्डा
27—घोसी	..	आजमगढ़	..	57—कुंडा	..	प्रतापगढ़
28—मोठ	..	झांसी	..	58—कुंडवहार	..	सुल्तानपुर
29—कालवेहट	..	ललितपुर	..	59—नानपारा	..	बहराइच
30—कोंच	..	जालौन	..	60—रुदौली	..	बाराबंकी

पी0एस00यू0पी0--ए0पी0-34 वि0सभा-20-7-78-(11214)-843 (मैग0)।

उत्तर प्रदेश विधान सभा